लोक सभा वाद–विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां-सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 43 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा के 24 मई, 1995 के वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	नीचे से 5	मेहसाना	मेहसाणा
विषय सूची (ii)	8	साल्थो	सारकथी
5	नीचे से 12	श्रीमती सुशील गोपालन	श्रीमती सुशीला गोपालन
16	8	श्री वी॰पी॰ नरसिंह राव	श्री पी॰वी॰ नरसिंह राव
26	7 और 8	उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में)	उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग)
29	नीचे से 2	(क) से (घ)	(ख) से (घ)
34	नीचे से 3	"औषध एवं प्रसाधन सामग्री" के आरंभ में '(ग)' पढ़िए ।	
34	नीचे से 15	"राज्यों/संघ क्षेत्रों" के आरंभ में "(क) और (ख)" पढ़िए ।	
68	नीचे से 18	श्री भुवनेश्वर चतुर्वेदी	श्री भुवनेश चतुर्वेदी
81	1	अपचारात्मक	उपचारात्मक
81	16	रोजगार मंत्री	रोजगार मंत्रालय
101	14	(क) और (ग)	(क) से (ग)
117	4	फार्मोसिस्ट	फर्मेसिस्ट
117	11	(ख)	(ग)
118	11	(ग) और (घ)	(ग)
126	नीचे से 18	श्री पी॰सी॰ वाकी	श्री पी॰सी॰ वाकी
158	नीचे से 11	उपारपंरिक	अपारंपरिक
168	नीचे से 19	श्री शोभनाद्रवर राव वाडूडे	श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडूडे
163	8	श्री एन॰जे॰ रा॰वा॰	श्री एन॰जे॰ राठवा
163	15	"रोजगार मंत्रालय के पश्चात्" से "में" का लोप कीजिए ।	
169	21	(च)	(घ)
192	8 और 9	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग में)	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)

192	17	यकृत संबंधी रोगों में वृद्धि संबंधी रोगों में वृद्धि	अंतिम शब्द "संबंधी रोगों में वृद्धि" का लोप करें ।
217	नीचे से 7	(क) से (घ)	(ख) से (घ)
240	13	श्री मृत्युंजय नायक (फूलवनतो)	श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी)
254	नीचे से 9	नैदाक्कि	नैदानिक
255	नीचे से 15	इस्लामपुर के पश्चात "के" पढ़िए ।	
262	नीचे से 5	श्रीमती चन्द्र प्रभा आर्य	श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स
279	18	श्री पथ्वीराज डो॰ वछाण	श्री पृथ्वीराज डो. वछाण
281	9	श्री पृथ्वीनाथ डो॰ वछाण	श्री पृथ्वीराज डो॰ वछाण
302	नीचे से 4	श्री मुकुल सावनीक	श्री मुकुल वासनिक
306	15 और नीचे से 17	प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेश्व-रलु	प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु
330	नीचे से 18	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

विषय-सूची

दशम माला, खंड 41, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 34, बुधवार, 24 मई, 1995/3 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		**1–26**
*तारांकित प्रश्न संख्या :	681 से 684	1–26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		**26**
तारांकित प्रश्न संख्या :	685 से 700	26–55
अतारांकित प्रश्न संख्या :	6946 से 7104	65–224
प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्रों के बारे में दिनांक 26-4-95 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3419 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		**224–248**
सभा पटल पर रखे गये पत्र		**248–252**
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		**252**
बयालिसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति		**252–253**
छब्बीसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		
नियम 377 के अधीन मामले		**253–257**
(एक) स्कूलों/कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की आवश्यकता		
श्री शांताराम पोतदुखे		253
(दो) राजस्थान सरकार को किसानों के हितों की रक्षा हेतु गंग नहर की मरम्मत एवं रख–रखाव के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता		
श्री मनफूल सिंह		254
(तीन) मेहसाना और अहमदाबाद के बीच रेलगाड़ी को पुनः चलाये जाने की आवश्यकता		
श्री महेश कनोडिया		254
(चार) "एड्स" के उपचार के लिए केरल में विकसित आयुर्वेदिक मिश्रण के नैदानिक परीक्षणों के परिणामों की घोषणा किये जाने की आवश्यकता		
श्रीमती भावना चिखलिया		254

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) दिल्ली और नवादा के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता	
श्री प्रेम चन्द राम	255
(छह) बिहार के फतुहा और इस्लामपुर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय कुमार यादव	255
(सात) उड़ीसा के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेन्द्र साय की स्मृति में दिल्ली में एक स्मारक बनाये जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	256
(आठ) कर्नाटक में लिंगनामक्की तथा साखथी बांधों के विस्थापितों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता	
श्री के. जी. शिवप्पा	256
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	**257**
तेरहवां प्रतिवेदन और चौदहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	
राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक	**257**
विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री कमल नाथ	257
श्री गुमान मल लोढा	263
डा. कार्तिकेश्वर पात्र	273
डा. सुधीर राय	275
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	277
श्री रामकृपाल यादव	278
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण	279
श्रीमती गीता मुखर्जी	283
श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल	285
श्री चित्त बसु	288
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	289
श्री भगवान शंकर रावत	296
श्री हन्नान मोल्लाह	299
श्री ए. अशोक राज	301
श्री पी.सी. चाको	303
श्री राम नाईक	306
श्री सैय्यद शहाबुद्दीन	309

विषय	कॉलम
प्रो. उमारेड्डी वेंकटेस्वरलु	312
श्री राम प्रसाद सिंह	314
श्री कमला मिश्र मधुकर	316
श्री गोपीनाथ गजपति	318
श्री वीरेन्द्र सिंह	319
श्री ओस्कर फर्नान्डीज	321
श्री दत्तात्रेय बंडारू	321
श्री पी.सी. थॉमस	323
श्री लाल बाबू राय	325
श्री ए. चार्ल्स	326
श्री तेज नारायण सिंह	328
श्री भेरू लाल मीणा	329
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	330
खंड 2 से 32 और 1 यथा संशोधित पारित करने हेतु प्रस्ताव	
श्री कमल नाथ	339
श्री राम नाईक	345
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक	**346–352**
विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री पी.एम. सईद	346
प्रो. रासा सिंह रावत	347
श्री सैय्यद मसूदल हुसैन	348
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी	348
श्री भोगेन्द्र झा	349
खण्ड 2 और 1	
पारित करने हेतु प्रस्ताव	
श्री पी.एम. सईद	350

लोक सभा

बुधवार, 24 मई, 1995/3 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

जच्चा-बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम

681. **श्री राजवीर सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मातृ एवं शिशु दोनों के कल्याणार्थ जच्चा–बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा 1995 में अब तक यह कार्यक्रम देश के कितने जिलों में शुरू किया जा चुका है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कुछ जिलों को उच्च प्राथमिकता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाने और शिशुओं, बच्चों तथा मातृ, मृत्युदर और रूग्णता में कमी लाने के लिए शिशु जीवनरक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम आरंभ किया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के शिशु जीवन रक्षा घटक के अंतर्गत 255 और सुरक्षित मातृत्व घटक के अंतर्गत 104 जिले शामिल किए गए हैं। वर्ष 1995–96 के दौरान इस कार्यक्रम के शिशु जीवनरक्षा घटक के अंतर्गत 98 और सुरक्षित मातृत्व घटक के अंतर्गत 48 जिले शामिल किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) स्वीकृति और अनुमोदन के अनुसार शिशु परियोजना द्वारा पूरे देश को चरणबद्ध रूप से वर्ष 1997 तक सुरक्षित मातृत्व घटक को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और असम के 6 राज्यों को कवर करते हुए 219 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे सवाल को इनके विभाग ने समझा ही नहीं है और बिल्कुल वलताऊ जवाब दिया गया है। मैंने प्रश्न के भाग क और ख में पूछा था कि यदि हां तो ब्यौरा क्या है। इन्होंने जवाब में हां तो कहा, लेकिन ब्यौरा नहीं दिया। इस तरह से मंत्री महोदय द्वारा जो लिखित उत्तर दिया गया है, वह अधूरा है।

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री राजवीर सिंह : यदि लिखित उत्तर में यह जानकारी आ जाती तो आसानी हो जाती।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को निर्देश दें कि भविष्य में पूर्ण उत्तर दिया करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मेरे पास सप्लीमेंट्री प्रश्न है, मगर मंत्री महोदय को लिखित उत्तर पूर्ण रूप से देना चाहिए। इन्होंने ब्यौरा क्यों नहीं दिया?

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पिछले तीन वर्षों की जानकारी देते हुए बताया है कि शिशु जीवन रक्षा घटक के अंतर्गत 255 जिले हैं और सुरक्षित मातृत्व घटक में 104 जिले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये 104 जिले इन 255 जिलों में शामिल हैं या ये 104 जिले अलग से हैं ?

यह जो योजना इन्होंने प्रारम्भ की है यह कब से प्रारम्भ की है और इसकी क्या उपलब्धियां हैं?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : इस जच्चा–बच्चा कार्यक्रम में दो घटक हैं। एक घटक बच्चों के लिए है और दूसरा मातृत्व घटक है। मैंने उन जिलों की संख्या बताई है जिनमें शिशु जीवन रक्षा घटक है। इन जिलों में 104 ऐसे जिले शामिल किए गए हैं जिनमें सुरक्षित मातृत्व घटक भी सम्मिलित किए गए हैं। परन्तु यह एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें मातृत्व सुरक्षा पर अधिक बल दिया गया है। मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि यह योजना तीन वर्ष पहले शुरू की जा चुकी है और हमने मिलाकर सूची दी है कि 20 और इस तरह से सारे देश को इसमें कवर किया जायेगा। मैंने यह ब्यौरा अपने उत्तर में दिया हुआ है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने यह पूछा है कि अगर यह 255 जिले शिशु कल्याण के लिये निश्चित किए गए हैं तो यह 104 जिले क्या कर रहे हैं और क्या इन 255 जिलों में 104 जिले भी शामिल हैं? इस गति से जच्चा बच्चा के कल्याण और सुरक्षा के लिये कितने वर्ष लग जायेंगे? मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं गया है। मेरे प्रश्न का उत्तर अगर लिख कर भेज देते तो अच्छा होता।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह चाटोवार : महोदय मैं पहले ही बता चुका हूं कि जच्चा–बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम के दो घटक हैं। एक घटक शिशुओं के सम्बंध में है और दूसरा घटक सुरक्षित मातृत्व के बारे में है। इसे जच्चा–बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसके 2 घटक हैं क्योंकि कुछ राज्यों में 104 जिलों में हमने पाया कि मातृ मृत्युदर ज्यादा है। मैंने उन राज्यों के नामों का उल्लेख दिया है। कुछ राज्यों में यह देखा गया कि मातृ मृत्युदर अधिक है और इस कारण से हमने उन जिलों को सम्मिलित किया है। वह जिले अलग से नहीं हैं। वह वही जिले हैं परन्तु वहां पर दो कार्यक्रम हैं और यह दोनों कार्यक्रम उन्हीं जिलों में चलाये जा रहे हैं। क्योंकि हमने उन जिलों में पाया कि अन्य जिलों की तुलना में उनमें मातृ मृत्युदर ज्यादा है। मेरा विचार है कि मेरे इस उत्तर से माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे ?

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल सन्तुष्ट हूं। मैंने एक सवाल यह पूछा था कि इस वर्ष से यह योजना लागू की गई थी। मैं दूसरा सप्लीमेन्टरी पूछ लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह तीसरा सप्लीमेंटरी है।

श्री राजवीर सिंह : नहीं सर, यह दूसरा है। सर, 1997 तक की यह योजना है। इन्होंने 1997 तक का लक्ष्य क्या रखा है, इनका टार्गेट क्या है और उपलब्धि क्या हुई है और इन्होंने बजट में उसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री पवन सिंह चाटोवार : हमने यह योजना 1992 से आरंभ की है और हमारा विचार 1997 तक सारे देश को जच्चा–बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर करने का है। परन्तु हम 219 अन्य जिलों को सुरक्षित मातृत्व घटक के अन्तर्गत कवर करेंगे। मैं माननीय सदस्य के इस संशय को दूर करना चाहता हूं कि इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत घटक क्या हैं। शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नए जन्म लिये शिशुओं के लिये टीकाकरण, डायरिया रोकथाम, ए आर आई तथा विटामिन ए प्रोफिलैक्टिक की व्यवस्था सम्मिलित है सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम में आवश्यक बाते टीकाकरण अनीमिया की रोकथाम तथा उपचार प्रसव उपरांत देखभाल और...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप ही मंत्री जी को समझायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आपने बताया है कि आप 1997 तक क्या करना चाहते हैं। आप सारे देश को कवर करना चाहते हैं। लगभग आधे जिले माता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये कवर किये जाएंगे यह ठीक है परंतु वह यह जानना चाहते हैं कि आप कितनी राशि व्यय करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : तैयारी करके नहीं आए हैं प्रधानमंत्री जी आपका विभाग है आप ही जवाब दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह तथ्य बार में बताये जा सकते हैं।

प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव : एक ही मुद्दा है जिसके बारे में कार्यक्रम पर फिर से खर्चा करने की जरूरत है। कुछ खण्डों अथवा कुछ क्षेत्रों में शुरू किया गया कार्यक्रम शिशु की ओर केन्द्रित है। उसमें चूंकि कुछ जिले प्रसव उपरांत मातृत्व मृत्युदर की वृद्धि से अन्यों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं अतः उन्होंने 104 जिलों में इसे लागू किया गया है। परन्तु मेरा विचार है कि दोनों कार्यक्रम एक ही समय अर्थात 1997 में पूरे होने चाहियें। इसके लिये जो भी अतिरिक्त धन राशि की जरूरत होगी कुछ अन्य कार्यक्रमों की स्थगित कर के इनके लिये उपलब्ध कराई जायेगी। अतः इस कार्यक्रम के बारे में मेरा यह विचार है मैं इस पर पुनर्विचार करुंगा। भूतकाल में आई सी डी एस के बारे में भी हमने ऐसा ही दिया था और हमने अब निर्णय दिया है कि एक निश्चित अवधि तक कि पैकेज के रूप में संभव प्रयास किए जाएंगे। वही सिद्धात यहां पर भी लागू किया जा सकता है। मैं इस पर पुनर्विचार करुंगा।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में 17 लक्ष्यों का उल्लेख किया गया था। इनमें से 9 लक्ष्य मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में थे मैं एक बार पुनः भारत माता प्रियदर्शिनी इन्दिरा गांधी जी का धन्यवाद करती हूं।

यह सराहनीय बात है कि 1992–93 के 51 जिलों से चल कर शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1996–97 तक 466 जिलों के लक्ष्य को लेकर चलाया जा रहा है। और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का लक्ष्य 1992–93 के 21 जिलों की तुलना में 1996–97 में 219 जिले हैं।

मेरा निश्चित विश्वास है कि यह कार्यक्रम इस तथ्य को उजागर करते हैं कि 1984 की 104 की शिशु मृत्यु दर 1993 में 74 रह गई है जबकि 1976 में यह 129 थी। परन्तु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों के बीच शिशु मृत्यु दर में भी अन्तर है। यह संख्या क्रमशः 82 तथा 45 है।

इस बात की सराहना करते हुए कि हमारा देश बीसी जी तथा पोलियो की पीने वाली दवा को छोड़ कर अन्य हथ्रियों से इस बारे में आत्मनिर्भर है, मैं यह जानना चाहती हूं कि हम बी.सी.जी. तथा पोलियो की पीने वाली दवा के बारे में अब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे।

अतः मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि बी सी जी की स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने का क्या कार्यक्रम है...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप पथ से भटक रही हैं। आप दवाओं के उत्पादन की बात कर रही हैं। यह प्रश्न प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम के बारे में है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : महोदय यह उस कार्यक्रम से सम्बद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : हमें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि मंत्री जी इन दवाओं के उत्पादन से भी सम्बद्ध हैं।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : तब मैं उस प्रश्न को छोड़ रही हूं और मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके बाधाओं को दूर करने के क्या कदम उठाये हैं ताकि इरस कार्यक्रम का खर्चा कम हो सके...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदस्य को प्रश्न पूछने दें।

श्री पवन सिंह घाटोवार : हमने राज्य सरकारों के परामर्श के साथ जिलों का चयन किया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने इस परियोजना हेतु सात वर्षों के लिये 1125 करोड़ रु. की राशि आवंटित की है और हम राज्य सरकारों के परामर्श के साथ जिलों का चयन कर रहे हैं और हम राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके उन राज्यों के निष्पादन पर भी निगरानी रख रहे हैं।

श्रीमति सुशील गोपालन : महोदय सरकार द्वारा उठाये गये अनेक कदमों के बावजूद शिशु मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही है जैसा कि यूनीसेफ की रिपोर्ट में बताया गया है। वास्तव में दूसरी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 250 लाख शिशुओं में से प्रतिवर्ष 20 लाख की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है। सरकार ने कहा है कि शिशु मृत्यु दर 89 से कम होकर 79 हो गई हैं। परन्तु यूनिसेफ के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्युदर 124000 है। इस आयु वर्ग के बीच लिंग अनुपात में भी इसी तरह रही है। यदि आप 1961 के बाद के आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि 1961 में प्रत्येक 1000 लडकों की तुलना में लड़कियों की संख्या 976 थी; 1981 में यह संख्या प्रति 1000 लडकों की तुलना में 962 थी और 1991 में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 945 थी। यह अनुपात तेजी के साथ कम हो रहा है। इनमें से सभी संख्या में 1 से 5 वर्ष की आयु के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में उनके जीवन की रक्षा के लिये आगंनवाडियों की स्थापना की गई। परन्तु 1986 में यह दावा गया था कि काफी संख्या में इन आगनवाड़ियों को क्रेच में बदल दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसका आगनवाडियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं स्पष्ट अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन ; महोदय मैं उसी पर आ रही हूं। आपको मेरा प्रश्न ठीक से सुनना है।

अध्यक्ष महोदय : मैने कहा कि आगनवाडियों तक न जाये। हम सदन में उन पर काफी चर्चा कर चुके हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय उसे 5 वर्ष के शिशु उनमें जाते हैं। इसी कारण मैं कह रही हूं कि आगनवाड़ियों के स्थान पर क्रेच स्थापित किये जायें।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका प्रश्न उससे जुड़ा नहीं हुआ तो मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय आप मेरा पूरा प्रश्न सुन तो लें।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह बताया गया था कि काफी संख्या में आगंनवाडियों को क्रेच में बदल दिया जायेगा। इसमें आपको सहायता करनी है। भारत में केवल 12000 क्रेच हैं और उनको भी आप गैर–सरकारी हाथों में दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि...

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रश्न से प्रासंगिक बात ही करनी है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह प्रश्न से संबधित है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार यह नहीं है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के जीवन को बचाना है। वास्तव में इन क्रेचों की स्थिति को सुधाकर जानना चाहिये। दिये गये आश्वासन के अनुसार आगनवाडियों को क्रेच में बदल दिया जाना चाहिये। केवल उस अवस्था में ही विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की काम पर जाने वाली महिलाएं अपने बच्चों को उन में रख सकेंगी और उनको पौषाहारी भोजन मिलेगा...

अध्यक्ष महोदय : यह...कर दुरुपयोग है...

श्रीमती सुशीला गोपालन : पहले उनको पोषक खाना पीना

दिया जाता था। परन्तु अब उनकी केवल सुखडी दी जाती है। और उसके कारण महाराष्ट्र में 126 बच्चों की मृत्यु हो गई।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गोपालन यदि आप चुप नहीं होंगी तो मैं किसी दूसरे को प्रश्न पूछने को कह दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : मुझे यह प्रश्न पूछना है। मैं यह कहना चाहती हूं कि सुखडी दिये जाने के कारण महाराष्ट्र में 126 बच्चों की मृत्यु हो गई है और एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि इस खाने पीने के कारण और पोषाहार भोजन न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष रुप से यहां पर प्रधान मंत्री उपस्थित हैं उनसे जानना चाहती हूं कि क्या काफी संख्या में आगंनवाडियों को क्रेच में बदला जायेगा और इन क्रेचों को सुखडी न देकर पोषक आहार दिया जायेगा।

श्री पवन सिंह घाटोवार : जहां तक मृत्युदर का संबंध है मैं यह कह सकता हूं कि 1971 में...

अध्यक्ष महोदय : उन सब बातों का उल्लेख न करें। सीधा सादा प्रश्न यह है...

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय यह तो इस मंत्रालय से भी सम्बद्ध नहीं है। आई सी डी एस कार्यक्रम, आंगनवाडियां आदि का सम्बन्ध बाल कल्याण से है जिसका मतलब है मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को संरक्षण देने के लिये आंगनवाड़ी का उपयोग किया जा सकता है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हम इसकी जांच कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनूप जोशी : अहयक्ष जी, मेरा एक स्थान है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब आपको अनुमति दूंगा।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, सार्वभौमिक टीकाकरण कर्यक्रम के अन्तर्गत कवरेज में पिछले साल में तेजी से विस्तार हुआ है। परन्तु फिर भी हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए हाथ से बच्चे पैदा कराने की घटनाओं की संख्या अभी भी काफी है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सामुदायिक स्तर पर मातृत्व उपचार में सुधार लाने तथा आपातकालीन मामलों में तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, चूंकि में प्रतिशत से अधिक बच्चों का जन्म संस्थानों में नहीं होता और परम्परागत अकुशल दाईयों के जरिए होता है अतः हमने प्रत्येक गांव में दाईयों को प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की है और आज तक अपने देश में 631000 दाईयों को प्रशिक्षण दिया है। यह कार्यक्रम चल रहा है और हमारा लक्ष्य यह है कि आने वाले वर्षों में हमारे प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षितदाई हो।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष जी, चाइल्ड वेल्फेयर तथा सेफ मदरहुड कार्यक्रम 3 साल से शुरू हुए हैं। क्या सरकार ने इसका सर्वे किया है और यदि किया है तो उसकी उपलब्धियां क्या हैं ?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि महाराष्ट्र में कुपोषण से आदिवासी क्षेत्रों में क्या अन्य सालों में बड़े पैमाने पर बाल मृत्यु हो रही हैं ? क्या इस प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र के ऐसे आदिवासी क्षेत्र लिये जायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय हमने इस योजना पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा की और मैं यह कह सकता हूं कि टीकाकरण कार्यक्रम हमारे देश में सफल रहा है। हमने 40 प्रतिशत के साथ शुरू किया था और अब 80 प्रतिशत से अधिक दूसरे बच्चों को प्रतिरोधी टीके लगाये जा रहे हैं। मुझे राज्य सरकारों को उनके सहयोग के लिये बधाई देनी है। अन्य क्षेत्रों में भी हम राज्य सरकारों की सहायता प्राप्त कर रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि श्री अन्ना जोशी ने आदिवासी क्षेत्रों की बात की है, हम जिलों का चयन राज्य सरकारों की सलाह के साथ करते हैं यदि भविष्य में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार उस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : तीन साल की उपलब्धियां क्या हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उपलब्धियों का उल्लेख कर दिया है। 80 प्रतिशत प्रतिरोधी टीका करण, आदि।

परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं

*682. **श्री आनंद रत्न मौर्य :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं इस समय लागत में वृद्धि होने की समस्या का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं की लागत राशि में वृद्धि कर इन्हें नियत समय पर पूरा करने हेतु कोई विशेष योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्तमान में निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	लागत अनुमान (करोड़ रु.) मूल	पूर्वानुमानित
1. कैगा यूनिट 1 तथा 2	2x220	730.72	1590+ (आई.डी.सी.)* 685
2. राजस्थान यूनिट 3 तथा 4	2x220	711.57	1450 (आई.डी.सी.)* 657

*निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज

इन परियोजनाओं को शुरू में सरकारी परियोजनाओं के रूप में संस्वीकृति दी गई थी और सितम्बर, 1987 में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के गठन के बाद इन्हें एन पी सी आई एल ने हाथ में ले लिया था। इन परियोजनाओं के लागत अनुमानों में हुई वृद्धि सामान्यतः कार्य क्षेत्र में विस्तार होने, मूल्य-वृद्धि विदेशी मुद्रा की विनिमय दरों में विभिन्नता होने, रुपयें के अवमूल्यन, करों और शुल्कों में विभिन्नता आदि के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं को चूंकि विभागीय परियोजनाओं के रूप में निष्पादित किया जाना था, इसलिए इनके मूल लागत अनुमानों में निर्माण के दौरान लगने वाले ब्याज का अंश शामिल नहीं था।

इन परियोजनाओं को संशोधित लागत अनुमानों के भीतर ही तेजी से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) सिविल निर्माण-कार्य और अभियांत्रिकी उत्थापन कार्य साथ-साथ करना,

(ii) निर्माण संबंधी कार्यकलापों का अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर यंत्रीकरण,

(iii) सूक्ष्मतापूर्वक मानीटरन करना तथा

(iv) जहां भी संभव हो कार्यकलापों की अवधि को कम करना।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, एटोमिक पावर प्लांट के निर्माण का मामला राष्ट्रीय महत्व का है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जितनी लापरवाही से दिया गया है वह बहुत ही दुखद है। मामला यह है कि आज तक जितने भी पावर प्लांट लगाए गए या लगाये जा रहे हैं उनमें से एक भी पावर प्लांट का निर्माण अपनी सुनिश्चत समयावधि में पूरा नहीं हुआ और उसके कारण बहुत सारे खर्चे बढ़ गए। अब यह उदासीनता क्यों है? पावर प्लांट के होने से, पावर जनरेशन के बढ़ने से देश का विकास होता है। इस नाते मेरा पहला प्रश्न है कि एटोमिक पावर प्लांट्स का किन-किन कारणों से सुनिश्चित समयावधि के अंदर निर्माण पूरा नहीं हुआ और उसमें उसके कारण से कितना अधिक धन लगा।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि इस निर्माण कार्य से अपने देश को कितना पैसा ज्यादा जाया करना पड़ा?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यह सही है कि डिले होने से कीमत में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो देरी हुई उसके कई कारण हैं और कुछ कारणों की वजह से यह देरी हुई है। जो कॉस्ट बढ़ी है वह चार्ट में लिखी गई है कि एस्टीमेटेड कॉस्ट कितनी है और एस्केलेटेड कॉस्ट कितनी है। अगर आप चाहें तो मैं पढ़कर बता दूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, डिले के कारण क्या हैं?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मैंने निवेदन किया कि इसके चार-पांच कारण हैं। एक कारण सेफ्टी मैज़र्स है, नये नये तरीके निकलने की वजह से डिजाइन में परिवर्तन होता रहता है जिससे डिले हो जाती है। दूसरा कारण है कि सब तरफ से रिसोर्स क्रेच आता है और रिसोर्स क्रेच होने की वजह से प्रोजैक्ट के लिये पूरी मात्रा में धन उपलब्ध नहीं होता, इसलिये उसका काम डिले हो जाता है। तीसरा कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो डिवैल्यूएशन होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है, टैक्निकल नो-हाऊ की वजह से भी डिले होती है। मुख्य रूप से यही कारण डिले के होते हैं।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर सही रूप से नहीं आया है, बड़े गोल-मोल तरीके से दिया गया है। प्रश्न की महत्ता को देखते हुये इन्हें सदन को विश्वास में लेना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कारण बता दिये हैं कि टैक्निकल डेवलपमेंट करके करना है, इंडस्ट्री डैवलप करके करना है।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : लेकिन प्रौजेक्ट्स की कौस्ट में 400-500 गुना वृद्धि हो जाती है, जिससे पैसा अधिक खर्च करना पड़ता है और प्रोजैक्ट का काम रुक जाता है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे देशों में क्या होता है उसे भी देखना पड़ेगा।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : लेकिन यह अपने देश का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आगे चलिये।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत के अंदर कितने एटौमिक पावर प्लांट लगाने की सरकार की योजना है। आगामी 5 वर्षों में जो प्रोजैक्ट्स लगाये जायेंगे क्या उनमें से कोई एटौमिक पावर प्रोजैक्ट वाराणसी जिले में भी लगाया जायेगा?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : वाराणसी के लिए अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है, यह मैं निवेदन कर सकता हूं। बाकी अभी जो प्लांट हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनमें वर्क हो रहा है, एक कायगा प्रोजैक्ट है और राजस्थान एटौमिक पावर प्रोजैक्ट के दो प्रोजैक्ट्स हैं, जो अभी निर्माणाधीन हैं।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : महोदय मंत्री महोदय ने बताया है कि कैगा यूनिट के मामले में मूल लागत 700 करोड़ रू. थी। अब यह बढ़ कर 2200 करोड़ रु. हो गई है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र के मामले में मूल लागत 714 करोड़ रू. थी जो अब बढ़ कर 2107 करोड़ रु. हो गई है। इसमें लगभग तीन गुणा वृद्धि हुई है। माननीय मंत्री ने अभी अभी उत्तर दिया है कि मूल्य वृद्धि का एक मूल कारण धनराशि की कभी है परियोजना के लिये योजना राशि से पैसा दिये जाने योग्य पैसा नहीं है।

महोदय मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं और विशेष रूप से प्रधान मंत्री से इस बारे में यह जानना चाहता हूं कि जब धनराशि उपलब्ध नहीं है और हम अच्छी तरह से यह जानते हैं कि पैसा नहीं है हम परियोजना के ऐसे लक्ष्य क्यों तय करते हैं जो प्राप्त नहीं किये जा सकते। अब ये कहा है कि 2x220 मेगावाट क्षमता के दो कैगा यूनिट है और 2x220 मेगावाट क्षमता के राजस्थान यूनिट में दो संयंत्र हैं। योजना आयोग ने अपेक्षित धनराशि के एक चौथाई हिस्से का भी आबंटन नहीं किया है। जब ऊर्जा समिति की बैठक हुई थी तो हमने परमाणु ऊर्जा आयोग तथा परमाणु ऊर्जा निगम के अधिकारियों को बुलाया था। उन्होंने धनराशि की कमी के कारण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में अपनी असमर्थता दिखाई है। तब हम ऐसे प्राप्त न हो सकने वाले लक्ष्य क्यों तय करते हैं। दो यूनिटों के स्थान पर सरकार को एक यूनिट रखना चाहिये था ताकि कम से कम एक शुरू किया जा सकता और मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता था।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यह सही है कि रिसोर्स क्रेच के कारण कीमतें बढ़ी हैं लेकिन इसके कुछ और भी कारण प्रमुख हैं जिन्हें मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहले यह कार्य डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी खुद करता था परन्तु 1987 से एक कार्पोरेशन बन गया है। पहले डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा बजटरी सपोर्ट किया जाता था लेकिन अब डिपार्टमेंट को सबसे बड़ा जो खर्चा आता है, वह इंटरैस्ट की वजह से है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि कार्पोरेशन को रुपये की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए इन्क्रीज का सबसे बड़ा कम्पोनेट रेट ऑफ इंटरैस्ट है।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उत्तर सन्तोषजनक नहीं है इसका कारण यह नहीं है कि वह पूरी नहीं है परन्तु मेरे विचार से इसका कारण यह है कि यह जानबूझकर अपूर्ण दिया गया है। क्या यह ठीक नहीं है कि कारण वास्तव में मुख्य कार्य विलम्ब तथा मूल्य वृद्धि के लिये कैगा में एक छत का गिर जाना है–

अध्यक्ष महोदय : यह कारण नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : हमें यह बताया गया है। यदि महोदय आप अपनी बात पर जोर दे रहे हैं तो...

अध्यक्ष महोदय : जी हां, क्योंकि मैं कहां गया हूं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय मैं जानता हूं। परन्तु विभाग...

अध्यक्ष महोदय : औद्योगिक समर्थन नहीं मिल रहा है। और यदि आप केवल 2 परियोजनाओं की स्थापना कर रहे हैं तब आपको केवल 2 परियोजनाओं के लिये ही सब काम करना पड़ेगा। इसी कारण से विलम्ब हुआ है।

श्री जसवन्त सिंह : कैगा में छत के गिर जाने के कारण राजस्थान परमाणु केन्द्र के III तथा IV यूनिट का काम रुक गया। काम पूरी तरह से रुकार हुआ है। जब तक छत के गिरने की जांच पूरी न हो जाये तब तक काम को रोकना जरूरी था और उसी के परिणामस्वरूप विलम्ब हुआ। मैं सरकार से साफ तौर पर यह पूछ रहा हूं। यदि माननीय मंत्री कहते हैं कि मेरा प्रश्न व्यवस्था का नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ठीक है। परन्तु विलम्ब का केवल यही कारण नहीं है।

मेरे इसमें दखल देने का कारण यह है कि इस तरह के कार्यक्रम जनता के सामने इस तरह से गलत ढंग से पेश नहीं किये जाने चाहिये और लोगों को इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिये। यही मुख्य कारण है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस बात की सराहना करता हूं और मुझे उस संवेदनशीलता का ध्यान है। और वास्तव में उस संवेदन शीलता को ध्यान में रखते हुए यह कह रहा हूं कि कैगा में निर्माणाधीन छत के बारे में सब को जानकारी है। इसका परिणाम यह है...

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय देंगे। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इसका केवल सही कारण है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय क्या मैं अपना पूरा कर दूं। मेरा यह कहना कि उस छत के गिरने के कारण अगर पी III तथा IV में विलम्ब हुआ है। उसी के परिणामस्वरूप कैगा 1 तथा 2 में विलम्ब हुआ। मैं अब उस के प्रत्यक्ष परिणामों का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि 880 मेगावाट के उत्पादन में 6 महीने का विलम्ब हो गया है।

880 मेगावाट के उत्पादन में 6 महीने का विलम्ब उसी कारण से है। 880 मेगावाट की कमी के परिणामों का अनुभव लगाना आसान नहीं है। परन्तु यह बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से परमाणु ऊर्जा निगम के कार्यकरण तथा सम्पूर्ण ढांचे से पूरी तरह से सम्बद्ध है। परमाणु ऊर्जा निगम के पास अब यह अतिरिक्त उत्तरदायित्व है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि अब जब कैगा ही छत गिरने की जांच पूरी हो चुकी है क्या यह विलम्ब का एक कारण है। दूसरे अब जब कैगा की छत गिरने की जांच पूरी हो चुकी है...

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अन्य सभी परियोजनाओं में और केवल कैगा में विलम्ब के बारे में है।

श्री जसवन्त सिंह : यही तो मैं कह रहा हूं। महोदय, कैगा में छत के गिरने के कारण आर.ए.पी. 3 तथा 4 का काम भी धीमा कर दिया गया, क्योंकि निर्माण, तरीके, आयोजन वास्तुकला संबंधी सभी डिजाईन सभी कुछ एक जैसा था। जब तक कैगा ही जांच पूरी न हो जाती तब तक कैगा 3 तथा 4 का काम शुरु नहीं किया जा सकता था। यही मेरा मुद्दा है। अब जब रिपोर्ट मिल गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि उसके मुख्य निष्कर्ष क्या है, दूसरे जहां तक परमाणु विद्युत निगम को इसका उत्तरदायित्व देने का संबंध है यह बहुत बड़ा प्रश्न है परन्तु मेरा विचार है कि परमाणु विद्युत निगम के सारे वित्तीय ढांचे पर पुनर्विचार करने की जरूरत है क्योंकि बजट में इसके लिये केवल 300 करोड़ रु. का ही प्रावधान है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मैं यह कहना चाहता हूं कि कैगा की वह छत का गिरना पैसे की कमी के कारण नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की है जिसका मतलब वह हो।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : आप वही तो कह रहे हैं। अब मेरी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : मैं आपको अपना प्रश्न समझा दूं?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मुझे उत्तर देने दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैंने यह नहीं पूछा है कि पैसे की कमी के कारण रूफ गिरी है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह साफ बात है कि यदि छत गिरती है तो फिर से उसे बनाने में समय लगेगा इस बात का पता लगाने में देरी लगेगी कि उसके गिरने का कारण क्या था अगली छत के लिये उन कारणों को दूर किया जा सके। यह नहीं किया जा सकता कि छत गिरने की घटना होने दी जाये और गिरने के कारणों की जांच न की जाये। अतः जसवन्त सिंह जी का कहने का तात्पर्य यही है इस जैसे कारणों से कुछ विलम्ब तो होना है। अब प्रश्न यह है कि कितना विलम्ब हुआ है और उसके क्या परिणाम रहे हैं यह हम नहीं कह सकते। मैं इस बात को देख रहा हूं। मेरे सहयोगी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताई है कि निर्माण करने वाली एजेन्सी भी बदल गई है। जब यह काम विभाग कर रहा था तो उसे कुछ अदायगी नहीं करनी थी। अब इस एजेन्सी को 680 करोड़ रु. से अधिक की अदायगी निर्माण के दौरान ब्याज के रूप में करनी है जबकि मूल अनुमान केवल 730 करोड़ रु. का है। 730 करोड़ रु. का है। 730 करोड़ रु. के अतिरिक्त यदि उनको केवल 680 करोड़ रु. का ब्याज ही अदा करना है तो हम देख सकते हैं कि सात मामले एक नए चरण में जा रहा है जहां पर यह काम एक निगम को करना है और उक्त निगम को वित्तीय, तकनीकी आदि अनेक उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं।

तब जैसा कि उन्होंने बताया है यह सुरक्षा से जुड़ी बात है। सुरक्षा का पहलू इतना महत्वपूर्ण है कि यदि मुझे आज यह बताया जाये कि किसी दूसरे देश में सुरक्षा के नए उपकरण की खोज हुई है तो मैं जोखिम का काम करते रहने के स्थान पर काम रोक कर भी उसके बारे में मालूयात करने की कोशिश करुंगा। सुरक्षा के संबंध में हम जोखिम नहीं उठा सकते। इस सब के बावजूद हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या कोई परिहार्य विलम्ब हुआ है। अब जब कैगा की छत के गिरने के कारणों की जांच कर ली गई है कि उन कारणों पर भी विचार किया जायेगा। यदि सदस्य चाहते हैं हम उन कारणों के बारे में उनको भी बता सकते हैं या रिपोर्ट का सारांश उनको बता सकते हैं। परन्तु निश्चित रूप से हम इन सब बातों पर विचार करना होगा। और अब आगे विलम्ब नहीं होगा। मैं तथ्यों के संदर्भ में केवल इतना ही कहना चाहता हूं यह तथ्य हमने आपको बता दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या उस संस्थान में ढांचे का पुनर्गठन किया जायेगा ताकि यह देखा जा सके कि इसे वित्तीय कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

श्री. पी.वी. नरसिंह राव : यदि यह जरूरी हुआ तो यह भी किया जायेगा। परन्तु मैं इस समय यह नहीं कह सकता कि ऐसा किया जा रहा है। मैं इस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तारापुर में तीन और चार, ऐसे दो यूनिट हैं जहां पांच सौ मेगावाट के नये प्रोजेक्ट बनाये जा रहे हैं। 1989 में वह प्लान मंजूर हुआ था। वहां

के दो गांव अकरपट्टी और पोखरन से 900 परिवारों को हटाने की बात हुई है। मैंने उसके बारे में पेटीशन कमेटी को पेटीशन भी दिया था। यहां पर उसकी रिपोर्ट अप्रैल 1994 में आई है। मेरा सवाल यह है कि क्या तारापुर के तीन और चार नं. यूनिट का जो प्रोजेक्ट है, वे उसमें नहीं दिखाई है। उस पर काम शुरू है। क्या वह प्रपोजल आपने छोड़ दिया है इस का कारण यह है कि इसे लम्बित परियोजनाओं में नहीं दिखाया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। "क्या निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं इस समय लागत में वृद्धि होने की समस्या का सामना कर रही हैं।" यदि ऐसा नहीं है तो इसका यहां उल्लेख नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यह सवाल तारापुर का नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें भ्रांति में नहीं आना है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है कि कास्ट ओवर इन हो रहा है। अगर आप कहते कि उस प्रोजेक्ट का कारट ओवर इन नहीं है तो मेरे लिये एक ही बात निकलेगी।

[अनुवाद]

यदि यह यहां पर न दिया होता तो मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाता। यह प्रश्न अब है नहीं तो मैं ऐसा करता।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन कार्ययोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : उन सभी को कार्यान्वित किया जा रहा है, हमने उनके काम को हाथ में लिया है।

श्री श्रीकान्त जैना : वास्तव में सरकार आज परमाणु ऊर्जा की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। आज अधिक जोर तापीय तथा पन बिजली को दिया जा रहा है। शायद सरकार परमाणु ऊर्जा निगम को पर्याप्त वित्तीय समर्थन उपलब्ध नहीं हो रहा है। परमाणु ऊर्जा निगम जादु के साथ काम नहीं कर सकता। उनको सरकार से पैसा मिलना चाहिये। श्री मुरली देवड़ा ने ठीक ही कहा है कि योजना आयोग पर्याप्त पैसा उपलब्ध नहीं करा रहा है। परमाणु ऊर्जा निगम को इन दोनों परियोजनाओं के लिये उपकरण खरीदने हेतु अग्रिम दिया गया है। पैसे की दूसरी किस्त नहीं दी गई है। वास्तव में जो पैसा पहले दिया गया था उसके साथ हम उपकरण नहीं खरीद सकते। जो वित्तीय समर्थन मिलना चाहिये वह नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न अच्छा है लेकिन आप बहुत कुछ बोल कर इसे कन्फ्यूज कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जैना : अतः ये प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार परमाणु ऊर्जा निगम को वह महत्व देने पर विचार कर रही है जो इसे दिया जाना चाहिये।

श्री वी.पी. नरसिंह राव : माननीय सदस्य बिजली उत्पादन के एक महत्वपूर्ण मुद्दे से उठा रहे हैं। हमें अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों का लाभ उठाना है। यह सच नहीं है कि विश्व का हर देश परमाणु ऊर्जा के पीछे जा रहा है। केवल वही देश परमाणु ऊर्जा का सहारा ले रहे हैं जिनके पास कोयला जल, आदि अन्य आदान नहीं हैं। मैं उन देशों के नाम भी बता सकता हूं। अतः यह सच नहीं है। हमें सन्तुलित विकास करना है। विद्युत उत्पादन लागत पर भी निर्भर करता है। पर बिजली की लागत ज्यादा बैठती है कि वह उसकी परिचालन लागत कम बैठती है। यह स्वच्छ भी है। अतः हमें इस कारण उसको प्राथमिकता देनी है। किन्तु हमारे पर्यावरण व अन्य समस्याएं आ रही हैं। उन पर भी विचार किया जाना है।

ताप बिजली अधिक प्रचलित है। मुझे इस बात से बहुत हैरानी है कि जो व्यक्ति ताप बिजली क्षेत्र से सम्बंधित है, वह व्यक्ति जो स्वयं कोयले से मरा हुआ है, जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को काला किये बिना घर से बाहर नहीं निकल सकता वही यह प्रश्न पूछ रहा है। उड़ीसा में, हमें ध्यान देने की जरूरत है और हम ताप विद्युत संयंत्र की ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां कहीं हमारे अपने संसाधनों के उपयोग के अवसर हैं हम निश्चित रूप से अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे ताकि हमें आयात का सहारा न लेना पड़े। हमें ऐसी प्रौद्योगिकी न अपनानी पड़े जिसमें सालों का समय लगे। हम ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं अपनाना चाहते जो यदि अपर्याप्त हैं तो विनाश का कारण बने। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना है और इनको ध्यान में रखा भी जा रहा है हमने पूर्ण रूप से जैसा कि विश्व के बहुत से विशेषज्ञों ने प्रमाणित भी किया है। इस तरह का विद्युत उत्पादन कार्यक्रम बनाया है जिसे एक सन्तुलित कार्यक्रम कहा जा सकता है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय मैं भी वह प्रश्न पूछना चाहता था जो कि श्री जसवन्त सिंह ने पूछा है। चूंकि इसका उत्तर दे दिया गया है मैं केवल एक छोटा–सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्नर इन्टेनमेन्ट डोम में 13 मई, 1996 को पैदा हुई समस्या के कारण परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड ने निर्माण पर रोक लगा दी है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह रोक अभी भी लागू है अथवा क्या निर्माण के लिये अनुमति दे दी गई है। मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि इन चार यूनिटों को अब किस तारीख से चालू किया जाना है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : सारा निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया है। केवल गुम्बद का निर्माण ही रोका गया है । अन्य जरूरी निर्माण कार्य साथ साथ चल रहे हैं। दोनों रिपोर्ट अभी दाल ही में मिली हैं। हम उनकी जांच कर रहे हैं। हम शीघ्र ही उन पर निर्णय ले लेंगे। यह जल्दी से जल्दी किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या इन दोनों यूनिटों को चालू किये जाने की तारीखें बताना संभव है?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : महोदय बस समय नहीं।

श्री ए. चार्ल्स : दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल दो बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में कूडा–कुलम में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव था उसकी स्थापना से तमिलनाडु तथा केरल को काफी सहायता मिलेगी। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रस्ताव अभी भी जीवित हैं, क्या उस परियोजना को निकट भविष्य में चालू किए जाने की कोई संभावना है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : वह विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी विचार किया जायेगा।

भूकंपीय वेधशाला

683. **श्री हरिन पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूंकपीय वेधशालाओं का ब्यौरा क्या है और ये वेधशालाएं कहां–कहां स्थापित हैं;

(ख) इन वेधशालाओं ने भूकम्प प्रवण क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्या अध्ययन किए हैं तथा तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वेधशालाओं को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और क्या उन्हें यह सलाह भी दी गई है कि वे भूकम्प आने की पूर्व सूचना दें?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) 37 वेधशालाओं के एक देशव्यापी नेटवर्क की देखरेख कर रहा है। इन वेधशालाओं का विभाजन है: असम–1, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह–1, आंध्र प्रदेश –1, बिहार–2, दिल्ली–1, गुजरात–1, गोआ–1, हिमाचल प्रदेश–1, पंजाब–1, जम्मू और कश्मीर–2, मध्य प्रदेश–2, मणिपुर–1, उड़ीसा–1, राजस्थान–1, त्रिपुरा–1, तमिलनाडु–2, उत्तर प्रदेश–5, पश्चिम बंगाल–11 इनके अतिरिक्त, भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा 16 वेधशालाएं विभिन्न स्कीमों के अधीन चलायी जाती हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की हिमालयी भूकम्पीय परियोजना के तहत स्थानीय भूकम्पनीयता की मानीटरिंग करने के लिए उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व हिमालय में 35 भूकम्पी वेधशालाएं स्थापित की गई हैं। क्रांगड़ा (हिमाचल प्रदेश), पिथौरागढ़ (उ.प्र.), तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 50 यंत्रों वाले तीव्र गति मापकों के तीन व्यूह स्थापित किये गये हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, नदी–घाटी परियोजना प्राधिकरणों, और अकादमिक संस्थानों जैसे अन्य संगठनों के द्वारा भी वेधशालाओं का रखरखाव किया जाता है।

(ख) भूकंपीय आंकड़ों के आधार पर तथा भूवैज्ञानिक, भूभौतिकी और भूतकनीकी बातों का ध्यान में रखते हुए भारत मानक ब्यूरो (आई एस 1893–1984) ने देश को 5 जोन में बांटा है। जोन V सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय तथा जोन। सबसे कम सक्रिय है। मोटे तौर पर, जोन V में संपूर्ण उत्तरपूर्वी भारत, जम्मू–काश्मीर के भागों, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां, कच्छ का रन, उत्तरी बिहार तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं जोन IV में जम्मू तथा कश्मीर के शेष भाग हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के उत्तरी तथा पश्चिमी बंगाल के उत्तरी हिस्से, गुजरात के पश्चिमी तट के समीप महाराष्ट्र के कुछ हिस्से आते हैं। जोन I, II तथा III में देश के शेष भाग आते हैं।

(ग) वेधशालाओं की पद्धति को विस्तृत तथा आधुनिक किया जा रहा है। 1993–94 के दौरान, शील्ड भूकम्पनीयता पर अधिक ध्यान देने के लिए 3.4 करोड़ रुपये के एक कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मंजूरी दे दी थी। इस पहल से महाराष्ट्र में कोयना वार्ना नेटवर्क में 13 मार्डन भूकम्पी यंत्रों की वृद्धि शामिल है।

1994–95 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली परियोजना के लिए 39 करोड़ रुपये की मंजूरी प्राप्त की है ताकि प्रायद्वीपीय शील्ड क्षेत्र वेधशालाओं का विस्तार आधुनिकीकरण और नेटवर्क तैयार किया जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं: (i) भारत मौसम विज्ञान विभाग की मौजूदा 20 वेधशालाओं का आधुनिकीकरण (ii) 10 नई अंकीय वेधशालाओं का खोलना (iii) कोयना–वार्ना (महाराष्ट्र), लातूर (महाराष्ट्र), और खंडवा (मध्य प्रदेश) में 3 बहु अवयवों वाली दूरमापी गुच्छों की स्थापना (iv) 20 सचल भूकम्पी यंत्रों की वृद्धि (v) स्वतंत्र क्षेत्र तथा सचल संरचनात्मक अध्ययनों के लिए तीव्र गति यंत्रों की स्थापना (vi) केन्द्रीकृत डाटा बैंक तथा आधुनिक दूरसंचार सुविधाओं का सृजन और (vii) कार्मिकों को प्रशिक्षण।

इसके अलावा हिमालय तथा समीपवर्ती क्षेत्र कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) तथा दिल्ली में दूरमापी व्यूहों को स्थापित करने की योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। एक तीव्र गति व्यूह दिल्ली में भी स्थापित किया जा रहा है।

वर्तमान में भूकम्पों की समय, स्थान तथा परिमाण की पर्याप्त शुद्धता के साथ भविष्यवाणी करने की दुनियां में कहीं भी कोई परिचालन विधि उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, 30 सितम्बर, 1993 को महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र में भूकम्प के कारण एक बड़ी भारी दुर्घटना हुई जिसमें सैंकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर हो गए। इससे सारा देश बहुत व्यथित हुआ विशेषकर आप बहुत दुखी थे। इसकी चर्चा भी हुई कि इन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए।

[अनुवाद]

16 दिसम्बर 1995 को माननीय मंत्री इस बात से सहमत भी हुए थे कि कुछ और वैधशालाएं तथा निगरानी केन्द्र विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात तथा अथ भूचाल प्रवण क्षेत्रों में स्थापित किए जायेंगे। आज मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि 1993 से कितनी वैधशालाओं और निगरानी केन्द्रों की स्थापना की गई हैं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : इसके अनुसार महाराष्ट्र में कांयना वारना नेटवर्क में 13 आधुनिक भूकम्पीय उपकरण लगाया जाना सम्मिलित था।

श्री हरिन पाठक : कितनों की स्थापना की गई है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मैं बता रहा हूं कि 13।

श्री हरिन पाठक : 1993 के पश्चात कितनों की स्थापना की गई है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यह सब उसके बाद की दी संख्या है।

श्री हरिन पाठक : धन्यवाद। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या कोई वैज्ञानिक दल , विदेशी विशेषज्ञों सहित ऐसे जोनों का जो भूकम्पों से अधिक प्रभावित होते हैं, पता लगाने के लिये विभिन्न राज्यों में भूकंपिता तथा मृदा परिवर्तनों का अध्ययन कर रहा है ताकि दुघर्टनाओं से बचा जा सकें।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : जी हां, विभाग इस का विस्तार से अध्ययन कर रहा है और हम अन्य विशेषज्ञों की भी सलाह ले रहे हैं।

श्री अंकुश राव टोपे : यह कहा गया है कि 1994–95 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पेनिन्सुलर शील्ड रीजन की वैधशालाओं के विस्तार, आधुनिकरण और नेट–वर्किंग में लिये 39 करोड़ रु. की विश्व बैंक सहायता परियोजना के लिये मंजूरी प्राप्त की थी। इस परियोजना में विशेष रूप से महाराष्ट्र में कांयना वरना तथा लातूर में और मध्य प्रदेश में खण्डवा में तीन 'मल्टी–ऐलीमेंट टेले मीटरड कल्सटर्स की स्थापना सम्मिलित की। हर कोई जानता है कि लगभग 2 वर्ष लातूर में एक भूकम्प आया था। उसके परिणाम स्वरूप लगभग 10000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अतः महाराष्ट्र में लातूर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन तीन मल्टीएलीमेंट टेरेमीटरड कल्सटर्स की स्थापना करने का काम शुरू हो गया है या नही और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यह ठीक है कि विश्व बैंक की सहायता सलाह और सहायता के साथ हमें पेनिन्सूलर शील्ड रीजन की वैधशालाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और नेटवर्किंग के लिये 39 करोड़ रु. की राशि मिली है। इस परियोजना में हम विश्व बैंक की सहायता से 20 वर्तमान वैधशालाओं के आधुनिकीकरण, दस नई डिजिटल वैधशालाएं खोलने, तीन मल्टी एलीमेन्ट टेलेम भीडरट कल्सटर्स की स्थापना, 20 चलते फिरते मूकेपी उपकरण लगाने फ्री–फील्ड तथा स्ट्रक्चरल अध्ययनों के लिये मजबूत गति वाले उपकरण स्थापित करने और केन्द्रीयकृत आंकड़ा बैंक स्थापित करने और आधुनिक दूर संचार सुविधाओं की स्थापना करने का काम कर रहे हैं।

श्री अंकुश राव टोपे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या काम आरंभ हो गया है अथवा नहीं। यदि आरंभ नहीं हुआ है तो आरंभ किया जायेगा इसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मेरा यह कहना है कि उपकरण खरीदे जा रहे हैं और काम शीघ्र ही आरंभ होने की संभावना है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष जी, भाग 'ख' जवाब में कहा गया है कि भारतवर्ष को भूकम्प की दृष्टि से एक से पांच तक पांच जोनों में बांटा गया है और जोन पांच सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। जितनी भी यह प्रयोगशालाएं बनाते हैं, इनका उद्देश्य होना चाहिए कि उसका जो भी ज्ञान हमको हो, लोगों को उससे फायदा पहुंचे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो भी नोलिज है और आपने जैसे जोन पांच को खासकर जम्मू–कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सबसे खतरनाक बताया है तो क्या आपने डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मानदण्ड सैसमेलोजस्ट्स से जो पता किये हैं। जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स हैं, अर्थक्वेक इंजीनियर्स हैं, उनके बीच में कोई तालमेल है। कि जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके लिए किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि भविष्य में अगर भूकम्प आये तो उन भूकम्पों

से कम से कम क्षति हो और ज्ञान हमको है, उसका उपयोग हम कंस्ट्रक्शन में कर सकें?

इसका दूसरा हिस्सा यह है, आपने कहा है कि 13 नई लैबोरेट्रीज खोली है, उत्तरकाशी में 1991 में बहुत भयंकर भूकम्प आया था लेकिन उस क्षेत्र में आपने न तो कोई इन 13 में से खोली है और तीन जो आपने टैलीमैट्रिक क्लस्टर्स बताई है, उनमें भी उसका नाम नहीं है तो कृपया आप बताएंगे कि आपने उत्तरकाशी को क्यों छोड़ दिया?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : पहली बात तो यह निवेदन करनी है कि जो कोआर्डीनेशन की बात है या तालमेल की बात है, कंस्ट्रक्शन के टाइम वह टैक्नीकल एक्सपर्ट्स की सलाह से किया जाता है और डिपार्टमेंट की सलाह से वह काम किया जाता है जहां तक उसका...

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : नहीं, मैं मानदण्ड की बात कर रहा हूं कि इस प्रकार का मैटीरियल इस्तेमाल होना चाहिए, वह सब एक इंजीनियरिंग होती है कि जैसे मकानों में या हाई राइज बिल्डिंगों में यह–यह मैटीरियल लगाया जाना चाहिये, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : उसकी डिटेल्स आती है लेकिन इस समय मैं आपको पूरी डिटेल्स नहीं बता सकता कि क्या एडवाइस होती है लेकिन उनकी एडवाइस ली जाती है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री श्री पी.वी.नरसिंह राव : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि रुड़की में एक संस्थान है जो स्ट्रक्चर्स का डिजाईन तैयार करने, नींव का डिजाईन तैयार करने और गुम्बद का डिर्जाइन तैयार करने का काम करता है। उनके अनुसार लगभग पांच प्रकार के जोन हैं। मैं नहीं जानता कि वे क्या वहीं हैं जिनका मेरे सहयोगी ने उल्लेख किया है, परन्तु में इतना अवश्य जानता हूं कि हमने नवदयो विद्यालयों के निर्माण के लिये उनकी सेवाएं हासिल की हैं। क्योंकि उनकी स्थापना देश भर में दी जानी हैं। उस संस्थान ने हमें अलग अलग क्षेत्रों के लिये अलग अलग डिजाईन दिये हैं। इतना मैं जानता हूं परतु निश्चित रूप से मैं ब्यौरे प्राप्त कर सकता हूं और माननीय सदस्य को उपलब्ध करा सकता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में विवरण में कहा है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह भी भूकंपीय जोन में स्थित है और जैसा कि हमें याद है पिछले कुछ सालों में द्वीप समूह के एक द्वीप ग्रेट निशेबार में एक दिन में 54–60 बार भूकंप के झटके महसूस किये गये थे। जैसा कि आप जानते हैं अब भी भारत में केवल एक ज्वालामुखी है और वह है बैरन द्वीप जहां पर लावा निकलना जरूरी है। इसको देखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों के बीच किसी संबंध का पता लगाने के लिये कोई गहन अध्ययन किया गया है और देश के उस भाग के लोगों के बयान के लिये क्या कदम उठाये गये हैं? (व्यवधान)

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उस द्वीप विशेष के बारे में है। उन द्वीपों में वह एक देश का एक ज्वालामुखी है। इस तरह बात की बातों से निपटने के लिये पर्यावरण सहित अनेक दिक्कतें आती हैं। अतः हम उस पर विचार करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इस ज्वालामुखी पहलू तथा भूंकपी पहलू के बीच कोई सम्बद्ध स्थापित किया गया है अथवा नहीं। परन्तु हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे और मैं सदन को आश्वासन देता हूं और माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हमें इसकी जानकारी है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : प्रायद्वीपीय आस्ता में वैधसालाओं की श्रंखला की स्थापना करने के लिए विश्व बैंक की सदस्यता से चलाई जाने वाली परियोजना के भाग के रूप में एक केन्द्रीय कृत आइंडा बैंक तथा एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। कोयना वरना क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र झाड में आता है जो कोयना वरना पट्टी के काफी नजदीक है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या एन.जी. आर.आई की झा (क) के रूप में अथवा एक अलग संस्थान के रूप में केन्द्रीयकृत आंकड़ा बैंक की स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है और मजदूरी स्थापना कहां पर करने का विचार है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हम यह जानकारी भी उपलब्ध करा सकते हैं। यह तकनीकी मामले हैं।

डा. मुमताज अंसारी : जोन 5 बहुत ही संवेदनशील जोन है और उत्तर बिहार जोन 5 में आता है। सम्पूर्ण बिहार जोन 4 में आता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार में कितनी वैधशालाएं स्थापित की गई हैं और इन सभी वैधशालाओं के विस्तार तथा आधुनिकी करण की क्या योजना है इसके अतिरिक्त इन वैधशालाओं की स्थापना की कसौटी क्या है और क्या कार्य किए गए हैं और क्या इस प्रकार का कोई अध्ययन माननीय मंत्री द्वारा किया गया है अथवा नहीं; इसके क्या परिणाम हैं जो साधारण आदमी को बताये जा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : और आपका प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिये कि प्रश्न क्या है और किस तरह का उत्तर दिया जाना चाहिये।

डा. मुमताज अन्सारी : आबंटन की कसौटी क्या है और वैधशालाओं की स्थापना की कसौटी क्या है मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि वैधशालाओं की स्थापना की कसौटी क्या है?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : हम विश्व बैंक की सहायता के साथ वैधशाला प्रणाली की निरन्तर निगरानी कर रहे हैं और अन्य तकनीकी सहायता के समक्ष हम वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उनका आधुनिकीकरण कर रहे हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इस प्रश्न का विशिष्ट उत्तर इस समय उपलब्ध नहीं है। यह अत्यन्त तकनीकी मामले हैं। हम इस जानकारी को एकत्र करेंगे। मानदंड क्या है और विशेष क्षेत्र के लिये उस मानदंड का लागू किया जाना यह बहुत विस्तृत है मैं समझता हूं कि प्रश्न के रूप में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। परन्तु सदस्य जो कुछ जानना चाहते हैं हम इसका उत्तर उपलब्ध कर सकते हैं।

औद्योगिक उत्पादन

684. **डा. आर. मल्लू :**
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980–81 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 1994–95 के औद्योगिक उत्पादन का अनुमानित सूचकांक क्या था;

(ख) विभिन्न उप–क्षेत्रों से सम्बन्धित उपरोक्त आंकड़े क्या हैं;

(ग) विगत वर्ष की तुलना में किन–किन उप–क्षेत्रों में अपेक्षा विकास दर दर्ज की गई;

(घ) विगत वर्ष की तुलना में किन–किन उप–क्षेत्रों में कम विकास दर दर्ज की गई;

(ङ) क्या औद्योगिक उत्पादन के विकास में कोई क्षेत्रीय असंतुलन है; और

(च) यदि हां, तो क्या विकास दर की दृष्टि से पिछड़े उप–क्षेत्रों और इलाकों में औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाने के किन्हीं विशेष उपायों पर विचार किया गया है?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग से राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) औद्योगिक उत्पादन के नवीनतम् सूचकांक के अनुसार, 1980–81 को आधार वर्ष मानते हुए, अप्रैल से जनवरी, 1994–95 के दौरान समग्र सूचकांक 242.2 था।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) और (घ) उक्त सभी तीनों उप–क्षेत्रों अर्थात्, खनन, विनिर्माण तथा विद्युत क्षेत्रों द्वारा अप्रैल से जनवरी, 1994-1995 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उच्च विकास दर दर्ज की गई है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन औद्योगिक उत्पादन के कोई राज्य स्तरीय/क्षेत्रीय सूचकांक संकलित नहीं करता है। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए परिवहन राजसहायता, कर रियायतें और विकास केन्द्र योजना शुरू की हैं।

विवरण

उप-क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक और विकास की दर

	अप्रैल जनवरी, 1994–95		अप्रैल–जनवरी, 1993–94	
	सूचकांक	विकास–दर	सूचकांक	विकास–दर
खनन	235.1	6.5	220.8	3.6
विनिर्माण	233.0	7.6	216.6	5.4
विद्युत	311.0	8.4	286.8	7.2
कुल	242.2	7.6	225.1	5.5

टिप्पण : सूचकांक 1980–81 के 100 पर आधारित है। विकास दर प्रतिशत पिछले वर्ष की तत्संबंधी अवधि के तुलनात्मक है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय जब मैंने यह प्रश्न पूछा था उस समय निर्माण क्षेत्र के अनेक उप क्षेत्र मेरे दिमाग में थे। जैसा कि आप जानते हैं मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में उपभोक्ता नान ड्यूरेबल्स, उपभोक्ता ड्यूरेबल्स, मशीनरी, मशीन टूल्स, इमास्ती सामान, परिवहन उपकरण आदि आते हैं। यह सच है कि अप्रैल 1994 से जनवरी 1995 के दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की विकास दर पिछले साल की तुलना में अधिक रही है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के अन्तर्गत वह कौन कौन से उप–क्षेत्र हैं जिनमें विकास की दर 7.6 प्रतिशत से अधिक व 7.6 प्रतिशत से कम रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, अप्रैल से जनवरी 1994–95 और अप्रैल से जनवरी 1993–94 का डाटा दे दिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, किस तरफ का ग्रोथ आगे हुआ है, तो मैं कहना चाहूंगी कि बेसिक गुड्स सभी क्षेत्रों में तकरीबन हमारा पोजिटिव रहा है।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : माननीय सदस्य ने ठीक ही अनेक

उप–क्षेत्रों की बात की है। परन्तु यह सूची बहुत विशाल हो सकती है और प्रत्येक के बारे में ब्यौरे बताना संभव नहीं होगा। यदि वह चाहते हैं तो हम हर जरूरी जानकारी दे सकते हैं। मैन्यूफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा स्त्रोत हैं। इसी तरह विद्युत एक बड़ा क्षेत्र है। खनन एक बड़ा क्षेत्र है अतः इनमें से यदि सदस्य उप–क्षेत्रों के ब्यौरे चाहते हैं तो हम जानकारी उनको उपलब्ध करा सकते हैं परन्तु प्रश्न के उत्तर में सारी जानकारी देना संभव नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्धीन : मैंने खनन अथवा विद्युत क्षेत्र के उप–क्षेत्रों की जानकारी नहीं मांगी। मैं केवल मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के उप क्षेत्रों की जानकारी मांग रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के बहुत स्पष्ट उप–क्षेत्र हैं जिनमें से कुछ का मैंने उल्लेख दिया है। जैसे कि उपभोक्ता ड्यूरेबल्स, उपभोक्ता गैस ड्यूरेबल्स, मशीनरी, मशीन टूल्स, इस्पात, इमारती सामान, परिवहन उपकरण, आदि आदि। सभी माननीय मंत्री के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो वे बाद में मुझे उपलब्ध करा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में छांट कर उन्हें उपलब्ध करा सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूची है।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्धीन : मेरा दूसरा प्रश्न उत्तर में संलग्न दिये गये विवरण के बारे में है जिसके बारे में मंत्रालय ने आकंड़े एकत्र किये हैं। आद्योगिक उद्यम ज्ञापन तथा आशय पत्रों को मिलाकर अधिकतर ओद्योगिक गतिविधि कुछ सीमित संख्या के राज्यों तक ही सीमित रही है। यह अधिकतर आन्ध्र प्रदेश, गुजरात हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु तक सीमित हैं अतः इससे यह विचार बनता है कि देश में औद्योगिक विकास ऊबड़ खाबड़ ढंग से हो रहा है। इसके लिये वैद्य कारण भी हो सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु हमारी आयोजना का एक उद्देश्य यह होना चाहिये कि देश सर्वांगीन रूप से आगे बढ़े। वास्तविकता यह है कि यदि आप प्रति व्यक्ति आधार पर विचार करें तो प्रतिवर्ग किलोमीटर आधार पर विचार दें तो ऊबड़–खाबड़ पन बहुत स्वप्न दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में बिहार जैसा राज्य, जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है जिस की जनसंख्या देश का 10 प्रतिशत है, और जिसका भू–भाग बहुत विशाल है उसमें औद्योगिक उद्यमों की प्रतिशता केवल 1.07 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्र सम्मिलित हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : जी हां, कुल आशय पत्रों में से 1.18 प्रतिशत 1 मेन प्रश्न यह है कि क्या ये गतिविधियां सरकारी क्षेत्र की हैं अथवा गैर सरकारी क्षेत्र की दूरी क्या ये विदेशी निवेश के कारण हैं अथवा स्वेदशी संसाधनों के कारण इस पर विचार करने का कोई तरीका होना चाहिये –केन्द्रीय सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिये कि औद्योगिक विकास सारे देश में एक समान हो।

अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर कोई निगरानी रख रही है और इस तरह की क्षेत्रीय विषमता को, जो हर रोज बढ़ रही है, सुधारने के लिए कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को पहले भी सदन में और सदन के बाहर भी बताया है कि भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। विगत अनुभवों से पाया गया कि जब तक इनफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होगा तब तक कहीं भी, कोई भी हमारे बुनियादी उद्योग नहीं लगेंगे। इसलिए भारत सरकार ने पिछड़े इलाकों के डवलपमेंट के लिए ग्रोथ सेंटर्स की योजना को अपनाया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दे रहे हैं और टैक्स होलीडे की चर्चा भी सदन में बार–बार की गई हैं। नार्थ ईस्ट रीजन के लिए भी एक नार्थ ईस्ट डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होने जा रही है।

इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी बड़ी अहम भूमिका होती है कि वह कहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है, कहां तक पावर देती है और कहां तक लैंड देती है यह खुशी की बात है कि इधर चंद महीनों में राज्य सरकार ने इसमें अपनी अभिरुचि दिखाई है। जैसा कि आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है कि अब तकरीबन सभी राज्यों ने अपनी औद्योगिक नीति में भी एकरूपता लाई है, वह तालमेल कर काम करना चाहती है। मैं आशा करती हूं कि इन चंद महीनों में राज्य सरकार का जो इनवेस्टमेंट या औद्योगिक बढ़ोत्तरी की ओर झुकाव हुआ है उससें हमें निश्चित रूप से इमबैलेंस को दूर करने में सुविधा होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पूंजी निवेश

*685. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कितना पूंजी निवेश किया गया तथा कुल पूंजी निवेश में प्रत्येक द्वारा किये गये निवेश की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में अधिक पूंजी निवेश किया गया है; और

(ग) सभी राज्यों में पूंजी निवेश में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार करावकाश योजना और नई विकास केन्द्र योजना जो इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं, के तहत रियायतें प्रदान करती है। बाजार परक अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश को आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकारों के लिए औद्योगिक वातावरण में सुधार करना आवश्यक है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में लाइसेंस प्राप्त और लाइसेंस मुक्त क्षेत्रों में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार प्रस्तावित निवेश

(जनवरी – 1992 से दिसम्बर – 1994 के दौरान)

	कुल प्रस्ताव		औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.)				आशय पत्र (एल ओ आई)			
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	औ.उ.ज्ञा. + आशय पत्र	प्रतिशत	प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या	प्रतिशत	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु. में)	प्रतिशत	जारी ओ.उ.ज्ञा.+ आशय पत्र	प्रतिशत	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु. में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान निकोबार	2	0.01	2	0.01	251	0.09	0	0.00	0	0.00
आंध्र प्रदेश	989	6.31	9791	5.66	20228	7.53	198	11.69	5204	11.82
अरूणाचल प्रदेश	4	0.03	1	0.01	35	0.01	3	0.16	1	0.00
असम	44	0.28	35	0.25	911	0.34	9	0.53	1852	4.21
बिहार	152	0.97	135	0.97	2870	1.07	17	1.00	510	1.16
चंडीगढ़	5	0.03	5	0.04	14	0.01	0	0.00	0	0.00
दादर नगर हवेली	360	2.30	352	2.52	6247	2.33	8	0.47	54	0.12
दमन और द्वीव	195	1.24	184	1.32	1927	0.72	11	0.65	37	0.08
दिल्ली	300	1.91	289	2.07	4289	1.60	11	0.65	21	0.05
गोवा	119	0.76	92	0.66	2139	0.80	27	1.59	91	0.22
गुजरात	2425	15.47	2154	15.41	01483	19.17	271	16.00	10696	24.30
हरियाणा	92948	6.05	851	6.09	10089	3.76	97	5.73	1609	3.66
हिमाचल प्रदेश	154	0.98	134	0.96	4188	1.53	20	1.18	159	0.36
जम्मू और कश्मीर	22	0.14	21	0.15	108	0.04	1	0.06	1	0.00
कर्नाटक	600	3.83	514	3.68	9813	3.65	86	5.08	3077	6.99
केरल	154	0.98	124	0.89	3143	1.17	30	1.77	1270	2.89
लक्ष्यद्वीप	1	0.01	1	0.61	4	0.00	0	0.00	0	0.00
मध्य प्रदेश	865	5.52	781	5.59	21910	8.16	84	4.96	782	1.70
महाराष्ट्र	3244	20.70	2967	21.22	52347	19.49	277	16.35	4013	9.12
मणीपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मेघालय	2	0.01	2	0.01	33	0.01	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
नागालेंड	2	0.01	1	0.01	52	0.02	1	0.06	0	0.00
उड़ीसा	94	0.60	82	8.59	1950	0.73	12	0.71	4153	9.43
पांडीचेरी	133	0.85	127	0.91	758	0.28	6	0.35	352	0.80
पंजाब	716	4.57	676	4.84	10430	3.88	40	2.36	1905	4.33
राजस्थान	798	5.09	741	5.30	10488	3.90	57	3.36	665	1.51
सिक्किम	5	0.03	4	0.03	17	0.01	1	0.06	5	0.01
तमिलनाडु	1424	9.09	1188	8.50	16433	6.12	236	13.93	4180	9.49
त्रिपुरा	2	0.01	2	0.01	677	0.25	0	0.00	0	0.00
उत्तर प्रदेश	1401	8.94	1247	8.92	29148	10.85	154	9.09	2731	6.20
पश्चिम बंगाल	504	3.22	477	3.41	6717	2.50	27	1.59	302	0.69
एक से अधिक राज्य	10	0.06	0	0.00	0	0.00	10	0.59	346	0.79
योग	15874	100.00	13980	100.00	268619	100.00	1694	100.00	44021	100.00

औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन लाइसेंस मुक्त क्षेत्र के लिए आशय पत्र लाइसेंस शुदा क्षेत्र के लिए जारी किये गए हैं। राज्य सरकारों द्वारा किये गए निवेश के संबंध में सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

एड्स निवारण

*686. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एड्स" नियंत्रण के लिए विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लिए इन संगठनों ने कितनी सहायता दी है; और

(घ) उक्त सहायता राशि के किस तरह खर्च किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार : (क) जी, हां।

(क) से (घ) आठवीं योजना में 222.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एड्स निवारण एवं नियंत्रण हेतु एक व्यापक स्कीम इस समय पूरे देश में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में चलाई जा रही है। इस स्कीम का वित्त पोषण 84 मिलियन यू.एस. डालर के उदार ऋण तथा 1.5 मिलियन यू.एस. डालर की विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता के रूप में विश्व बैंक सहायता से किया जा रहा है। इस स्कीम की महत्वपूर्ण नितियों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) एच.आई.वी/एड्स तथा व्यावहारिक परिवर्तन के बारे में जन–जागरूकता पैदा करना;

(ii) रक्त निरापदता एवं रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल;

(iii) यौन संचारित रोग नियंत्रण तथा कंडोम को बढ़ावा देना; तथा

(iv) एच.आई.वी./एड्स के रोगियों की बेहतर निगरानी तथा चिकित्सीय प्रबंध।

देश में सभी राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भाग ले रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य-क्षमता

*687. **श्री एम.जे. राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र

के अधिकतर उपक्रम अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उपक्रमवार, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन उपक्रमों को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उपक्रमों की कार्य-क्षमता में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, अथवा किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केवल वर्ष 1993-94 तक की जानकारी उपलब्ध है जिसके अनुसार 52% निनिर्माणकारी/उत्पादन कारी सरकारी उपक्रमों ने संस्थापित क्षमता का 75% या इससे अधिक उपयोग किया है। अन्य 26% एककों ने 50-75% से कम पर ही प्रचालन कर सके। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपक्रमवार विवरण 22 मार्च, 1995 को सदन में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण - 1993-94 के खण्ड-1 विवरण संख्या 23 में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1993-94, 1992-93 और 1991-92 के दौरान सरकारी क्षेत्र के विनिर्माण कारी/उत्पादनकारी उपक्रमों ने कुल मिलाकर क्रमशः 3252.77 करोड़ 2169.56 करोड़ और 1754.69 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया था। विवरण इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए में)

	1993-94	1992-93	1991-92
लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों का लाभ	7599.00	5477.26	4819.65
उद्यमों की संख्या	(75)	(83)	(86)
घाटों उठानें वाले उद्यमों का घाटा	4346.68	3307.70	3064.96
उद्यमों की संख्या	(89)	(81)	(77)
उन उद्यमों की संख्या जिन्होंने न लाभ अर्जित किया न घाटा उठाया	2	2	2
कुल निवल लाभ	3252.77	2169.56	1754.69

(घ) क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा, रूग्ण एककों का पुनर्गठन/नवीकरण, जनता/कर्मचारियों की व्यापक संहभागिता, मानव संसाधन विकास, निदेशक मण्डलों का व्यवसायीकरण, प्रोद्योगिकी समुन्नयन, उत्पादमिश्र का विविधिकरण, संयंत्र और मशीनरी का बेहतर अनुरक्षण और निर्यात संवर्धन के उपाय अपनाये गए हैं।

[अनुवाद]

आयुध कारखानों का बंद होना

*688. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों से प्राप्त होने वाली मांगों/क्रयादेशों के पर्याप्त न होने के कारण आयुध कारखाने बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं;

(ग) क्या आयुध कारखानों को अपनी-अपनी उत्पादन क्षमता और आधारभूत सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से असैनिक व्यापार क्रयादेश लेने पड़ रहे हैं तथा उन्हें नई परियोजनाएं भी सौंपी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। आयुध निर्माणियाँ सामान्य रूप से कार्य कर रही है; वस्तुतः सशस्त्र सेनाओं को की जा रही उनकी मदों की बिक्री बढ़ती जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रक्षा उत्पादन यूनिटों के पास शांति एवं युद्धकालीन मांग के अनुसार सुस्थापित क्षमताएं हैं। तथापि, शांतिकालीन मांग तथा बजट-व्यवस्था के अनुसार ही सशस्त्र सेनाओं से आदेश प्राप्त होते हैं जो हमेशा स्थापित उत्पादन क्षमताओं के अनुरूप नहीं होते। रक्षा सेनाओं की आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात अतिरिक्त कार्य-क्षमताओं और कौशलों का उपयोग करने के लिए रक्षा उत्पादन यूनिटें विविधीकरण का कार्य करती हैं ताकि वे अपना करोबार और उत्पादन बढ़ा सकें। विविधीकरण से इन यूनिटों के वाणिज्यिक औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

(घ) आयुध निर्माणियों द्वारा वर्ष 1994-95 में (118 करोड़ रुपए) सिविल क्षेत्र (अर्ध सैनिक बलों को छोड़कर) को की गई बिक्री, वर्ष 1993-94 (106 करोड़ रुपए) की तुलना में 11 प्रतिशत ज्यादा रही है।

सेनाओं की नई आवश्यकताओं के अनुसार आयुध निर्माणियों को नई परियोजनाएं सौंपी जाती है। इस समय बड़े व्यास वाले गोलों तथा 5.56 मि.मी. गोलाबारूद को भरने से संबंधित प्रमुख परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

एच.आई.वी. वायरस

*689. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच.आई.वी. वायरस की किसी नई किस्म का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए किन्हीं उन्नत किस्म के जांच उपकरण आदि का आयात किया जाना आवश्यक समझा गया है; और

(घ) यदि हां, तो आयात के लिए प्रस्तावित उपकरणों आदि की संख्या/स्वरूप और लागत का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवार) : (क) एच.आई.वी.–। वाइरस की एक उप किस्म "ओ" का हाल ही में पता लगाया गया है।

(ख) एच.आई.वी.–। को इस नई उप किस्म "ओ" को मुख्य रूप से केमरूनियन मूल के रोगियों अथवा विश्व के अन्य भागों में उनके यौन संबंधो से पृथक किया गया है। वर्तमान जानकारी से पता चलता है कि उप किस्म "ओ" वाइरस, यदि कोई हो, का उनके व्याप्तता वाले क्षेत्रो से बाहर के क्षेत्रों पर एच.आई.वी. निदान और रक्त निरापदता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक मतैक्य यह है कि मौजूदा एच.आई.वी. प्रतिपिंड जांच नीतियां जिनमें रक्त निरापदता भी शामिल है, में परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसूति के दौरान होने वाली मौतें

*690. **डा. असीम बाला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भर के देशों में से भारत में प्रसूति के दौरान महिलाओं की सबसे अधिक मौतें होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में प्रसूति के दौरान महिलाओं की होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। कई देशों में मातृ–मृत्यु दर भारत की तुलना में अधिक है।

(ग) मातृ मृत्यु–दर में कमी लाने के लिए 1992 में शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम आरंभ किया गया था।

नकली उत्पाद

*691. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वातित पेयों, सौन्दर्य प्रसाधनों, दूध, खनिज–जल (मिनरल–वाटर), औषधीय उत्पादों आदि के नकली उत्पाद तेजी से उपभोक्ता बाजार में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नकली उत्पादों को जब्त करने तथा दोषी लोगों को दंड देने हेतु प्रत्येक राज्य में 1994–95 के दौरान कोई छापे मारे गए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : राज्यों/संघ क्षेत्रों के खाद्य–स्वास्थ्य प्राधिकारी, जो देश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करते हैं, वातित पेय, दुग्ध तथा खनिज जल (मिनरल वाटर) सहित समस्त खाद्य सामग्रियों के यादृच्छिक नमूने लेते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये समस्त सामग्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के नियमों के अधीन मानकों के अनुसार है। किसी भी गलत/अपमिश्रित ब्रांड की खाद्य सामग्री की बिक्री अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध है। वर्ष 1992 में वातित पेयों, दुग्ध आदि सहित जांच करने पर दूषित पाए गए खाद्य पदार्थों की विभिन्न सामग्रियों की संख्या, जिनके विरुद्ध मुकदमें चलाए गए, और जिनमें सजा दी गई उन मामलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियम, 1945 के अंतर्गत 1993–94 के दौरान चलाए गए मुकदमों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1992 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में विभिन्न खाद्य सामग्रियों (वातित पेय और दुग्ध सहित) की जांच कर अपमिश्रित/गलत ब्रांड पाए जाने के कारण चलाए गए मुकदमों, दोषी पाए गए मामलों की संख्या का सूचना देने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र का नाम	जांच किए गए मामलों की सं.	अपमिश्रित/गलत ब्रांड के पाए गए मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया	दोषी पाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	9565	904	237	46
2.	अरूणाचल प्रदेश	55	18	12	06
3.	असम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुलब्ध*
4.	बिहार	2196	592	165	17
5.	गोवा	417	36	22	–
6.	गुजरात	11295	779	646	55
7.	हरियाणा	4905	799	742	180
8.	हिमाचल प्रदेश	1886	322	273	98
9.	जम्मू और कश्मीर	728	85	94	02
10.	कर्नाटक	2556	114	59	03
11.	केरल	4824	139	84	52
12.	मध्य प्रदेश	6454	1226	1269	153**
13.	महाराष्ट्र	22717	1642	569	104
14.	मणिपुर	19	–	–	—
15.	मेघालय	110	08	04	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–
17.	नागालैंड	02	–	–	–
18.	उड़ीसा	1305	395	314	56
15.	पंजाब	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20.	राजस्थान	2196	577	403	152
21.	सिक्किम	70	19	19	07
22.	तमिलनाडु	16858	1183	760	114
23.	त्रिपुरा	317	35	06	–
24.	उत्तर प्रदेश	19070	2447	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध***
25.	पश्चिम बंगाल	1515	185	185	15
26.	अंडमान और निकोबार	98	19	14	–
27.	चंडीगढ़	594	81	81	69
28.	दादरा और नगर हवेली	21	01	01	–

1	2	3	4	5	6
29.	दमन व दीव	--	–	–	–
30.	दिल्ली	1709	242	141	39
31.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध*
32.	पांडिचेरी	109	05	04	02
	योग :	1,11,591	11,853	6,104	1,170

संकेत

* असम व पंजाब राज्य तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी।

** मध्य प्रदेश राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जबलपुर तथा उज्जैन नगर निगमों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

*** उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाए गए मुकदमों, निर्णित मामलों तथा लम्बित मामलों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराइ गई है।

विवरण-II

औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान चलाए गए मुकदमों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	चलाए गए मुकदमों की सं.	निर्णित मामलों की सं.	जुर्माना सहित अथवा जुर्माना के बिना सजा	केवल जुर्माना	बरी किए गए
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	34	20	5	6	09
2.	असम	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	शून्य	1	शून्य
4.	बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनु.	अनु.	अनु.
5.	गोवा	2	1	1	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	43	17	10	1	6
7.	हरियाणा	32	35	12	शून्य	23
8.	हिमाचल प्रदेश	5	3	शून्य	2	1
9.	जम्मू व कश्मीर	4	2	शून्य	शून्य	2
10.	कर्नाटक	25	16	3	1	12
11.	केरल	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
12.	मध्य प्रदेश	52	14	4	1	9
13.	महाराष्ट्र	216	23	7	शून्य	16
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	24	10	10	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
18.	उड़ीसा	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	20	24	15	4	5
20.	राजस्थान	34	3	3	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	165	77	71	4	2
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
25.	पश्चिम बंगाल	13	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	पांडिचेरी	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	9	2	अनु.	अनु.	अनु.
30.	दादरा और नगर हवेली	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
	योग :	696	248	141	20	85

नोट : अनु. = अनुपलब्ध

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

*692. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के सम्बन्ध में 1994–95 और 1995–96 के लिए निर्धारित अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विभिन्न बैंकरों और प्रमुख मर्चेंट बैंकरों के साथ विचार–विमर्श किया था;

(ग) यदि हां, तो संस्थागत क्रेताओं की इस मामले में कम बोली के प्रतिकार के लिए अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह नीति कितनी सफल सिद्ध हुई ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1994–95 में शेयरों की बिक्री से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न हो चुका है। विवेच्य वर्ष के दौरान बिक्री से प्राप्त प्रतिफल (राशि) 4000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से अधिक बढ़ गई है। सरकार 7000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से अधिक बढ़ गई है। सरकार 7000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पूरा करने हेतु वर्ष 1995–96 के लिए नीति को अंतिम रूप दे रही है।

(ख) से (घ) वर्ष 1994–95 के दौरान सरकार ने बाजार की स्थितियों तथा व्यापारिक बैंकों के विचार को ध्यान में रखा था। सरकार ने प्रारक्षित मूल्य के सम्बन्ध में निर्णय व्यापारिक बैंकों की अनुशंसाओं तथा पूर्ववर्ती बोलियों में प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया था। प्रारक्षित मूल्य से कम मूल्य वाली कोई बोली स्वीकार नहीं की गई थी।

पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन

*693. **श्री शंकरसिंह वाघेला :**
श्री प्रकाश पी. पाटील :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पवन विद्युत के उत्पादन की राज्यवार क्षमता कितनी है;

(ख) गत दो वर्ष के दौरान उत्पादित पवन–विद्युत का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पवन विद्युत पैदा की जा सकती है;

(घ) प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पवन विद्युत पैदा की जा सकती है;

(ङ) प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पवन विद्युत–गृहों का ब्यौरा क्या है; और

(च) पवन विद्युत का उत्पादन बढ़ाने हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) एक प्रथम अनुपान के अनुसार भारत में पवन संसाधन संभाव्यता लगभग 20,000 मेवा है। 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप समूह राज्यों में अब तक ऐसे 80 स्थलों की पहचान की गई है जिन पर पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए विचार किया जा सकता है। इन राज्यों और साथ ही साथ अन्य राज्यों विशेषकर पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में अन्य संभाव्य स्थलों के विद्यमा होने की आशा है। सभी राज्यों से विस्तृत पवन आंकड़ा के उपलब्ध होने के पश्चात् ही राज्यवार संभाव्यता का ठीक–ठीक अनुमान लगाना संभव होगा।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पवन विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से राज्यवार वार्षिक ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत निवेश 3.50–4.00 करोड़ रुपये प्रति मेवा. के बीच है।

(घ) पवन विद्युत उत्पादन के लिए पहचान किए गए सभावित स्थलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ड) और (च) नई कार्यनीति और कार्य योजना के अंतर्गत आठवीं योजना के दौरान पवन विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य को 100 मेवा. से संशोधित करके 500 मेवा. किया गया है। जब कि सीमित बजटीय आंबटनों को चुनिंदा प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को वित्तीय संस्थाओं, बाहरी सहायता और निजी निवेशों से संसाधन जुटाकर मुख्यतया निजी क्षेत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों से उपयुक्त संस्थागत प्रबंधों की स्थापना करने और आकर्षक नीतियां आरंभ करने का अनुरोध किया गया है। देश में कुल 350 मेवा. से अधिक की पवन विद्युत क्षमता पहले ही स्थापित कर ली गई है। चालू वर्ष के दौरान लगभग 300 मेवा. की क्षमता और जोड़े जाने की आशा है। संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त स्थलों की पहचान किए जाने और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर आगे और क्षमता संयोजन निर्भर करेगा।

विवरण-I

राज्य	विद्युत उत्पादन (लाख किवा. घं. में) 1993–94	1994–95
तमिलनाडु	719.16	1513.74
गुजरात	215.93	378.33
आंध्र प्रदेश	1.62	6.19
महाराष्ट्र	2.09	11.38
मध्य प्रदेश	3.36	2.50

विवरण-II

तमिलनाडु

1. अलमियांडापुरम
2. अडीपत्ती
3. आरसमपलायम
4. आयीकुडी
5. इटायारपालम
6. एनोरे
7. कटादिपलाई
8. कयानर
10. मुणडल
11. ओट्टापीडरप्
12. पोंगालूर
13. पूक्लावदी
14. पुलियामकुल्प
15. रामेश्वरम्
16. सेपवागरपंपुडर
17. सुलतानपेट
18. तलायाधु
19. कुमारापुरम
20. नेत्तूर
21. ओनमकुल्प
22. पूसारीपत्ती

लक्षद्वीप

1. अगीथी
2. कदपट
3. मिनिकोय

कर्नाटक

1. बी.बी. हिल्स
2. बोमानहाली
3. गोकाक
4. हेनामसागर

5. हनुमनहाती
6. जोगीपट्टी
7. मालगट्टी
8. सनगुडी
9. चिकोदी
10. हरदेनाहल्ली
11. होरटी
12. खामकरहट्टी
13. गोडेकेरे
14. खंडरायनहल्ली

मध्य प्रदेश

1. जगगोद्रानी
2. खेड़ा

गुजरात

1. बमनबोर
2. धनक–I
3. धनक–II
4. हरसड़
5. कल्याणपुर
6. कुकमा
7. मुद्रा
8. नवीबंदर
9. ओखा
10. ओखा माधी
11. सूरजबड़ी
12. लीम्बारा
13. नवादरा
14. भंडारिया
15. जामलयडा
16. लाम्बा

महाराष्ट्र

1. चतकेडवी
2. पंचगनी
3. विजयदुर्ग
4. गुड पंचगनी

आन्ध्र प्रदेश

1. भिपुनीपन्तनम्
2. काकुलाकोडा
3. एमपीआर डैप
4. पुस्तीकोवाला
5. नरसिमकोंडा
6. पायलकुंटा
7. रामगिरी–I
8. रामगिरी–II
9. तिस्माला
10. जमालदुग्मे
11. सिगानमाला
12. काकडावकालु

केरल

1. कोजी कोड
2. कोटमाला
3. कोट्टाथार
4. पोनपुडी
5. पुल्लीकानप
6. रामलमेडु
7. पंचालीमेडु

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

*694. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान सरकारी क्षेत्र के एककों में, विदेशी ऋण लेकर निवेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो एकक–वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि में इन एककों में विदेशी–ऋण की कितनी राशि का निवेश किया गया;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान इन एककों ने इन विदेशी–ऋणों पर ब्याज का भुगतान किया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने 31–3–1993 तक 30703.98 करोड़ रुपए तथा 31–3–1994 तक 34,064.988 करोड़ रुपए के विदेशी ऋण का उपयोग किया।

(ख) से (घ) 31–3–1993 और 31–3–1994 की स्थिति के अनुसार इन विदेशी ऋणों पर ब्याज क्रमशः 1803.16 करोड़ रुपए और 2211.93 करोड़ रुपए था। 31–3–1993 और 31–3–1994 की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण और उस पर ब्याज का उद्यमवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31-3-1993 और 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण और उस पर ब्याज की राशि का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	31–3–93 की स्थिति के अनुसार		31–3–94 की स्थिति के अनुसार	
		विदेशी ऋण की राशि	ब्याज की राशि	विदेशी ऋण की राशि	ब्याज की राशि
1	2	3	4	5	6
1.	फेरो स्क्रैप निगम लि.	6	–	4	–
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	71811	4603	68854	3513
3.	स्पंज आयरन इण्डिया लि.	194	–	161	19
4.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	129856	8493	152552	10017
5.	विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.	145	14	–	5
6.	भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	5121	460	4266	438
7.	कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड	–	11	–	–
8.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	639	–	717	–
9.	नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड	260241	10452	232154	9939
10.	भारत कोंकिग कोल लिमिटेड	52	–	–	–
11.	सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	76	–	43397	–
12.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	24660	–	26708	–
13.	महानदी कोल्फील्ड्स लि.	716	28	–	–
14.	नार्दन कोलफील्ड्स लि.	1593	512	3752	396
15.	साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	353	11	210	13
16.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.	71281	5729	91745	12652
17.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.	455394	23380	91745	23516
18.	नार्थन इर्स्टन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1273	–	984	–

1	2	3	4	5	6
19.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	–	19	–	–
20.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	29293	1835	29563	1835
21.	इण्डियन एडिटिव्स लिमिटेड	–	–	1207	–
22.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	–	–	–	69
23.	इण्डियन आयल कारपोरेशन	129998	6383	148478	29680
24.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	851380	56315	972536	61715
25.	आयल इण्डिया लिमिटेड	29372	3690	29839	4162
26.	पारादीप फोस्फेट्स लि.	1462	–	1462	–
27.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	32180	2601	15747	2101
28.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बनस लि.	466	83	–	26
29.	इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि.	82251	4963	92462	5745
30.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	104681	4385	95800	4123
31.	भारी इंजीनियरींग निगम लि.	5831	76	4137	59
32.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.	–	39	–	19
33.	भारत डायनामिक्स लि.	24296	–	22260	–
34.	भारत पम्पस एण्ड काम्प्रैशर्स लि.	573	28	288	29
35.	इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	5048	47	4216	49
36.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	2740	148	3191	190
37.	इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज लि.	5855	324	5757	282
38.	प्रागा टूल्स लि.	182	20	74	10
39.	रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड	67	–	–	–
40.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.	3443	70	2872	–
41.	गोआ शिपयार्ड लि.	16978	298	10485	321
42.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्ल्स लि.	20787	376	24248	62
43.	मंझगांव डांक लि.	26716	–	–	–
44.	भारतीय सीमेंट कारपोरेशन लि.	718	86	720	75
45.	टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	599	–	498	–
46.	स्टेट फामर्स कारपोरेशन लि.	2	–	–	–
47.	सी.एम.सी.लि.	570	–	457	–
48.	एयर इण्डिया	209710	13893	276968	16062

1	2	3	4	5	6
49.	ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	14762	437	14107	360
50.	इण्डियन एयरलाइन्स	209773	17702	259070	216812
51.	राष्ट्रीय विमानपत्न प्राधिकरण लि.	608	–	11993	175
52.	भारतीय नौवहन निगम लि.	60075	5140	112969	5572
53.	कोंकन रेलवे कारपोरेशन लि.	1676	–	1511	–
54.	राष्ट्रीय लघु उद्योग	368	72	1651	92
55.	पादर ग्रिड कारपोरेशन लि.	103335	4549	106980	5290
56.	भारतीय होटल निगम लि.	648	–	650	–
57.	भारतीय रेलवे वित्त निगम	10346	–	11869	–
58.	राष्ट्रीय फिल्मस विकास निगम	372	-	372	-
59.	विद्युत वित्त निगम	54462	2042	75476	1979
60.	महानगर टेलिफोन निगम लि.	5362	933	4919	862
61.	विदेश संचार निगम लि.	–	–	126	–
	योग	3073.98	1803.16	34064.98	2211.93

स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं

*695. **कुमारी उमा भारती :**
डा. मुमताज अंसारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार देश में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) किन–किन बीमारियों और योजनाओं के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया गया;

(ग) क्या बढ़ती आबादी के अनुपात में इस धनराशि में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र पर कुल योजना परिव्यय (केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, स्वास्थ्य विभागों द्वारा) इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वास्थ्य	परिवार कल्याण	कुल
1	2	3	4
1992–93	1,452.30	1,000.00	2,452.30
1993–94	1,622.18	1,270.00	2,892.18
1994–95	1,819.48	1,430.00	3,249.48

(ख) उक्त धनराशि का मुख्यतः स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का सृजन और सुदृढ़ करने, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, परिवार कल्याण कार्यक्रमों, संवर्धनात्मक, निवारक, उपचारी और पुनर्वासात्मक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं जिसमें मलेरिया, कुष्ठ, क्षयरोग, मोतिया बिन्द, दृष्टिहीनता, एड्स, कैंसर इत्यादि, और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी को बढ़ावा देना शामिल है, के लिए उपयोग किया गया।

(ग) और (घ) प्रत्येक क्रमिक वार्षिक योजना के दौरान आबंटनों को बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

नि:शुल्क कानूनी सहायता

*696. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्यवार गत तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रतिवर्ष नि:शुल्क कानूनी सहायता संबंधी कार्यक्रम से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर भारद्वाज) : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विधिक सहायता कार्यक्रम से 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण।

(राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित)

क्र. सं.	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या		
		1991–1992	1992–93	1993–94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,543	2,079	1,218
2.	अरूणाचल प्रदेश	484	366	376
3.	असम	236	104	39
4.	बिहार	376	348	760
5.	गोवा	38	82	276
6.	गुजरात	71,47	46,843	56,052
7.	हरियाणा	575	541	515
8.	हिमाचल प्रदेश	484	415	473
9.	जम्मू–कश्मीर	746	184	308
10.	कर्नाटक	65,053	47,236	73,966
11.	केरल	25,000	27,564	29,888
12.	मध्य प्रदेश	47,274	40,205	42,722
13.	महाराष्ट्र	55,656	35,790	5,810
14.	मणिपुर	2	15	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	7	26
16.	मिजोरम	1,400	2,045	2,548
17.	नागालैंड	*	*	*
18.	उड़ीसा	5,719	4,625	3,285
19.	पंजाब	2,717	2,707	4,369
20.	राजस्थान	1,840	2,358	3,353
21.	सिक्किम	16	16	28
22.	तमिलनाडु	44,333	47,409	40,068
23.	त्रिपुरा	*	*	*
24.	उत्तर प्रदेश	3,40,331	4,51,714	5,91,834
25.	पश्चिमी बंगाल	2,816	2,606	2,041

*राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा अभी तक जानकारी नहीं भेजी गई है।

संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना में भारतीय सैनिक

*697. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेनाओं में कितने भारतीय सैनिक कार्यरत हैं;

(ख) इन सैनिकों को कहां–कहां तैनात किया गया है; और

(ग) इनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 15 मई, 1995 की स्थिति के अनुसार विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों तथा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय शांति स्थापना संक्रिया विभाग में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कुल 993 भारतीय सेना तथा अन्य कार्मिक (सभी रैंक) तैनात किए गए थे :–

क्रम सं.	मिशन का नाम	सैन्य टुकड़ी			सैन्य प्रेक्षक	स्टाफ अफसर	कार्मिक
		अफसर	जेसीओ	अन्य रैंक		कुल स्टाफ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	यूनीकाम (ईरान/कुवैत)	–	–	–	6	–	6
2.	यूनोमिल (लाइबेरिया)	–	–	–	6	–	6
3.	यूनावेम II (अंगोला)	–	01	05	19	3	28
4.	यूनामीर (रवांडा)	42	61	822	18	08 अफसर 01 जेसीओ	952

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	यू एन एच क्यू, डीपीकेओ न्यूयार्क	–	–	–	–	1	1
		42	62	827	49	13	993

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में तैनात कार्मिक प्रत्येक मिशन के आदेश पत्र के अनुसार कार्य करते हैं तथा शांति बनाए रखने और लोकोपकारी सहायता प्रदान करने के संयुक्त राष्ट्र के दायित्व को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं।

[हिन्दी]

जवानों की शारीरिक विकलांगता

*698. **डॉ. परशुराम गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवानों को शारीरिक विकलांगता के कारण रक्षा सेवाओं से सेवा–मुक्त कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस आधार पर सेना, नौसेना और वायुसेना के पृथकत कितने–कितने जवानों को सेवा–मुक्त किया गया;

(ग) इनमें से कितने जवानों को पेंशन मिल रही है; और

(घ) सेवा–मुक्त ऐसे सभी जवानों को पेंशन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सशस्त्र सेना कार्मिकों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा समय–समय पर नियमित रूप से चिकित्सा जांच की जाती है ताकि सेना की युद्धक क्षमता बनाए रखने के लिए उनका हर समय पूर्णतः स्वस्थ रहना सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे सेना कार्मिक जो किसी जख्म, चोट या बीमारी से पीड़ित होते हैं उनकी जांच समुचित चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाती है और जिन कार्मिकों को सेना में और आगे रखे जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है उन्हें अशक्तता के कारण सैन्य सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। शारीरिक निशक्तता के कारण सेवामुक्त/निर्मुक्त सैन्य कार्मिकों को निशक्तता पेंशन प्रदान की जाती है, यदि उनकी निशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुई हो और समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निशक्तता की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक आंकी गई हो। केवल उसी स्थिति में निशक्तता को सैन्य सेवा के कारण हुई माना जाएगा यदि समुचित चिकित्सा प्राधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि यह निशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुए जख्म या चोट अथवा बीमारी के कारण हुई है अथवा वह सैन्य सेवा से पूर्व या उसके दौरान हुई है और सैन्य सेवा के कारण उसमें वृद्धि हुई है। अन्य सभी मामलों में जिनमें कार्मिक को ऐसी निशक्तता के कारण सेवामुक्त कर दिया जाता है जो न तो सैन्य सेवा के कारण हुई हो और जिसमें न ही सैन्य सेवा की वजह से वृद्धि हुई हो, निशक्तता पेंशन प्रदान की जाती है यदि उन्होंने वास्तविक रूप से 10 वर्ष या इससे अधिक सेवा की हो। यदि ऐसे सैन्य कार्मिकों ने 10 वर्ष से कम सेवा की हो तो उन्हें सेवावधि के आधार पर निशक्तता उपदान दिया जाता है। 1992, 1993 और 1994 के दौरान शारीरिक निशक्तता के आधार पर सशस्त्र सेनाओं से सेवामुक्त किए गए तथा निशक्तता पेंशन, अशक्तता पेंशन/उपदान प्रदान किए गए सैन्य कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है :–

		सेवानिर्मुक्त किए गए कार्मिकों की कुल संख्या	ऐसे कार्मिक की संख्या जिन्हें निशक्तता पेंशन दी गई है।	ऐसे कार्मिकों की सं. जिन्हें अशक्तता पेंशन/उपदान दिया गया है।
सेना	1992	4482	2252	2230
	1993	4400	2550	1850
	1994	4241	1817	2424
नौसेना	1992	40	17	23
	1993	45	18	27
	1994	49	1*	
वायुसेना	1992	142	37	105
	1995	169	37	132
	1994	140	17	123

*48 मामलों का ब्यौरा इस समय सुलभ नहीं है।

[अनुवाद]

भूकम्प अभियांत्रिकी संस्थान

*699. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विशेष रूप से "भूकम्प अभियांत्रिकी" के लिए कोई संस्थान स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूकम्प अभियांत्रिकी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की में भूकंप इंजीनियरी में एक पूरा विभाग है, जिसने विषय पर कई अध्ययन सबसे पहले आरंभ किये। रुड़की विश्वविद्यालय के अलावा, अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं जैसे– केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र गाजियाबाद, दोनों सी एस आई आर के अधीन, तथा अकादमिक संस्थान जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर तथा बम्बई, भूकंप इंजीनियरी से संबंधित पक्षों पर कार्य करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के हिमालयी भूकंपनीयता कार्यक्रम के तहत स्थापित विभिन्न विन्यासों द्वारा उत्पादित संयंत्रात्मक आंकड़ों ने भूकंप इंजीनियरी गतिविधियों को उत्प्रेरित किया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भी भूकंपरोधी संरचनाओं के लिए कई डिजायन कोड बनाये हैं।

(ग) देश में भूकंपीय स्थापनाओं के स्तर को ऊंचा उठाने की योजना के तहत, फ्री फील्ड तथा स्ट्रक्चरल स्टडीज़ के लिए प्रबल गति विन्यासों की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है। भूकंप इंजीनियरी की गतिविधियों को इससे और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

*700. **श्री सल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गुजरात और अन्य राज्यों के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्यक्रम मरू क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार आवंटित की गई धनराशि, निर्धारित लक्ष्यों और अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) से (घ) जी हां। सरकार विभिन्न राज्यों के पता लगाए गए सूखा प्रवण और मरुभूमि क्षेत्रों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य फसलों तथा पशुधन के उत्पादन, एवं भूमि, जल और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम स्तर तक लाना और अंततः समन्वित तरीके से अर्थात् भूमि संसाधन विकास एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की मार्फत क्षेत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना है। कार्यक्रम को मरुभूमि क्षेत्रों में भी चलाया जा रहा है।

2. कार्यक्रम का समय–समय पर विस्तार किया है और वर्तमान स्थिति यह है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 13 राज्यों में चलाया जा रहा है, जिसमें 149 जिले और 945 खंड शामिल हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 7 राज्यों में चलाया जा रहा है जिसमें 36 जिले और 227 खंड शामिल हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए खंडों/जिलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ङ) वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन, लक्ष्य और उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II और III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए राज्य, जिले और खंड

क्रमांक	राज्य	जिलों की संख्या		खंडों की संख्या	
		सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	मरूभूमि विकासकार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	1	94	16
2.	बिहार	16	–	121	–
3.	गुजरात	10	6	52	47

1	2	3	4	5	6
4.	हरियाणा	–	6	–	44
5.	हिमाचल प्रदेश	3	2	9	3
6.	जम्मू एवं कश्मीर	2	2	22	10
7.	कर्नाटका	11	3	80	22
8.	मध्य प्रदेश	25	–	134	–
9.	महाराष्ट्र	22	–	148	–
10.	उड़ीसा	5	–	47	–
11.	राजस्थान	10	16	32	85
12.	तमिलनाडु	13	–	79	–
13.	उत्तर प्रदेश	17	–	91	–
14.	पं. बंगला	4	--	36	–
	जोड़	149	36	845	227

विवरण-II

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन और खर्च 1992-93 से 1994-95 तक

(रुपए लाख में)

	(1992–93)			(1993–94)			(1994–95)			कुल		
राज्य	आबंटन	खर्च	आबंटन की तुलना में प्रतिशत उपलब्धि	आबंटन	खर्च	आबंटन की तुलना में प्रतिशत उपलब्धि	आबंटन	खर्च	आबंटन की तुलना में प्रतिशत उपलब्धि	आबंटन	खर्च	आबंटन की तुलना में प्रतिशत उपलब्धि
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम												
1. आन्ध्र प्रदेश	1203.00	1479.47	122.98	1804.50	2405.17	133.29	1993.00	1686.78	84.64	5000.50	5571.42	111.42
2. बिहार	828.00	579.51	69.99	1242.00	880.28	70.88	1390.00	528.97	38.33	3450.00	1988.76	57.65
3. गुजरात	746.00	787.68	15.59	1119.00	1193.91	106.69	1236.00	892.52	72.21	3101.00	2874.11	92.68
4. हरियाणा	135.00	142.14	105.29	202.50	203.75	100.62	225.00	136.11	68.49	562.50	482.00	85.69
5. जम्मू व कश्मीर	214.50	332.29	154.91	321.75	403.84	125.51	357.50	241.11	67.44	893.75	977.24	109.34
6. कर्नाटक	1249.00	1272.39	101.87	1873.50	1609.81	85.87	2068.00	947.34	45.81	5190.50	3829.54	73.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	मध्य प्रदेश	809.00	685.34	84.71	1213.50	1339.18	110.36	1345.00	857.73	63.77	3367.50	2882.25	85.59
8.	महाराष्ट्र	1343.00	1247.66	92.90	2014.50	1825.91	90.64	2218.00	1701.84	76.73	5575.50	4775.41	85.65
9.	उड़ीसा	621.00	563.41	90.73	931.50	1125.74	120.85	1033.00	551.00	53.34	2585.50	2240.15	86.64
10.	राजस्थान	514.00	635.70	123.68	771.00	729.92	94.67	853.00	786.45	92.20	2138.00	2152	100.66
11.	तमिलनाडु	657.00	660.34	100.51	985.50	1074.30	10.1	1095.00	1267.31	115.74	2737.50	3001.95	109.66
12.	उत्तर प्रदेश	1386.00	1271.36	91.73	2079.00	1943.94	93.50	2387.00	11384.38	67.07	42530.50	36505.32	85.83
मरूभूमि विकास कार्यक्रम													
1.	गुजरात	225.00	288.82	92.81	337.50	370.75	109.85	382.00	369.46	96.72	944.50	949.03	100.48
2.	हरियाणा	425.00	469.30	110.42	637.50	663.56	104.07	710.05	502.85	69.72	1780.50	1634.91	91.82
3.	हिमाचल प्रदेश	200.00	220.91	114.46	300.00	283.30	94.43	340.00	249.82	73.48	840.00	76-603	90.72
4.	जम्मू व कश्मीर	300.00	294.45	98.15	450.00	388.23	86.27	510.00	258.00	50.59	1260.00	940.68	74.66
5.	राजस्थान	3800.00	3650.47	96.07	5700.00	4679.77	82.10	6450.00	4539.36	70.38	15950.00	12869.68	80.69
	कुल	4950.00	4851.95	8.02	7425.00	6385.61	86.00	8400.00	5918.69	70.46	28775.00	17156.25	82.58

(आंकड़े फरवरी 1995 तक के हैं (अनंतिम)

विवरण-III

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां--1992-93 से 1994-95 तक

(100 हेक्टेयर)

राज्य	1992–93						1993–94						1994–95*	
	भूमि संसाधन विकास		जल संसाधन विकास		वनरोपण एवं चरागाह विकास		भूमि संसाधन विकास		जल संसाधन विकास		वनरोपण एवं चरागाह विकास		भूमि संसाधन विकास	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम														
1. आंध्र प्रदेश	125.00	318.09	50.00	59.67	80.00	118.61	175.00	246.49	70.00	60-46	112.00	163.53	345.04	154.52
2. बिहार	22.80	20.11	13.93	11.49	29.87	23.62	55.96	31.12	26.74	28.52	33.57	25.93	62.73	3.44
3. गुजरात	49.20	48.27	10.95	20.53	22.75	18.99	68.88	102.47	15.33	25.30	31.85	30.56	68.88	28.64
4. हरियाणा	12.94	13.92	9.15	10.19	5.85	9.49	19.90	20.16	13.23	14.08	4.31	3.84	21.71	13.99
5. जम्मू व कश्मीर	11.59	30.00	9.64	8.80	10.29	4.30	32.86	19.86	9.71	2.23	11.38	11.34	27.23	24.58
6. कर्नाटक	218.84	256.75	5.61	10.65	160.47	95.98	306.38	233.96	7.85	9.85	224.66	80.17	78.53	78.53
7. मध्य प्रदेश	40.66	30.39	7.67	6.70	61.41	59.95	43.72	26.35	14.00	9.68	85.15	54.07	59.80	32.99
8. महाराष्ट्र	83.35	65.91	39.77	16.74	191.54	193.54	61.47	70.47	41.51	22.60	168.55	188.31'	126.57	25.64
9. उड़ीसा	2.33	1.16	0.00	0.00	94.87	57.23	65.09	25.97	40.44	31.51	100.79	81.16	59.70	16.65
10. राजस्थान	72.48	51.23	26.21	7.72	26.21	2.80	83.79	85.21	21.35	11.94	23.30	23.30	222.20	51.81
11. तमिलनाडु	136.17	142.50	2.54	3.82	39.83	43.52	185.60	169.65	4.83	5.88	68.12	74.44	162.88	154.19
12. उत्तर प्रदेश	130.00	155.79	30.00	32.68	35.00	42.96	182.00	287.89	42.00	35.55	49.00	38.99	49.00	128.37
13. पश्चिम बंगाल	96.14	62.42	13.64	2.25	50.91	35.75	79.80	51.52	21.63	5.40	148.00	157.76	82.29	44.65
कुल :	1001.50	1196.84	219.11	191.24	809.32	706.74	1360.45	1371.12	328.63	263.00	1051 68	933.70	1601.67	757.40

मरूभूमि विकास कार्यक्रम

	1992–93						(1993–94)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. गुजरात	6.75	5.40	3.00	4.55	10.00	13.55	10.35	18.87	4.60	7.05	15.35	13.05	10.35	18.72
2. हरियाणा	0.00	0.00	20.77	21.03	18.45	17.84	0.00	0.00	25.59	31.88	19.37	18.22	0.00	0.00
3. हिमाचल प्रदेश	4.10	5.63	2.55	1.91	14.71	14.47	10.05	10.02	1.00	1.81	16.45	15.90	11.80	8.64
4. जम्मू व कश्मीर	11.15	2.87	3.50	9.54	8.10	3.35	5.04	4.72	11.83	8.61	2.55	2.95	6.65	2.83
5. राजस्थान	90.08	79.87	46.44	23.00	113.82	81.10	129.69	122.83	65.43	15.97	120.95	106.60	370.14	178.89
कुल :	112.03	93.85	103.25	60.03	165.00	130.31	155.13	156.44	103.55	65.32	174.67	156.72	398.94	281.08

विवरण-III

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ओर मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां–1992-93 से 1994-95 तक

(100 हेक्टेयर)

राज्य	1994–95*				कुल								
	जल संसाधन विकास		वनरोपण एवं चरागाह विकास		भूमि संसाधन विकास			जल संसाधन विकास			वनरोपण एवं चरागाह विकास		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. आंध्र प्रदेश	135.23	66.87	171.80	112.64	645.04	719.10	111.48	255.23	137.00	73.27	363.00	394.70	108.52
2. बिहार	30.67	3.29	38.33	21.06	141.49	54.67	38.64	71.34	43.38	60.70	101.77	70.61	69.33
3. गुजरात	15.33	15.77	31.85	28.88	186.96	179.38	95.95	41.61	61.60	148.04	86.45	78.43	90.72
4. हरियाणा	11.57	10.02	4.14	4.61	54.55	48.07	88.12	36.95	34.29	92.80	14.33	17.94	125.29
5. जम्मू व कश्मीर	2.40	0.15	11.30	1.69	71.68	74.74	104.27	21.75	11.18	51.40	33.57	17.33	51.62
6. कर्नाटक	12-26	2.62	44.99	31.14	705.92	569.24	80.64	25.72	23.12	89.89	430.12	207.59	48.26
7. मध्य प्रदेश	11.55	1.95	76.22	62.98	144.18	89.73	62.23	33.22	10.33	55.18	22.78	177.00	79.45
8. महाराष्ट्र	104.21	12.83	204.63	129.68	271.39	161.42	59.48	185.49	53.17	28.13	566.21	511.53	90.34
9. उड़ीसा	33.23	11.56	141.03	25.15	127.12	43.78	34.44	78.67	43.87	54.75	335.89	163.54	48.69
10. राजस्थान	12.14	0.47	21.83	16.67	378.47	188.25	49.74	59.71	28.13	33.71	71.34	42.77	59.95
11. तमिलनाडु	6.63	3.20	80.13	64.06	484.59	466.34	96.23	14.00	12.90	92 14	183.13	182.00	96.75
12. उत्तर प्रदेश	42.00	21.16	49.00	27.74	44.00	572.05	115.80	114.00	89.39	78.41	133.00	109.69	82.47
13. पश्चिम बंगाल	21.61	17.70	127.99	43.91	258.23	158.59	61.41	56.83	25.35	44.57	326.90	237.42	72.63
कुल :	446.83	167.59	1003.29	570.21	3963.62	3325.36	83.90	994.57	621.83	62.52	2874.29	2210.05	76.91

मरूभूमि विकास कार्यक्रम

	(1994–95)				कुल								
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. गुजरात	4.60	2.14	15.35	16.00	27.45	43.07	156.90	12.28	13.74	112.62	40.70	43.58	106.83
2. हरियाणा	38.47	12.52	24.91	22.80	00.00	0.00	0.00	84.83	65.43	77.13	62.73	59.66	93.83
3. हिमाचल प्रदेश	1.46	1.42	18.63	17.18	25.95	16.29	62.77	5.91	5.14	86.97	49.79	47.55	95.50
4. जम्मू व कश्मीर	15.51	0.00	5.69	3.74	22.84	10.42	45.62	57.84	18.15	31.82	16.34	10.04	51.44
5. राजस्थान	27.65	3.32	291.64	233.31	589.91	381.59	64.69	139.52	42.29	30.31	526.01	921.01	79.98
कुल :	87.69	19.40	358.22	293.93	666.15	451.37	67.76	299.56	144.75	48.33	695.97	580.96	83.47

*दिसम्बर, 1994 तक के आंकड़े (अनंतिम)

[हिन्दी]

सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल (केट)

*6946. **डा. बहादुर रावल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सरकारी कर्मचारियों के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) इन मामलों की कब तक सुनवाई होगी;

(ग) उन मामलों की संख्या क्या है जिनका निपटारा हो चुका है/शीघ्र ही निपटा दिए जाएंगे; और

(घ) इन मामलों के शीघ्रताशीघ्र निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मारग्रेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों में 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार लम्बित कुल मामले 40,392 हैं।

(ख) मामले के अन्तिम रूप से निपटान में लगने वाला समय न्यायिक प्रक्रिया का विषय है।

(ग) नवम्बर, 1985 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1995 तक निपटाए गए कुल मामलों की संख्या 1,69,698 है जिसमें से 26,409 मामले वर्ष 1994 में निपटाए गए हैं। शेष मामलों को अधिकरण द्वारा उनके शीघ्र निपटान के लिए लिया जा रहा है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि जहां तक संभव हो, अधिकरण में उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों को रिक्त न रखा जाए ताकि मामलों के शीघ्र निपटान में कोई व्यवधान न आए। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी अपनी न्यायिक हैसियत से मामलों के शीघ्रताशीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

[अनुवाद]

कश्मीरी उग्रवादियों द्वारा अपहरण

6947. **श्री रामप्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर के उग्रवादियों द्वारा क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य और उनके पुत्र का श्रीनगर से अपहरण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) प्रो. अली.मो. भट्ट, रीजनल इंजीनियरिंग कालेज श्रीनगर के प्रिंसीपल और उनके पुत्र इमरान अली भट्ट का अपहरण उग्रवादियों द्वारा क्रमशः 28.3.1995 और 21.3.1995 को इस आधार पर किया कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल द्वारा राजनैतिक नेताओं और गैर सरकारी व्यक्तियों के साथ श्रीनगर में बुलाई गई बैठक में भाग लिया था। प्रो. अली मो. भट्ट को सुरक्षा बलों द्वारा बदगाम से 8.4.1995 को छुड़ा लिया गया और उनके पुत्र को छोड़ दिया गया था।

(ग) उग्रवादियों के अनुसार न चलने वाले लोगों को उग्रवादियों से मिलने वाली धमकियों के बारे में सरकार को जानकारी है और इस प्रकार के व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और जब कभी इस प्रकार की घटनाएं की जाती हों तो दोषी व्यक्तियों से निपटने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में भारी उद्योग

6948. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में भारी उद्योगों की स्थापना हेतु कुछ नए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उक्त प्रस्तावों की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) इन उद्योगों की स्थापना हेतु चयन किए गए स्थानों और इन पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) गुजरात में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम से सम्बद्ध उपक्रमों से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के तहत जनवरी, 1992 से 31 मार्च, 1995 की अवधि में छः आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) उपर्युक्त आवेदन पत्र अनुसूचित उद्योग के अंतर्गत विभिन्न मदों जैसे रसायन, कागज एवं लुगदी, औषध एवं भेषज तथा ईंधन का विनिर्माण करने के लिए प्राप्त हुए थे। प्रस्तावित स्थापना–स्थल बाहरूच तथा बड़ौदा/बदोदरा जिले थे। इन आवेदन पत्रों में स्थायी परि–सम्पत्ति (जैसे भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी) के रूप में प्रस्तावित निवेश 47077 लाख रु. है। उपर्युक्त आवेदन पत्रों में से चार आशय पत्र मंजूर किये गये हैं तथा 2 आवेदन पत्र नामंजूर कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

असाधारण आम बैठक के लिए दिशानिर्देश

6949. **श्री एम.जी. रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की असाधारण आम बैठक के नियमानुसार आयोजन के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या ऐसी असाधारण आम बैठक के चैयरमैन को कुछ नियमों का पालन करना होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नियमों का पालन न किए जाने की स्थिति में ऐसी असाधारण बैठकें निरस्त कर दिये जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) असाधारण आम बैठकों का आयोजन और जिस ढंग से उन्हें आयोजित करना होता है वे कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों द्वारा और विशेष कर उक्त अधिनियम की धारा 169 से 188 और कम्पनी के अनुच्छेदों द्वारा शासित होते हैं।

धारा 186 के उपबंधों के तहत, कम्पनी विधि बोर्ड बैठक बुलाए जाने, आयोजित किए जाने और संचालित किए जाने हेतु आदेश ऐसे ढंग से दे सकता है जैसा कि कम्पनी विधि बोर्ड उपयुक्त समझे और बैठक बुलाए जाने, आयोजित किए जाने और संचालित किए जाने, अधिनियम और कम्पनी के अनुच्छेदों के उपबंधों के संचालन के संबंध में संशोधन करने या उसमें और वृद्धि करने संबंधी निर्देशों सहित ऐसे आनुषंगिक या अनुवर्ती निर्देश दे सकता है जैसाकि कम्पनी विधि बोर्ड उपयुक्त समझे।

(घ) से (ङ) असाधारण आम बैठक की किसी भी कार्यवाही की वैधता पर यदि आपत्ति की जाती है, तो तत्संबंधी निर्णय विधिक उपबंधों, संगत तथ्यों और प्रत्येक विशेष मामले की परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

मामलों की जांच/वापसी

6950. **श्री छुंजी लाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अनेक मामलों की जांच की जा रही है;

(ख) उनमें से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनकी जांच दो साल से अधिक अवधि से की जा रही है; और

(ग) जांच के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने मामले वापस ले लिए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राजस्थान में कुल 56 मामलों की जांच की जा रही थी।

(ख) केवल पांच मामले ऐसे हैं जिनकी दो वर्ष से अधिक से जांच चल रही है तथा उनको कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कोई मामला वापिस नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को रूसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सप्लाई

6951. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी अंतरिक्ष एजेन्सी ग्लावकोसमोस तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच वर्तमान संशोधित समझौता के दायरे से परे रूस द्वारा भारत को कोई उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सप्लाई किये जाने का कोई इरादा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका भारत की अंतरिक्ष तथा अनुसंधान विकास कार्यक्रम पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) जियोसिंक्रयोनस सैटेलाइट लॉच व्हीकल के विकास पर अपने अनुसंधान कार्य में तेजी लाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश्वर चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, हां। यह प्रश्न भारत और रूस के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण के लिए निष्पादित करार के संबंध में मिसाइल टेक्नोलोजी नियंत्रण व्यवस्था (एम.टी.सी.आर) विनियमों के अर्थनिर्वचन के कारण व्युत्पन्न हुआ है।

(ग) अनेक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण की दिशा में अग्रिम कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से कार्यक्रम में थोड़ा विलम्ब तो हो सकता है, लेकिन इससे कार्यक्रम पर किसी बड़े प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(घ) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अतंस्थ संसाधनों के अलावा, देश में 150 से अधिक उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों तथा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं का प्रमोचक राकेटों की विविध प्रणालियों के डिजाइनों की विविध समीक्षाओं में और इनके उत्पादन में सहयोग लिया है। भू–तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.), जो कि ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) के साथ पर्याप्त समानता रखते हुए संरूपित किया गया है, का विकास कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। पी.एस.एल.वी. की सफल उड़ानों से, जी.एस.एल.वी. के निम्न दो चरणों की पहले की उड़ान में जांच

हो गई है। जी.एस.एल.वी. का तृतीय चरण एक क्रायो चरण है, जिसे रूस की ग्लेवकास्मॉस से प्राप्त किया जा रहा है तथा क्रायो चरण की प्राप्ति का कार्य अच्छी प्रगति में है। जी.एस.एल.वी. का प्रथम प्रमोचन 1997–98 के प्रारंभ के लिए निर्धारित है।

सरकार ने स्वदेशी क्रायो चरण के विकास को भी मंजूरी प्रदान कर दी है, जो 1998–99 के लिए निर्धारित है। हमारे अपने क्रायो चरण के अर्हता प्राप्त करने तक जी.एस.एल.वी. की उड़ानों को जारी रखने के लिए 1996 के अन्त से सात क्रायो चरण रूस से उपलब्ध होंगे।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम

6952. **श्री तारा सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या परिवार कल्याण क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों ने और अधिक प्रभावी जनसंख्या कार्यक्रम अपनाए जाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन विचारों का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्राथमिक प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के एक दल की नियुक्ति की गई। जनसंख्या संबंधी मसलों के पूरे सप्तक से डील करते समय विशेषज्ञों के इस दल ने, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :–

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की योजना में लिंग समानता का एकीकरण।

(ii) 2010 तक कुल प्रजननता दर 2.1 प्राप्त करके जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने के लिए समर्थ पर्यावरण और अधिकार प्राप्त तंत्र का सृजन।

(iii) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का तेज और कारगर कार्यान्वयन।

(iv) सूचित विकल्प के आधार पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं का प्रावधान।

(v) जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए पंचायती राज और म्यूनिसिपल संस्थानों को शामिल करना।

(vi) कार्यान्वयन में गंभीर खाइयों को भरने के लिए जनसंख्या और सामाजिक विकास निधि का सृजन।

(vii) अन्तरक्षेत्रीय समामिरूपता के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जनसंख्या और सामाजिक विकास आयोग का गठन।

न्यायाधीशों को वेतन

6953. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1991 में दिए गए निर्णय के अनुसार सरकार का विभिन्न स्तरों पर न्यायाधीशों को दिए जाने वाले वेतन तथा अन्य सुविधाओं में सुधार लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने, अधीनस्थ न्यायपालिका की सेवा की शर्तों में सुधार लाने की बाबत तारीख 13.11.1991 को रिट याचिका सं. 1022189 में दिए गए अपने निर्णय और आल इंडिया जजेज एसोसिएशन के मामले में 1992 को पुनर्विलोकन याचिका सं. 249 में दिए गए अपने आदेश के द्वारा, कतिपय निदेश दिये हैं। निदेशों का संबंध अन्य बातों के साथ–साथ न्याय प्रशासन, जिसे न्यायपालिका के लिए अवसंरनात्मक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए योजना मद के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन करने और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अंतर सेवा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने से भी है, जो केन्द्रीय सरकार से प्रत्यक्षतः संबंधित है। इसके अतिरिक्त, न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करना, प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के लिए निवास–स्थान की व्यवस्था करना, परिवहन सुविधाओं, पुस्तकालय सुविधाओं की व्यवस्था करना और संपूर्ण देश में न्यायाधीशों के लिए एक समान वेतनमान विहित करना भी इस निर्णय का भाग रूप है।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सुधार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम को पहले से ही योजना मद के रूप में सम्मिलित किया जा चुका है। राज्यों संघ राज्यक्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भी स्थापित की गई है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा और राष्ट्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित विषयों पर सरकार ध्यान दे रही है।

अन्य सुविधाएं, जैसे सेवानिवृत्ति के लिए आयु में वृद्धि, प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के लिए निवास–स्थान की उपलब्धता, परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था और पुस्तकालय सुविधाओं/भत्ता आदि के दिए जाने के संबंध में राज्य सरकारें विनिश्चय/व्यवस्था करेंगी। राज्य सरकारें इस विषय में हुई प्रगति की रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सीधे भेज रही हैं।

विदेशी पूंजी का आयात

6954. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मैसर्स सोनी, टी.वी. निर्माताओं को जापान से शत–प्रतिशत पूंजी का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अनुमति प्रदान करते समय भारत से उनके निर्यात के संबंध में क्या शर्तें रखी गयी हैं; और

(ग) क्या इलैक्ट्रोनिकी विभाग को इस बात की जानकारी है कि मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान दक्षिणी, कोरिया और चीन की सरकारों द्वारा किसी उद्योग में उत्पादन के बड़े हिस्से के निर्यात का आश्वासन मिले बगैर शत-प्रतिशत विदेशी पूंजी का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जापान की मैसर्स सोनी कारपोरेशन को रंगीन टी.वी. तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी अगस्त, 1994 में दी गई है। प्रस्ताव में जापानी कंपनी द्वारा भारतीय सहायक कंपनी में 100 प्रतिशत विदेशी ईक्विटी धारिता की परिकल्पना की गई है जो तीन वर्षों की अवधि में 16 मिलियन अमरीकी डालर होगा। अनुमोदन इस शर्त पर किया गया है कि लाभांश भुगतान के कारण विदेशी मुद्रा के बहिरप्रवाह का संतुलन भारतीय कंपनी द्वारा 7 वर्ष की अवधि में निर्यात से प्राप्त आय से किया जायेगा।

सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति 24 जुलाई, 1991 को संसद के सभा पटल पर रखी गयी औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य द्वारा शासित होती है। विदेशी कंपनियों के प्रवेश से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचा जा सकता है। और साथ ही विनिर्माताओं में प्रतिस्पर्धा पैदा होता है जिससे दक्षता लागत नियंत्रण, गुणवत्ता का आश्वासन, उत्पाद स्तर में सुधार तथा उपभोक्ताओं को बिक्री-बाद-बेहतर सेवाएं मुहैया होती हैं। सरकार की विदेशी निवेश नीति पर लगातार नजर रखी जाती है ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बन सके।

इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन

6955. श्री जगसीर सिंह डोन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुनावों में इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का प्रयोग करने के लिए चुनाव सुधार संबंधी कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की इस संबंध में मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी की थी कि चुनावों में इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या चुनाव आयोग ने भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रोनिक निगम लिमिटेड से इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनें खरीदी थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इन मशीनों के प्रयोग नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन के तकनीकी मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ समिति वर्ष 1990 में गठित की गई थी।

(ख) समिति ने यह प्रमाणित किया था कि इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन टेम्परपूफ है और यह सिफारिश की थी की इन मशीनों को अंगीकार किया जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है।

(ग) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का, निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों के उपयोग का उपबंध करने के लिए तारीख 24 मार्च, 1992 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था।

(घ) और (ङ) लगभग पचहत्तर करोड़ रुपए की लागत से भारत इलेक्ट्रोनिकस लिमिटेड, बंगलौर और भारत इलेक्ट्रोनिक निगम लिमिटेड, हैदराबाद से पचहत्तर-पचहत्तर हजार इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनें वर्ष 1989 में क्रय की गई थी और इन मशीनों को निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया गया था। निर्वाचन आयोग को मई, 1993 में सरकार द्वारा यह सलाह दी गई थी कि वह जहां-जहां साध्य हो, निर्वाचनों में विद्यमान इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का उपयोग करें।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य

6956. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान कार्यों का समय-समय पर आकलन करने हेतु कोई नीति अपनाई है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस तंत्र के माध्यम से इसका आकलन कराया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) देश में कई सरकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रत्येक विभाग के पास उसके अपने अनुसंधान गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट तंत्र हैं जैसे-अनुसंधान परिषदें, टास्क फोर्स तथा विशेषज्ञ समितियां। इन तंत्रों में जैसा कि ठीक समझा जाता है, अकादमिक संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से प्रख्यात वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों को शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

टैनरी फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

6957. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री तारा सिंह :
श्री प्रमथेश मुखर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सशस्त्र बलों को जूतों और बूटों की सप्लाई के लिए टेनरी फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को प्राप्त क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह कंपनी अपने उत्पादों के मूल्यों की दृष्टि से गैर-सरकारी क्षेत्र का मुकाबला करने में अक्षम है;

(ग) क्या कंपनी ने कभी अपने चमड़ा उत्पादों की गुणवत्ता का उल्लेख किया है तथा इनके मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र चमड़े से ऐसे सस्ते बूट बना रहे हैं जिन्हें टेनरी फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नहीं बना सकती; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टेफ्को) को जूतों और बूटों की आपूर्ति के लिए पिछले तीन वर्षों (अर्थात् वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95) में सशस्त्र बलों से कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। कंपनी ने उत्पादन लागत में वृद्धि के कारणों सहित, विभिन्न अवसरों पर अपने चमड़ा उत्पादों की गुणवत्ता का उल्लेख किया था लेकिन रक्षा विभाग ने उन्हें नहीं माना।

(घ) और (ङ) रक्षा विभाग के लिए निजी क्षेत्र तथा टेफ्को द्वारा बनाए गए बूटों की गुणवत्ता व तुलनात्मक मूल्यों का मूल्यांकन रक्षा मंत्रालय के गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। चूंकि, टेफ्को द्वारा जूतों और बूटों का निर्माण रक्षा विभाग के विनिर्देशों के अनुसार किया जाता है, इसलिए इसके उत्पादों की लागत अधिक है।

[हिन्दी]

लोक अदालतें

6958. **श्री काशीराम राणा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को लागू किए जाने के बाद देश में राज्य-वार कितनी लोक अदालतों का गठन किया गया;

(ख) इन अदालतों में किस-किस प्रकार के मुकदमे दर्ज किए गए तथा निपटाए गए;

(ग) इन अदालतों के द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान और आज तक राज्यवार कितने मुकदमों को निपटाया गया है; और

(घ) लोक अदालतों द्वारा इनमें दर्ज विभिन्न प्रकार के मुकदमों को निपटाने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है। तथापि, जब कभी आवश्यकता होती है, राज्य विधिक सेवा और सलाह बोर्डों और जिला विधिक सहायता तथा सलाह समितियों द्वारा लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं।

31.3.1995 तक देश में आयोजित लोक अदालतों की बाबत राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (घ) लोक अदालतों को निर्देशित किए गए और उनके द्वारा निपटाए गए मामले मुख्यतः मोटर दुर्घटना दावे सिविल वादों, न्यायालयों की अनुज्ञा से शमनीय छोटे मोटे अपराधिक मामलों, कुटुंब विवादों, राजस्व संबंधी मामलों, भूमि अर्जन और बैंक ऋण संबंधी मामलों, आदि से संबंधित होते हैं। विभिन्न प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालतों द्वारा समझाने-बुझाने, सुलह और आपसी समझ जैसे मानदंड अपनाएं जाते हैं।

विवरण

राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों/जिला विधिक सहायता समितियों द्वारा आयोजित की गई लोक अदालतें

(राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा 31.3.1995 की दी गई जानकारी पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	419	2,18,968
2.	असम	57	6,590
3.	बिहार	34	53,360
4.	गोवा	23	2,669

1	2	3	4
5.	गुजरात	786	1,14,823
6.	हरियाणा	521	1,71,386
7.	हिमाचल प्रदेश	150	18,883
8.	जम्मू–कश्मीर	4	215
9.	कर्नाटक	1,578	3,14,729
10.	केरल	40	24,847
11.	मध्य प्रदेश	558	6,24,346
12.	महाराष्ट्र	1,239	70,308
13.	मणिपुर	5	805
14.	मेघालय	5	212
15.	मिजोरम	55	271
16.	उड़ीसा	2,088	5,83,213
17.	पंजाब	145	35,182
18.	राजस्थान	304	7,72,579
19.	सिक्किम	3	10
20.	तमिलनाडु	898	36,440
21.	त्रिपुरा	3	474
22.	उत्तर प्रदेश	1,886	19,85,006
23.	पश्चिमी बंगाल	34	2,349
24.	चंडीगढ़ प्रशासन	11	10,667
25.	दिल्ली	24	8,384
26.	पांडिचेरी	21	1,356
	कुल योग	10,841	50,58,072

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

[अनुवाद]

6959. **श्री प्रमथेश मुखर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने अनेक विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने सर्वतोमुखी कार्य–निष्पादन में सुधार किया है;

(ख) क्या इस कंपनी द्वारा निर्मित तिपहिया वाहन पर्यावरण के अनुकूल नहीं माने जाते हैं यद्यपि इन तिपहिया वाहनों हेतु क्रयादेशों में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस कंपनी को मशीनों का सम्पूर्ण आधुनिकीकरण शुरू करने और कंपनी के उत्पादों की रेंज में विविधीकरण करने के निर्देश दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त कंपनी को अपने कार्यों का अन्य क्षेत्रों में भी विविधीकरण करने हेतु विदेशों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) कंपनी द्वारा निर्मित तिपहियां वाहन गति बढ़ाने पर बहुत अधिक आवाज़ करते हैं और धुआं देते हैं। तथापि, ये केन्द्रीय मोटर वाहन नियम (सी एम वी आर) द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं। वर्ष 2000 के उत्सर्जन मानदण्डों को पूरा करने के लिए इंजिन को अद्यतन बनाए जाने की आवश्यकता होगी।

(ग) कंपनी का पुनरूद्धार पैकेज, जिसमें संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण शामिल है, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष है।

(घ) और (ङ) कंपनी को विविधकरण के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जैसे, तुर्की की कंपनी मैसर्स ओटोसर के साथ सहयोग से लिजियर डीज़ल कार का विकास करना, दक्षिण कोरिया की कंपनी मैसर्स डूरे कारपोरेशन के साथ सहयोग से ए–1–एम.जी. पहियों का उत्पादन करना आदि जो आरंभिक चरण में है।

बंजरभूमि विकास

6960. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

(ख) क्या असम सरकार द्वारा कुछ परियोजनाएं स्वीकृति हेतु भेजी गई है, और

(ग) यदि हां, तो इस समय इन परियोजनाओं की स्थिति क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के मुख्य उद्देश्य नीचे दिये गये हैं:

1. लकड़ी और गैर–लकड़ी वाले वन उत्पादों विशेषकर ईंधन की लकड़ी और चारे की उपलब्धता में वृद्धि करना;

2. समाज के जरूरतमंद वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार सृजन करना;

3. ग्रामस्तरीय कार्ययोजनायें तैयार करने तथा बंजरभूमी

विकास कार्यक्रम के कायन्वियन हेतु सक्षम–स्तरीय–आयोजना पद्यत्ति प्रदर्शित करता।

4. समस्या वाली भूमि की विभिन्न श्रेणियों में प्रमाणित प्रौद्योगिकियों का विस्तार करना तथा इनका प्रचार–प्रसार करना।

5. विभिन्न तंत्रों के जरिए बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के सभी चरणों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि मध्यम अवधि और अंतिम वन उत्पादों का समान वितरण सुनिश्चित हो सके।

6. भूमि के निम्नीकरण को रोकना।

7. लोगों के हित में सततता और पर्यावरण में संरक्षण के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करना।

(ख) और (ग) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत असम के कठार जिले से फरवरी 1993 में एक परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि यह परियोजना, योजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप नहीं थी इसलिए इसे स्वीकृत नहीं किया जा सका। इन खामियों से राज्य सरकार को मार्च, 1993 में अवगत करा दिया गया था। राज्य सरकार से संशोधित परियोजना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। बाद में असम के करबी आंगलोंग जिले से जनवरी, 1995 में दस परियोजनायें प्राप्त हुई थीं चूंकि से परियोजनायें देर से प्राप्त हुई थीं, इसलिए वित्तीय वर्ष 1994–95 के दौरान स्वीकृति हेतु इन पर विचार नहीं किया जा सका। विभाग की नीतियों के अनुसार इन पर 1995–96 के दौरान स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा।

गैर वन भूमि का विकास

6961. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गैर वन बंजरभूमि के विकास हेतु हाल ही में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या हैं तथा समिति में कौन–कौन से सदस्य हैं; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समिति के विचारार्थ मुद्दे तथा गठन संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ग) समिति द्वारा 31 अगस्त, 1995 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की संभावना है।

विवरण

(क) विचारार्थ मुद्दे :

1. 10–15 वर्ष की सीमा के संदर्भ में वनेतर बंजरभूमि के विकास हेतु एक व्यापक कार्यनीति और कार्य योजना तैयार करना;

2. अपेक्षित वित्तीय संसाधनों की मात्रा का मूल्यांकन करना तथा इन्हें जुटाने के तरीकों और साधनों का सुझाव देना;

3. वनेतर बंजरभूमि के विकास के केन्द्र और राज्य सरकारों और उनके विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयसेवी एजेंसियों निगामित क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थाओं/बैंकों की भूमिका इंगित करना;

4. विशिष्ट नीति संबंधी पठन का सुझाव देना जिससे बंजरभूमि विकास विभाग इसे सौंपे गये दायित्व के अनुरूप अपना सके।

5. उस तंत्र का व्यापक रूप से उल्लेख करना जिसकी मार्फत राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड वनेतर बंजरभूमि के विकास हेतु कार्यनीति और कार्य योजना को कार्यान्वित कर सके।

(ख) गठन :

1.	श्री मोहन धारिया वनराई 2064, विजय नगर, पुणे–411030 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष
2.	श्री बी.बी. वोहरा, डी, 7–7, बसंत विहार, नई दिल्ली–110057	उपाध्यक्ष
3.	श्री अन्ना साहेब हज़ारे सन्त यादव बाबा शिक्षण प्रसारक मंडल, राले–गांव, शिद्दी, तालुक : परनेर, जिला : अहमदनगर (महाराष्ट्र)	सदस्य
4.	श्री अनिल सी., शाह प्रधान सलाहकार, आगाखान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम 8 जुपीटर अपार्टमेंट, सरदार पटेल नगर, अहमदाबाद–300006 (गुजरात)	सदस्य
5.	डा. डी.आर. भम्बला केन्द्रीय भूमि लवणता अनुसधान संस्थान, करनाल के पास हरियाणा – 132001	सदस्य
6.	श्री के.एल. चुघ अध्यक्ष, आई.टी.सी. भद्राचमम पेपर बोर्डस लिमिटेड, वीरगिनिया हाऊस, 37 चौरंगी लेन, कलकत्ता–700071	सदस्य

7. श्री पी. कोटैय्या सदस्य
अध्यक्ष
नाबार्ड
स्टेलिंग सेंटर,
डॉ. एनी बेसंट मार्ग,
वार्ली, बम्बई–400018

8. डॉ. आर.के. पचौरी, सदस्य
निदेशक,
टाटा इन्जीनिरिसर्च इंस्टीट्यूट,
दरबारी सेठ ब्लाक
इंडिया हेबीटेट सेंटर,
लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003

9. श्री सुबोध भार्गव सदस्य
अध्यक्ष,
कनफेडरेशन आर्फ इंडियन इंडस्ट्री, 23–26
इस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड़,
नई दिल्ली–110003

10. श्रीमती विजी श्रीनिवासन सदस्य
प्रबंध निदेशक,
(आदिति)
2–30 स्टेट बैंक कालोनी–11
बैली रोड़, पटना–800014
(बिहार)

11. श्री रंजीत इस्सर सदस्य सचिव
संयुक्त सचिव,
बंजर भूमि विकास विभाग,
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय,
नई दिल्ली--110011

[हिन्दी]

अंतरिक्ष यानों के लिए ईंधन

6962. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए अपेक्षित ईंधन का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इस ईंधन के कितने प्रतिशत भाग का आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या भारत के अंतरिक्ष यानों के कल–पुर्जों के निर्माण में देश के लगभग 225 उद्योगों की सहायता ली जा रही है;

(घ) क्या अंतरिक्ष यानों के कलपुर्जों का आयात विदेशी उद्योगों से भी किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कलपुर्जों के आयात पर कुल व्यय की कितने प्रतिशत राशि खर्च की जा रही है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रमोचक राकेट कार्यक्रम में 150 से अधिक उद्योग, शैक्षिक संस्थान और अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाएं भाग ले रहे हैं।

(घ) कुछ सामग्री, उपस्करों और अंतरिक्ष अईक इलेक्ट्रानिकी उपकरणों, विशेष रूप में वे उपस्कर, जिनका देश में स्वदेशी रूप में निर्माण करना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है, का आयात किया जा रहा है।

(ङ) प्रमोचक राकेट में आयात पर किए जाने व्यय का प्रतिशत राकेट की कुल लागत का लगभग 25% होता है।

[अनुवाद]

दवाओं की खरीद

6963. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय से भुगतान के लिए बिल पास कराते समय खुले बाजार से खरीदी गई उन दवाओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है जो दवाएं न तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में उपलब्ध हैं न ही स्थानीय प्राधिकृत कैमिस्ट के पास ही उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय में औषधियों की अनुपलब्धता के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगी द्वारा खुले बाजार और स्थानीय प्राधिकृत केमिस्ट से खरीदी गइ औषधियों की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा खरीदे जाने के प्रमाण में रसीद प्रस्तुत करने पर स्थानीय प्राधिकृत कैमिस्ट करता है।

शल्य चिकित्सा दस्ताने

6964. **श्री शशि प्रकाश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सरकारी अस्पतालों में सप्लाई किए गए शल्य–चिकित्सीय दस्ताने निम्न श्रेणी के बताए गए हैं;

(ख) क्या इन दस्तानों में दरार पड़ जाने को देखते हुए शल्य–चिकित्सक इन दस्तानों के प्रयोग से कुंठित है;

(ग) क्या एच.आई.वी. अथवा एड्स के मरीजों की इस कारण अनदेखी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (घ) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों ने सूचित किया है कि सरकारी उपक्रमों से प्राप्त किए गए शल्य चिकित्सीय दस्तानों को निरीक्षण समिति ने नामंजूर कर दिया है। अन्य केन्द्र सरकार के अस्पतालों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सफाई सुविधाएं

6965. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1995 तक प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों को पर्याप्त सफाई सुविधाएं उपलब्ध थीं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : 1.1.1995 तक भारत की 12.80 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध थीं। स्वच्छता सुविधाओं से लाभांवित ग्रामीण जनसंख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित जनसंख्या

(जनसंख्या लाख में)

क्र.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या	1 जनवरी 1995 तक कवरेज (निजी प्रयासों की मार्फत कवरेज भी शामिल कवर की गई जनसंख्या	प्रतिशत जनसंख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	486.209	51.232	10.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.539	5.793	76.84
3.	असम	199.265	111.750	56.08
4.	बिहार	750.215	44.209	5.89
5.	गोआ	6.900	3.695	39.06
6.	गुजरात	270.635	49.113	18.15
7.	हरियाणा	124.089	14.972	12.07
8.	हिमाचल प्रदेश	47.217	11.542	24.44
9.	जम्मू एवं काश्मीर	58.790	11.102	18.88
10.	कर्नाटका	310.694	23.898	7.69
11.	केरल	214.182	105.312	49.17
12.	मध्य प्रदेश	508.423	17.682	3.45
13.	महाराष्ट्र	483.956	33.829	6.99
14.	मणिपुर	13.315	12.603	94.65
15.	मेघालय	14.447	3.314	22.94
16.	मिजोरम	3.718	3.428	92.21
17.	नागालैंड	10.013	0.103	1.03
18.	उड़ीसा	274.248	12.433	4.53
19.	पंजाब	142.887	15.176	10.62
20.	राजस्थान	339.389	35.508	10.46
21.	सिक्किम	3.695	2.049	55.44
22.	तमिलनाडु	367.814	24.724	6.72
23.	त्रिपुरा	23.355	18.976	81.25
24.	उत्तर प्रदेश	1115.064	106.634	9.56
25.	पं. बंगाल	493.704	56.018	11.35
26.	अ.नि.द्वी. समूह	2.057	0.561	27.27
27.	चंडीगढ़	0.662	0.049	7.44
28.	दा.ना. हेवली	1.268	0.218	17.19
29.	दमन एवं दीप	0.540	0.063	11.64
30.	दिल्ली	9.490	0.564	5.94
31.	लक्षद्वीप	0.226	0.186	82.20
32.	पांडेचेरी	2.908	0.345	11.86
	कापार्ट		6.656	
	अखिल भारत	6286.914	804.766	12.80

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

6966. **श्री गुरुदास कामत** :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या डाक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां सी.जी.एच.एस. के औषधालयों में उपलब्ध नहीं होतीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रोगियों को यह दवाएं अपनी ओर से खरीदनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को पैसे की प्रतिपूर्ति की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) डाक्टरों द्वारा निर्धारित की गई औषधें सामान्यतः औषधालयों में उपलब्ध होती हैं। उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित स्थानीय कैमिस्टों के माध्यम से खरीदकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) से (च) यदि डाक्टरों द्वारा निर्धारित की गई औषधें भी अनुमोदित स्थानीय कैमिस्ट के पास उपलब्ध नहीं होती हैं तो लाभार्थी उन्हें खुले बाजार से खरीदने और अनुमोदित स्थानीय कैमिस्ट से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

6967. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार जिला स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आरंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रयोग के तौर पर जिला स्तर परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु किन–किन जिलों का चयन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) चार जिलों नामतः डिन्डीगुल (तमिलनाडु), मेड़क (आंध्र प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र), और दोसा (राजस्थान) में यू.एन.एफ.पी.ए. की सहायता से जिला स्तरीय परिवार कल्याण योजनाएं तैयार करने के लिए एक मार्ग–दर्शी परियोजना शुरू की गई है। प्रारंभिक दस्तावेज तैयार कर लिये गए हैं।

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

6968. **डा. साक्षीजी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अगस्त, 1994 तक उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई ग्रामीण विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य–वार अब तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष परियोजनाएं कब तक स्वीकृत कर दी जाएंगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

6969. **श्री रवि राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) सरकार ने प्रत्येक राज्य में एक जिले के सभी परिवारों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों से मुक्त रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्यक्रम सोलह राज्यों में शुरू किया जाने वाला है; और

(घ) यदि हां, तो इसका परिवार कल्याण कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) जी हां। वर्ष 1995–96 के दौरान मार्गदर्शी आधार पर भागात्मक गर्भनिरोधक लक्ष्यों से बड़े राज्यों में कम से कम एक–एक जिले को मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसरण में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हिमाचल से एक–एक जिले तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से दो–दो जिलों और केरल तथा तमिलनाडु को इससे मुक्त रखा गया है।

(घ) अभी इसके प्रभाव के बारे में मूल्यांकन करना जल्दबाजी करना होगा। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना इसका उद्देश्य है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्ग

6970. **श्री शियलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 में मंडल आयोग की सिफारिशों को श्रेणी–वार लागू किए जाने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत के कोटे के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल कितने लोगों को राज्य–वार और संघ राज्य–क्षेत्र वार कितनी नौकरियां दी गईं;

(ख) आरक्षण रोस्टर के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद सृजित किए जाने की आवश्यकता है और गत दो वर्षों के दौरान

कितने पद सृजित किये गये तथा अब तक कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति मारग्रेट आल्वा) : (क) भारत सरकार के तहत सेवाओं तथा पदों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई भर्ती राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार नहीं की जाती है। जहां तक राज्य सरकार तथासंघ राज्य क्षेत्र के तहत सेवाओं का संबंध है वे संबंधित राज्य सरकार तथा संघ राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के नियंत्रणाधीन होती हैं। अतः इस सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में जैसे ही रिक्तियां होती हैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, आरक्षण रोस्टर के संदर्भ में निकाला जाता है। रिक्तियों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी आदेश 8.9.1993 को जारी अनुदेश नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार जारी किए गए थे :–

(1) ऐसी जातियों/ समुदायों की एक सूची, जिन पर आरक्षण आदेश लागू होने हैं अधिसूचित की गई थी।

(2) ऐसे व्यक्तित्व/वर्ग(सम्पन्न वर्ग) जिन पर आरक्षण लागू नहीं होंगे, निर्दिष्ट किए गए हैं।

(3) आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए आवेदन फॉर्म का एक मॉडल प्रपत्र तैयार किया गया तथा राज्य सरकारों को भेजा गया।

(4) अन्य पिछड़े वर्गों के स्तर तथा वे सम्पन्न वर्ग से संबंधित नहीं के बारे में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट किए गए।

(5) उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाला तथा अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र का एक मॉडल प्रपत्र संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के साथ परामर्श करके बनाया गया था तथा इसे सभी मंत्रालयों/विभागों/राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को परिचालित किया गया।

(6) अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने जिला प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करें।

(7) खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए विद्यमान 40 प्वाईंट रोस्टर को संशोधित कर 200 प्वाइंट रोस्टर बना दिया गया ताकि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण मात्रा की गणना कर सकें।

(8) खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के मौजूदा 40 प्वाइंट रोस्टर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के आशय से संशोधन करके 120 प्वाइंट रोस्टर बना दिया गया।

(9) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने हेतु स्थानीय भर्ती के मौजूदा 100 प्वाइंट रोस्टर में संशोधन किया गया।

(10) ऐसे आदेश जारी किए गए थे जिनमें यह व्यवस्था थी कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित न किया जाए, बल्कि उन्हें तीन वर्ष के लिए अग्रेणीत कर दिया जाए।

(11) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में लागू शिथिल मानदंड अन्य पिछड़े वर्गों को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में दिए गए।

(12) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार के तहत सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों पर लागू किया गया, तथा

(13) अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई।

[अनुवाद]

भूमि का अधिग्रहण

6971. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेट/स्टेशन के लिये विभिन्न स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण करने के लिए सीमा सड़क महानिदेशालय द्वारा क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) सीमा सड़क महानिदेशालय ने उत्तर प्रदेश में डेट–रतूड़ा (जिला चमोली) में कुल कितने क्षेत्र का अधिग्रहरण किया है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण करने के पश्चात् सीमा सड़क महानिदेशालय ने किसानों को पिछले तीस वर्षों से अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को देयराशि के भुगतान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सीमा सड़क संगठन सड़कों/पुलों आदि के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि का अर्जन, भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार करता है। सीमा सड़क संगठन द्वारा

भूमि अर्जन/अभिग्रहण के लिए अपनाए गए मानदंड "आवश्यकता के आधार" पर होते हैं। भूमि आवश्यकतानुसार किराए पर ली जाती है अथवा स्थायी रूप से अर्जित की जाती है। इससे संबंधित सभी कार्यवाहियां राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से कानूनी प्रावधानों के तहत की जाती हैं।

(ख) से (घ) रतूड़ा गांव, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में ऋषिकेश–जोशीमठ मार्ग पर स्थित है। यह सड़क उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने कैम्प स्थलों गैंग हट्स आदि जैसी परिसंपत्तियों सहित 1963 में सीमा सड़क संगठन को सौंप दी थी। 0.23 एकड़ भूमि के लिए तीन भू–स्वामियों को मुआवजे के रूप में 4,370/– रूपये का भुगतान किया गया था। सीमा सड़क महानिदेशालय में पिछले 30 वर्षों से मुआवजे के भुगतान से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है।

कानूनी सहायता योजना

6972. **श्री हरि सिंह चावड़ा :**
श्री कुन्जी लाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राजस्थान तथा गुजरात में गरीब लोगों को पूर्ण कानूनी सहायता देने के लिए स्टेट लीगल एंड एडवाइजरी बोर्ड को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उन सामाजिक संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें यह कानूनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) उनके द्वारा वर्ष–वार कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई;

(घ) इस उद्देश्य के लिए आबंटित धन का पूरी तरह उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर भारद्वाज) : (क) राजस्थान राज्य विधिक सहायता बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान कोई अनुदान नहीं लिया है।

गुजरात राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड को वर्ष 1992-93 के दौरान 1,05,136 रू. वर्ष 1993-94 के दौरान 1,00,000 रू. और वर्ष 1994-95 के दौरान 1,00,000 रू. का सहायता अनुदान प्रदान किया गया।

(ख) और (ग) राजस्थान और गुजरात राज्यों में ऐसे सामाजिक कार्य समूह, जिन्हें वित्तीय सहायता दी गई है और उनके द्वारा उपयोग की गई रकम नियमानुसार हैं;

(रुपये में)

सामाजिक कार्य समूह का नाम		1992–93		1993–94		1994–95	
		मंजूर की गई रकम	उपयोग की गई रकम	मंजूर की गई रकम	उपयोग की गई रकम	मंजूर की गई	उपयोग की गई रकम
(1)	विक्टोरिया मोन्टेसरी स्कूल शिक्षा समिति जयपुर (राजस्थान)	–	–	10,000	10,000	–	–
(2)	नारी चेतना समिति जयपुर (राजस्थान)	–	–	5,000	5,000	10,000	लेखा अभी प्राप्त नही हुए हैं।
(3)	आयुषी जयपुर (राजस्थान)	–	–	–	–	5,000	यथोक्त
(4)	स्वरोजगार महिला एसोसिएशन (गुजरात)	40,000	लेखा अभी प्राप्त नहीं हुए है	–	–	–	–

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) विधिक सहायता समिति के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक कार्य समूहों से प्राप्त प्रस्तावों पर, पूर्व अनुदानों का निपटारा हो जाने के पश्चात ही विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

भूमि अधिग्रहण

6973. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिग्रहीत भूमि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उन लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सफल रही है जिनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहीत भूमि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) रक्षा मंत्रालय ने अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहीत की थी। अन्य बातों के साथ–साथ भूमि का उपयोग धनराशि की उपलब्धता तथा विभिन्न रक्षा योजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)
1.	असम	598.6340
2.	आंध्र प्रदेश	166.13
3.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य
4.	अंडमान निकोबार (संघ शासित क्षेत्र)	शून्य
5.	बिहार	शून्य
6.	चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	शून्य
7.	दिल्ली	शून्य
8.	गुजरात	422.180
9.	गोवा	15.5720
10.	हिमाचल प्रदेश	129.5110
11.	हरियाणा	1.8812
12.	जम्मू तथा कश्मीर	1229.5500
13.	केरल	77.9016
14.	कर्नाटक	1263.0250
15.	महाराष्ट्र	19.6225
16.	मध्य प्रदेश	46.3300
17.	मेघालय	0.0480
18.	मणिपुर	शून्य
19.	नगालैंड	शून्य
20.	उड़ीसा	55.5000
21.	पंजाब	1380.1425
22.	राजस्थान	898.3800
23.	सिक्किम	56.5900
24.	तमिलनाडु	1103.2900
25.	त्रिपुरा	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	27.7900
27.	पश्चिम बंगाल	3.3500

[अनुवाद]

जलापूर्ति और स्वच्छता प्रबंध

6974. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जलापूर्ति तथा स्वच्छता प्रबंध के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार की 137.36 लाख रुपये, 75.30 लाख रूपये, 11.30 लाख रुपये और 747.60 लाख रुपये की लागत वाली चार ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं नुमोदित की गई हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत माडल गांवों की छः योजनाओं में कतिपय संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और राज्य सरकार की योजनाओं को उचित रूप से फिर से बताने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

कैंसर का उपचार

6975. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाने वाली औषधियों का देश में आयात किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन औषधियों का देश में ही निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवार) : (क) से (ग) कैंसर के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली कई औषधें देश में आयात की जाती हैं। वर्ष 1993–94 के दौरान 16.48 करोड़ रुपये की कैंसर–रोधी औषधें आयात की गई। कैंसर रोधी औषधें जीवन रक्षक औषधें हैं और सरकार इन औषधों के स्वदेशी निमाण को प्रोत्साहित करती है।

जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी

6976. **श्री केशरीलाल** :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1995 से 30 अप्रैल, 1995 की अवधि के दौरान एवं विशेषकर से 2 मई, 1995 को जम्मू और कश्मीर में बम विस्फोटों और हमलों की घटनाएं हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है:

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन घटनाओं में आतंकवादियों और पुलिस बलों के जवानों सहित कितने व्यक्ति मारे गऐ, घायल हुए और गिरफ्तार किए गए : और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिनांक 1.1.95 से जम्मू व कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा विस्फोटों और हमलों की 1154 घटनाएं हुई हैं।

बताया गया है, कि जम्मू में 2 मई 1995 को उस्ताद मोहल्ला मस्जिद में उग्रवादियों द्वारा एक हथगोला फैंका गया जिसमें 6 व्यक्ति घायल हो गए थे तथा फिन्दर विश्नाह में एक गुरुद्वारे में विस्फोट हुआ था जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ था।

(ग) यह एक सुस्थापित तथ्य है कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को सक्रिय रूप से भड़काया जा रहा है उसे सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(घ) दिनांक 1.1.95 से 331 सिविलियनों 477 उग्रवादियों तथा 76 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित कुल 884 व्यक्ति मारे गए तथा 1395 पकड़े गए। इस अवधि के दौरान 423 सिविलियनों तथा 232 सुरक्षा कार्मिकों सहित 655 व्यक्ति जख्मी हुए।

(ङ) उग्रवादियों की गतिविधिगों पर काबू पाने के लिए उन पर लगातार दवाब बनाए रखा जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों में नियंत्रण रेखा–भीतरी भागों में गश्त गहन करना, लक्ष्य बद्ध अभियानों की सफलता के लिए आसूचना तंत्र को और सुचारू बनाना, विभिन्न ऑपरेशन एजेंसियों के बीच गहन समन्वय सुनिश्चित करना, तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों में राज्य पुलिस की भागीदारी बढ़ाना और ऐसे अभियानों में वृद्धि धुसपैठ को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर सतत चौकसी करना, सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ करना तथा संवेदन शील और दूर–दराज के इलाकों में गश्त लगाना तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों में जनता का सहयोग प्राप्त करना, शामिल है।

[अनुवाद]

डोडा पर श्वेत पत्र

6977. **श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को डोड़ा तथा कश्मीर संबंधी सरकार की नीति पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीमावर्ती राज्य में उग्रवादियों का मुकाबला करने की किसी कार्यवाही योजना पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ख) यह सही है कि डोडा जिले में सुरक्षा की स्थिति और जम्मू एवं कश्मीर के बारे में सरकार की नीति के सम्बन्ध में समय–समय पर सवाल उठाए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमा पर से सक्रिय सहायता और समर्थन के साथ आतंकवादियों द्वारा राज्य में फैलाई गई हिंसा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाए और प्रतिनिधिस्वरूप वाली तथा प्रजातांत्रिक संस्थाओं के सम सामान्यीकरण और उनकी बहाली के अनुकूल स्थितियां तैयार की जाएं, सरकार सतत एवं दृढ प्रयास करती रही है। इस दिशा में, राज्य में सामान्य प्रशासनिक, आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों की बहाली को लक्ष्य बनाकर किए गए अन्य अनेक उपायों के अलावा आतंकवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लगातार कार्रवाई की गई है, जिसमें शामिल है: आसूचना तंत्र को ग और सप्रवाही बनाना और विभिन्न आपरेशन एजेंसियों के बीच सहयोग में वृद्धि करना ताकि सलक्ष्य अभियान चलाए जा सकें, घुसपैठ रोकने के लिए सीमा नियंत्रण रेखा पर लगातार और सघन चौकसी रखना, दूर दराज के इलाकों में सुरक्षा प्रबंधों तथा गश्त में वृद्धि करना और उग्रवादियों पर काबू पाने तथा उन्हें अलग अलग करने के लिए जनता का सहयोग लेना। डोडा जिले में भी, जनता में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ऐसे ही उपाय किए जा रहे हैं।

राजनैतिक एवं चुनावी प्रक्रिया को विफल करने हेतु राज्य में हिंसा एवं गड़बड़ी को बढ़ावा देने के पाकिस्तान तथा उसके पालतू ग्रुपों के मंसूबों और संभावित प्रयासों के प्रति सरकार पूर्णतः सचेत है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और यह सुनिश्चित करने के लिए किये मंसूबे, प्रभावी रूप से विफल कर दिए जाएं, कार्रवाई की जाएगी।

पिछड़े वर्गों को आरक्षण

6978. **श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लागू न किए जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकारी उपक्रमों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने से सम्बन्धित अनुदेश उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। यह आरक्षण 8 सितम्बर, 1993 के बाद भरे गए पदों के लिए लागू होता है।

यह अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए आरक्षण के अतिरिक्त है। इस सम्बन्ध में शिकायतों की जांच सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा की जाती है जो इन अनुदेशों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

[हिन्दी]

विस्थापित कश्मीरियों का पुनर्वास

6979. **श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित कश्मीरियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में पंजीकृत विस्थापितों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता उनके लिए काफी कम पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उन कश्मीरी प्रवासियों के परिवारों, जिन्होंने खुद को दिल्ली और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों दर्ज कराया है, की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) कश्मीरी प्रवासियों को स्थाई रूप से कश्मीर के बाहर बसाने पर विचार नहीं किया गया है। उनकी वापसी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होते ही उनसे घाटी में लौट जाने की आशा की जाती है। इस दौरान, इन जरूरत मंद प्रवासियों को संबद्ध राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रशासनों द्वारा सभी संभव अनिवार्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उनकी तकलीफों को कम से कम किया जा सके।

वितरण

विभिन्न राज्यों में रह रहे जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परिवारों की संख्या
1	2	3
1.	जम्मू	26,933
2.	दिल्ली	19,338
3.	हिमाचल प्रदेश	115
4.	हरियाणा	523
5.	चंडीगढ़	206
6.	पंजाब	100
7.	उत्तर प्रदेश	500
8.	मध्य प्रदेश	40
9.	कर्नाटक	60
10.	गोवा	140
11.	केरल	5
12.	महाराष्ट्र	124
13.	राजस्थान	47
		48,131

[अनुवाद]

सतत् उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा विकास एजेंसी

6980. **डा. बसंत पवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में भारतीय सतत उपलब्ध ऊर्जा स्त्रोतों से प्राप्त उर्जा विकास एजेंसी द्वारा कितनी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि वितरित की गई और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि वितरित किए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है :-

1992-93	1993-94	1994-95	कुल
56	94	136	286

(ख) (i) उपरोक्त अवधि के दौरान संवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ii) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 1995-96 के लिए कुल प्रस्तावित संवितरण 208.00 करोड़ रूपये है।

विवरण

वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान संवितरण

(लाख रुपये में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992–93	1993–94	1994–95
1.	उत्तर प्रदेश	14.33	258.56	19 30
2.	महाराष्ट्र	85.05	88.25	283.51
3.	पश्चिम बंगाल	52.94	16.93	27.16
4.	केरल	265.60	215.73	0.00
5.	तमिलनाडु	550.07	3723.64	8783.29
6.	राजस्थान	1.10	4.98	131.00
7.	हरियाणा	1.32	16.93	279.32
8.	कर्नाटक	90.74	175.08	959.38
9.	आन्ध्र प्रदेश	44.02	312.62	922.14
10.	मध्य प्रदेश	588.18	148.08	339.21
11.	गुजरात	1.72	233.66	303.68
12.	उड़ीसा	118.09	262.72	0.00
13.	गोवा/दमन	0.00	130.00	0.00
14.	नई दिल्ली	0.00	4.73	0.00
15.	पंजाब	6.19	0.00	1 50
	जोड़	1817.35	5591.91	13029.49

रूस द्वारा कलपुर्जों की आपूर्ति

6981. **श्री एम.जी. रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस का विचार भारतीय सेना को कल–पुर्जों की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "मिग–21" में और सुधार करने की भी योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : *(क) और (ख) रूस, भारतीय सेना को रूसी मूल के उपस्करों/हथियार प्रणालियों के हिस्से–पुर्जों की आपूर्ति करने वाला एक नियमित आपूर्तिकर्ता रहा है।*

(ग) और (घ) जी, हां उन्नत पैकेज में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित विभिन्न प्रणालियों/उप प्रणालियों की पहचान कर ली गई है और प्रणाली संबंधी संरचना तथा उन्नत पैकेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। रूसी एजेंसी द्वारा इसका डिजाइन विकसित कर उड़ान परीक्षण कर लिये जाने के बाद इसके उन्नत रूप का उत्पादन हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया जायेगा।

रोगमुक्त कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास

6982. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोगमुक्त कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई है

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या कोई गैर–सरकारी संगठन भी कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) विकलांगता से बचने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोग के शीघ्र और पूर्ण उपचार पर बल दिया जाता है। 75 पुरसंरचनात्मक शल्यक यूनिटों और 50 कुष्ठ पुनर्वास तथा प्रोत्साहन यूनिटों के माध्यम से पर्याप्त चिकित्सा पुनर्वास कुष्ठ व्रण परिचर्या सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान की जाती है। असंवेदनशील पैरों वाले लोगों को निःशुल्क माइक्रो सैल्युलर रबड़ की चप्पलें भी प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यकलापों जिनमें पर्याप्त पुनर्वास शामिल हैं, के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) और (घ) जी, हां बीस (20) स्वैच्छिक कुष्ठ रोगियों का उपचार करने के लिए कुष्ठ पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण-1

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य क्षेत्र राज्य	1992–93 नगद	1992–93 सामग्री	1992–93 कुल	1993–94 नगद	1993–94 साम्रग्री	1993–94 कुल	1994–95 नगद	1994–95 सामग्री	1994–95 कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	210.00	78.38	288.38	200.00	11.34	211.34	203.00	54.02	257.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अ.प्र.	8.50	0.30	8.80	10.00	0.42	10.42	16.00	1.77	17.77
3.	असम	18.00	3.20	21.20	18.00	1.49	19.49	20.00	16.47	36.47
4.	बिहार	110.00	28.18	138.18	112.00	19.58	131.58	112.00	68.75	180.75
5.	गोवा	0.50	0.50	1.00	0.36	0.45	0.81	0.50	3.34	3.84
6.	गुजरात	28.00	18.57	46.57	24.00	10.69	36.69	17.50	60.07	77.57
7.	हरियाणा	7.00	0.50	7.50	5.75	0.52	6.27	7.00	5.54	12.54
8.	हि. प्र.	7.00	0.58	7.58	7.00	2.18	9.18	8.86	6.53	15.39
9.	जम्मू और कश्मीर	16.50	1.37	17.87	4.50	0.76	5.26	4.50	4.29	8.79
10.	कर्नाटक	100.00	37.20	137.20	100.00	3.29	103.29	96.00	34.86	130.86
11.	केरल	75.00	71.15	146.15	75.00	8.91	83.91	80.00	29.72	109.72
12.	म.प्र.	130.00	69.00	199.00	125.00	55.39	180.39	117.00	99.81	216.81
13.	महाराष्ट्र	28.00	41.51	69.51	30.00	18.95	48.95	20.25	76.86	97.11
14.	मणिपुर	1.50	1.04	2.54	3.50	0.43	3.93	3.50	2.78	6.28
15.	मेघालय	5.00	0.07	5.07	5.00	0.51	5.51	8.00	2.53	10.53
16.	मिजोरम	5.00	0.76	5.76	13.00	0.74	13.74	12.00	2.21	14.21
17.	नागालैंड	3.00	0.79	3.79	3.00	0.64	3.64	3.75	2.43	6.18
18.	उड़ीसा	132.00	35.75	167.75	125.00	109.74	243.74	125.00	98.20	223.20
19.	पंजाब	8.00	0.18	8.18	10.00	1.53	11.53	21.00	4.58	25.58
20.	राजस्थान	29.00	28.96	57.96	29.00	6.40	35.40	29.00	29.20	58.20
21.	सिक्किम	16.00	0.91	16.91	18.00	1.35	19.35	20.00	4.06	24.00
22.	तमिलनाडु	120.00	92.74	212.74	120.00	57.19	177.19	120.00	71.36	191.36
23.	त्रिपुरा	18.00	0.16	18.16	12.00	1.47	13.47	20.00	4.41	24.41
24.	उ. प्र.	179.00	185.88	364.88	190.00	77.13	267.13	177.00	177.78	354.78
25.	प. बंगाल	80.00	558.53	135.53	80.00	38.26	118.26	75.00	101.78	176.78
26.	अंड. निको.	7.50	0.07	7.57	6.50	0.46	6.96	6.50	1.88	8.38
27.	चंडीगढ़	0.50	0.58	1.08	0.50	3.35	3.85	0.50	10.05	10.55
28.	दा. नगर	0.50	0.06	0.56	0.50	1.01	1.51	0.50	3.04	3.54
29.	दमण दीव	1.00	0.59	1.59	2.50	0.40	2.90	2.00	1.78	3.78
30.	दिल्ली	0.50	2.64	3.14	0.50	2.97	3.47	0.39	8.92	9.31
31.	लक्षद्वीप	1.00	0.03	1.03	1.00	1.15	2.15	1.00	3.44	4.44
32.	पांडिचेरी	2.00	6.84	8.84	0.95	2.99	3.94	2.10	8.97	11.07
	उपभोग	1348.00	764.02	2112.02	1332.56	441.69	1774.25	1329.85	1001.43	2331.28
	केंद्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	1226.00	3319.81	0.00	3319.81	6578.99	0.00	6578.99
	कुल	1348.00	764.02	3338.02	4652.37	441.69	5094.06	7908.84	1001.43	8910.27

विवरण II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राज्यों द्वारा कुष्ठ पुनर्वास एवं प्रोत्साहन यूनिट/एमसीआर यूनिट

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुष्ठ पुनर्वास एवं प्रोत्साहन यूनिटों की संख्या	स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र की कुष्ठ पुनर्वास एवं प्रोत्साहन यूनिट	माईक्रो सेल्यूलर रबर निर्माता यूनिटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	15
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	2	2	3
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	0	0	2
7.	हरियाणा	2	2	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	6	3	4
11.	केरल	1	0	5
12.	मध्य प्रदेश	7	6	6
13.	महाराष्ट्र	7	6	6
14.	मणिपुर	1	1	1
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	1	1	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	2	1	3
19.	पंजाब	0	0	1
20.	राजस्थान	0	0	0
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1	0	2
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1	1	1
25.	पश्चिम बंगाल	1	1	2
26.	अंडमान निकोबार	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0
28.	दमन और दीव	0	0	0
29.	दादरा एवं न. हवेली	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	2	1	1
	कुल	30	20	48

[हिन्दी]

वैष्णो देवी मंदिर में अस्पताल

6983. **श्री पकंज चौधरी :**
श्री रामपाल सिंह :
श्री अमरपाल सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए वैष्णो देवी मंदिर में 'सांझी छत' में कोई अस्पताल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस अस्पताल में कितने बिस्तर उपलब्ध कराए जायेंगे तथा यह अस्पताल किस तारीख से कार्य करना शुरू कर देगा?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थान बोर्ड, निजी दान से "सांझी छत" पर एक अस्पताल का निर्माण कर रहा है। अस्पताल का निर्माण पूरा होने पर इसमें 30 कमरे होंगे और इसके चालू वित्त वर्ष के अंत तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। तीर्थ स्थान बोर्ड, ने अस्पताल चलाने के लिए राज्य सरकार से चिकित्सकों तथा अन्य सहायक चिकित्सा स्टाफ (पैरा मेडिकल) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/ अनूसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

6984. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों/ अनूसचित जनजातियों के संगठनों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार आरक्षण के लिए कोई ज्ञापन मिला है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति निर्धारित करने हेतु कोई विधान बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विकास) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में उनके प्रशासनिक मंत्रालयों ने विस्तृत राष्ट्रपतिक निर्देश जारी कर दिए हैं बहरहाल, सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सहित सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण करने हेतु एक विधेयक बनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

ऑपेरशन थिएटर

6985. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों, विशेष रूप से राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में ऑपरेशन थियटर अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य नहीं कर रहें हैं और इनका रख रखाव भी अपेक्षित स्तर का नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन ऑपरेशन थियटरों को पूरी क्षमता से कार्य करने योग्य बनाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं। उठाए जाने कां विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में आपरेशन थियेटर अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य कर रहे हैं और उनका रख रखाव भी उपयुक्त रूप से किया जाता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

माध्यस्थम बोर्ड

6986. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यस्थम बोर्ड, श्रम मंत्रालय ने 4 फरवरी, 1993 को अपना यह अवार्ड दिया है कि भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों में कार्यरत निजी सचिवों (ग्रेड ए. और बी. संविलीन) को प्रधान मंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडलीय सचिव के निजी सचिवों (ग्रेड ए. और बी. संविलीन) के समान विशेष वेतन मंजूर किया जायेगा।

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवार्ड को लागू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अवार्ड को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी संगत तथ्यों तथा लागूकरण के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अवार्ड पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ, जिसमें वित्त मंत्रालय भी शामिल है, परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

पोलियो के मामले

6987. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोलियो के सर्वाधिक मामले दिल्ली में पाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इसके कितने मामले पाए गए हैं और अन्य राज्यों में पाए गए ऐसे मामलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) टीकाकरण कवरेज के स्तरों को बढ़ाने के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम 1985–86 में शुरू किया गया था। कवरजे के उच्च स्तरों को बनाये रखने के अतिरिक्त पोलियो के उन्मूलन के लिए पूरक कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

विवरण

1981, 1991, 1992 और 1993 के दौरान सूचित किए गए पोलियो के रोगी

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित किए गए पोलियो के रोगियों की संख्या			
		(1981)	(1991)	(1992)	(1993)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1873	726	1083	1435
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	9	1	0
3.	असम	25	41	2	18
4.	बिहार	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	17	5	22	2
6.	गुजरात	176	354	254	443
7.	हरियाणा	334	66	373	61
8.	हिमाचल प्रदेश	189	6	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	+	14	1397	167
10.	कर्नाटक	1275	163	265	167
11.	केरल	1729	22	63	71
12.	मध्य प्रदेश	2286	2611	304	452
13.	महाराष्ट्र	2035	96	725	112
14.	मणिपुर	4375	0	0	0
15.	मेघालय	0	9	4	7
16.	मिजोरम	24	0	0	0
17.	नागालैंड	340	36	254	10
18.	उड़ीसा	1501	341	376	197
19.	पंजाब	2294	61	112	44
20.	राजस्थान	3967	973	1006	1120
21.	सिक्किम	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	6357	776	539	231
23.	त्रिपुरा	30	1	14	8
24.	उत्तर प्रदेश	3104	347	419	926
25.	पश्चिम बंगाल	2488	1045	312	1092
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	9	0	0	1
27.	चंडीगढ़	64	8	+	+
28.	दादर व नगर हवेली	4	1	2	0
29.	दमण व दीप	0	0	0	0
30	दिल्ली	3087	959	1912	1085
31.	लक्षद्वीप	14	0	0	0
32.	पांडिचेरी	491	0	1	0
	योग :	38090	8670	9440	7576

टिप्पण * : + : अनुपलब्ध x पड़ौसी राज्यों के अनिवासी रोगी शामिल है।

स्रोत : केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो

[हिन्दी]

मेडिकल स्टोर

6988. **श्री प्रेम चन्द्र राम :**
श्री लाल बाबू राम :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह माह के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध क्या कार्यधाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) इक्यावन शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन मेडिकल स्टोरों को चेतावनी दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संबंधित औषधालयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा अगली अनुवर्ती कार्यवाही/ मानिटरिंग की जा रही है।

विवरण

नवम्बर, 1994 से, अप्रैल 1995 एक प्राप्त की गई शिकायतें

1.	मैसर्स कुलदीप मैडीकोज 2 जे/116, एन आई टी फरीदाबाद	13
2.	मैसर्स ऋषभ इन्टरप्राइज 3049 भगत सिंह स्ट्रीट सं. 1, पहाड़गंज नई दिल्ली।	11
3.	मैसर्स अग्रवाल मेडीकोज दुकान न. 2, सैक्टर 1 मार्केट आर.के. पुरम, नई दिल्ली।	1
4.	श्री मेडिकल स्टोर	2
5.	एंके मेडिकोज दुकान न. 361, मेन रोड गोविन्द पुरी, नई दिल्ली।	1
6.	मैसर्स इस्सर मेडिकोज दुकान न. 361, मेन रोड गोविन्द पुरी नई दिल्ली	1

7.	मैसर्स लाइन एंड फार्म श्री कृष्ण पार्क, विकासपुरी दिल्ली।	2
8.	मैसर्स राजधानी मेडिकोज दुकान नं. 22, सैक्टर 12 आर.के.पुरम. नई दिल्ली।	12
9.	मैसर्स अशोक मेडिकल स्टोर 123, शंकर रोड मार्केट, नया राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली।	4
10.	मैसर्स सहगल मेडिकोज 1196, मेन बाजार रानीबाग, दिल्ली।	4
		कुल 51

जिला उद्योग केन्द्र

6989. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिनमें अब तक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उद्योग केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं और वे केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

ब्लड बैंक

6990. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लड बैंकों के कार्यक्रम की जांच करने तथा बीच बेहतर समन्वय के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त की गई समिति से रक्त के अधिकतम उपयोग के तरीकों का अध्ययन करने के लिए कहा गया है;

(ख) इस समिति के सदस्य कौन–कौन हैं और इसके द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) देश के ब्लड बैंकों में कितना रक्त उपलब्ध है और रक्त की मांग कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री(श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां।

(ख) समिति में अध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव जोकि राष्ट्रीय मंत्रालय में अपर सचिव जोकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के परियोजना निदेशक का कार्य देख रहे हैं, औषध नियंत्रक भारत, तथा श्री. एच.डी. शौरी शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 15 मई, 1994 को प्रस्तुत की।

(ग) देश में रक्त की उपलब्धता प्रतिवर्ष लगभग 19.5 लाख यूनिटें होने का अनुमान है। प्रति अस्पताल पलंग प्रतिवर्ष सात रक्त यूनिट के विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुशंसित प्रतिमानों के अनुसार रक्त की आवश्यकता लगभग चालीस लाख यूनिट हैं।

प्रधान निजी सचिव का वेतनमान

6991. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3000–4500 रुपये के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव का पद केन्द्रिय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में वेतनमान में गतिरोध का सामना कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर देने के लिए सृजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पदोन्नति के लिए वरिष्ठता के मानदंड को माना गया था।

(ग) क्या हाल ही में असाधारण सेवा रिकार्ड वाले कर्मचारियों का ही पैनल बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक अपनाई जा रही परम्परा को अपनाए न जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति मारग्रेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा के सदस्यों को पदोन्नति के संतोषजनक अवसर प्रदान करने के लिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिश पर प्रधान निजी सचिव (3000–4500 रुपये) के ग्रेड का सृजन किया था।

(ख) से (घ) नियमों के अधीन प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में भर्ती चयन के क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर चयन से पदोन्नति द्वारा की जाती है। अधिकारियों का चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर उत्कृष्ट बहुत अच्छा तथा अच्छे रूप में वर्गीकरण किया जाता है। "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों का सबसे पहले इसके बाद "बहुत अच्छे तथा इसके बाद "अच्छे" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों को पैनल में शामिल किया जाता है। चयन समिति संघ लोक सेवा आयोग ने, विभिन्न चयन सूची वर्गों के लिए प्रधान निजी सचिव के ग्रेड हेतु पैनल तैयार करने। अनुशंसा करने के लिए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

नौसेना के हैलीकॉप्टर की दुर्घटना

6992. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोचीन में नौसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान नौसेना के कितने हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले की जांच के लिए एक जांच बोर्ड गठित करने के आदेश दे दिए गए हैं।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान नौसेना का कोई भी हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ।

(घ) उड़ान सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय किये जाते हैं नौसेना मुख्यालय में हाल ही में एक पृथक उड़ान सुरक्षा सेल बनाया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

6993. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों और गृह जिलों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन स्थानों पर भी यह सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं केवल उन्हीं क्षेत्रों में, जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्य कर रही है, संसद सदस्यों समेत इसके लाभभोगियों को प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) फिलहाल इन सभी स्थानों में यह सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटें

6994. **श्री शरत पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में और जे.आई. पी.एम. ई.आर. पांडिचेरी में प्रवेश को उदार बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूनानी दवाखाने

6995. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कुल कितने यूनानी दवाखाने हैं;

(ख) क्या स्थापित मानदंडों के अनुसार किसी भी चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत दवाखाने/एकक में एक पुरुष और एक महिला चिकित्सक का होना आवश्यक है।

(ग) यदि हां, तो देश में केन्द्रीय सरकार सेवा के अंतर्गत उन दवाखानों/एककों का ब्यौरा क्या है जहां महिला चिकित्सक की व्यवस्था नहीं की गई है।

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत ऐसे प्रत्येक यूनानी दवाखाने/एकक में पुरुष चिकित्सकों की संख्या की बराबरी में महिला चिकित्सक कब तक उपलब्ध कराएगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) एक यूनानी औषधालय तथा सात यूनानी यूनिटें हैं।

(ख) सरकार ने ऐसा कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अन्धता निवारण

6996. **श्री छेदी पासवान :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से देश में अंधता निवारण के लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी थी;

(ख) राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) सरकार ने बिहार में अंधता निवारण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) देश में दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता मांगी गई है :

(i) सात राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान , तमिलनाडु उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण पिरियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता। 1994–200 के दौरान इस परियोजन की कुल लागत 554. 36 करोड़ रुपये है। आई.डी.ए. 117.08 मिनियन अमरीकी डालर तक की सहायता देने के लिए सहमत हो या हैं;

(ii) चरण–11(1989–96) के दौरान डेनिल अन्तराष्ट्रीय विकास एजेंसी से 30.08 करोड़ रूपये के बराबर की सहायता;

(iii) विश्व स्वास्थ्य संगठन 1994–95 वर्ष के दौरान लगभग 3.20 लाख अमरीकी डालर के बराबर की वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) इस सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बिहार में दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं।

(i) नत्र परिचर्या सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, जिला अस्पताल मेडिकल कालेजों का उन्नयन।

(ii) जिला मोबाईल यूनिटें, जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण तथा नेत्र बैंक खोलना।

(iii) पटना में नेत्र विज्ञान का क्षेत्रीय संस्थान खोलना।

मोतियाबिन्द के आपरेशन करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान।

विवरण

1992-93 से 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा किया गया व्यय

राज्य	किया गया व्यय (लाख रुपये में)		
	1992-93	1993-94	1994-95 (अनंतिम)
1 2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	73.54	67.15	50.25
2. अरूणाचल प्रदेश	5.01	5.90	3.33
3. असम	2.33	12.01	17.70
4. बिहार	60.31	49.75	19.00
5. गोआ	10.59	4.60	2.04
6. गुजरात	133.66	27.24	22.96
7. हरियाणा	19.91	28.04	4.76
8. हिमाचल प्रदेश	0.45	12.91	अनुपलब्ध
9. जम्मू तथा कश्मीर	37.28	14.66	10.00
10. कर्नाटक	38.68	43.81	46.32
11. केरल	26.70	51.82	68.66
12. मध्य प्रदेश	242.06	350.70	3.60
13. महाराष्ट्र	118.79	128.51	116.35
14. मणिपुर	8.86	7.47	1.96
15. मेघालय	4.85	0.64	अनुपलब्ध
16. मिजोरम	3.62	5.00	6.01
17. नागालैण्ड	8.20	12.57	अनुपलब्ध
18. उड़ीसा	33.66	28.17	25.44
19. पंजाब	11.26	12.82	अनुपलब्ध
20. राजस्थान	66.83	107.11	54.81
21. सिक्किम	1.15	2.55	0.56
22. तमिलनाडु	16.01	24.41	119.5
23. त्रिपुरा	25.13	36.70	14.4
24. उत्तर प्रदेश	92.55	151.04	33
26. अंडमान एवं निकोबार	2.10	2.38	अनुपलब्ध
27. चंडीगढ	1.15	1.52	0.41
28. दादर एवं नागर हवेली	0.02	0.31	0.02
29. दमन एवं दीप	4.33	4.83	4.07
30. दिल्ली	2.25	2.04	अनुपलब्ध
31. लक्षद्वीप	1.81	0.09	अनुपलब्ध
32. पांडिचेरी	0.90	0.52	अनुपलब्ध
योग	1066.19	1233.47	1009.15

[अनुवाद]

शेयर धारक

6997. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंतुष्ट शेयर धारक कम्पनी विधि बोर्ड से अपनी शिकायतों के निपटारे के बारे में सीधे अपील कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया गया?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) जी, हां, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 के अन्तर्गत कोई भी शेयरधारक यदि यह पाता है कि किसी कम्पनी के कार्यकलाप लोकहित के विरुद्ध हैं या किसी सदस्य के साथ अन्यायपूर्ण हैं तो वह उपयुक्त आदेश के लिये सीधे ही कम्पनी विधि बोर्ड को आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 111 के अर्न्तगत, यदि कोई कम्पनी किसी शेयरों या ऋणपत्रें का अन्तरण अंतरक या अन्तरिती को पंजीकृत करने से मना करती है तो वह व्यक्ति कम्पनी के इस प्रकार मना करने को 2 माह के भीतर शेयरों या ऋणपत्रों को पंजीकृत करने के लिये कम्पनी विधि बोर्ड को अपील कर सकता है। कोई शेयरधारक या कोई अपकृत व्यक्ति धारा 111 के अन्तर्गत सदस्यों के रजिस्टर में परिशोधन के लिए आवेदन भी कर सकता है।

[हिन्दी]

बिहार में चांदमारी स्थल

6998. **श्री ललित उरांव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के गुमा जिले में चांदमारी स्थल स्थापित करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस चांदमारी स्थल का विस्तार किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन किए जाने की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बध में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) स्थानीय लोगों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए बिहार के गुमला जिले के मौजूदा अधिसूचित नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज में संघट्ट क्षेत्र, कैंपिंग ग्राउंड आदि के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव पर सरकार इस समय कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

6999. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन राज्यों को 50 प्रतिशत राज सहायता देने का है जो सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन करेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में गुजरात की सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये हैं और राज्य को वर्ष 1994-95 के दौरान कुल कितनी राजसहायता दी गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां, सरकार देश भर में व्यापक श्रेणी के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन कर रही है। अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के द्वारा क्रम ग्राम ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, सौर ऊर्जा के उपयोग, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोंतों से विद्युत के उत्पादन, शहरी औद्योगिक और नगरीय अपशिष्टों से ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित हैं।

(ख) और (ग) सरकार अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन/आर्थिक राज सहायता उपलब्ध करा रही है। विद्युत उत्पादन कार्यक्रमों के लिए निधियन/आथिक राज सहायता पद्धति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) सरकार को वर्ष 1994-95 के दौरान लघु पन बिजली परियोजननाओं के लिए गुजरात राज्य से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं इसलिए उन पर उनके वर्तमान रूप में इस मंत्रालय की किसी भी आर्थिक राज सहायता योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया गया है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वर्तमान विधियां/आर्थिक राज सहायता पद्धति

क्र.स.	कार्यक्रम	निधियन/आर्थिक राज सहायता पद्धति
1	2	3
1.	बायोपास गैसीकरण	लागत का 30 प्रतिशत तापीय अनुप्रयोग लागत का 60 प्रतिशत यांत्रिक और विद्युत अनुप्रयोग दोनों के लिए
2.	बायोपास कम्बल्टन	अधिकतम 70 [illegible] रू प्रति मेवा.

1	2	3
3.	खोई आधारित सह उत्पादन	70 लाख रु. प्रति मेवा. प्रति वर्तमान चीनी मिल अधिकतम 6 करोड़ रु. में 35 लाख रु. प्रति मेवा. (प्रति वर्तमान नई चीनी मिल अधिकतम 3 करोड रूपये में)
4.	लघु जल विद्युत	25/50 प्रतिशत (सिविल विद्युत और यांत्रिक कार्य)
5.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली	
	(क) घरेलू रोशनी प्रणाली	बाहरी लागत का 50 प्रतिशत
	(ख) सड़क रोशनी प्रणाली	बाहरी लागत का 50 प्रतिशत
	(ग) प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयत्र	बाहरी लागत का 50 प्रतिशत
	(घ) सौर लालटेन	प्रति लालटेन 2,000 रुपये (100 रुपये सेवा प्रभार)
	(ड) एसपीटी पम्प	150 रुपये प्रति डब्लयू पी, अधिकतम 1,50,000 रुपये और 50,000 रुपये से 1,00,000 तक का ऋण
6.	पवन पम्प	बाहरी लागत का 50 प्रतिशत
7.	पवन बैटरी	चार्जर बाहरी लागत का 100 प्रतिशत

[अनुवाद]

पीतल के बरतन

7000. **श्री सी.पी. मुदाला गिरियप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पीतल के बरतनों और पीतल के अन्य सामान के निर्माण में भारी वृद्धि हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) और (ख) सरकार उत्पादन सम्बंधी रिकार्ड केंन्द्रीय रूप से नहीं रखती है। पिछले तीन वर्षों में पीतल के बर्तनों सहित कलात्मक धातु के सामान के निर्यात में प्रशंसनीय वृद्धि हुई हैं। विकास आयुक्त(हस्तशिल्प) के अनुसार कलात्मक धातु के सामान का निर्यात कुल उत्पादन का करीब 60 प्रतिशत माना गया है। पिछले तीन वर्षों में कलात्मक धातु के सामान के निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :–

पीतल के बर्तनों सहित कलात्मक धातु के सामान का निर्यात

वर्ष	निर्यात (रुपये करोड़ में)
1992–93	560.60 (वास्तविक)
1993–94	680.20 (अनंतिम)
1994–95	1022.25 (अनंतिम)

रोजगार आश्वासन योजना

7001. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रोजगार आश्वासन योजना (इम्प्लायमेंट एश्यूरेंस स्कीम) के अंतर्गत 31 मार्च, 1995 तक पंजीकृत व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये पहचान पत्र दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 1995 तक राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना के अंतर्गत 1993–94 में इसके शुरू होने से लेकर अब तक किया गया राज्यवार खर्च संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योजना के अन्तर्गत अब तक किया गया खर्च
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6887.59

1	2	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	998.98
3.	असम	4476.57
4.	बिहार	8095.44
5.	गुजरात	1161.03
6.	हरियाणा	3217.59
7.	हिमाचल प्रदेश	68.19
8.	जम्मू व कश्मीर	2472.30
9.	कर्नाटक	8702.64
10.	केरल	2072.58
11.	मध्य प्रदेश	20462.50
12.	महाराष्ट्र	5543.78
13.	मणीपुर	1444.41
14.	मेघालय	65.88
15.	मिजोरम	2677.34
16.	नागालैंड	2100.02
17.	उड़ीसा	10754.71
18.	राजस्थान	11803.31
19.	सिक्किम	121.27
20.	तमिलनाडु	4728.82
21.	त्रिपुरा	3035.00
22.	उत्तर प्रदेश	9555.96
23.	पश्चिम बंगाल	11841.22
24.	अण्डमान व निकोबार दीप समूह	44.52
25.	दादर व नगर हवेली	4.67
26.	दमन व दीव	3.46
27.	लक्षद्वीप	10.94

विदेशी इक्विटी शेयर

7002. **डा. के.वी. आर. चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी इक्विटी स्वामित्व वाली कितनी कम्पनियां हैं; और

(ख) 31 मार्च, 1995 को किन-किन कम्पनियों में विदेशियों के चालीस प्रतिशत से भी अधिक शेयर थे?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : *(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।*

[हिन्दी]

नमक का उत्पादन

7003. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में नमक का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष नमक की कितनी खपत हुई और कितना नमक निर्यात किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा नमक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में साधारण नमक का उत्पादन इस प्रकार रहा है :

वर्ष	गुजरात मे उत्पादन (लाख टन में)
1992	91.24
1993	93.14
1994	86.81

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार नमक की खपत और इसके निर्यात की मात्रा निम्न प्रकार हैं :

(लाख टन में)

वर्ष	खाद्य प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोग	निर्यात	कुल योग
1992	52.87	45.66	4.07	102.60
1993	59.89	48.20	6.05	114.14
1994	57.99	50.21	4.73	112.93

(ग) देश नमक के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हैं। देश में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए अथवा किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं;

1. पैदावार में सुधार के लिए नमक विनिर्माताओं को मुफ्त तकनीकी मार्गदर्शन कराना।
2. नमक विनिर्माण के अधीन अतिरिक्त क्षेत्रों को लाना।
3. निर्यात को बढ़ावा देना।

4. नमक उद्योग के लाभार्थ विकास और श्रमिक कल्याण कार्य करना।

[अनुवाद]

फार्मासिस्ट

7004. **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत एलोपेथिक, आयुर्वेदिक होमियोपैथिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली हेतु फार्मेसिस्ट के चयन के लिए बनाए गए भर्ती नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भविष्य में फार्मेसी अधिनियम पंजीकरण की पद्धति को लागू करके फार्मेसिस्ट/कम्पाउन्डरों को होमियोपेथिक फार्मेसी शिक्षा के लिए ढावा और प्रोत्साहन देने हेतु समुचित कदम उठाय गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी पद्धति के फार्मेसिस्टों के पद की भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताओं इत्यादि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है।

(ग) और (घ) होम्योपैथिक फार्मेसिस्टों/कम्पाउंडरों की पंजीकृत करने के लिए फार्मेसी अधिनियम, 1948 में कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

क्रम सं.	चिकित्सा पद्धति	भर्ती की विधि	आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता	
				आवश्यक	वांछनीय
1	2	3	4	5	6
1.	एलोपैथी	सीधी भर्ती	18×30 वर्ष*	(क) मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष (ख) फार्मासिस्ट अधिनियम 1948 की धारा 31 या 32 लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 31 के खण्ड (घ) को छोड़कर, के अन्तर्गत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत	फार्मासिस्ट अथवा कम्पाउंडर के रूप में एक वर्ष का अनुभव
2.	आयुर्वेदिक	तदेव	तदेव	1. मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष 2. किसी सरकारी संगठन अथवा अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस जैसी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थान से उपवैद्य (कल्पाद) पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण जिसकी अवधि दो वर्ष से कम न हो। अथवा निम्नलिखित में से किसी एक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण: (i) वैद्य विशारद(अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस द्वारा प्रदत्त) (ii) आयुर्वेद विशाक (अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस द्वारा प्रदत्त) (iii) (आयुर्वेद रत्न) (अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस द्वारा प्रदत्त) (हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदत्त)	

1	2	3	4	5	6
				3. किसी मान्यता प्राप्त आयुर्वैदिक औषधालय, अस्पताल या फार्मेसी में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव	
3.	होम्योपैथिक	सीधी भर्ती	18.30 वर्ष*	1. मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष 2. सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त प्राइवेट होम्योपैथिक अस्पताल/ औषधालय में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के रूप में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव या किसी पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक के पास तीन वर्ष काम करने का अनुभव	
4.	यूनानी	—तदेव—	—तदेव—	1. मैट्रिकुलेशन तथा उर्दू में प्रवीणता अथवा उर्दू/अरबी/फारसी में समकक्ष ओरियंटल अर्हता। 2. किसी राज्य बोर्ड या ख्याति प्राप्त संस्था द्वारा यूनानी फार्मसी में प्रदत्त कम से कम एक वर्ष की अवधि का प्रमाण–पत्र डिप्लोमा तथा उसके पश्चात् किसी ख्याति प्राप्त यूनानी अस्पताल औषधालय/फार्मेसी में फार्मासिस्ट के रूप में एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अथवा यूनानी/ फार्मेसी/ औषधालय। अस्पताल में फार्मासिस्ट के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।	

*सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष की छूट।

चन्दन लकड़ी उद्योग

7005. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लघु उद्योग कच्चे माल के रूप में चन्दन की लकड़ी का उपयोग करके मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य–वार ऐसे कितने एकक हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे एककों द्वारा प्रयोग में लाई गई चन्दन की लकड़ी और इसकी कुल मांग का कोई रिकार्ड बना रही है;

(घ) क्या इन लघु उद्योगों को चन्दन की लकड़ी की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभागों) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां

(ख) चन्दन की लकड़ी पर आधारित उत्पाद बनाने वाले एककों के राज्यवार ब्यौरे केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं? फिर भी, चन्दन की लकड़ी का तेल, हथकरघा, वस्तुएं, और धूप–बत्तियां बनाने वाले एकक कर्नाटक तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में केन्द्रित हैं।

(ग) चन्दन की लकड़ी के वितरण की केन्द्रीय रूप से निगरानी नहीं की जाती है। चन्दन के सभी प्रयोकर्ता उद्योगों की चन्दन की लकड़ी की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से अनुमान नहीं लगाया गया है।

(घ)और(ङ) चन्दन की लकड़ी का उपयोग करने वाले लघु एककों की आवश्यकता को काफी हद तक सन्तोषजनक ढंग से पूरा किया जा रहा है। नीतिनुसार चन्दन की लकड़ी का निर्यात निषिद्ध है।

इसके फलस्वरूप स्वदेशी उद्योग को की जाने वाली चन्दन की लकड़ी की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

पवन/सौर ऊर्जा परियोजनाएं

7006. **श्री दिलीपभाई संघाणी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में हाल ही में भारत के दौरे पर आए अमरीकी शिष्टमंडल से पवन ऊर्जा क्षेत्र एवं सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाएं लगाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार किन-किन स्थानों पर ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(घ) क्या किसी अन्य विदेशी सहायता प्राप्त अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत परियोजनाओं के लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) संयुक्त राज अमेरिका की ऊर्जा सचिव सुश्री हेलेज आर.ओ. लिएरी के नेतृत्व में एक अमेरिकी शिष्टमंडल ने फरवरी, 1995 में भारत का दौरा किया। विभिन्न अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों में दोनों देशों के उद्योगों/संस्थाओं के बीच हस्ताक्षर किए गए कई सहयोग समझौता/समझौता ज्ञापनों में से तीन समझौते सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए हैं। जिनमें से एक-एक तमिलनाडु केरल और दिल्ली के लिए है।

(घ) और (ङ) बहुपक्षीय /द्विपक्षीय एजेंसियों की सहायता से भी निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है :-

(i) अक्षय संसाधन विकास परियोजना में निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से लघु पन बिजली परियोजनाओं (100 मेगा.), पवन फार्म परियोजनाओं (85 मेगा.) और सौर प्रकाशवोल्टीय (2.5 मेगा.) कीस्थापना के लिए 195 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता की परिकल्पना है।

(ii) इंडिया बायोऊर्जा परियोजना का उद्देश्य स्टेट ऑफ आर्ट उच्च दर बायोमैथेनेशन प्रौद्योगिकी जैसा कि कई सब्सट्रेटों के लिए प्रयुक्त होती है, के इस्तेमाल के द्वारा ऊर्जा की प्रतिप्राप्ति करना है। देश के विभिन्न राज्यों में मलजल, चमड़ा अवशिष्ट, ठोस अपशिष्ठ, कागज अवशिष्ट, बाजार अपशिष्ट के शोधन के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से 16 प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए यूएन डी पी/ जीईएफ द्वारा 5.5 मिलियन अमेरिकी डालर अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

(iii) पहाडी क्षेत्र पन बिजली परियोजना के अंतर्गत तेरह राज्यों नामतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और बिहार में वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य 20 लघु पन बिजली प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना के द्वारा हिमालयी और उप-हिमालयी क्षेत्रों में लघु पन बिजली संसाधनों के ईष्टतम उपयोग के लिए यूएनडीपी/जीईएफ द्वारा 7.5 मिलियन अमेरिकी डालर का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

(iv) ग्रीनहाउस गैस प्रदूषण नियंत्रण परियोजना का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में सह उत्पादन सुविधा के साथ चीनी मिलों में वैकल्पिक बायोमास ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस परियोजना हेतु यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलेपमेंट (यू एस-एआईडी) द्वारा 12 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

[अनुवाद]

दमे के रोगी

7007. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में दमे के रोगियों की संख्या का आंकलन करने हेतु हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो किस राज्य में सबसे अधिक दमे के रोगी हैं; और

(ग) दमा रोग की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) दमा एक अधिसूचनीय रोग नहीं है। दमे के रोगियों का राज्यवार मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रामाणिक आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) स्वास्थ्य शिक्षा और वायु और जल प्रदुषण की रोकथाम करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

ई.एम.ई. में संवर्ग-समीक्षा

7008. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ई.एम.ई. कोर में "क" और "ख" वर्ग से कर्मचारियों की संवर्ग समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) क्या ई.एम.ई. कोर में "ग" और "घ" वर्ग के कर्मचारियों की इसी पद्धति पर संवर्ग समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संवर्ग समीक्षा संबंधी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किए गए क्योंकि ये प्रस्ताव इस विषय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुरूप नहीं पाए गए थे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान

7009. **श्री रतिलाल वर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने संचारी रोगों और उनके संक्रमण फैलने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आधारभूत ढांचे के विकास हेतु कोई प्रस्ताव रखा है।

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) अभी तक ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा बैटरियां

7010. **श्री बलराज पासी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए घरों में काम आने वाली सौर ऊर्जा बैटरियां कम मूल्यों पर उपलब्ध करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को यूनिट बैटरी प्रणाली उपलब्ध करने के लिए यूनिट मूल्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि नहीं, तो मूल्य निर्धारण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है और क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के घरों में बैटरी यूनिट रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां, सरकार द्वारा अपनी समाजोन्मुख योजना के अन्तर्गत घरेलू इस्तेमाल के लिए सौर लालटनों और स्थिर घरेलू रोशनी प्रणालियों जैसी सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियों की स्थापना के लिए आर्थिक राज सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) से (घ) राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपनी निविदा पद्धतियों के माध्यम से इन प्रणालियों की यूनिट लागत का निर्धारण किया जाता है। घरेलू रोशनी प्रणालियों के लिए केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता बाहरी लागत का 50 प्रतिशत है और सौर लालटेन के लिए प्रति लालटेन 2000 रूपये निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणाली की लागत लगभग प्रति प्रणाली 11,000 रुपये है जिसके लिए बाहरी लागतों का 50 प्रतिशत आर्थिक राज सहायता केन्द्र से और राज्य की ओर से 1300 रुपये आर्थिक राज सहायता दी जाती है। उपयोगकर्ता के लिए घरेलू रोशनी प्रणाली की अनुमानित लागत 4200 रुपये प्रति प्रणाली है।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सौर लालटेन की लागत 3550 रुपये निर्धारित की गई है जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा 2000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। शेष लागत उपयोगकर्ता द्वारा और/अथवा राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

एच.एम.टी. इंटरनेशनल

7011. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच.एम.टी. लिमिटेड के प्रभाग एच.एम.टी. इंटरनेशनल ने वर्ष 1993-94 के दौरान कितने मूल्य का निर्यात किया तथा कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) क्या एच.एम.टी. लिमिटेड का विचार आस्ट्रेलिया तथा ईरान स्थित अपने कार्यालयों को बन्द करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एच.एम.टी. लिमिटेड ने एक मेट्रो कार्यशाला की स्थापना हेतु ईरान की कंपनी तेहरान मेट्रो के साथ 130 करोड़ रुपये के ठेके पर कार्य शुरू करने में भी कोई प्रगति नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1993-94 में एच.एम.टी.(इंटरनेशनल) के कुल निर्यात तथा लाभ (कर पूर्व) क्रमशः 48 करोड़ रुपये तथा 82.2 लाख रुपये थे।

(ख) और (ग) एच.एम.टी.(इंटरनेशनल)के कार्यालय, किसी क्षेत्र की व्यापारिक संभाव्यता जीवन-क्षमता आदि के आधार पर, समय-समय पर खोले और बंद किए जाते हैं। वर्ष 1994-95 में आस्ट्रेलिया तथा ईरान स्थित कार्यालय बन्द किए गए।

(घ) और (ङ) कड़ी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) को ईरान में 130 करोड़ रुपये मूल्य की एक अनुरक्षण कर्मशाला स्थापित करने के लिए तेहरान अर्बन एण्ड सबर्बन रेलवे कंपनी (टीयूएसआरसी) द्वारा एक ठेका दिया गया। ठेके की शर्तों के अनुसार ठेके के कार्यान्वयन हेतु एच.एम.टी.(इंटरनेशनल) ने अपने दायित्व पूरे किये थे। तथा अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण टीयूएसआर सी मशीनों और उपकरण की आपूर्ति हेतु साख-पत्र खोलने में असमर्थ रही।

सैनिक और असैनिक सेवाएं

7012. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोन्नति के अवसर, सेवा काल, स्थानान्तरणों की बहुलता और कुल परिलब्धियों की दृष्टि से सैनिक और असैनिक सेवाओं में असमानता बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस कारण से सेना में भर्ती हेतु उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं;

(घ) क्या इन मुद्दों के सम्बन्ध में पांचवें वेतन आयोग के समक्ष कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इस ज्ञापन में उल्लिखित मुद्दों की जांच की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)से(च) सशस्त्र सेना कार्मिकों की सेवा संबंधी आवश्यकताएं सिविलियन कर्मचारियों की आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। तदनुसार, पदोन्नति सेवा अवधि, स्थानांतरण नीति आदि के संबंध में सशस्त्र सेना कार्मिकों की सेवा संबंधी शर्तों की तुलना सिविलियन कर्मचारियों की सेवा शर्तों से नहीं की जा सकती। सशस्त्र सेना कार्मिकों के वेतन और भत्ते केंन्द्रीय सरकार के समकक्ष सिविलियन कर्मचारियों के समान होते हैं। इसके अतिरिक्त सशस्त्र सेना कार्मिकों को निःशुल्क राशन, कैंटीन स्टोर विभाग की सुविधाओं और आवास, रियायती दरों पर बिजली और पानी तथा अन्य सुविधाओं जैसे कुछ लाभ दिए जाते हैं जोकि सिविलियन कर्मचारियों को नहीं दिए जाते हैं।

2. सशस्त्र सेनाओं में चयन के लिए बड़ी संख्या में युवक आते रहते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी और अफसर प्रशिक्षण अकादमी में प्रत्येक रिक्त पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 100 से अधिक उम्मीदवार भाग लेते हैं। सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवारों की संख्या में पिछले वर्षों की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

3. सशस्त्र सेना मुख्यालयों ने सशस्त्र सेना कार्मिकों के वेतन और भत्तों तथा नियोजन की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन पर पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा विचार किया जाना है।

नकली दवाईयां

7013. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गत दो वर्षों के दौरान नकली और घटिया दवाओं के प्रयोग से कितने व्यक्तियों की मृत्यु होने के समाचार हैं, और

(ख) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) अप्रैल, 1995 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में वेंकटपुरम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में खतरे का टीका लगाने से एक मौत होने की रिपोर्ट मिली है। राज्य औषध नियंत्रक द्वारा संदेहास्पद औषध का नमूना जांच/विश्लेषण के लिये लिया गया था तथा सरकारी विश्लेषक के विश्लेषण की रिपोर्ट मिल जाने के बाद औषध तथा प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(ख) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे नकली औषधों के निर्माण तथा बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन संबंधी तत्र तथा औषध परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाएं। सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी है। आठवीं योजना में गुवाहाटी, चंडीगढ़ तथा हैदराबाद में तीन क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।

एड्स नियंत्रण

7014. **श्री पी.सी. थाको** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में एड्स और इससे संबंधित मुद्दों पर किसी कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य सुरक्षा केन्द्रों में एच.आई.वी. के संचरण की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कीमती सुझावों के आधार पर डाक्टरों नर्सों और प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए कुछ निर्देश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) 17 से 20 अप्रैल, 1995 को लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नई दिल्ली में अस्पतालों में एच.आई.वी. के संचरण की रोकथाम के बारे में प्रारूप माड्यूल के पूर्व–परीक्षण पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

(ग) इस कार्यशाला के विचार–विमर्शों को केवल प्रारूप प्रशिक्षण माड्यूल की विषय–वस्तु के लिए ही निर्दिष्ट किया गया।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

डाक्टरों के लिए आवास

7015. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाक्टरों के लिए "रेजिडेन्ट" योजना की मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या रेजिडेन्ट डाक्टरों के विभिन्न संघों ने उपरोक्त योजना की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) रेजीडेंसी स्कीम की मुख्य–मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) रेजीडेंसी स्कीम की समीक्षा करने के लिए सरकार को समय–समय पर विभिन्न डाक्टरों संघों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। रेजीडेंसी स्कीम की समीक्षा 1992 में की गई थी और इस समय इस स्कीम की फिर से समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

रेजीडेंसी स्कीम की मुख्य-मुख्य बातें

1. नये चिकित्सा स्नातकों को शिक्षण अस्पतालों में प्रशिक्षण की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने तथा उन्हें विशेषज्ञ बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों/संस्थाओं में हाउस सर्जन, स्नातकोत्तर छात्र तथा पंजीयक की प्रथा के स्थान पर 1974 में छह वर्ष की रेजीडेंसी स्कीम (तीन वर्ष कनिष्ठ रेजीडेंसी तथा तीन वर्ष की वरिष्ठ रेजीडेंसी) आरम्भ की गई थी।

2. रेजीडेंट डाक्टरों की संख्या

रेजीडेंट डाक्टरों की संख्या संबंधित शिक्षण अस्पताल द्वारा पलंगों की संख्या तथा अस्पताल की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित की जाती है।

3. रेजीडेंट डाक्टरों का चयन

रेजीडेंट डाक्टरों का चयन संबंधित अस्पताल द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित की गई एक समिति द्वारा किया जाता है। जूनियर रेजिडेंसी एक संविदा सेवा है। एक जूनियर रेजिडेंट को प्रथम वर्ष तथा जूनियर रेजीडेंसी के बाद के दो वर्षों के लिए अलग से संविदा करनी होती है। सीनियर रेजीडेंसी एक सावधिक सेवा है। तथा वरिष्ठ रेजीडेंटों को अस्थाई सरकारी कर्मचारियों के रूप में माना जाता है।

4. परिलब्धियां

जूनियर रेजीडेंटो को पहले वर्ष 2630 रुपये प्रतिमाह, दूसरे वर्ष 2705 रुपये प्रतिमाह तथा तीसरे वर्ष 2780 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। सीनियर रेजिडेन्टों को पहले वर्ष 3150 रु. प्रतिमाह तथा दूसरे और तीसरे वर्ष 100–100 रुपये की वेतन वृद्धि दी जाती है। रेजीडेन्ट डाक्टर अपनी मासिक परिलब्धियों पर सरकारी आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता तथा मकान किराया भत्ता पाने के पात्र हैं।

5. पुस्तक भत्ता

जूनियर रेजीडेन्टों तथा सीनियर रेजीडेन्टों को प्रतिवर्ष क्रमशः 1000 रु. तथा 1500 रुपये पुस्तक भत्ते के रूप में दिये जाते हैं।

6. आवास

रेजीडेन्ट डाक्टर निःशुल्क सुसज्जित आवास, तथा उचित सीमा तक निःशुल्क बिजली और पानी प्राप्त करने के पात्र हैं।

7. कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

रेजीडेन्ट डाक्टरों के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व समय–समय पर सरकार द्वारा निश्चित किए जाएंगे। उनके द्वारा इस प्रकार का कार्य करना अपेक्षित होगा जैसा कि अस्पताल में रोगी परिचर्या के हित में जरूरत हो।

8. काम करने की अवधि

रेजीडेन्ट डाक्टरों की लगातार सक्रिय ड्यूटी सामान्यतः 12 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी। कार्य की आवश्यकता के आधार पर रेजीडेन्ट डाक्टरों को बारी–बारी से सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाएगा। रेजीडेन्ट डाक्टरों को काल ड्यूटी भी देनी आवश्यक होगी जो एक बार में 12 घंटे से अधिक नहीं होगी। जूनियर रेजिडेन्ट सामान्यतया प्रति सप्ताह 48 घंटे काम करेंगे और लगातार काम करने का समय 12 घंटे से अधिक नहीं होगा लेकिन यह बात कार्यभार तथा नैदानिक कार्य के लिए डाक्टरों की उपलब्धता पर निर्भर होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य के घंटों में ढील देने का निर्णय संबंधित चिकित्सा अधीक्षक द्वारा लिया जाएगा।

9. सीनियर रेजीडेंसी को लाभ

सीनियर रेजीडेन्सी की अवधि पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा मानी जाती है बशर्ते इसके पश्चात् संबंधित डाक्टर को नियमित सेवा मिल जाती है तथा सीनियर रेजीडेंसी और नियमित सेवा के बीच दो वर्ष से अधिक का व्यवधान न हो।

शारीरिक विकलांगता चिकित्सा परिषद

7016. **श्री विजय एन. पाटील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद की भांति शारीरिक विकलांगता चिकित्सा परिषद के गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परिषद के शीघ्र गठन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस परिषद के गठन में कितना समय लगने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) फीजियोथिरेपी तथा आक्पेशनल थिरेपी की एक भारतीय परिषद बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) एक प्रारम्भिक मसौदा बिल तैयार कर लिया गया है।

(ग) कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

ब्राह्मी

7017. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में साईकोसोमेटिक सेंटर ने "ब्राहमी" नामक एक औषधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों द्वारा उक्त औषधि के प्रभाव का परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस औषधि के प्रचार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ङ) ब्रहमी का प्रयोग करते हुए बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में चलाए गए नैदानिक अध्ययनों और इसके कुछेक सक्रिय घटकों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा पशुओं पर किए गए प्रयोगों से समझ और स्मरण शक्ति पर साधारण लाभकारी प्रभाव होने का पता चला है।

स्मरण शक्ति में सुधार करने के लिए शताब्दियों से आयुर्वेदिक व्यवसाय द्वारा ब्राह्मी का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

7018. **श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ और अधिक वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए न्यूनतम आवश्यकता के अन्तर्गत किया गया आबंटन नीचे दिया गया है:–

(लाख रुपये में)

(1993–94)	(1994–95)
संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
3879.00 रुपये	3566.00 रुपये

(ख) और (ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार से विचार–विमर्श के बाद योजना आयोग द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं।

मैसर्स इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड

7019. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा जिला स्थित मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन इत्यादि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त सरकारी कंपनी की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे;

(ग) क्या अन्य सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा सरकारी विभागों के पास उक्त कंपनी की राशि बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं तथा उनके पास कितनी–कितनी राशि बकाया है और उसे वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क)और(ख) वर्ष 1994–95 में मैसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन एवं मजदूरी का भुगतान समय पर किया गया है सिवाए मार्च, 1995 के जिसका भुगतान 7 अप्रैल, 1995 को किया गया था।

(ग) और (घ) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की, यथा 31.3.95 को उसके विभिन्न ग्राहकों के पास 70.56 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है। इस धनराशि के पार्टी–वार ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। बकाया की वसूली के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा प्रत्येक बिल पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

"यूनिसेफ"

7020. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनिसेफ" ने भारत को असंक्रमीकरण, सफाई तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देने की पेश्कश की है; और

(ख) यदि हां, तो 1994–95 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार और यूनिसेफ के बीच सहयोग संबंधी कार्यक्रम की महायोजना 1994–95 की शर्तों और प्रावधानों के अनुसार यूनिसेफ से सहायता प्राप्त की जाती है।

रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, शिशु जीवनरक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के घटक के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। यूनिसेफ से प्राप्त सहायता से शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश को 1994–95 के दौरान 478.98 लाख रुपये की सामग्रीगत सहायता प्रदान की गई है।

सफाई और प्राथमिक शिक्षा के लिए 1994 एवं 1995 में (कैलेंडर वर्ष) यूनिसेफ द्वारा प्रदान की गई कुल सहायता इस प्रकार थी:–

(मिलियन अमरीकी डालर)

	1994	1995 (31.3.95 तक)
स्वास्थ्य रक्षा	4.00	0.2
प्राथमिक शिक्षा	8.00	0.5

यूनिसेफ राज्यवार सूचना नहीं रखता है।

विकिरण-चिकित्सा

7021. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के कई अस्पतालों में रोगियों की विकिरण चिकित्सा पर रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने नई दिल्ली स्थित लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल को यह निदेश दिए हैं कि अस्पताल के विकिरण चिकित्सा विभाग में जब तक कोई योग्य चिकित्सा भौतिक विज्ञानी एवं विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक किसी भी नए रोगी को विकिरण चिकित्सा के लिए भर्ती किया जाए अथवा उसकी विकिरण चिकित्सा न की जाए।

तमिलनाडु में विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं

7022. **डा. पी. वल्लल पेरूमान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रयोगशालाओं की उपलब्धि क्या रही है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तमिलनाडु राज्य में सीएसआइआर की तीन घटक प्रयोगशालाएं/संस्थान हैं जिनके नाम हैं : केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास; संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, मद्रास और केन्द्रीय विद्युत–रसायन अनुसंधान संस्थान, कराइकुडी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रयोगशालाओं/संस्थानों की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास

प्रमुख उपलब्धियां (1992-95)

1. सीएलआरआइ में पुनः चर्मशोधन और फिलिंग एजेंट के निर्माण के लिए अब तक व्यर्थ होने वाले कुक्कुट पंखों के उपयोग के लिए एक प्रक्रम का विकास किया गया है। पर्यावरण के स्तर पर स्वच्छ इस प्रक्रम का मानकीकरण कर उद्योग को हस्तांतरण किया गया है। इस प्रक्रम का वाणिज्यीकरण 2 टन–पंख–प्रतिदिन स्तर पर किया गया है।
2. उद्योग को हस्तांतरित प्रौद्योगकियां
   - उच्च निष्पादकता वाले चर्मशोधन यौगिक अल्यूटन एवं एल्क्रॉटन
   - चर्मशोनधनशाला प्रचालन के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रौद्योगिकी पैकेज
   - फॉस्फोरिलेटेड वसाद्राव के लिए संश्लेषित वसाद्राव एवं प्रक्रम तकनीकी जानकारी वाले पैकेज
   - चर्म उद्योग के लिए चावल की भूसी तेल के मोम पर आधारित उत्पाद
   - उच्च गुणता वाले शार्क का चमड़ा
   - कानपुर में चर्मशोधनशाला निस्सारी उपचार के लिए अपफ्लो एनएरोबिक स्लाज ब्लैंकेट रिएक्टर (यूएएसबी)
3. कार्कस रिकवरी के लिए उ.प्र. में बक्सी का तालाब में एक सम्पूर्ण प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया है।
4. जालंधर, पंजाब में एक सामान्य निस्सारी उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है।

5. मद्रास रिफाइनरीज़ लिमि., इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सदर्न पेट्रोकैमिकल्स कॉरपोरेशन एवं मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के लिए जोखिम मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

6. सतत् विकास के लिए एक चर्म प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ किया गया है। भारतीय चर्म क्षेत्र के लिए इस प्रौद्योगिकी वाले विकास ग्रिड का लक्ष्य कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, शोधन प्रौद्योगिकियों को बेहतर बनाना और गुणवत्ता का मानकीकरण तथा संगठनात्मक और मानव कौशलों का विकास करना है।

संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, मद्रास

प्रमुख उपलब्धियां (1992-95)

1. 500 केवी स्लिम लाइन टावर के लिए ऑन्टेरिओ हाइड्रो, कनाडा के लिए स्टेट ऑफ आर्ट टावर परीक्षण किया गया।

2. डायरेक्टरेट ऑफ नेवल प्रोजेकट्स, विशाखापटनम् के लिए स्टेनलैस स्टील की छड़ों के साथ प्रबलित संरचनाओं के लिए डिजाइन मानदण्ड का विकास और आरबीआइ के लिए फाइबर प्रबलित कॉक्रीट के प्रयोग से स्ट्रॉग रूम का डिजाइन बनाना।

3. संरचना विश्लेषण के लिए सॉफ्ट वेयर पैकेज का विकास और मैसर्स इलैक्ट्रकल मैन्यूफैक्चरिंग कं.लि., कलकत्ता के लिए डिजाइन तैयार करना।

4. रक्षा मंत्रालय के लिए अग्नि और त्रिशूल नामक दो मिसाइलों को छोड़ने की संरचनाओं का विश्लेषण और डिजाइन तैयार करना। इस केन्द्र द्वारा किए गए संरचनात्मक विश्लेषण के आधार पर इस लॉचर संरचनाओं को दोनों मिसाइलों के लिए विश्वसनीय, सुरक्षित और पुनः प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

5. तूफानी हवाओं की गति का जोखिम विश्लेषण–भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए तूफानी हवा गति के मानचित्रों का विकास

केन्द्रीय विद्युतरसायन अनुसंधान संस्थान, कराइकुडी

प्रमुख उपलब्धियां (1992-95)

1. सीईसीआरआइ ने पुलों में संक्षारण के स्तर के अनुवीक्षण के लिए सुविज्ञता और ठोस संरचनाओं में पूर्व प्रतिबलित स्टील की सुरक्षा के लिए नवीन घोलों का विकास गया है। अपतटीय संरचनाओं में स्वचालित रूप से संक्षारण दर के अनुवीक्षण और रिमोट कंट्रोल के द्वारा सुचारात्मक उपाय करने के लिए सुपरवाइज़री कंट्रोल और डाटा एक्विजीशन (एससीएडीए) के लिए तकनीकी जानकारी का विकास किया गया है। इसका प्रयोग मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में किया जा रहा है।

2. निम्नांकित प्रौद्योगिकियां विकसित और उद्योग को हस्तांतरित की गई हैं :

   – क्रोमियम एवं सोडियम धातु

   – इलैक्ट्रोफोरेटिक रोगन; ब्लूफॉस्फॉर

   – पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए मेम्ब्रेन सैल्

3. कॉस्टिक पोटाश के निर्माण के लिए एक मेम्ब्रेन सैल प्रक्रम का विकास किया गया है। कॉस्टिक पोटाश के उत्पादन के लिए 10 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला संयंत्र लगाने के लिए यह प्रौद्योगिकी मैसर्स केनवरीज कैमिकल्स लिमि. को दी गई है।

4. तमिलनाडु में इलयंगुडी के पास दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में खारे पानी के रूपान्तरण के लिए सीईसीआरआइ ने सौर आसोत्रों की सरणि स्थापित की है।

5. सामान्य और कम ताप के अनुप्रयोग के लिए लेड एसिड बैटरियां बनाने हेतु और 12 वी/100 एएच तक की क्षमता वाली फ्री लेड एसिड बैटरियों के रख–रखाव के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है। सीईसीआरआइ की तकनीकी जानकारी के प्रयोग से डीप डिस्चार्ज बैटरियों का प्रयोग साक्षरता मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में छिटपुट स्थित दीप–शिखाओं को प्रज्जवलित करने के लिए और कम्प्यूटर संस्थापनों में आबाधित बिजली की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है।

6. रक्षा मंत्रालय के हार्ड एलॉय पेनेट्रेटर प्रोजेक्ट हेतु (एचएपीपी) एल्यूमिनियम एलॉय के सख्त एनोडीकरण के लिए एक प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। एन्टी टैंक मिसाइल के पुर्जे जोड़ने के एल्यूमीनियम एलॉय घटकों के सख्त एनोडीकरण के लिए इसका प्रयोग एचएपीपी द्वारा किया जा रहा है।

लघु उद्योग एककों के लिए वित्तीय सहायता

7023. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :**
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान लघु औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा वर्षवार आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में भी इन लघु औद्योगिक इकाईयों को इसी तरह की वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) उद्यमी लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता मांगते हैं। स्वीकृति, वितरण आदि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार परामर्श सेवाओं, औजार कक्ष व प्रशिक्षण सुविधाओं, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कार्यशाला सुविधाओं, अमन्य रूप से विनिर्माण के लिए मदों के आरक्षण और लघु से खरीददारी आदि जैसे सहायता संबंधी विभिन्न उपायों के माध्यम से लघु उद्योगों की सहायता करती है। देश में लघु उद्योगों के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के विकासात्मक प्रयासों के अलावा पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन योजनागत प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

(रुपए करोड़ में)

1992–93	136.70
1993–94	160.20
1994–95	256.50

योजनागत निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र हेतु कुल अस्थायी अनुमोदित परिव्यय 627 करोड़ रुपये है। प्रधान मंत्री की रोजगार योजना, जिसके लिए वर्ष 1994–95 के 256.50 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 145 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है, 1993-94 में अर्थात 627 करोड़ रुपये का अस्थायी परिव्यय का संकेत दिए जाने के बाद आरंभ की गयी थी। इस योजना (पी एम आर वाई) के लिए योजनागत आबंटन वार्षिक आधार पर किए जाते हैं। तदनुसार, वर्ष 1995–96 और 1996–97 के परिव्यय में प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के लिए निधियों की आवश्यकता के कारण अतिरिक्त परिव्यय प्रतिबिंबित होंगे।

विवरण

1. पिछले तीन वर्षों में राज्य वित्तीय निगमों द्वारा स्वीकृत और वितरित की गयी सहायता :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृतियां	वितरण
1991–92	2190.3	1536.8
1992–93	2015.3	1557.4
1993–94	1909.4	1568.0

2. पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण।

(करोड़ रुपये में)

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को बकाया	
मार्च, 1992	17398.0
मार्च, 1993	19388.0
मार्च, 1994	21561.0

3. पिछले तीन वर्षों में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा स्वीकृत और वितरित की गयी सहायता।

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृतियां	वितरण
1991–92	3406.80	2588.11
1992–93	3549.85	2787.28
1993–94	4014.05	3331.32

सौर ऊर्जा संयंत्र

7024. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू योजना अवधि के दौरान देश में सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने संयंत्र स्थापित किये जाएंगे;

(ग) इन सौर ऊर्जा संयंत्रों को किन–किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सरकार द्वारा अपनी समाजोन्मुख योजना और बाजारोन्मुख योजना के अन्तर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। देश में अब तक ग्राम स्तर के 144 सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए है और 47 सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं। सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर सहायता हेतु मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जाता है। पहले ही स्थापित कर ली गई और स्थापनाधीन सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की सूची, उनकी सौर प्रकाशवोल्टीय क्षमता सहित, संलग्न विवरण–I और विवरण–II में दी गई है।

इसके अलावा राजस्थान में जोधपुर जिले के मथानियां गांव में 35 मेवा. का एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण I

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किए गए सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की राज्यवार सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान		क्षमता के.डब्ल्यू.पी.
1	2		3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.	सालोजीपल्ली, जिला मेडक	6.84
		2.	इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज आफ इण्डिया, हैदराबाद	5.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.	अकेरयंगम, जिला वैरट सियांग	2.00
		2.	पीरी, जिला वैरट सियांग	2.90
		3.	कपूरडाडा, ईस्ट केमॅंग	3.00
3.	असम	1.	उमेनन्दा द्वीप समूह, जिला कामरूक	1.00
4.	गोवा	1.	कोरला, क्यूपेन तालुका दक्षिण गोवा	0.76
		2.	तोन्दू, संगपेतलुका, दक्षिण गोवा	0.96
5.	गुजरात	1.	कल्याणपुरा, खेड़ा	8.00
		2.	रालीयाती गुर्जर, पंचमहल	2.00
		3.	चोराडउंमरी, खेड़ा	4.00
6.	हरियाणा	1.	मोतीलाल नेहरू स्पोर्टस स्कूल राय	20.00
		2.	मलाव, गुड़गांव	1.00
		3.	पुलावास, भिवानी	1.30
		4.	बराना, करनाल	1.00
		5.	राहुका, गुड़गांव	1.00
7.	केरल	1.	पकोम जनजातीय कालोनी, वायनाड	1.00
		2.	करायूर पालघाट	1.20
		3.	अगाली, पालघाट	1.50
		4.	मालाकुंजा, पालघाट	1.02
8.	मध्य प्रदेश	1.	लमनी, बिलासपुर	6.00
		2.	चिराय, दमोह	3.00

1	2		3	4
9.	महाराष्ट्र	1.	मोराबंदर, एलिफेंटा द्वीपसमूह	3.36
		2.	हेरावाडी, रायगढ़	1.54
		3.	केसरवाडी, रायगढ़	1.54
10.	मणिपुर	1.	सोरबंग, उखरूल	1.00
		2.	सोरापंग, उखरूल	1.00
		3.	यंगखूलन, सेनापति	1.00
		4.	मुक्तिखुल्लेन, तेमनजॉग	1.00
		5.	हंकाऊ, उखरूल	1.00
11.	मेघालय	1.	माओलिन, जयन्तियहिल्स	2.50
		2.	डबाकगिर, पश्चिम गारो पहाड़िया	2.50
		3.	अपर खोगरपारा, प. गारो पहाड़िया	2.50
		4.	मवातीनई, अमलोग पूर्वी खासी पहाड़िया	2.00
		5.	मियात, ज्यन्तिया पहाड़िया	2.00
		6.	उमड्यू, रायभोई	2.00
		7.	छिबगिरि, पश्चिमी गारो पहाड़िया	2.00
		8.	मंगसंग, पूर्वी गारो पहाड़िया	2.50
		9.	वाह लिंगडोह, पश्चिम खासी पहाड़िया	2.50
12.	नागालैंड	1.	ज्ञानी	6.00
13.	उड़ीसा	1.	रामचन्दी, पुरी	2.00
		2.	चन्देका टेलीफोन एक्सचेंज, पुरी	2.00
		3.	लूलंग, मयूरगंज	25.00
		4.	मोगरा, कटक	1.55
		5.	डंगमाई, कटक	3.36
14.	पंजाब	1.	कोटली, लुधियाना	1.00
		2.	नाजोचाक, गुरदासपुर	1.00
15.	राजस्थान	1.	नयागांव, जयपुर	10.00
		2.	साम, जैसलमेर	10.62

1	2	3		4
	राजस्थान	3.	सदराऊ, जैसलमेर	5.30
		4.	देवीलॉट, जैसलमेर	8.00
		5.	गोपालपुर, टॉक	8.00
		6.	मेहराना, दौसा	15.00
		7.	मेघवालो की धानी जैसलमेर	3.92
		8.	उंडा, जैसलमेर	7.60
		9.	खटोडा, जैसलमेर	4.63
		10.	नीमबाली, जैसलमेर	6.55
		11.	समरमल, उदयपुर	5.60
16.	तमिलनाडु	1.	डा॰ एच.एस॰ स्वामीनाथन अनुसंधान केन्द्र, मद्रास	10.00
		2.	अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास	1.00
		3.	कयाथार (ग्रिड से सम्बद्ध)	15.00
17.	त्रिपुरा	1.	कुकी कालोनी, तेलइपुरा	2.00
		2.	जनमेजा नगर, जिलानिया	2.40
		3.	फुलडुंगरोई, जम्बोईहिल्स	4.00
		4.	गंगराई, बिसालगढ़	1.50
		5.	काईशयारम बाड़ी, पनीसागढ़	1.50
		6.	साउथ फुलडुंगरोई, जाम्पुई हिल्स	2.85
		7.	खांटलंग	2.88
		8.	कानपुई–II, जाम्पुई हिल्स	4.56
		9.	कानपुई–I, जाम्पुई हिल्स	2.88
18.	उत्तर प्रदेश	1.	तातोवाला, देहरादून	2.00
		2.	औली, चमौली	2.00
		3.	दाराना, अल्मोड़ा	2.24
		4.	कयारी, नैनीताल	3.60
		5.	असोई, देहरादून	1.92
		6.	टिकरी, टेहरी	1.68
		7.	बनास, उत्तरकाशी	3.12

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश	8. कुमालदी, पौढ़ी	5.04
		9. रामनी, चमौली	12.80
		10. सिरनी, अल्मोड़ा	2.81
		11. दुरचौराकोट, पिथौरागढ़	6.44
		12. ग्यानोटी, उत्तरकाशी	3.32
		13. नाईकीना, पिथौरागढ़	3.92
		14. मझवाड़ा, सुल्तानपुर	2.00
		15. देवल, झांसी	2.00
		16. भेहमई, कानपुर	3.22
		17. बड़ौदिया, ललितपुर	4.08
		18. कोटरी, सहारनपुर	4.62
		19. कराइवाली, इटावा	5.76
		20. करोना, जाल्लून	3.89
		21. चॉदवाड़ी, हमीरपुर	7.92
		22. जामसोती, वाराणासी	2.40
		23. किनहुनिआ, बांदा	5.28
		24. धर्मपुर, बेहरीच	9.24
		25. सुल्तानपुर, फतेहपुर	6.44
		26. हथाई, हरदोई	6.72
		27. लालोरी, वाराणसी	4.53
		28. अंजयखेड़ा, उन्नाव	5.12
		29. नौरंग, बलिया	10.24
		30. ओहीरआ, इटावा	5.12
		31. परमोदिआ, मथुरा	3.84
		32. सरायसादी, मऊ	7.00
		33. सरायसादी, मऊ (ग्रिड से सम्बद्ध)	100.00
		34. कल्याणपुर, अलीगढ़ (")	100.00
		35. गउखड़क, पौढ़ी गढ़वाल	1.05
		36. कफलगांव, पौढ़ी गढ़वाल	2.50

1	2		3	4
	उत्तर प्रदेश	37.	बांदखेल, पौढ़ी गढ़वाल	0.90
		38.	भैरगांव, पौढ़ी गढ़वाल	1.30
		39.	वल्लीमुला, पौढ़ी गढ़वाल	3.50
		40.	चोरडा, चमौली	2.50
		41.	सिरना, चमौली	2.40
		42.	पनयाना, चमौली	1.70
		43.	छिपाता, चमौली	2.10
		44.	लांगताई, चमौली	2.20
		45.	सिलपाटा, चमौली	2.10
19.	पश्चिम बंगाल	1.	सागर द्वीपसमूह, साऊथ 24 परगना	1.00
		2.	दिगहा समुद्र बीच एरिया	3.00
		3.	बोन गोपालपुर, बांकुरा	12.50
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.	हैवलोक द्वीपसमूह	9.12
		2.	पोटाटंग	5.00
		3.	मिडल स्ट्रेट	5.00
		4.	पोर्ट ब्लेअर	5.00
		5.	पोर्ट ब्लेअर	5.00
		6.	स्ट्रेट द्वीपसमूह	5.00
		7.	स्ट्रेट द्वीपसमूह	5.00
		8.	स्ट्रेट द्वीपसमूह	5.00
		9.	दुगगॉग क्रीक	5.00
		10.	दुगगॉग क्रीक	5.00
		11.	दुगगॉग क्रीक	5.00
		12.	रटलैंड	5.00
		13.	रटलैंड	5.00
		14.	फोरटरबेली	5.00
		15.	माकार्टी वेली	5.00
		16.	ट्राइनकिट	5.00
		17.	लाइट हाउस काम्पलैक्स साउथ अंडमान	5.00
		18.	तारींग, नॉनकावरी, निकोबार	5.00
		19.	तारींग, नॉनकावरी, निकोबार	5.00
		20.	इटोई, नॉनकॉवरी, निकोबार	5.00

1	2	3	4
		21. स्थलों के नाम की	5.00
		22. प्रतीक्षा है	
21.	दिल्ली	1. रेवलाखनपुर	5.00
22.	लक्षद्वीप	1. बित्रा द्वीप समूह लक्षद्वीप	25.00

विवरण-II

कार्यान्वयनाधीन सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की राज्यवार सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गांव/जिला	के डब्लयू पी
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. बगथंडा/नालगेंडा	3.84
		2. मिलाकुंटा/करनूल	2.16
		3. विरिजनवाड़ा/रंगा रेड्डी	2.04
		4. पारासूला थांडा/रंगा रेड्डी	2.40
		5. केलम पेले कम्बाडा/थांडा/प्रकाशम	4.20
2.	कर्नाटक	1. इन्दिरा आवास कॉलोनी/हसन	1.75
		2. राजापुरा/मैसूर	1.75
		3. बांगीकोपाल/तुमकूर	1.75
		4. सारडांजी/गुलबर्ग	3.50
		5. मेनगांव सैन्टर/बेलगांव	1.75
3.	मध्य प्रदेश	1. तलदादर/रायपुर	3.44
		2. हथकला/पंडला	10.00
4.	राजस्थान	1. पलचा/उदयपुर	4.55
		2. कलीम/उदयपुर	2.55
		3. मालवा व चौराहा/उदयपुर	7.95
		4. काना का वर/उदयपुर	1.23
		5. मानवीय/उदयपुर	3.82
		6. पाओटी खुरद/उदयपुर	1.86
		7. पीपला/उदयपुर	7.04
		8. पेपरामल/उदयपुर	4.20
		9. बेकरिया/उदयपुर	13.86

1	2	3		4
		10.	गोगरूद/उदयपुर	11.23
		11.	तेजा का बास/उदयपुर	8.51
5.	उत्तर प्रदेश	1.	मारगवा/पौड़ी गढ़वाल	6.40
		2.	किमसार/पौड़ी गढ़वाल	7.68
		3.	तल्ला मल्ला/नैनीताल	4.08
		4.	कलगोट/चमोली	3.36
		5.	लेवरा/देहरादून	1.68
		6.	पंगु/पिथौरागढ़	6.16
		7.	मथोली/टेहरी गढ़वाल	1.40
		8.	फमगांव/उत्तरकाशी	1.96
		9.	डोलटू/चमोली	1.40
		10.	पनिंग/देहरादून	1.68
		11.	कांडाजल/टेहरी गढ़वाल	2.64
		12.	द्वारी/उत्तरकाशी	3.17
		13.	झुरंगू/पौड़ी गढ़वाल	2.24
		14.	चरख/पौड़ी गढ़वाल	2.24
		15.	बवानी/पौड़ी गढ़वाल	2.24
		16.	धारटा/देहरादून	2.24
		17.	द्विमोई/टेहरी गढ़वाल	3.36
		18.	डंक/टेहरी गढ़वाल	3.92
		19.	डुमक/चमोली	3.92
		20.	मेयुन्डा/देहरादून	2.80
6.	पश्चिम बंगाल	1.	सागर द्वीप समूह/24 साउथ परगना	25.00
7.	लक्षद्वीप	1.	सुहेली द्वीप समूह	15.00
		2.	कडमठ द्वीप समूह	50.00
8.	तमिलनाडु	1.	मैसर्स उद्या सेमीकंडक्टर प्रा. लिमि., कोयम्बटूर, तमिलनाडु (कैप्टिव पावर प्लान्ट) (बाजारोन्मुख योजना के अन्तर्गत)	23.50

लघु विद्युत परियोजनाएं

7025. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 1994–95 और 1995–96 के दौरान प्रस्तावित लघु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में लघु पन बिजली और सौर ऊर्जा स्रोतों आधारित लघु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई है। राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की सहायता से अब तक 9 मेवा. समग्र क्षमता की 22 लघु पन बिजली परियोजनाएं और 100 किवा. के दो सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र शुरू किए गए हैं। इन परियोजनाओं के लिए 14.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। वर्ष 1994–95 और 1995–96 के दौरान राज्य सरकार से विद्युत परियोजनाओं हेतु कोई सुदृढ़ प्रस्ताव नहीं हुए हैं।

लेपोनेक्स पर प्रतिबंध

7026. **श्री सन्त कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवादास्पद मनस्तापी–रोधी औषधि "लेपोनेक्स" को शीघ्र ही भारत के बाजारों में लाए जाने का विचार है;

(ख) क्या इस उत्पाद पर इसके संभावित घातक अनुवंशी प्रभावों के कारण यूरोप के कुछ देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या जून में भारत के घरेलू बाजार में लाने से पूर्व इस उत्पाद के कोई मेचजीय परीक्षण कराए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटीवार) : (क) जी हां, मनश्चिकित्सकों की कड़ी निगरानी और रक्त मॉनिटरिंग प्रणाली के अन्तर्गत विपणन हेतु क्लोजपाइन के एक ब्रान्ड लिपोनेक्स को अनुमोदित किया गया है।

(ख) जी, नहीं। गंभीर विखंडित मनस्कता के उपचार हेतु संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम सहित 30 से अधिक देशों में इस औषध का विपणन किया जाता है। फिर भी इस औषध का इस्तेमाल उन रोगियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिन पर उपलब्ध चिकित्सा का कोई असर नहीं होता है।

(ग) और (घ) जी, हां। क्लीनिकल परीक्षणों के बाद इस औषध को देश में बेचने की अनुमति दी गई है तथा उपचार की अनुमति केवल मनश्चिकित्सकों की कड़ी निगरानी में तथा रक्त मॉनिटरिंग के आधार पर दी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई.ए.एस. अधिकारियों को प्रशिक्षण

7027. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आई.ए.एस. अधिकारियों को नियुक्ति के समय तथा सेवाकाल के दौरान विभिन्न स्तरों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को हाल ही में नया रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन अधिकारियों को विदेशी विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर कितना खर्च हुआ है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आधारभूत ढांचे अर्थात् अवधि और अन्तराल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) बदलती हुई आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को देखते हुए इन कार्यक्रमों की प्रभाविकता में सुधार लाने के लिए इन कार्यक्रमों के आयोजन में प्रयोग लाई जाने वाली विषय सामग्री तथा पद्धति की समय–समय पुनरीक्षा की जाती है तथा इनमें संशोधन किया जाता है।

(घ) विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने में सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता है चूंकि इसका वहन संबंधित विदेशी सरकार/निधि देने वाली एजेन्सी द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

विकिरण से प्रभावित इलाके

7028. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव गांधी फाउन्डेशन द्वारा "पर्यावरणीय साक्षरता अभियान" के अंतर्गत कराए गए सर्वेक्षण से लखनऊ शहर के कुछ ऐसे इलाकों का पता लगा है जहां विकिरण का अत्यधिक प्रभाव पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने इलाके हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) इस अभिकथन की रिपोर्ट की लखनऊ के कई स्थानों पर विकिरण सक्रियता का स्तर बढ़ रहा है, समाचार पत्रों के एक वर्ग में प्रकाशित हुई हैं। ये रिपोर्ट लखनऊ स्थित एक संगठन द्वारा चलाए जा रहे "पर्यावरणीय साक्षरता अभियान" द्वारा दी गई प्रैस विज्ञप्ति पर आधारित थीं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों के एक दल ने लखनऊ का दौरा किया और प्रैस विज्ञप्ति में उल्लिखित क्षेत्रों का सर्वेक्षण विकिरण मापन के उपयुक्त उपकरणों की सहायता से किया। लखनऊ में पाई जाने वाली विकिरण–सक्रियता के स्तर उसी रेंज में हैं जितने देश के उस भाग में सामान्यतः पाए जाते हैं और जो प्राकृतिक वातावरण में सामान्य रूप से मौजूद विकिरण की वजह से है।

वैज्ञानिक युक्तियुक्त तरीके से यह प्रमाणित करने में सफल हुए हैं कि पर्यावरणीय साक्षरता अभियान दल द्वारा प्रकटतः विकिरण–सक्रियता की जो उच्च मात्रा रिकार्ड की गई थी वह उनके द्वारा उपयोग में लाए गए विकिरण मापन उपकरण में मौजूद कमियों की वजह से थी न कि बाहरी तौर पर विकिरण–सक्रियता की वास्तविक रूप से मौजदूगी के कारण।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षय रोग

7029. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
श्री उद्धव वर्मन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षय रोग के रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्षय रोग के कारण मरने वाले रोगियों की अनुमानित वार्षिक मृत्यु दर क्या है;

(ग) इस योजना के लागू किए जाने के बाद से चालू योजना के दौरान और इस योजना अवधि के पहले तीन वर्षों के पहले दौरान क्षय रोग नियंत्रण और उपचार के लिए कुल कितनी–कितनी धनराशि का आबंटन किया गया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार बिहार को इस उद्देश्य हेतु नकद रूप में या वस्तु रूप में कितना धनराशि जारी की गई और कितनी खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पक्षलसिंह दाटोवार) : (क) अनुमान है कि 14 मिलियन लोग सक्रिय क्षय रोग से पीड़ित है।

(ख) अनुमान है कि हर वर्ष लगभग 0.5 मिलियन लोग क्षयरोग के कारण मरते हैं।

(ग) 1982–83 से 1994–95 तक क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु बजट आबंटन इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपये में)

योजना	वर्ष	बजट आबंटन
1/I	1982–87	41.21
1/II	1987–92	67.25
1/III	1992–93	29.00
	1993–94	37.50
	1994–95	46.00

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु बिहार राज्य के लिए कुल केन्द्रीय बजट आबंटन तथा व्यय इस प्रकार है :–

(लाख रुपये में)

वर्ष 3	आबंटन	व्यय
1991–92	97.00	18.87
1992–93	143.00	68.44
1993–94	206.00	9.00
		(अनन्तिम)

रियायती अवकाश यात्रा

7030. **श्री खारा सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियायती अवकाश यात्रा के प्रयोजनार्थ प्रथम श्रेणी से यात्रा करने के हकदार सरकारी कर्मचारी राजधानी एक्सप्रेस 3–टियर वातानुकूलित रेल डिब्बे में यात्रा करने हेतु अर्हक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों को अनुदेश जारी कर दिए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वित्त मंत्रालय के दिनांक 10.5.95 के का.ज्ञा.संख्या 19023/1/94–ई.–IV के अनुसार, ड्यूटी के दौरान अथवा छुट्टी यात्रा रियायत पर रेलगाड़ी द्वारा प्रथम श्रेणी से यात्रा करने के हकदार सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छानुसार 3–टियर वातानुकूलित रेल डिब्बे, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां भी शामिल हैं, में यात्रा कर सकते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रैक्टरों का निर्माण

7031. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इटली के सहयोग से ट्रैक्टर निर्माण करने का विचार है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए परियोजना को कहां पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को कहां पर स्थापित किया जाएगा; और

(घ) इसके लिए कौन सी प्रौद्योगिकी उपयोग में लाए जाने का विचार है, इटली से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त करने का विचार है तथा तत्संबंधी शर्तें क्या होंगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

7032. **श्री पी. कुमारास्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में लागू की जा रही केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत 1993–94 और 1994–95 के दौरान राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत राज्य में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत 1995–96 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवार) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं और 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान इन योजनाओं के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) राज्य में सभी व्यक्ति इन योजनाओं के अधीन लाभान्वित हो रहे हैं।

(घ) राज्य में लक्ष्यों का योजनाकार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

तमिलनाडु राज्य में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 1993-94 और 1994-95 के दौरान किए गए धन की आबंटन के दर्शाने वाला विवरण :

क्र. सं.	योजना का नाम	(लाख रुपये में) आबंटन	
		1993–94	1994–95
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	95.90	137.35
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	177.19	191.36
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	316.00	380.00
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	25.83	105.89
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	153.25	277.44
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	6636.79	8123.54

विवरण-II

1995-96 के दौरान तमिलनाडु के लिए प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियत किए गए लक्ष्यों का योजनावार ब्यौरा :

क्र. सं.	योजना का नाम	(लाखों में) 1995–96 लक्ष्य
1	2	3
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	
	मलेरिया परजीवियों के लिए रक्त स्मीयरों की जांच	58.8
	कीटनाशक छिड़काव के लिए लक्षित जनसंख्या	4.0
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	
	नए रोगियों का पता लगाना	0.45
	नए रोगियों का उपचार करना	0.45
	रोगियों का उपचार के बाद छुट्टी देना	0.50
3.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	
	पता लगाए गए नए मामले	1.29

1	2	3
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	
	मोतियाबिन्द ऑपरेशन	2.00
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	इसका उद्देश्य रोगग्रस्त जनसंख्या के बीच एड्स/एच.आई.वी. संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण करना है।
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	1077.80
	डी.पी.टी.	1077.80
	पोलियो नवजात शिशु	1077.80
	बी.सी.जी.	(आंकड़े हजारों में)
	बंध्यीकरण	तमिलनाडु के पूरे राज्य
	आई.यू.डी.	को लक्ष्य से मुक्त कर
	सी.सी.यू.	दिया गया है।

[हिन्दी]

देश में अंतरिक्ष केन्द्र

7033. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरिक्ष विभाग ने देश के विभिन्न स्थानों पर अपने केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) देश के मध्य भाग एवं सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश में एक भी अंतरिक्ष केन्द्र अथवा ईकाई की स्थापना नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अंतरिक्ष विभाग निकट भविष्य में इस राज्य में किसी केन्द्र अथवा इकाई की स्थापना करेगा ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अन्तरिक्ष विभाग ने कार्यक्रम संबंधी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी दृष्टि से देश में विभिन्न स्थानों में अपने केन्द्रों की स्थापना की है। उदाहरण के लिए, 1962 में तिरूवनंतपुरम के निकट थुम्बा भू-मध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र (टर्ल्स) की स्थापना मुख्य रूप में चुम्बकीय भू-मध्यरेखीय पर इसकी स्थिति पर विचार करते हुए की गई थी, जोकि सफल अन्तरिक्ष आधारित वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से देश के विविध भागों में अन्तरिक्ष केन्द्रों की स्थापना के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विचार मुख्य रूप से उत्तरदायी था। मध्य प्रदेश के अलावा ऐसे अनेक राज्य हैं, जिनमें अन्तरिक्ष केन्द्र/यूनिटें नहीं है। फिर भी, अन्तरिक्ष विभाग ने सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्रों (आर.एस.ए.सी) की स्थापना के लिए अनेक राज्यों को तकनीकी, प्रबन्धकीय और वित्तीय सहायता प्रदान की है। मध्य प्रदेश के लिए उपग्रह सुदूर संवेदन, आंकड़ा विश्लेषण और अर्थ निर्वचन के लिए आवश्यक और संरचना संबंधी सुविधाएं निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन.एन.आर.एस.) के अन्तर्गत अन्तरिक्ष विभाग ने 32.00 लाख रुपए की राशि के सहायता अनुदान से मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् के अन्तर्गत भोपाल में 1984 में एक सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र की स्थापना की है। अन्तरिक्ष विभाग विकास से सीधे संबद्ध रखने वाली राज्य और राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं की आयोजना के लिए मध्य प्रदेश सुदूर संवेदन केन्द्र के साथ निकट अन्योन्यक्रिया कर रहा है। उदाहरण के लिए दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन (आई.एम.एस.डी.) के अन्तर्गत, अन्तरिक्ष विभाग झाबुआ, सिधी, दतिया, मंदसौर, रायसेन, रायपुर, बैतुल, खारंगा, शहडोल, धार और देवारा के चुने हुए जिलों में स्थानिक विशिष्ट कार्ययोजनाएं तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य/जिला प्राधिकारियों के साथ-साथ राज्य सुदूर संवेदन केन्द्र के साथ निकट अन्योन्यक्रिया कर रहा है। फिलहाल, मध्य प्रदेश में किसी अन्तरिक्ष केन्द्र/यूनिट की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

धुआं रहित चूल्हा

7034. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वादडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 तक राज्यवार कितने धुआं रहित चूल्हे लगाए गए;

(ख) इस संबंध में अब तक राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) प्रत्येक घर में ऐसे चूल्हे उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

उपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (एनपीआईसी) के अंतर्गत जनवरी 1995 तक कुल लगभग 180 लाख उन्नत चूल्हे लगाए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1983-84 से 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों, एजेंसियों और संगठनों को कुल लगभग 135-06 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) इस कार्यक्रम को कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों में सीमित वित्तीय संसाधनों, प्रशिक्षित जनशक्ति, संस्थागत प्रबन्धों और

संगठनात्मक क्षमताओं की सीमा के अंतर्गत यथासंभव अधिकाधिक परिवारों को शामिल किए जाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1983-84 से दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान जनवरी, 1995 तक लगाए गए उन्नत चूल्हों की राज्यवार सूचना

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	जनवरी, 1995 तक लगाए गए उन्नत चूल्हों की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14.53
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.23
3.	असम	2.33
4.	बिहार	8.51
5.	गुजरात	7.63
6.	गोवा	0.83
7.	हरियाणा	7.42
8.	हिमाचल प्रदेश	5.07
9.	जम्मू और कश्मीर	2.48
10.	कर्नाटक	8.59
11.	केरल	4.13
12.	मध्य प्रदेश	15.04
13.	महाराष्ट्र	12.34
14.	मणिपुर	0.43
15.	मेघालय	0.12
16.	मिजोरम	0.18
17.	नागालैंड	0.10
18.	उड़ीसा	7.80
19.	पंजाब	7.65
20.	राजस्थान	17.10
21.	सिक्किम	0.34
22.	तमिलनाडु	12.78
23.	त्रिपुरा	0.11
24.	उत्तर प्रदेश	23.26
25.	पश्चिम बंगाल	5.68
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.24
27.	चंडीगढ़	0.14
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.09
29.	दमन एवं दीप	0.007
30.	दिल्ली	2.07
31.	लक्ष्यद्वीप	0.04
32.	पांडिचेरी	0.20
33.	अन्य संगठन	12.09
	जोड़	179.55

विवरण—II

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1983-84 से 1994-95 के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसियां	निर्मुक्त की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10.60
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.25
3.	असम	1.77
4.	बिहार	5.84
5.	गुजरात	3.35
6.	गोवा	0.53
7.	हरियाणा	4.64
8.	हिमाचल प्रदेश	3.85
9.	जम्मू और कश्मीर	1.83
10.	कर्नाटक	7.26
11.	केरल	3.93

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	10.39
13.	महाराष्ट्र	7.52
14.	मणिपुर	0.31
15.	मेघालय	0.18
16.	मिजोरम	0.21
17.	नागालैंड	0.20
18.	उड़ीसा	5.44
19.	पंजाब	5.12
20.	राजस्थान	9.88
21.	सिक्किम	0.20
22.	तमिलनाडु	9.01
23.	त्रिपुरा	0.07
24.	उत्तर प्रदेश	18.61
25.	पश्चिम बंगाल	4.49
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.01
27.	चंडीगढ़	0.19
28.	दादर एंव नगर हवेली	0.007
29.	दमन एवं दीव	0.005
30.	दिल्ली	1.31
31.	लक्ष्यदीप	0.06
32.	पांडिचेरी	0.12
33.	अन्य संगठन	17.88
	जोड़	135.06

मानसिक रोगियों का उपचार

7035. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान असम की जेलों में मानसिक रोगियों को अवैध रूप से रखे जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन रोगियो के उपचार और पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस समस्या से निपटने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों को कितनी केंद्रीय सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को 1994–95 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पतालों के कार्यकर्ताओं के लिए सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु 10.00 लाख रुपये की रकम दी गई है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नही है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

विवरण

मंत्रालय में उपलब्ध सूचना और विचार–विमर्श के रिकार्डों के अनुसार असम सरकार द्वारा उठाए जाने हेतु निम्नलिखित कदमों पर विचार किया जा रहा था :–

(i) सरकारी अभियोजक/सहायक सरकारी अभियोजक को इस आशय के अनुदेश जारी करना कि निरपराधी मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को किसी भी आधार पर, चाहे वह कुछ भी हो, जेलों में भेजना अब के बाद बन्द किया जाए।

(ii) गुवाहाटी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को लिखकर यह अनुरोध करना कि वह असम राज्य के भीतर इस मामले पर न्यायिक प्राधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश जारी करने पर विचार करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष रखें।

(iii) असम राज्य के मेडिकल कालेजों के मनश्चिकित्सा विभाग में कुछ पद सृजित किए और कुछ सृजित किए गए पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति की।

(iv) इस आशय के अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का पता लगाने हेतु कार्रवाही शुरू की कि असम राज्य में शेष रिक्त पदों पर मनश्चिकित्सा में विशिष्टता प्राप्त डाक्टरों की जरूरत को कैसे पूरा किया जाए।

(v) बहिरंग रोगी विभाग में एक मनश्चिकित्सा स्कंध शुरू करने हेतु अनावर्ती खर्च को वहन करने हेतु प्रत्येक जिला स्तर के अस्पताल को 50,000 रुपये की रकम मंजूर की।

(vi) असम राज्य की वार्षिक योजना में 1995–96 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में एल.जी.बी. मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,

तेजपुर के विकास के लिए 20.00 लाख रुपये की रकम निर्धारित की गई थी।

(vii) एल.जी.बी. मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के विकास को भारत सरकार और पूर्वोत्तर परिषद के बीच 50. 50 के अनुपात में वित्त पोषित करने हेतु कार्रवाही शुरू की।

[हिन्दी]

भूमि के विकास के लिये विदेशी सहायता

7036. **श्री एन.जे.रा.वा.** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1995 तक गुजरात और अन्य राज्यों में विशेष रूप से जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से कितनी राशि की सहायता की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में (बंजर-भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से केवल भूमि विकास के उद्देश्य के लिए ही सहायता नहीं मांगी गई है। तथापि भूमि को उपजाऊ बनाकर, वनरोपण तथा उन्नत किस्म की कृषि तकनीकों के द्वारा भूमि का विकास करना कृषि क्षेत्र में चल रही अनेक परियोजनाओं तथा विचाराधीन अनेक परियोजनाओं का एक हिस्सा है। बिहार में 26.00 मिलियन अमरीकी डालर के परिव्यय वाली वानिकी विकास की परियोजना तथा मध्य प्रदेश में 58.00 मिलियन अमरीकी डालर के परिव्यय वाली वानिकी विकास परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के विचाराधीन है।

गुजरात राज्य में सिर्फ एक चल रही परियोजना मुख्यतः, "वाटरशैड (मैदानी) परियोजना" कार्यान्वित की जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक से 7.00 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए इस परियोजना पर विश्व बैंक के साथ 22.8.1990 को हस्ताक्षर किए गये थे। 31.3.95 की स्थिति के अनुसार परियोजना के तहत 18.468 मिलियन अमरीकी डालर इस्तेमाल किए जा चुके हैं। परियोजना 31.3.1998 को बन्द हो जाएगी। परियोजना को गुजरात, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों की मार्फत कार्यान्वित किया जा रहा है। गुजरात घटक 23.7 मिलियन अमरीकी डालर के परिव्यय से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा एक समेकित वाटरशैड (पर्वतीय) परियोजना है जोकि 88.00 मिलियन अमरीकी डालर के कुल परिव्यय से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

चल रही तीन राज्य क्षेत्र की तीन वानिकी परियोजनाएं भी है जोकि निम्न प्रकार हैं –

1.	पश्चिम बंगाल वानिकी परियोजना	34.00 मिलियन अमरीकी डालर
2.	महाराष्ट्र वानिकी परियोजना	124.00 मिलियन अमरीकी डालर
3.	आन्ध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	77.3 मिलियन अमरीकी डालर

भूमि विकास के महत्वपूर्ण घटक वाली चल रही अन्य परियोजनाओं में ये शामिल हैं :–

1.	बिहार पठार विकास परियोजना	117.00 मिलियन अमरीकी डालर
2.	उत्तर प्रदेश क्षार वाली भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने की परियोजना	54.7 मिलियन अमरीकी डालर

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

7037. **डा. साक्षी जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सहायता से कौन–कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य निर्धारित समय अनुसार हो रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) यू.एस. एड सहायता प्राप्त परिवार नियोजन सेवा में नवपरिवर्तन परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु एक सोसायटी बनाई गई है। सोसायटी ने कुछेक प्रायोगिक सेवा प्रदाय परियोजनाएं भी मंजूर की हैं।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना –IV भी उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। इसका परिव्यय 110.54 करोड़ रुपये है जिसमें से 49.56 करोड़ रु. का राज्य द्वारा फरवरी, 95 तक उपयोग किया जा चुका है।

विश्व बैंक एवं यूनिसेफ की सहायता से शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भी आता है।

यू.एन.एफ.पी.ए. सहायता प्राप्त उत्कृष्ट केंद्र परियोजना के अंतर्गत बंध्यीकरण और पुनर्नलिकाकरण में डाक्टरों को प्रशिक्षित करने हेतु लखनऊ में एक केंद्र स्थापित किया गया है।

7038. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सेवा संबंधी मामलों के बारे में दायर किए जाने वाले मुकदमों की संख्या में कमी लाने तथा उन पर होने वाले गैर योजना खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) सरकार अन्य बातों के साथ–साथ सेवा संबंधी मामलों के बारे में दायर किए जाने वाले मुकदमों की संख्या में कमी लाने की आवश्यकता के मद्देनज़र नियमों, आदेशों, अनुदेशों इत्यादि का निरन्तर पुनरीक्षण करती है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर यह जोर डाला गया है कि वे निर्धारित नीतियों, नियमों, आदेशों इत्यादि का कड़ाई से अनुसरण करें तथा समुचित रूप से कार्यान्वयन करें ताकि मुकदमेबाजी को कम से कम लिया जा सके।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विकास

7039. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण एवं देश के विकास में निजी क्षेत्र के बढ़ते महत्व तथा इसकी भूमिका को देखते हुए गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विकास एवं कल्याण कार्यों को कारगर तथा सुचारू रूप से चलाने में आ रही विभिन्न समस्याओं तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी सहायता प्राप्त करने हेतु प्रावधानों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) और (ख) स्वयंसेवी संगठनों और सरकार के बीच सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के लिए 7 और 8 मार्च, 1994 को हुई स्वयंसेवी संगठनों और भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों के सचिवों की संयुक्त बैठक में एक कार्य योजना तैयार की गई थी। सूचना के प्रसार, विभिन्न स्तरों पर स्वयंसेवी संगठनों और सरकार के बीच कार्यकरण संबंधी कठिनाइयों का समाधान करने तथा सहयोग का एक उपयुक्त मॉडल विकसित करने के लिए कार्य योजना में एक संयुक्त तंत्र की स्थापना किए जाने की व्यवस्था है जिसमें ग़रीबी निवारण पर विशेष बल देने वाले कार्यक्रमों सहित सामाजिक विकास क्षेत्र में कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले चयननित स्वयंसेवी संगठन, विकास के कार्यक्रम के साथ सीधे जुड़े भारत सरकार के सचिव तथा योजना आयोग शामिल होंगे। तदनुसार उपाध्यक्ष योजना आयोग की अध्यक्षता में सितम्बर, 1994 में एक संयुक्त तंत्र की स्थापना की गई है। संयुक्त तंत्र ने अपनी पहली बैठक 2 दिसम्बर, 1994 को आयोजित की थी और ऐसी संभावना है कि यह मंच स्वयंसेवी संगठनों और सरकार के बीच सशक्त भागीदारी कायम करने में काफी हद तक सहायक होगा।

(ग) और (घ) स्वयंसेवी संगठन लोग कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) की मार्फत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त पोषित परियोजनाएं हैं कापार्ट, सोसाइटिस पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत संबंधित राज्य अधिनियम अथवा धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1920 के अंतर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। प्रस्तावों पर विचार करते समय निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जाती है :–

(1) स्वयंसेवी संगठनों ने पंजीकरण के बाद ग्रामीण विकास क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया हो।

(2) जहां तक संभव हो स्वयंसेवी संगठन की एक व्यापक आधार वाली प्रबंध समिति होनी चाहिए।

(3) सामान्यतः ऐसा स्वयंसेवी संगठन, जो कापार्ट के लिए नया हो, पर एक समय में एक छोटी परियोजना के लिए विचार किया जाता है। प्रथम परियोजना के संतोषजनक निष्पादन के बाद ही स्वयंसेवी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दूसरी परियोजना, यदि कोई हो, पर विचार किया जाता है।

(4) कापार्ट के साथ अच्छे रिकार्ड वाले और काफी सुदृढ़ ढांचे वाले स्वयंसेवी संगठनों पर एक ही समय में एक से अधिक परियोजनाओं के लिए विचार किया जा सकता है।

जहां--कहीं आवश्यक हो, कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की आंतरिक क्षमता का पता लगाने के लिए पूर्व–वित्तपोषण मूल्यांकन कराया जाता है।

वर्तमान में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करने संबंधी उपरोक्त प्रावधानों में संशोधन करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

मस्जिद का गिराया जाना

7040. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के छावनी क्षेत्र में स्थित मस्जिद (मस्जिद अल–हबीबिया) को गिराए जाने की धमकी की तरफ दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मस्जिद की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई बंद करने संबंधी कोई आदेश दिए गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मस्जिद को बिजली/पानी की सप्लाई पुनः शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) "मस्जिद–अल–हबीबिया" नामक एक ढांचा राव तुला राम और गुड़गांव रोड के अत्यंत निकट दिल्ली छावनी के सर्वे नं. 143 मे रक्षा भूमि पर स्थित है। इस ढांचे का निर्माण गैर–कानूनी रूप से किया गया है और इस पर अनधिकृत कब्जा समय–समय पर बढ़ाया जाता रहा है। सेना प्राधिकारियों ने रक्षा भूमि पर किए गए अनाधिकृत कब्जे के उपर्युक्त ढांचे की ओर हाल ही में मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है। दिल्ली पुलिस ने भी इस अनधिकृत कब्जे की ओर सेना प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था।

इस ढांचे के लिए बिजली और पानी का कोई अधिकृत कनेक्शन नहीं दिया गया था, अतः बिजली और पानी की आपूर्ति बंद किए जाने अथवा उसे बहाल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नेत्रहीन व्यक्ति

7041. **श्री कुन्जी लाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में नेत्रहीन व्यक्तियों का कुल आबादी की तुलना में भारत में नेत्रहीन व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान यह प्रतिशत स्थिर रहा है;

(ग) सरकार द्वारा नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या में कमी लाने के लिए उनकी आंखों से मोतियाबिन्द निकाल कर "इन्ट्रा–काक्यूलर लेंसेज" लगाने की तकनीक का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) बच्चों में नेत्रहीनता के निवारण के लिए किन योजनाओं/कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) अनुमान है कि विश्व के कुल दृष्टिहीन लोगों में 20 प्रतिशत लोग भारतीय हैं।

(ख) इस संबंध में ऐसे कोई आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1994 से दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के इन्ट्रा–ऑक्युलर लेस इंप्लांट शुरू किए गए हैं।

(घ) बच्चो मे दृष्टिहीनता निवारण हेतु स्कीमों/कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल है :–

(क) मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन "ए" से बचाव कार्यक्रम।

(ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम ट्रेकोमा तथा अन्य संक्रमणों में एंटी बायोटिक्स की व्यवस्था।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल नेत्र जांच, तथा

(घ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अपवर्तक विकृतियों वाले बच्चों को चश्मों की व्यवस्था।

[अनुवाद]

तम्बाकू विरोधी कानून

7042. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुत सारे संसद सदस्यों से तम्बाकू–विरोधी कानून के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें तम्बाकू की खेती पर प्रतिबन्ध के संबंध में किसानों की आशंका व्यक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार किसानों को इस बात का आश्वासन देने के संबंध में कि तैयार की गई नीति में उनका हित सर्वोपरि है, क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) कुछेक संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें सुझाव व्यक्त किए हैं कि एक व्यापक विधान लाने के पूर्व इस पर चर्चा की जाए और इसमें तम्बाकू के विज्ञापन पर प्रबन्ध लगाने, कुछेक स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल तथा बिक्री पर नियंत्रण करने एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले तम्बाकू के हानिकर प्रभावों के बारे में चेतावनी देने का उल्लेख किया गया हो।

(ग) तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित विधान के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हेतु अब तक संसद के कुछेक संसद सदस्यों के साथ बैठक आयोजित नहीं हो सकी।

कम्प्यूटर प्रणाली

7043. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित द्रुतगति वाली कम्प्यूटर प्रणाली ने कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या–क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) "पेस–प्लस" एक परैलल प्रोसेसिंग कम्प्यूटर है जो कम्प्यूटिंग नोडों के रूप में वाणिज्यिक तौर पर उपलब्ध उन्नत माइक्रों–प्रोसेसरों से बनाया गया है। इसका 32 नोडीय सरूंपण एयरो–डायनाभिक संगणनाओं में प्रयुक्त प्रोग्रामों में लगभग 960 मेगाफ्लॉप्स का अविच्छिन्न कार्य–निष्पादन मुहैया करता है।

(ग) "पेस–प्लस" मुख्य रूप से कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डाइनामिक्स अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया है और इसका प्रयोग वैज्ञानिक मॉडलिंग, कम्प्यूटर सिमुलेशनों, इमेज प्रोसेसिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक तथा गणितीय संगणना संबंधी उच्च कार्य–निष्पादन में भी लागत प्रभावी रूप में किया जा सकता है।

लहसुन का प्रयोग

7044. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन के अनुसार परिरक्षक एवं सुवासकारी के रूप में प्रयुक्त लहसुन का प्रयोग कीट नियंत्रण प्रबंधन के लिए भी किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कीट नियंत्रण में लहसुन के प्रयोग से फसलों पर छिड़काव के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले खतरनाक रसायनों के प्रयोग में कमी आएगी; और

(घ) यदि हां, तो कीट नियंत्रण में लहसुन के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने तथा छिड़काव किये जाने वाली दवाओं में आयातित रसायनों के प्रयोग को कम करने के लिए क्या योजना बनाई गई है अथवा बनाए जाने का विचार है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) सीएसआइआर द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, लहसुन के जीवाणुरोधी प्रभाव पर बीएआरसी, बम्बई, लॉयोला कॉलेज, मद्रास, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय मदुरई द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि लहसुन का उपयोग घरेलू मक्खियों, मच्छरों, कपास के विनाशकारी कीटों के नियंत्रण और भंडारित अनाजों के लिए किया जा सकता है। लहसुन के प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के तेल का वाष्प शील अंश, धान के कीड़े, दाल भृंग, खपरा–भृंग (भंडार में रखे गेहूं के लिए) और चावल के कीड़े के नियंत्रण में प्रभावकारी सिद्ध हुआ है।

(घ) प्रस्तावित विकल्प को प्रारम्भ करने से पहले इस प्रकार की योजनाओं की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता पर गहनता से गौर किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय सेमिनार

7045. **डा. आर. मल्लू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1994 में रीप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, पर एक राष्ट्रीय सेमिनार तथा इण्डियन सोसायटी फार दि स्टडी आन प्रोक्रियेशन एण्ड फर्टिलिटी का वार्षिक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने मुख्य रूप से क्या–क्या टिप्पणियां की तथा क्या सुझाव दिए; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह सेमिनार वैज्ञानिक और औद्योगिक, अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूनिसेफ आदि के अलावा जैव प्रोद्योगिकी विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से भारतीय प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्चा अध्ययन सोसायटी द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की :–

(क) प्रजनक स्वास्थ्य–अवधारणा, गुंजाइश और चुनौतियां।

(ख) जनसख्या अतिवृद्धि और गर्भनिरोधन।

(ग) महिलाओं का स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व और महिलाओं का विकास।

(घ) प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में मानव प्रजनन विलक्षणता।

(ङ) किशोरावस्था यौन क्रिया और उत्तरदायी मातृ–पितृत्व।

(च) प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और जीवन रक्षा।

(छ) एड्स और यौन संचारित रोग।

(ज) महिला और पुरुष प्रजननता विनियमन

(झ) बांझपन और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी।

(अ) फार्म पशुओं में प्रजननता।

उन्होंने मौजूदा गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और गर्भनिरोधकों का पसंदगी में वृद्धि करने के लिए नई विधियां विकसित करने की तत्काल आवश्यकता का उल्लेख किया। सरकार पहले ही इन मुद्दों को शामिल करके कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

उड़ीसा में पूर्व-सैनिक

7046. **श्री के प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पूर्व–सैनिकों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) इन पूर्व–सैनिको के कल्याण और पुनर्वास के लिये किन योजनाओं को लागू किया जा रहा है; और

(ग) उपरोक्त योजना के अंतर्गत कितने पूर्व–सैनिकों को लाभ हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में कुल 10,795 भूतपूर्व सैनिकों के नाम पंजीकृत हैं।

2. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए व्यापक व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए अपने विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह "ग" और "घ" पदों में आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। अर्ध सैनिक बलों में सहायक कमांडेंटों के पदों में भी 10% आरक्षण की व्यवस्था है। रक्षा सुरक्षा कोर में मुख्यतः भूतपूर्व सैनिकों को ही भर्ती किया जाता है। इसके अलावा, उड़ीसा सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए अपने विभागों में समूह "ख" "ग" और "घ" पदों में 3% आरक्षण की व्यवस्था की हुई है।

3. अनेक केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। इनमें से सेम्फेक्स–I योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग सेमफेक्स–II योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी कृषि एवं गैर–कृषि कार्य शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, सेमफेक्स–III योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की प्राथमिकता के आधार पर आबंटन और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एजेंसियों के आबंटन आदि के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। भूतपूर्व सैनिक सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा कैंटीन स्टोर विभाग की निकटतम कैंटीनों में कैंटीन सुविधाएं पाने के हकदार हैं। वीरता पुरुस्कार प्राप्तकर्ताओं को रेलगाड़ी से यात्रा करने पर द्वितीय श्रेणी में और देश के भीतर हवाई यात्रा में 50% की रिआयत दी जाती है। जिन भूतपूर्व सैनिकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है उन्हें रक्षा मंत्री कल्याण निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है।

4. वर्ष 1993 के दौरान 81 भूतपूर्व सैनिकों और वर्ष 1994 के दौरान 55 भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में पुनः रोजगार दिया गया। इसके अतिरिक्त, पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 155 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया था। सेमफेक्स–1 योजना के अंतर्गत इस योजना को शुरू किए जाने से लेकर अब तक उड़ीसा के 35 भूतपूर्व सैनिकों को 1,17,23000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। सेमफेक्स–2 योजना के तहत इस राज्य के 20 भूतपूर्व सैनिकों को लाभ दिया गया है और उन्हें 29,94,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। सेमफेक्स–3 योजना के अंतर्गत एक भूतपूर्व सैनिक को लाभ दिया गया है और उसे 1,16,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

5. भूतपूर्व सैनिक निकटतम सैन्य अस्पताल से चिकित्सा उपचार करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1994 के दौरान उड़ीसा के कुल एक भूतपूर्व सैनिक को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा व्यय के रूप में सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि से 12,716 रुपये की प्रतिपूर्ति की गई।

मंद बुद्धि बच्चे

7047. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मंद बुद्धि बच्चों की संख्या काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो मंद बुद्धि बच्चों के संदर्भ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अनुपात क्या है; और

(ग) इन बच्चों का ग्रामीण क्षेत्रों में उपचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1991 में अखिल भारतीय आधार पर किए गए सर्वेक्षण से अनुमान लगाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 75,05,208 मंद बुद्धि बच्चे 0–14 वर्ष की आयु के बीच होते हैं तथा यह अनुपात शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों का 28 प्रतिशत है।

(ग) केंद्र/राज्य सरकारों एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निवारात्मक, रोग का शुरू में पता लगाना, शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

आयोडीन की कमी

7048. **श्री मोहन रावले** :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आयोडीन की कमी से होने वाले क्षेत्रों से अधिकांश रोगियों के पीड़ित होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो देश के किन–किन भागों में भारी संख्या में आयोडीन की कमी से पीड़ित रोगियों का पता चला है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न निर्माताओं द्वारा बाज़ार में बेचे जाने वाले आयोडीन युक्त नमक की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए कभी कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार सामान्य आदमी सस्ते दरों पर आयोडीन युक्त नमक खरीद सके इस हेतु इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) देश के भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 242 जिलों में सर्वेक्षण किया गया जिसमें से 200 जिलों में स्थानिकमारी होने का पता चला। सर्वेक्षण से पता चला कि उत्तरी, पूर्वोत्तर और तराई क्षेत्रों में अधिक व्याप्तता है।

(ग) आयोडीन अल्पता विकार का प्रधान कारण पर्यावरण में आयोडीन की क्षमता है।

(घ) जी, हां। नमक आयुक्त तथा राज्य सरकारें क्रमशः उत्पादन स्तर और बाजार-स्तर पर जांच कराती है।

(ङ) राज्य स्वास्थ्य विभागों द्वारा 1994 में उठाये गये 8835 नमूनों में से 6641 नमूने निर्धारित मानकों के अनुसार आयोडीन के स्तर वाले पाये गये।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी शिष्टमंडलों के दौरे

7049. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किसी विदेशी शिष्टमंडल ने उस राज्य का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल में कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल थे;

(ग) क्या शिष्टमंडल ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में कोई रिपोर्ट दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनान, बेल्जियम तथा यूरोपीय समुदाय के दिल्ली में तैनात राजदूतों के एक शिष्टमंडल ने दिनांक 27.4.1995 से 1.5.1995 तक जम्मू व कश्मीर का 5 दिवसीय दौरा किया। शिष्टमंडल ने राज्य के राज्यपाल तथा अन्य सरकारी तथा सुरक्षा बल अधिकारियों, विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं तथा राज्य के अन्य समूहों से चर्चाएं की।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

कश्मीर मुद्दा

7050. **श्री राम निहोर राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा कश्मीर मामले को सीधे अपने हाथ में लेने के बाद कश्मीर मुद्दे के स्थाई हल खोजने की दिशा में क्या उपलब्धि हासिल हुई है; और

(ख) इस मुद्दे का हल कब तक निकल जाएगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) सरकार का उद्देश्य जम्मू व कश्मीर राज्य में, शीघ्रताशीघ्र लोकतांत्रिक और लोक प्रतिनिधित्व वाली सरकार की बहाली सुनिश्चित करने का है। सरकार स्थिति की लगातार और गहराई से समीक्षा कर रही है और उस पर निरन्तर नजर रख रही है और इस उद्देश्य की प्राप्ति और अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने तथा बंदूक का भय करने के लिए आतंकवादियों के खिलाफ निरन्तर और लक्ष्यबद्ध अभियान चलाना : राज्य में विकास तथा आर्थिक गतिविधियों की गति को तेज करने के प्रयास करना, सिविल प्रशासन को पुनः सक्रिय बनाना और इसके मनोबल की पुनः बहाली के लिए कार्रवाई करना, जनता का सहयोग लेकर प्रशासन में उनके विश्वास को पुनः बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाना, राज्य में राजनैतिक तत्वों को पुनः बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाना, राज्य में राजनैतिक तत्वों को पुनः सक्रिय करना और लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करने के प्रयास करने के अलावा निरूद्ध किए गए व्यक्तियों को रिहा करने जैसे कदम शामिल हैं। इसके साथ-साथ, चुनावों के संबंध में प्रक्रियात्मक पहलुओं, जिसमें चुनाव क्षेत्रों का परिसीमांकन करना तथा मतदाता सूचियों की पुनरीक्षा करना शामिल है, भी किया गया है। विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ भी सरकार विचार-विमर्श कर रही है।

2. इन सभी उपायों का स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहा है तथा राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने और चुनाव कराने के लिए समग्र वातावरण सशक्त हुआ है।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

7051. **श्री छेदी पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण हेतु कोई सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या इन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और रख--रखाव न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन किया जाता है।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा 31.3.95 तक स्थापित किए गए केंद्रों की संख्या को दर्शाने वाले विवरण--I और II संलग्न हैं।

विवरण-I

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की प्रगति

आठवीं योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां

		उपलब्धियां (31.3.95 की स्थिति के अनुसार)	
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	160	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	5	1
3.	असम	65	19
4.	बिहार	75	1
5.	गोवा	1	0
6.	गुजरात	25	23
7.	हरियाणा	40	19
8.	हिमाचल प्रदेश	5	8
9.	जम्मू और कश्मीर	15	8
10.	कर्नाटक	20	21
11.	केरल	31	0
12.	मध्य प्रदेश	100	0
13.	महाराष्ट्र	50	7
14.	मणिपुर	4	3
15.	मेघालय	10	5
16.	मिजोरम	3	0
17.	नागालैंड	5	1
18.	उडीसा	162	5
19.	पंजाब	52	0
20.	राजस्थान	75	30
21.	सिक्किम	2	0
22.	तमिलनाडु	78	0
23.	त्रिपुरा	14	2
24.	उत्तर प्रदेश	165	34
25.	पश्चिम बंगाल	100	2
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0
27.	चंडीगढ़	0	0
28.	दादरा और नगर हवेली	2	0
29.	दमण और दीव	0	0
30.	दिल्ली	0	0
31.	लक्द्वीप	1	1
32.	पांडिचेरी	3	0
	कुल	1296	190

विवरण-II

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की प्रगति
आठवीं योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां

		लक्ष्य	31.3.95 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	300	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	15	8
3.	असम	245	90
4.	बिहार	1078	0
5.	गोवा	2	0
6.	गुजरात	82	45
7.	हरियाणा	0	3
8.	हिमाचल प्रदेश	67	48
9.	जम्मू और कश्मीर	95	40
10.	कर्नाटक	300	166
11.	केरल	72	21

1	2	3	4
12.	हिमाचल प्रदेश	620	शून्य
13.	महाराष्ट्र	100	28
14.	मणिपुर	8	6
15.	मेघालय	26	17
16.	मिजोरम	8	5
17.	नगालैंड	20	शून्य
18.	उड़ीसा	170	69
19.	पंजाब	44	0
20.	राजस्थान	200	120
21.	सिक्किम	1	0
22.	तमिलनाडु	0	0
23.	त्रिपुरा	55	8
24.	उत्तर प्रदेश	300	109
25.	पश्चिम बंगाल	625	12
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	शून्य
2.	चंडीगढ़	1	0
3.	दादरा और नगर हवेली	1	1
4.	दमण और दीव	1	शून्य
5.	दिल्ली	0	0
6.	लक्षद्वीप	0	0
7.	पांडिचेरी	10	0
	कुल	4450	780

[अनुवाद]

इन्वेस्टमेंट इन्फार्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग

7052. **श्री प्रकाश बी. पाटिल :**
श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेंट उद्योग के संबंध में "इन्वेस्टमेंट इन्फारमेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी" के नवीनतम अध्ययन के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके उत्पादन एवं खपत के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सीमेंट बाजार में उछाल आएगा; और

(घ) यदि हां, तो बढ़ी हुई मांग को पूरा करने तथा सीमेंट उद्योग को पूर्णतः बंद होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेंट के खपत के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। किन्तु, मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन ने राज्यों के भीतर उत्पादन के आधार पर राज्य–वार खपत के अनुमानित आंकड़े और सीमेंट के अन्तः प्रवाह और बर्हिगमन संबंधी आंकड़े तैयार किये हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सूचना के और राज्यवार उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) योजना आयोग ने 1996–97 तक निर्यात सहित सीमेंट की मांग का अनुमान 76 मिलियन मी.टन लगाया है। बढ़ रही मांग और मौजूदा अधिष्ठापित क्षमता तथा कार्यान्वयनाधीन क्षमता को देखते हुए यह आशा है कि सीमेंट बाजार में सीमेंट की भरमार नहीं होगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

बड़े सीमेंट संयंत्रों के उत्पादन और खपत के वर्षवार और राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन (लाख मी.टन में)			खपत (लाख मी.टन में)		
		1992–93	1993–94	1994–95	1992–93	1993–94	1994–95 (अपै.–फर.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	4.16	3.54	1.92	17.82	17.55	15.72

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हरियाणा	5.58	5.34	5.76	12.12	13.78	14.21
3.	हिमाचल प्रदेश	10.30	10.28	13.03	3.58	3.96	3.30
4.	जम्मू एवं कश्मीर	0.63	0.58	0.78	4.00	3.69	3.82
5.	राजस्थान	54.14	69.49	57.23	23.59	26.61	25.12
6.	उत्तर प्रदेश	12.71	13.59	17.10	62.70	65.72	60.02
7.	पंजाब				21.32	24.88	23.65
8.	चंडीगढ़				2.76	2.40	2.95
9.	बिहार	10.48	10.98	15.32	21.72	21.15	20.92
10.	उड़ीसा	10.07	11.85	14.46	11.95	12.34	11.43
11.	पश्चिम बंगाल	4.37	4.43	5.19	26.65	29.75	29.57
12.	असम	1.13	1.48	1.54	5.69	4.95	4.80
13.	मेघालय	0.98	1.12	1.43	2.32	2.43	2.59
					(इनमें अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं)		
14.	तमिलनाडु	48.79	50.51	54.95	47.43	47.14	49.48
15.	आंध्र प्रदेश	85.17	86.21	87.93	38.11	40.26	37.21
16.	कर्नाटक	51.50	52.70	57.15	30.68	31.39	31.03
17.	केरल	3.59	3.84	3.84	27.25	30.79	30.28
18.	पांडिचेरी				0.44	0.56	0.80
19.	अंडमान एवं निकोबार				0.44	0.24	0.32
20.	महाराष्ट्र	38.84	41.34	42.78	66.34	70.53	69.53
21.	गुजरात	39.82	43.75	48.24	41.95	46.39	42.13
22.	मध्य प्रदेश	124.96	138.67	146.08	28.12	29.81	28.93
23.	गोवा, दमन और दीव				1.93	2.23	2.63
	कुल योग	507.22	540.95	583.48	498.62	529.05	510.44

[हिन्दी]

दानापुर छावनी में दर्ज मामले

7053. **श्री ललित उरांव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानापुर छावनी बोर्ड में जनवरी, 1992 से अप्रैल, 1995 तक छावनी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ख) इन पर कितना खर्च हुआ और छावनी बोर्ड कितने मामलों में जीती अथवा हारी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय दंड संहिता

अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आने वाले मामले छावनी परिषद में दर्ज नहीं किए जाते बल्कि पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जाते हैं। जनवरी, 1992 से अप्रैल, 1995 की अवधि में दानापुर छावनी परिषद द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और छावनी अधिनियम, 1924 के विभिन्न उपबंधों के तहत पुलिस और न्यायालयों में दर्ज कराए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :–

भारतीय दंड संहिता	दंड प्रक्रिया संहिता	छावनी अधिनियम के तहत अभियोजन
9	10	30

छावनी बोर्ड ने इन मामलों पर 6580 रुपये का खर्च किया है। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों के एक–एक मामले में दिए गए निर्णय छावनी परिषद के पक्ष में गए हैं। भारतीय दंड संहिता/दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शेष मामले पुलिस विभाग में लंबित हैं। छावनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामले भी दानापुर के उप प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारण हेतु लंबित हैं।

[अनुवाद]

पेटेंट-उत्पाद

7054. **श्री राम कापसे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी पेटेंट–उत्पादक का उत्पादन उसी पेटेंट धारक कम्पनी द्वारा ही किया जा सकता है, जो पेटेंट धारक व्यक्ति से लाइसेंस प्राप्त करती हो या फिर इसकी सहयोगी कम्पनी द्वारा भी उत्पादन किया जा सकता है;

(ख) क्या भारतीय उत्पादक ऐसी दवाइयां बनाने के अधिकार से वंचित है, जिनके अवयव विदेशी फर्मों द्वारा पेटेंट कराए हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो आयुर्वेदिक दवाओं के भारतीय उत्पादकों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण

7055. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में लगे स्वैच्छिक और गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) वर्ष 1992–93, 1993–94, तथा 1994–95 के दौरान गर्भ निरोधक लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि/उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर इस प्रकार था :–

परिवार नियोजन के तरीके	1992–93	1993–94	1994–95 (अनन्तिम)
बन्ध्यीकरण	81.2	80.3	81.3
आई.यू.डी. निवेशन	74.2	81.5	81.8
परंपरागत गर्भनिरोधक के उपयोगकर्ता	91.1	89.4	68.7
मुख सेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता	65.5	85.9	68.9

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1994–95 के दौरान दी गई/वित्तीय सहायता 1504.00 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

चन्दन उद्योग

7056. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चंदन की लकड़ी के चूर्ण अथवा चंदन की लकड़ी से व्युत्पन्न अन्य वस्तुओं का प्रयोग करने वाले लघु एककों के संबंध में राज्यवार आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में चंदन की लकड़ी का उपयोग करने वाले पंजीकृतम लघु उद्योग एककों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों द्वारा चंदन की लकड़ी के चूर्ण तथा इससे व्युत्पन्न वस्तुओं की मात्रा की घरेलु मांग पूरी होने के बाद बचने वाली शेष मात्रा की निर्यात करने की अनुमति दिए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में) राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) चन्दन की लकड़ी के चूर्ण का प्रयोग मुख्यतः धूप–बत्तियों का विनिर्माण करने एवं सौन्दर्य–प्रसाधन तैयार करने के लिए किया जाता है। देश में लगभग 4000 लघु एकक धूप–बत्ती का विनिर्माण कर रहे हैं। चन्दन की लकड़ी के चूर्ण का प्रयोग करने वाले एककों के राज्य–वार ब्यौरे संकलित नहीं किये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन

7057. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने अपने आधुनिकीकरण और पुनर्गठन का कार्य शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले :

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान कागज के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो मात्रा तथा कीमत–वार इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) नौगांव और कछार पेपर मिलों में कुछ तकनीकी समस्याओं का पता लगाया गया है और उन्हें दूर करने तथा उत्पादन निष्पादन में सुधार के लिए कार्रवाही आरंभ की गई है। सरकार हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की पुनसंरचना के विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ)

वर्ष	उत्पादन (मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1993–94	118914	252.18
1994–95	142761	330.41

(गैर लेखा परीक्षित)

[हिन्दी]

कम्प्यूटर उद्योग

7058. **श्री काशीराम राणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कम्प्यूटर उद्योग द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कम्प्यूटर उद्योग को बढ़वा देने और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात परिसंघ से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महानगर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर उद्योग का वार्षिक विकास नीचे दिए अनुसार है :–

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपए में)	विकास दर (%)
1992	970	16.87
1993	1050	8.25
1994	1300	23.8

(ख) भारतीय कम्प्यूटर उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित वित्तीय एवं कर संबंधी तथा वास्तविक नीतियां लागू हैं :–

(i) विनिर्माण के लिए वस्तु लाइसेंस मुक्त है।

(ii) कम्प्यूटर उद्योग की स्थापना करने के लिए स्थापना स्थल संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है।

(iii) आयात–निर्यात नीति का उदारीकरण जिससे आयातित पूंजीगत वस्तुओं की निर्बाध रूप से प्राप्ति संभव हो।

(iv) इकाइयों को अपनी क्षमता का विस्तार करने तथा एक ही लाइसेंस के अंतर्गत कई वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जा सके तथा प्रतिष्ठापित पूंजीगत उपस्करों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके।

(v) इलेक्ट्रानिकी विभाग मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी), निदेशालय आईएएसओ 9000 अर्हता प्राप्त करने में विनिर्माताओं का मार्गदर्शन करता है।

(vi) 51% तक विदेशी साम्यापूंजी वाले विदेशी सहयोग के प्रस्ताव स्वतः अनुमति प्राप्त है।

(vii) आयात–निर्यात नीति 1992–97 के अनुसार कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए संघटक–पुर्जों का मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(viii) स्वदेशी उद्योग को आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के

लिए 1.5 लाख रुपए तक लागत बीमा भाड़ा मूल्य की कम्प्यूटर प्रणालियां आयात की निषेधात्मक सूची में है तथा उनके लिए आयात लाइसेंस लेना अपेक्षित है।

(ix) कम्प्यूटरों के निर्यात के लिए उपादनों का आयात करने के लिए मूल्य संबर्धन संबंधी मानदण्ड मात्रा/मूल्य पर आधारित अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं तथा निर्यातकर्ता शुल्क–मुक्त उपादान प्राप्त कर सकते हैं।

(x) ईएचटीसी योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर प्रणालियों के संयोजन को प्रोत्साहित किया जाता है तथा नाममात्र के मूल्य संबर्धन पर उनका निर्यात किया जा सकता है।

(xi) कम्प्यूटर प्रणालियों के निर्यात से निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 30% की दर से विशेष अग्रदाय लाइसेंस (एसआईएल) प्राप्त होता है। एसआईएल का मुक्त रूप से हस्तांतरण किया जा सकता है तथा इससे बाजार में प्रीमियम प्राप्त होता है। इससे निर्यात के मूल्य को प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता मिलती है।

(xii) कम्प्यूटर प्रणालियों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रानिक तथा गैर–इलेक्ट्रानिक संघटक–पुर्जों पर लगाया जाने वाला आयात शुल्क सीमा शुल्क की रियायती दर पर है ताकि विनिर्माण की लागत को कम रखा जा सके।

(ग) सूचना प्रोद्योगिकी निर्यात परिसंघ नामक किसी भी संगठन ने इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार के समक्ष सुझाव प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत यन्त्र निगम लिमिटेड

7059. **श्रीराम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्ययन में भारत यन्त्र निगम लिमिटेड की सहायक कंपनियों का निजीकरण करने का सुझाव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उक्त सुझाव को स्वीकार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कंपनियों की पुनसंरचना के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत यंत्र निगम लिमिटेड समूह की कंपनियों का निजीकरण किए जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समूह की छह सहायक कंपनियों में से तीन कंपनियां नामतः भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, मैसर्स रिचर्डसन एण्ड कुडास (1972) लिमिटेड, बंबई तथा मैसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी रूग्ण कंपनियां हैं व औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को संदर्भित हैं। भारत यंत्र निगम लिमिटेड की सहायक कंपनियों की पुनसंरचना का निर्णय इन रूग्ण कंपनियों की पुनरूद्धार स्कीम के अनुरूप होना चाहिए। बी आई एफ आर के अंतिम निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। बी आई एफ आर एक न्यायिककल्प निकाय है।

मानसिक विकास

7060. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के मनः शारीरिक केन्द्र द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जाति के लोगों के मानसिक विकास हेतु एक परियोजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना कार्यान्वित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

मतपत्रों के दुरुपयोग

7061. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से मतपत्रों के दुरुपयोग संबंधी कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस त्रुटि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अति रक्त दाब

7062. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अति रक्त दाब के मामलों के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में ऐसे मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ग) इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) ऐसे मरीजों की देखरेख करने और समुचित इलाज हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा समर्थित अध्ययनों से पिछले 10–15 वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में उच्च रक्तचाप की व्याप्तता में अधिक परिवर्तन का पता नहीं चला। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्तता में वृद्धि देखी गई है। यह ग्रामीण जनता के शहरीकरण स्तर के समानुपाती प्रतीत होती है।

(ग) रक्त चाप में वृद्धि के मुख्य कारण जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन हैं।

(घ) उच्च रक्त चाप रोगियों के लिए प्राथमिक उपचार सुविधाएं लगभग सभी जिलों एवं उप–प्रभागीय अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

7063. **डा. पी. वल्लल पेरूमान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपाक्कम को विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यों विशेषकर ब्रीडर प्रौद्योगिकी हेतु कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ख) अब तक हुई कार्यप्रगति क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपाक्कम में उनके अपने विभिन्न अनुसंधान और विकास तथा सम्बद्ध कार्यकलापों पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

	योजनागत	योजना भिन्न	कुल (करोड़ रुपए)
1992–93	14.71	23.06	37.77
1993–94	14.10	27.09	41.19
1994–95	20.59	29.15	49.74

(ख) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा हासिल की गई विकास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

1. विशिष्ट अनुप्रयोग एकीकृत सरकिटों (ए.एस.आई.सी.) जो संसाधन संयंत्रों के लिए उपयोगी है, का अभिकल्पन, विकास तथा संविरचन।
2. निम्न ऊर्जा पॉजिट्रान किरणपुंज यंत्र जो पदार्थों की ऊपरी परत की जांच करने के लिए उपयोगी है।
3. लेसर वाष्पीकरण प्रेरित युग्मित प्लाज्मा द्रव्यमान स्पेक्ट्रमापी" जो निम्न स्तरों पर घोल में विकिरण–सक्रिय तत्वों का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी है।
4. परिचालनों के नियंत्रण हेतु प्रोसेस स्ट्रीम में प्लूटोनियम का ऑनलाइन मापन करने के लिए न्यूट्रॉन कॉलर।
5. प्रोटोटाइप "सुदूर हस्तन क्षेत्रीय भंवर धारा परीक्षण प्रणाली" जो ट्यूबों का निरीक्षण करने के लिए उपयोगी है।
6. ईंधन ट्यूबों के शीतलन के लिए उपयोगी न्यूक्लियर ग्रेड का ग्रेफाइट तैयार करने के लिए एक मार्ग खुला है।
7. ठोसावस्था में अभिक्रियाओं पर गतिक विश्लेषण के विकास के लिए संगणक पद्धतियां। यह एक महत्वपूर्ण यंत्र है जिससे यंत्रावली को समझने और गतिक अभिक्रियाओं का निर्धारण करने में मदद मिलती है।
8. "अतिचालकता क्वांटम अंतरापृष्ठ युक्ति" का विकास। यह अतिचालकता की खोज में हमारा एक महत्वपूर्ण विकास कार्य है।
9. उच्च दाब भौतिकी के क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए "हीरक निहाई प्रकोष्ठ" एक आयतित प्रकोष्ठ की एवज में किया गया विकास है।
10. प्रोटोटाइप हाइड्रोजन सल्फाइड संवेदक जो भारी पानी संयंत्रों में उन्नत सुरक्षा के लिए बेहतर परिशुद्धता वाला उस सामग्री का प्रतिस्थापक है जो आयात की जाती थी।
11. पर्यवेक्षी नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली जो भारी पानी संयंत्रों के परिचालन और नियंत्रण के लिए प्रगत प्रणालियों की शुरूआत करती है।
12. कार्बन मीटर जो रिएक्टर प्रणालियों में वायुमण्डल के बारे में संकेत देने के लिए बहुत उपयोगी है।
13. आवरित गैस हाइड्रोजन मीटर जिसका उपयोग फास्ट रिएक्टर की सुरक्षा प्रणालियों के लिए किया जाता है।
14. फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर 10.2 मेगावाट विद्युत क्षमता के स्तर तक पहुंच गया है।
15. 500–मेगावाट विद्युत क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संकल्पनात्मक डिजायन पूरा हो गया है।
16. फास्टर रिएक्टर ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र का सिविल निर्माण कार्य, सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों की खाई में पाइपें बिछाने का कार्य, महत्वपूर्ण किस्म के उपस्कर का ब्यौरेवार अभिकल्पन, स्तम्भ विन्यास क्षेत्र को पक्का करने के कार्य आदि लगभग पूरे कर लिए गए हैं।

योग्य लेखाकार

7064. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में योग्य लेखाकारों की भारी कमी महसूस की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी संस्थाओं ने देश में छात्रों को लेखा–शास्त्र और वित्त पढ़ाने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार इस संबंध में स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। देश में योग्य शासप्राप्त लेखाकारों और लागत एवं संकर्म लेखाकारों की संख्या पर्याप्त है।

(ख) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

युद्ध अभियांत्रिकी उपस्कर

7065. **श्री सत्य देव सिंह :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युद्ध में प्रयुक्त किए जाने वाले युद्ध अभियांत्रिकी उपस्करों के निर्यात हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) युद्ध पद्धति इंजीनियरी उपस्करों में मुख्यतः पुल बनाने वाले, भू–संचलन और विध्वंसक उपस्कर आते हैं। इनका उपयोग रक्षा कार्यों तथा सिविल कार्यों दोनों में किया जाता है और इनका निर्यात इंजीनियरी उद्योग की संबंधित संघटकों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

फर्मों को बन्द करना

7066. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 मई, 1995 के "बिजिनस स्टेण्डर्ड" में "डी.सी.ए. लिक्विडेट्स 100 फर्म्स इन कलकत्ता" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) कलकत्ता में इतनी अधिक संख्या में कम्पनियों के बन्द किए जाने और खत्म करने के क्या कारण है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भाद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पूर्वी क्षेत्र में कम्पनियों को विघटित करने के लिए 74 आवेदन पत्र हैं जब कि पूरे देश में ऐसे आवेदन पत्रों की कुल संख्या 201 है। 1994–95 के दौरान पूरे देश में कुल 104 विघटित कम्पनियों में से पूर्वी क्षेत्र में विघटित की गई कम्पनियों की संख्या 15 है।

कलकत्ता में कम्पनियों के विघटन के लिए आवेदन पत्रों की संख्या को अनुपातहीन नहीं समझा गया है।

अनुसंधान संस्थाएं

7067. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं सहित किन–किन संस्थाओं में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर बजट आबंटन की औसतन 90 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च की गई;

(ख) क्या इन संस्थाओं के अनुसंधान संबंधी कार्य के निष्पादन की समीक्षा उन्हें बंद करने अथवा उनके कर्मचारियों की संख्या कम करने की दृष्टि से की गई है;

(ग) क्या ये अनुसंधान संस्थाएं अपने अनुसंधान कार्यक्रम विकसित करने के लिए मुक्त है अथवा वार्षिक अनुसंधान कार्यक्रम वास्तविक एवं संभावित प्रयोक्ताओं के मांग से जुड़ी हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान पर सभी सरकारी खर्चों को एकल वित्तपोषण व्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत लाने का है, ताकि इस प्रयोजनार्थ विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को धनराशि के वितरण की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के विभागों के अधीन लगभग 400 विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। इन संस्थानों द्वारा प्रयुक्त बजट में वेतन अंश औसतन 90 प्रतिशत से काफी कम है।

इन संस्थानों के अनुसंधान कार्य निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है। इन संस्थानों को चुनिंदा क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का समादेश प्राप्त है। अनुसंधान कार्यक्रमों का अंतर्राष्ट्रीय विकासों तथा सामाजिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की सलाह अथवा अनुसंधान परीषदों के दिशानिर्देश में विकास किया जाता है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

7068. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल और भूतपूर्व मुख्यमंत्री का नाम आतंकवादियों की 'हिट लिस्ट' में है; और

(ख) यदि हां, तो इन दो विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को इन धमकियों के बारे में बता दिया गया है और उनके सुरक्षा प्रबंधों की नियमित समीक्षा और प्रबोधन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सुरक्षा

7069. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं का आंशिक रूप से निजीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का अंतिम निर्णय क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पबनसिंह घाटोवार) : (क) से (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार स्वास्थ्य रोक्टर के तृतीयक स्तर में निजी क्षेत्र निवेश में सहायता देती है।

ग्रामीण विकास योजनाओं का अध्ययन

7070. **डा. आर. मल्लू** :
श्री एम.जी. रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास का अध्ययन करने हेतु अधिकारियों को विदेशी मुद्रा में वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न देशों और विदेशी संस्थानों का पता लगाने के लिए पुर जोर कोशिश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण विकास और रोजगार मंत्रालय भारतीय सुविधाओं की अनदेखी करते हुए विदेशी सुविधाओं का सहारा ले रहा है;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने ऐसे प्रयासों को अस्वीकार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग में) (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

यकृत संबंधी रोग

7071. **श्री वी. श्री निवास प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9.4.1995 के पायनियर में "लिवर डिजीजेज आन द राइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यकृत संबंधी रोगों में वृद्धि संबंधी रोगों में वृद्धि को रोकने/ठोस उपाय करने के लिये कुछ योजनाएं बनायी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पबनसिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) संदूषित भोजन और पानी तथा खराब व्यक्तिगत स्वच्छता वाइरल हैपेटाइटिस ए.एंड.ई. के फैलने का मुख्य कारण है। संदूषित इंजेक्शन सूइयां, रक्त, रक्त उत्पाद और असुरक्षित यौन क्रिया वाइरल हैपेटाइटिस बी.सी और डी. के फैलने के लिए जिम्मेदार है। एल्कोहल, मधुमेह और कुपोषण बहुत से अन्य जिगर के रोगों के लिए उत्तरदायी है।

(ग) और (घ) सरकार ने जन स्वास्थ्य पद्धति को सुदृढ़ बनाने, सफाई में सुधार करने, पीने के पानी की सप्लाई करने और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और इसके 12 क्षेत्रीय केन्द्र नैदानिक किटे खरीदने और इन्हें क्षेत्रीय केन्द्रों को वितरित करके वाइरल हैपेटाइटिस के निगरानी कार्य में तालमेल रखते हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

7072. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल कर दिए गए हैं;

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इनमें से कितने अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए/कितने अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किए जा सकें;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा स्वर्ण जातियों के लोगों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) 30.4.95 की स्थितिनुसार 185 मामलों में शामिल 363 अभियुक्तों के विरुद्ध उड़ीसा में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए।

(ख) और (ग) उपरोक्त में से 93 अभियुक्तों को आरोप-पत्र दाखिल 1946 से शक्तियां मिलती हैं तथा आपराधिक कदाचार के ऐसे मामलों में जहां यह सक्षम होता है, संगत कानून व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करता है। कानून की पालना करते समय विभिन्न वर्गों में यह किसी तरह का भेदभाव नहीं करता।

[अनुवाद]

निवेशकों की शिकायत

7073. **श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान कम्पनी कार्य विभाग को निवेशकों से कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) इन शिकायतों को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर भारद्वाज) : (क) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा 1.4.94 से 31.3.95 तक प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या 39,593 है।

(ख) निवेशकों से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाही करने के उद्देश्य से विभाग ने एक पृथक निवेशक संरक्षण सैल स्थापित किया है। शिकायतों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाता है और इनको निवारण के लिए संबंधित कम्पनियों को भेजा जाता है। सामान्य तौर पर, शिकायतकर्ताओं को दो पत्र भेजना पसंद हो पाया है : प्रथम, पावती के रूप में और दूसरा, शिकायतों पर कम्पनी द्वारा यथा सूचित की गई कार्रवाही के रूप में। दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समय-समय पर आवश्यकतानुसार दाण्डिक कार्रवाही भी आरंभ की जाती है।

विश्व बैंक से सहायता

7074. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश वैद्य विधान परिषद के नियंत्रणाधीन कुछ और अस्पतालों को स्वास्थ्य परियोजना की समग्र ऋण सीमा में शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने 1993 में आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था परियोजना के लिए 443.58 करोड़ रुपये का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की; और

(ग) विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश को अब तक कितनी राशि उपलब्ध कराई है और राज्य में अब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने बताया है कि तकनीकी औचित्य, परियोजना उद्देश्यों की सम्पूरकता तथा क्रेडिट राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ और अस्पतालों को शामिल करने के अनुरोधों पर विचार किया जाएगा बशर्ते क्रेडिट बचत संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी नीतियां लागू होती हों।

(ख) सात वर्षों की अवधि की 159 मिलियन अमेरिकी डालर (608 करोड़ रुपये के बराबर) की कुल परियोजना में से अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का क्रेडिट 133 मिलियन अमेरिकी डालर है।

(ग) क्रेडिट 1.3.95 से लागू हो गया है। अभी तक राज्य सरकार को कोई राशि नहीं मिली है।

[हिन्दी]

युद्ध सामग्रियों का निर्यात

7075. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सामरिक रूप से युद्ध सामग्रियों के निर्यात में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) युद्ध सामग्रियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) देश में रक्षा उत्पादन से संबंधित आधारभूत सुविधाएं मुख्यतः हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित की गई हैं। तथापि अपना करोबार बढ़ाने और उसके जरिए उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्पादन यूनिटें देश के सिविल बाजार में बिक्री तथा निर्यात के लिए मदों के निर्माणार्थ अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करती आ रही हैं। पिछले 3 वर्षों में किया गया निर्यात निम्नलिखित तालिका में किया गया है :-

	सीधा निर्यात	माना गया निर्यात योग
	(करोड़ रुपये में)	
1992–93	72.73	188.58	261.31
1993–94	124.33	433.70	558.03
1994–95 (अनंतिम)	79.08	466.79	545.87

वर्ष 1994–95 में सीधे निर्यात के लिए आर्डर मिले थे उन्हें इस वर्ष के अंत तक अंतिम रूप दिया गया। अतः उन्हें 1995–96 में पूरा किया जाना है। प्राप्त आर्डरों को ध्यान में रखते हुए आशा है कि वर्ष 1995–96 में सीधे निर्यात में काफी वृद्धि होगी।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में नीति और प्रक्रियागत उदारीकरण, विदेशी स्थित हमारे मिशनों की ओर अधिक सहभागिता, सेनाध्यक्षों सहित विदेशी शिष्टमंडलों को आमंत्रित करना, रक्षा प्रदर्शनियों में भाग लेना, रक्षा उपस्करों की सूची प्रकाशित करना तथा विपणन कौशलों एवं व्यापार–गृहों की आधारभूत संरचना का इस्तेमाल करना शामिल है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागेदारी

7076. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार का विचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे विद्युत तथा कृषि में गैर सरकारी क्षेत्र की भागेदारी सुनिश्चित करने संबंधी किसी योजना पर अमल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रमुख क्षेत्र में प्राइवेट सैक्टर की भागेदारी के विषय पर विचार किया जा रहा है।

हेल्थ केअर

7077. **डा. साक्षीजी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रयोजित "हेल्थ केअर" योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य को किये गये आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त किये गये लक्ष्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में चलाई जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य परिचर्या स्कीमों और इन वर्ष स्कीमों के लिए 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान किए गए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) राज्य में प्राप्त की गई उपलब्धियों का स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोगिक स्कीमों के संबंध में वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान किए गए धन के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	आबंटन 1993–94	1994–95
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	969.46	804.89
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	267.13	354.78
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	450.00	560.00
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	182.16	181.81
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	156.34	121.00
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	20515.53	16562.29

विवरण-II

1993-94 एवं 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित मुख्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का योजनवार ब्यौरा

क्र.सं.	योजना का नाम	1993–94		1994–95	
		लक्ष्य	उपल.	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम				
	(वार्षिक रक्त स्लाइड जांच दर) ए बी ई आर :	10.00	6.60	10.00	5.53
	छिड़काव कार्यक्रम (जनसंख्या मिलियन में)	22.47	21.55	11.53	7.70
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम				
	रोगी का पता लगाना	32000	50432	28000	57107
	रोगी का उपचार करना	32000	49160	28000	57107
	रोगी को स्वस्थ करना	7000	92620	66000	84205
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम				
	रोगी का पता लगाना	305980	269515	325600	66908 (30.6
	स्पूटम की जांच करना	575600	563180	575600	154344 94 तक)
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम				
	मोतियाबिंद का आपरेश करना	350000	281360 (फरवरी, 95 तक अनन्तिम)	350000	240135
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	5 निगरानी केन्द्रों और 13 क्षेत्रीय उक्त जांच केन्द्रों में एड्स जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं।			
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम				
	डी पी टी	4825000	97.21%	4998000	82.78%
	ओ पी वी	4825000	97.39%	4998000	83.86%
	बी सी जी	4825000	96.65%	4998000	84.50%
	बंध्यीकरण	700000	417781%	522000	366055
	आई यू डी	1900000	1824830%	1865280	1855252
	सी सी यू	2248000	2405902	2637842	2420577

सतत उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का विकास

7078. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा हाल ही में मद्रास स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय राज्य विद्युत बोर्ड के सतत उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा विकास के क्षेत्र में कार्यक्रमों और नीतियों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) चार दक्षिणी राज्यों में अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाओं, नीतियों और संस्थागत प्रबंधों पर विचार विमर्श करने हेतु अभी हाल ही में मद्रास में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यह सुझाव दिया गया कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर अपेक्षाकृत अधिक बल देने के लिए राज्यों द्वारा एक अधिक अनुकूल नीति/अवसरंचनात्मक ढांचे के सृजन पर बल दिया जाना चाहिए। इस बैठक में, चल रही प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा आधारित

परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा किए जाने और ऐसा फीड बैक प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ जिनका उपयोग नीतियों और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है।

नहरूआ रोग

7079. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नहरूआ रोग (गिनी वर्म) से कौन-कौन से राज्य प्रभावित हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनेक राज्यों को नहरूआ रोग के उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों में सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान को इस प्रयोजनार्थ दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवार) : (क) इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य गिनीकृमि रोग से प्रभावित है।

(ख) से (ग) गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार गिनी कृमि रोग से प्रभावित राज्यों को नकद सहायता सामग्रीगत सहायता तथा तकनीकी सहायता देती है। राजस्थान सरकार को गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान नकद सहायता के रूप में 10.44 लाख रु. दिए गए हैं। राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, नई दिल्ली ने गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम के उपयुक्त कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग में जोधपुर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, डुंगरपुर तथा जयपुर में राजस्थान सरकार, जिला तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय प्राधिकरणों की विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता से सहायता करने के लिए छह जानपदिक रोग विज्ञानी निगरानी दल भेजे हैं।

कच्चे माल के रूप में इमारती लकड़ी का प्रयोग

7080. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास आयुक्त और पर्यावरण और वन मंत्रालय के बीच लघु उद्योगों के उत्पादों हेतु कच्चे माल के रूप में इमारती लकड़ी के उपयोग के संबंध में कोई विचार-विमर्श हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय को सरकारी विभाग होने के कारण सरकारी नीति का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। वर्ष 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, ग्रामीण अथवा कुटीर स्तर के अलावा किसी भी वन आधारित उद्यम को कच्चे माल की उपलब्धता की सुनिश्चितता पहले से ही सावधानीपूर्वक छानबीन किए बिना, अनुमति नहीं है।

1988 की राष्ट्रीय वन नीति को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं. 3-1/86-सफ.पी, दिनांक 7 दिसंबर, 1988 के तहत प्रकाशित किया गया है।

उग्रवादियों के साथ बैठक

7081. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उग्रवादी नेताओं के साथ कुछ कूटनीतिज्ञों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में सरकार की पारदर्शिता की समग्र नीति के एक भाग के रूप में दिल्ली में रह रहे कई राजनैयिकों को जम्मू व कश्मीर राज्य का दौरा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे दौरों के दौरान उन्होंने उग्रवादियों से संबद्ध दलों सहित विभिन्न पार्टियों और समूहों के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ मुलाकातें की। विभिन्न दलों के ऐसे नेता तथा प्रतिनिधि भी विभिन्न अवसरों पर दिल्ली का दौरा करते आ रहे हैं तथा कई देशों के राजनैयिकों के साथ उनकी भेंट किए जाने के समाचार भी मिले हैं। ऐसी बैठकों के बारे में किसी प्रकार के ब्यौरे बताना संभव नहीं है। सरकार स्थिति पर निकट से नजर रखे हुए है तथा, समय-समय पर, यथोचित कार्रवाही की जाती है।

पेंशन संबंधी मामलों का निपटान

7082. **श्री मुहीराम सैकिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के परिकरणों तथा इसके मंत्रालयों/विभागों में अनुदान और पेंशन संबंधी मामलों का निपटान करने संबंधी नियमों/मानदण्डों/प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पेंशनों, उपदानों के अन्तिम रूप से तथा अस्थायी रूप से निपटान के मामले में कोई न्यूनतम और अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. की राशि के भुगतान हेतु निर्धारित समय सीमा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों जिसमें

डिफेंससिविलियन भी शामिल हैं, को पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में निहित उपबन्धों के अनुसार शासित होता है। सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय अपने कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। वे संगठन जहां से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, बिना किसी देरी के ऐसी अदायगियां सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीना पहले समय पर सेवानिवृत्ति की प्रसुविधाओं का अनुमान लगाने तथा पेंशन भुगतान आदेश जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय के प्रमुख तथा लेखा परीक्षा/लेखा अधिकारी द्वारा की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। इस बात की भी नियमों में व्यवस्था है कि संगत नियमों के अनुसार यदि पेंशन या उपदान या दोनों का अन्तिम रूप से अनुमान लगाना संभव न हो तो अनन्तिम रूप से पेंशन तथा उपदान की स्वीकृति कर दी जाए।

(ग) सामान्य भविष्य निधि अंशदायी भविष्य निधियों की राशियों की अदायगी केन्द्रीय सिविल सेवा (जी.पी.एफ.) नियमावली तथा अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, जैसा भी मामला हो, के अनुसार विनियमित होती है। इन नियमों में सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि की अदायगी करने की व्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश में विकास केन्द्र

7083. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विकास केन्द्र को क्या आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के इन विकास केन्द्रों द्वारा शुरू किए गए कार्यों का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या ये विकास केन्द्र धनराशि जारी नहीं किये जाने के कारण विकास कार्य पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में 8 विकास केन्द्र शामिल हैं जिनमें से राज्य सरकार ने तीन अर्थात् बुलंदशहर, जौनपुर और गोरखपुर में 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार विकास पर लगभग 20.5 करोड़ रुपये के कुल व्यय की प्रगति की सूचना दी है। केन्द्र सरकार ने अब तक राज्य सरकार को 12.50 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

विकास केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। जो बिजली और पानी की आपूर्ति, संचार आदि जैसी जरूरी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। एक विकास केन्द्र के विकास के लिए ससाधन राज्य सरकार केन्द्र सरकार और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने होते हैं जिसमें बाजार ऋण से सहायता भी मिलती है। प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए केन्द्र सरकार का योगदान 10 करोड़ रुपये है।

इन केन्द्रों की तत्पर स्थापना में सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने पहले केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से निधियां लेने पर जोर दिए बिना अपना अंशदान जारी करने का हाल ही में निर्णय लिया है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और कम्पनी मामलों का विभाग

7084. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित निकायों द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्टों पर कम्पनी मामलों के विभाग और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के बीच कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है; और

(घ) शेयरधारकों को भूतकाल की तरह पूरी रिपोर्ट देने के बदले संक्षिप्त रिपोर्ट देने की परिपाटी आरंभ करने के पीछे क्या तर्क है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है। तथापि, कम्पनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम तथा फार्म, 1956 के नियम 7क के साथ पठित धारा 219 की शर्तों में सूचीबद्ध कम्पनियों को यह विकल्प प्राप्त है कि वे अपने शेयर धारकों को पूरे तुलनपत्र तथा लाभ व हानि खातों के बजाय संक्षिप्त तुलन–पत्र तथा लाभ व हानि खाते भेज सकती हैं। भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) ने विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों को सूचीकरण करार के खण्ड 32 में संशोधन करने की सलाह दी है ताकि कम्पनियों द्वारा अपने सभी शेयर धारकों को सम्पूर्ण तुलन–पत्र की आपूर्ति का प्रावधान हो सके। यह मामला वित्त मंत्रालय तथा सेबी की जानकारी में लाया गया है जो कि निवेशकों के हित के लिए सूचीकरण करार के खण्ड 32 को बनाते हैं।

(घ) शेयर धारकों के लिए संक्षिप्त तुलन–पत्र उपलब्ध कराने के पीछे यह मूलधारणा है कि तुलन–पत्र को बनाये जाने में लगने वाले कागज तथा मुद्रण की लागत में मितव्ययता रहे। तथापि, किसी शेयर धारक को पूरा तुलन–पत्र उसके अनुरोध पर मुफ्त उपलब्ध कराना होता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-लाभार्जन

7085. **डा. आर. मल्लू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नये पूंजी निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित कर रहे उपक्रमों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरूआती स्तर पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित कर नया पूंजीनिवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, मौजूदा सरकारी उद्यमों की विस्तार परियोजनाओं/नई परियोजनाओं में पूंजीनिवेश एक सतत् प्रक्रिया है। 31.3.94 तक की स्थिति के अनुसार 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा 22.3.1995 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1993–94 की पृष्ठ संख्या 48 से 59 तक पर दिया गया है।

(ग) सरकारी उपक्रमों को बजटीय सहायता के संदर्भ में योजनागत एवं गैर–योजनागत, दोनों प्रकार की दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत व्यय बजट के खण्ड–I के विवरण संख्या 9 एवं 14 में दिया गया है। लाभ कमाने वाले सरकारी उपक्रमों की लाभकारिता में सुधार करने के लिए किए गए अन्य उपायों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, निदेशक मण्डलों का व्यावसायीकरण, निदेशक मण्डल को शक्तियों का प्रत्यायोजन, उत्पादन–मिश्र का विविधीकरण आदि शामिल हैं।

गुजरात में विकास केन्द्र

7086. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 तक गुजरात में विकास केन्द्रों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सुविधाएं इन विकास केन्द्रों में अभी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं जिसके फलस्वरूप वे उचित ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ग) क्या इस राज्य के बदोदरा, भरूच और पंचमहल सहित कुछ स्थानों पर विकास केन्द्र नहीं खोले गए हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त जिलों में ये केन्द्र कब तक खोल दिए जाएंगे?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (घ) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर गुजरात को कच्छ (गांधी धाम), बनासकंठा (पालनपुर) और भड़ोच (वागरा) जिलों में तीन विकास केन्द्र आबंटित किए गए थे। अन्य स्थापना स्थलों पर विकास केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है।

इन तीन केन्द्रों में से राज्य सरकार ने 31.12.94 की स्थिति के अनुसार भड़ोच (वागरा) में 35.72 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत में से कुल 25.29 करोड़ रुपये व्यय से आधारभूत सुविधाओं के विकास की प्रगति की सूचना दी है। अन्य दो केन्द्रों में आधारभूत सुविधा संबंधी कार्य अभी शुरू होना है।

विकास केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जानी है जो बिजली और पानी की आपूर्ति, संचार आदि जैसी जरूरी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। एक विकास केन्द्र के विकास के लिए संसाधन राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाने होते हैं। जिनमें बाजार ऋण सभी सहायता मिलती है। प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए केन्द्र सरकार का योगदान 10 करोड़ रुपये का होता है। अब तक गुजरात राज्य द्वारा किए गए संबद्ध परिव्यय को विधिवत रूप से ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय योगदान के रूप में गुजरात राज्य में विकास केन्द्रों के लिए 11.6 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा निवेश की प्रगति के अनुरूप सुविधाओं का विकास कर लिए जाने की आशा है।

हजरतबल दरगाह

7087. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में हजरतबल दरगाह के इर्द–गिर्द के क्षेत्रों में जे.के.एल.एफ. उग्रवादियों ने पुनः कब्जा कर लिया है;

(ख) क्या उग्रवादियों का उद्देश्य दरगाह में पुनः प्रवेश करना है ताकि पिछली घटना को दोहरा सकें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके इरादों को विफल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 10 फरवरी, 1995 को जिस समय जे.के.एल.एफ. के कुछ व्यक्ति हजरतबल गए तो उनका सामना हिज्बुल मुजाहिदीन के उग्रवादियों से हो गया, जिसके परिणामस्वरूप दलों के बीच हुई एक झड़प के दौरान मोहम्मद युसूफ खान, उर्फ इदरीस खान, जो कि जे.के.एल.एफ. का एक कार्यकता था, मारा गया। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में निरन्तर चौकसी रखी जा रही है तथा परिसर में जम्मू व कश्मीर पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि दरगाह परिसर के क्षेत्र में उग्रवादियों तथा अवांछित तत्वों द्वारा शांति भंग करने के किसी भी प्रयास से निपटना सुनिश्चित किया जा सके।

यू.एन.डी.पी. की योजनाएं

7088. **डा. साबी जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यू.एन.डी.पी. योजना के अंतर्गत राज्यवार किन-किन जिलों का चयन किया गया है;

(ख) यू.एन.डी.पी. योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत किस तरह की सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ग) प्रत्येक योजना को किस तिथि तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने गरीबी उन्मूलन पर दक्षेस (सार्क) स्वतंत्र समिति तथा सातवें दक्षेस शिखर सम्मेलन की घोषणा (ढाका) की सिफारिशों के पक्ष में तकनीकी सहयोग के एक कार्यक्रम के लिए गरीबी दूर करने एवं गरीबों को सक्षम बनाने के लिए सामाजिक एकजूटता लाने एवं राष्ट्रीय सहायता तंत्रों के विकास की नीति पर दक्षेस देशों के लिए एक मिशन की स्थापना की थी। मिशन ने आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास की एक परियोजना का चयन किया है। प्रस्तावित योजना आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर, कुरनूल एवं महबूबनगर जिलों में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लाभार्थियों को एकजूट करने की एक प्रायोजित परियोजना के रूप में है ताकि लाभार्थी स्वयं ही कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं उनका प्रबन्ध करने में सक्षम हो सकें। परियोजना के प्रथम वर्ष के दौरान एक मिलियन अमरीकी डालर की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता का प्रस्ताव है। परियोजना की रूपरेखा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भूकंपीय मानचित्र

7089. **श्री एस. एम. लालजान बाशा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश का कोई भूकंपीय मानचित्र तैयार किया है जिसमें भूकंप प्रवण क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के उन क्षेत्रों में भूकंप की घटनाओं में वृद्धि हुई है जहां बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) भूकंपीय आंकड़ों तथा विभिन्न भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिकी आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को पांच जोनों में बांटा है। जोन V सबसे ज्यादा तथा जोन I सबसे कम भूकंप प्रवण क्षेत्र है। मोटे तौर पर, जोन V के अंतर्गत समूचा उत्तर-पूर्वी भारत, जम्मू और कश्मीर के भाग हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां, कच्छ का रन, उत्तरी बिहार तथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। जोन IV के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर का शेष भाग, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग तथा पश्चिम बंगाल, गुजरात के इलाके तथा पश्चिमी तट के निकटवाला महाराष्ट्र का एक छोटा-सा भाग आता है। जोन I, II तथा III के अंतर्गत देश के शेष भाग आते हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि आंध्र प्रदेश में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की वजह से भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि हुई है।

बी.ई.एम.एल. का कार्यनिष्पादन

7090. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) ने गत दिसम्बर में पूंजी जुटाई थी, परन्तु मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष में इसका कार्य निष्पादन निराशाजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बी.ई.एम.एल., द्वारा दर्शाए गए इश्यू-पूर्व अनुमानों और अब इसके परिणामों में कितना अन्तर है;

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस एकक की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की वर्ष 1994-95 में कुल बिक्री आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों को जारी करने से संबंधित विवरणिका में उल्लिखित प्रस्तावों के अनुरूप रही है तथा यह बिक्री 1993-94 की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत अधिक रही है। वर्ष 1994-95 में इस कंपनी का लाभ अनुमानित विचार से कम रहा। इसका मुख्य कारण यह था कि कंपनी को उस वर्ष के दौरान हुए वेतन समझौते के परिणामस्वरूप बकाया राशि के रूप में 18 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा था। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि रेल-डिब्बों के निर्माण के लिए आदेश प्राप्त न हो पाने के कारण बेंगलूर कॉम्पलेक्स बंद रहा।

(ङ) वर्ष 1995-96 में अधिक आर्डर प्राप्त होने और उनकी पूर्ति किए जाने से आशा है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की कुल बिक्री और लाभ में वृद्धि होगी। कंपनी के साथ वर्ष 1995-96 के समझौता ज्ञापन में कुल बिक्री और लाभ के बारे में सुस्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

नेत्र बैंक

7091. **डा. आर. मल्लू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक देश में कितने नेत्र बैंक कार्यरत हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन नेत्र बैंकों से अनुमानतः कितने रोगी लाभान्वित हुए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) देश में लगभग 166 नेत्र बैंक हैं जबकि उनके द्वारा किए गए आपरेशनों जो उनके द्वारा सेवा प्रदान किए गए रोगियों के सूचक है, के बारे में ब्यौरा केवल 104 नेत्र बैंकों का उपलब्ध है। इनका ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.		नेत्र बैंक का नाम	किए गए आपरेशनों की सं. (अर्थात् लाभान्वित रोगी)		
			1991	1992	1993
1		2	3	4	5
1.	**आंध्र प्रदेश**				
	(i)	एस.डी. नेत्र अस्पताल, हमायु नगर, हैदराबाद	120	–	–
2.	(ii)	एल.वी. प्रसाद नेत्र संस्थान, हैदराबाद	88	227	328
3.	**असम**				
	(i)	गुवाहटी मेडिकल कालेज, गुवाहटी	8	–	2
4.	(ii)	असम मेडिकल कालेज, डिबुगढ़	5	–	–
	बिहार				
5.	(i)	पटना मेडिकल कालेज, पटना–4	–	–	8
	चंडीगढ़				
6.	(i)	पी.जी.आई.एम.ई.आर., चंडीगढ़–12	42	46	40
	दिल्ली				
7.	(i)	डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा केंद्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली–29	276	377	396
8.	(ii)	गुरू नानक आई बैंक, नई दिल्ली	92	82	67
9.	(iii)	श्री गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली	–	–	–
10.	(iv)	वेणु नेत्र बैंक, सी–40, एनडीएसई–11,	99	89	71
	गुजरात				
11.	(i)	सी.एच. नागरी नेत्र अस्पताल, एलिसबर्ग, अहमदाबाद	91	–	98
12.	(ii)	लायन शरद मेहता नेत्र बैंक, अहमदाबाद–9	1350	–	2405
13.	(iii)	डा. भारती एम.शाह अस्पताल, नियर महाप्रभुजी बैठक, गोधरा	–	–	7
14.	(iv)	के.जी. पटेल बच्चों का अस्पताल, वड़ोदरा–1	65	–	76
15.	(v)	सोनी लक्ष्मणबाई लालुभाई नेत्र बैंक, कुकरवाडा, गुजरात			
16.	(vi)	श्री रतीलाल विट्ठलदास गोरडिया आई बैंक भावनगर।	84	106	2

1		2	3	4	5
17.	(vii)	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, बड़ौदा	–	63	–
18.	(viii)	आर.एम.आई. अस्पताल, चिकोदरा	7	1	–
19.	(ix)	धोलका नेटवर्क, आईआरसीएस, धोलका	–	2260	–
20.	(x)	बी.डी.अंकलेसरिया सैन्ट्रल आई बैंक, अहमदाबाद	216	–	–
	हरियाणा				
21.	(i)	फिलडेल्फिया अस्पताल, अम्बाला सिटी	3	–	2
22.	(ii)	रोटरी आई बैंक, सिरसा–5	2	–	2
23.	(iii)	पानीपत आई बैंक, सिवाह, पानीपत	–	7	4
24.	(iv)	राम किशन दास आई बैंक, कैथल	–	–	13
25.	(v)	एस्कोर्टस आई बैंक, फरीदाबाद	–	8	–
26.	(vi)	हरियाणा स्टेट आई बैंक, रोहतक	2	9	–
	कर्नाटक				
27.	(i)	एमएनएनटी आई बैंक, 56/2, सिद्दीयाह रोड बंगलोर	425	641	670
28.	(ii)	गुजरात बलाईंड रिलीफ एसोसिएशन आई अस्पताल, चिकमंगलूर–1	–	–	3
29.	(iii)	सर्जन आई बैंक, जिला अस्पताल, बेलगांव	7	–	–
30.	(iv)	देयू इंस्टीट्यूट ऑफ आफथैलमिककस्तूरबा अस्पताल मणिपाल।	15	8	4
31.	(v)	किशनचन्द चेल्लाराम आई बैंक, बंगलौर	71	–	56
32.	(vi)	जे.जे.एम. मेडिकल कॉलेज, दावानगरे	–	–	–
	केरल				
33.	(i)	सी.बी.एम. आफथैलिमक इंस्ट्टीट्यूट, लिटिल फ्लावर अस्पताल, अगामल्ली,	–	162	130
34.	(ii)	मेडिकल कालेज अस्पताल, कालीकट	104	4	8
35.	(iii)	अमयम नेत्र बैंक, X1/205, एसएन जंक्शन, केरल	29	28	30
36.	(iv)	गवर्नमेंट आफथैलिमिक अस्पताल, तिरूवनन्तपुरम	–	24	–
37	(v)	जिला आई बैंक, अर्नाकूलम	4	3	–
	मध्य प्रदेश				
38.	(i)	छावी आई बैंक, गीता भावन, आई अस्पताल, इंदौर	50	63	80
39.	(ii)	गांधी मेडिकल कालेज अस्पताल, भोपाल	5	8	11
40.	(iii)	लायन्ज आई बैंक, गरासिम अस्पताल, नागदा	5	9	–

1	2	3	4	5
41.	(iv) लायन्ज कलब, नीमुच	–	45	–
42.	(v) आई बैंक, डी.के. अस्पताल, रायपुर	–	–	–
43.	(vi) कश्यप रोटरी आई बैंक, रतलाम	–	10	–
44.	(vii) क्षेत्रीय अस्पताल, एसईसीएच, धामपुर, शाहडोल	3	1	–
	महाराष्ट्र			
45.	(i) अमरावती नेत्रदान संस्था, अमरावती	45	45	49
46	(ii) समर्पण आई बैंक, बोरीविला, बम्बई	90	–	41
47.	(iii) बी.वाई.एल. नायर चेरिटीबल आई अस्पताल, बम्बई	–	19	13
48.	(iv) श्री हाथीभाई काकलचन्द आई बैंक, बम्बई	123	189	169
49.	(v) किंग एडवर्ड 1/11 मेमोरियल अस्पताल, बम्बई	32	48	33
50.	(vi) जे.जे.ग्रुप ऑफ होस्पीटल्स, बाईकुल्ला, बम्बई	178	182	103
51.	(vii) इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एंड मेयो जनरल अस्पताल, नागपुर	15	25	18
52.	(viii) अपर्ण आई बैंक, घाटकोपार (ई) बम्बई	124	148	-
53.	(ix) श्रीमती कनकुबाई आई अस्पताल एंड आई बैंक, श्सोलापुर	4	4	2
54.	(x) श्रीमती ताराबाई परांजपे आई बैंक ट्रस्ट एंड रिसर्च फाउन्डेशन, सांगली	78	161	–
55.	(xi) श्री सत्य साई आई बैंक, डोम्बीविली (ई)	24	–	–
56.	(xii) डिस्ट्रिक्ट अहोस्पीटल प्रगति नेत्र रंगालय, कोल्हापुर	32	19	12
57.	(xiii) नेत्र संजीविनी आई अस्पताल एंड आई बैंक, कोल्हापुर	5	35	10
58.	(xiv) अकोला नेत्रदान एंड नेत्रसोपाल संशोधन केन्द्र, अकोला	–	2	14
59.	(xv) सुरजमल लालूभाई आई अस्पताल श्री कशंलाल प्राणलाल मेहता आई बैंक, बम्बई	–	–	46
60.	(xvi) एल.टीएमएमजी अस्पताल, नेत्र बैंक, सिओन, बम्बई	157	124	1.1
61.	(xvii) नेत्र बैंक मुलुन्द (पश्चिम), बम्बई	66	273	–
62.	(xviii) नेत्र विभाग मेडिकल कालेज सिविल अस्पताल, औरंगाबाद	30	–	–
63.	(xix) लोकनाथ धमार्थ नेत्र बैंक, जूहू, बम्बई	60	–	–
64	(xx) जिला अस्पताल, अमरावती	5	–	–
65	(xxi) जनकल्याण नेत्र बैंक, शनिवार पेठ, पुणे	68	–	–
66.	(xxii) लायन्स क्लब ऑफ डक्कन, जीमखाना, पूणे	9	–	–
67.	(xxiii) आर्मड फार्सेस चिकित्सा कालेज, पुणे	4	–	–
68.	(xxiv) रोटरी नेत्र बैंक मिशन, जालना	–	7	–

1	2	3	4	5
69.	(xxv) ससकोन जनरल अस्पताल पुणे	30	43	–
70.	(xxvi) वैश्य ब्लाइंड रिलिफ एसोसिएशन, थाणे	16	16	–
71.	(xxvii) बी.जे. चिकित्सा कालेज, पुणे–27	–	–	27
72.	(xxviii) सरकारी नेत्र बैंक, जिला अस्पताल, नासिक	6	–	–
73.	(xxix) जिला अस्पताल, भण्डारा	9	–	–
74.	(xxx) जिला अस्पताल, अहमदनगर	7	–	–
75.	(xxxi) जिला अस्पताल, अकोला	1	–	–
	उड़ीसा			
76.	(i) एस.सी.बी. चिकित्सा कालेज, कटक	–	5	–
	पांडिचेरी			
77.	(i) नेत्र विभाग, जिपमेर, पांडिचेरी	8	–	–
	पंजाब			
78.	(i) चिकित्सा कालेज, अमृतसर	–	37	98
79.	(ii) चिकित्सा कालेज, पटियाला	–	469	510
80.	(iii) बवेजा नेत्र बैंक, मिलाप चौंक, जालंधर	447	–	1
81.	(iv) सेवा भारती, मोगा	–	–	38
82.	(v) नेत्र बैंक, डीएमसी, लुधियाना	–	–	–
	राजस्थान			
83.	(i) लायन्स नेत्र बैंक, अलोक नेत्र अस्पताल, उदयपुर	14	11	15
84.	(ii) अपग्रेडेड नेत्र विभाग, एम एम एस चिकित्सा कालेज और अस्पताल, जयपुर	12	17	14
85.	(iii) महावीर अंतर्राष्ट्रीय नेत्र बैंक, अलवर	4	–	–
86.	(iv) भारतीय धर्मार्थ नेत्र बैंक, जयपुर	–	–	6
87.	(v) डा. एस एम चिकित्सा कालेज, जोधपुर	–	40	–
88.	(vi) आर एन टी चिकित्सा कालेज, उदयपुर	–	56	–
	तमिलनाडु			
89.	(i) संकारा नेत्र बैंक, कोयम्बटूर	115	223	193
90.	(ii) नेत्र बैंक, संकारा नेत्रालय मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, मद्रास	–	151	181
91.	(iii) मदुरै नेत्र बैंक एसोसिएशन, मदुैर	84	155	205
92.	(iv) नेत्र बैंक, जोसेफ नेत्र अस्पताल, तिरूचिरापल्ली	28	37	78

1		2	3	4	5
93.	(v)	कोयम्बटूर नेत्र बैंक, एम जी नेत्र अस्पताल, कोयम्बटूर	–	–	9
94.	(vi)	क्षेत्रीयनेत्र संस्थान, एग्मोर, मद्रास	224	–	–
95	(vii)	लायन्स नेत्र बैंक ट्रस्ट, एग्मोर, मद्रास	240	–	–
		उत्तर प्रदेश			
96.	(i)	नेत्र बैंक, गांधी क्षेत्र अस्पताल, अलीगढ़	16	7	75
97.	(ii)	किंग जोर्जस चिकित्सा कालेज, लखनऊ	–	–	4
98.	(iii)	वाराणसी क्षेत्र बैंक सोसायटी, वाराणसी	–	10	15
99.	(iv)	नेत्र बैंक, धामपुर	–	–	42
100.	(v)	दून नेत्र बैंक, देहरादून	–	53	–
101.	(xvi)	मेरठ नेत्र बैंक, मेरठ शहर	–	–	–
		पश्चिम बंगाल			
102.	(i)	नेत्र बैंक चिकित्सा कालेज और अस्पताल, कलकत्ता	34	–	88
103.	(ii)	अंतर्राष्ट्रीय नेत्र बैंक, विद्या सागर स्टेट, कलकत्ता	–	27	54
104.	(iii)	नेत्र बैंक, नार्थ बंगाल चिकित्सा कालेज और अस्पताल, दार्जिलिंग	–	–	–

[हिन्दी]

हैंडपम्पों/नलकूपों के लिए विश्व बैंक की सहायता

7092. **डा. साक्षी जी**
मेजर डी.डी. खनोरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में सरकार का देश में विश्व बैंक की सहायता से नलकूप तथा हैंडपंप लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितने हैंडपम्प तथा नलकूप लगाए गए ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से ट्यूबवैलों, हैंडपम्पों, बोर वैलों और पाइप द्वारा जल सप्लाई योजनाओं की स्थापना के कार्य को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) इस सूचना की निगरानी एवं रख–रखाव को केवल राज्य सरकार के स्तर पर रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

विकिरण-चिकित्सा

7093. **श्री एस.एम. ख़लजान वाशा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने यह पाया है कि कुछ सरकारी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार के इलाज और चिकित्सा में असुरक्षित प्रणालियां और पद्धतियां अपनाई जा रही हैं;

(ख) परमाणु ऊर्जा आयोग ने यह पाया कि दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों में मानक सुरक्षा उपायों की कमी है;

(ग) क्या इन अस्पतालों द्वारा ऐसे सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जाना आम बात है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को लागू करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को यह पता लगा है कि लोक नायक जय प्रकाश नरायण हस्पताल के विकिरण–चिकित्सा विभाग द्वारा विकिरण बचाव नियम, 1971 के कुछ उपबंधों का उल्लंघन किया

जा रहा था। इन उल्लंघनों में योग्य चिकित्सा भौतिक–विज्ञानी एवं विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी का उपलब्ध न होना, विकिरण की स्थिति में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पास उन पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा को मापने के यंत्रों का अभाव होना और विकिरण को मापने के लिए अंशांकित उपकरणों का उपलब्ध न होना शामिल है।

(घ) सुरक्षा सुबंधी आवश्यकताओं के संबंध में हुए उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को यह निदेश दिए हैं कि जब तक कोई योग्य चिकित्सा भौतिक–विज्ञानी एवं विकिरण चिकित्सात्मक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक किसी भी नए रोगी को विकिरण चिकित्सा हेतु भर्ती न किया जाए अथवा उसकी विकिरण चिकित्सा न की जाए। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया है कि अस्पताल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कर्मचारियों की विकिरण संबंधी जांच की जाए। बोर्ड ने निदेश दिया है कि सभी विकिरण मापन यंत्रों का अंशांकन तत्काल प्रभाव से किया जाए।

समेकित विकास कार्यक्रम

7094. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण उड़ीसा में डेनमार्क के सहयोग से कुछ समेकित विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यक्रमों में डेनमार्क का कितना योगदान है; और

(घ) इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। और इसका वित्तपोषण राज्यों और केन्द्र द्वारा 50:50 के आधार पर किया जाता है। इस समय विदेशी सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। दक्षिण उड़ीसा में डेनमार्क के सहयोग से कोई अन्य परियोजना भी ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में नहीं है।

(क) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ

7095. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दक्षिणी भाग में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के किसी भाग/स्थान अथवा स्थानों पर उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु क्या प्रक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में, जिनके अंतर्गत दक्षिणी भाग भी है, उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कुछ राज्य सरकारों, बार एसोसिएशनों, आदि से अभ्यावेदन/सुझाव, समय–समय पर प्राप्त हुए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा। जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय–समय पर, नियत करे।

इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन

7096. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही पद अथवा समान पद से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी अलग–अलग पेंशन पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अपनी सेवानिवृत्ति की अलग–अलग तिथियों के बावजूद समान पेंशन मिलेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं दिए जाने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 द्वारा शासित होते हैं। इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार पेंशन की गणना की गई अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या तथा सेवा के पिछले दस महीनों के दौरान आहरित परिलब्धियों के आधार पर की जाती है। पेंशन की मंजूरी का सेवानिवृत्ति के समय अधिकारी द्वारा धारित पद से कोई सम्बंध नहीं होता।

(ग) उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश, उच्च न्यायालय के न्यायधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के पात्र हो गए। उनकी पेंशन दरें/स्केल दिनांक 1.10.1974 से उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976 तथा बाद में 1.11.1986 से 1986 के संशोधन अधिनियम के अनुसार संशोधित की गई थी। मूल योजना के तहत उच्चतर दरें केवल

उन न्यायधीशों को अनुज्ञेय थी जो 1.10.1974/1.11.1986 को अथवा इसके पश्चात्, जैसी भी स्थिति हो, को सेवानिवृत्त हुए थे। किन्तु बाद में उच्चतर पेंशन की प्रसुविधाएं 1.10.1974 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए न्यायधीशों को भी 1.11.1986 से दे दी गई थी।

नागरिकता

7097. **श्री मोहन सिंह** (फिरोजपुर) :
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से मुबंई, दिल्ली और कलकत्ता में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें फोटो पहचान पत्र तैयार करते समय अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए सूचनाएं भेजी गई हैं;

(ख) इसके क्या कारण है;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों ने अपनी नागरिकता सिद्ध कर दी है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जिन्होंने अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ङ) फोटो पहचानपत्र तैयार करते समय किसी व्यक्ति को अपनी नागरिकता साबित करने की कोई सूचना जारी करना अपेक्षित नहीं है और फोटो पहचानपत्र ऐसे सभी व्यक्तियों को जारी किए जाने हैं, जिनके नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित हैं। तथापि, निर्वाचक नामावलियां तैयार करते समय कुछ व्यक्तियों को, अपनी नागरिकता साबित करने की सूचनाएं जारी की गई थीं और कुछ ऐसे व्यक्तियों के नामो को भी जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सके, हटा दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने नामों के हटाए जाने संबंधी कार्यवाहियों को अभिखंडित कर दिया है और इस संबंध में कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित किए हैं।

[अनुवाद]

परिवार ग्रहण योजना

7098. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार ग्रहण योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कुल कितना ऋण/रियायत दी गई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण योजना लाभार्थी परिवार के एक से अधिक सदस्यों के लिए सहायता के प्रावधान की मार्फत उच्च निवेश और इसके परिणामस्वरूप बढ़ती हुई उच्च आय सुनिश्चित करने का एक साधन है। वर्ष 1991–92 के दौरान देश के चयनित 40 जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू की गई थी। नाबार्ड और इस मंत्रालय द्वारा योजना के निष्पादन का मूल्यांकन/समीक्षा करने के बाद यह पाया गया कि प्रायोगिक योजना में उच्च निवेश और बदली हुई आय से संबंधित अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया था। योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए इसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड, जहां नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक तैनात हैं, के परामर्श से देश के 216 जिलों में चलाया जा रहा है। पारिवारिक ऋण योजना का वास्तविक कार्यान्वयन 1994–95 में शुरू हुआ। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को कोई अतिरिक्त रियायतें नहीं दी गई हैं। पारिवारिक ऋण योजना मूल रूप से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की एक बेहतर प्रणाली है।

[हिन्दी]

पारिवारिक पेंशन

7099. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पारिवारिक पेंशन कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) सेवा निवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए सरकार को कितना वित्तीय भार वहन करना पड़ता है;

(घ) क्या पेंशन पर भारत के संचित निधि से खर्च किया जा रहा है;

(ङ) उक्त प्रणाली को बदलकर पेंशन कोष की स्थापना करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1993–94 के दौरान पेंशन पर 5259 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

(घ) जी, हां।

(ङ) पेंशन निधि बनाने के प्रस्ताव पर पहले भी विचार किया गया था किन्तु तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से इस स्कीम को लाभकारी नहीं पाया गया।

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन

7100. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन संबंधी तथा अन्य सुविधाओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रावधान हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार सभी राज्यों में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को एकसमान सुविधाएं प्रदान करने के सुझाव पर विचार करेगी;

(ग) क्या लगातार मूल्य वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार कोई ऐसा फार्मूला बनाने पर विचार करेगी। जिससे पेंशन में भी स्वतः वृद्धि होती रहे;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगी जिससे सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन की राशि वही रहे जो मृत्यु के पहले सेवानिवृत्ति कर्मचारी की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आलवा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें दोनों ही अपने कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन प्रसुविधाओं की मंजूरी सहित उनकी सेवा शर्तों को अधिशासित करने वाले नियमों और विनियमों को बनाने के लिए भारतीय संविधान से स्वतंत्र प्राधिकार प्राप्त करती है। पेंशन ढांचा वेतन ढांचे पर निर्भर करता है और इसलिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए एक समान वेतन ढांचा कभी नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्टि 42 के अनुसार राज्य पेंशन, संबंधित राज्य सरकारों का विषय है।.

(ग) चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत फार्मूले के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों के लिए जीवन-निर्वाह लागत में होने वाली वृद्धि की प्रतिपूर्ति छह माह के अंतराल पर महंगाई राहत की मंजूरी देकर की जाती है।

(घ) सरकार के पास इस आशय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के निधन के पश्चात दी जाने वाली कुटुम्ब पेंशन राशि को निधन से पूर्व दी जाने वाली पेंशन राशि के बराबर कर दिया जाए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन

7101. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वोलेन्टरी हैल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया ने आपदा प्रबंधन के बारे में एक व्यापक नीति की मांगें की हैं;

(ख) इस संगठन ने इस संबंध में क्या अन्य मांगें रखी हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रस्तुत एक दस्तावेज में प्राकृतिक तथा मानव सृजित दोनों आपदाओं के प्रबंध पर एक व्यापक नीति तैयार करने का सुझाव दिया है।

(ख) भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन द्वारा की गई अन्य सिफारिशों में सामान्यतः नीति तैयार करने में भी सभी व्यवसायियों की शिरकत, उपयुक्त विधायी सहायता; आपदाओं से लड़ने की तैयारी को उपयुक्त महत्व देना; व्यावसायियों के लिए आपदा/प्रबंध विषय पाठ्यचर्या में शामिल करना; प्रबंध; प्रभावी आरंभ में चेतावनी देने संबंधी प्रणाली; जन जागरूकता तथा जन भागीदारी; संकट की स्थिति से निपटने के लिए अन्तक्षेत्रीय कार्यदाही दल का गठन करना शामिल है।

(ग) कृषि मंत्रालय केवल प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंध के लिए नाडेल मंत्रालय है। प्राकृतिक आपदाओं की दशा में बचाव राहत तथा पुनर्वास उपाय करने की मौलिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। भारत सरकार स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में राज्य सरकारों के प्रयासों में भौतिक एवं वित्तीय सहायता तथा तकनीकी मार्गदर्शन दे कर सहयोग करती है। सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपातकालीन कार्य योजना कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। इससे अविलम्ब राहत कार्यवाही शुरू करने में सुविधा होती है। योजना से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली पहलों तथा राज्यों में विभिन्न अवस्थाओं से की जाने वाली पहलों का निर्धारण होता है।

ऐसी चल रही अनेक स्कीमें हैं, जिनमें आपदा में कमी लाने उसे सामान्य बनाने के घटक हैं। 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने तथा उन्हें कम करने के लिए प्राकृतिक आपदा प्रबंध कार्यक्रमों की एक केन्द्रीय सेक्टर स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इसके कार्यकलापों में शामिल है : सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श अनुसंधान कार्यकलाप, सामुदायिक शिक्षा एवं भागीदारी, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य के सुझावों पर प्रायः प्राकृतिक आपदाओं हेतु तैयार रहने एवं उन्हें कम करने सहित प्राकृतिक आपदा प्रबंध के क्षेत्र में ध्यान रखा जा रहा है।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना

7102. **कुमारी सुशीला तिरिया :**
श्री गुरूदास कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतंर्गत उड़ीसा और अन्य राज्यों के जनजातीय लोगों को कितना ऋण/रियातें प्रदान की गई;

(ख) क्या उड़ीसा के जिले इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) 1994–95 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों में अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को दी गई सबसिडी की कुल राशि 11151.90 लाख रुपये (अनंतिम) थी। यह राशि 12265.85 लाख रुपये (अनंतिम) के बैंक वित्त के अतिरिक्त थी। उड़ीसा के लिए ये आंकड़े क्रमशः 1816.50 लाख रुपये (अनंतिम) और 1740.65 लाख रुपये (अनंतिम) थे।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है और विद्यमान कार्यक्रम गमार्गदर्शिकाओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 50% सबसिडी दी जाती है बशर्ते कि यह 6000 रुपये से अधिक न हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामले

7103. **श्री के. प्रधानी : क्या प्रधान मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अनेक कर्मचारियों के पेंशन संबंधी दावे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 20 वर्षों से भी अधिक समय से नहीं निपटाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पेंशन संबंधी कितने दावे पांच वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं;

(ग) पेंशन संबंधी दावों को निपटाने में इतना अधिक विलंब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आलवा) : (क) से (घ) पेंशन की स्वीकृति और अदायगी की प्रणाली विकेन्द्रीकृत आधार पर कार्य करती है। जिस मंत्रालय और विभाग से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं वे विभाग बिना देरी के इस प्रकार की पेंशन देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अतः पेंशन के स्वीकृत न किए जाने और अदायगी न किए जाने के संबंध में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। वर्तमान अनुदेशों में इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि सेवानिवृत्ति की तारीख तक पेंशन को अनन्तिम या अंतिम रूप से प्राधिकृत करने के लिए सरकारी आदेशों का अनुपालन विभाग/कार्यालयों के अध्यक्ष सुनिश्चित करें। पेंशन की अदायगी में देरी या न करने के संबंध में विभाग में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है और इसे संबंधित विभागों के साथ उठाया जाता है।

आतंकवादियों के साथ सांठ-गांठ

7104. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में उन सरकारी कर्मचारियों की कोई फाइलें आदि तैयार की हैं : जो अपनी सरकारी सेवा काल के दौरान अवैध घोषित किय गये आतंकवादी संगठनों से सम्बद्ध रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या का संवर्ग–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) भारत सरकार राज्य सरकार पर नियमित रूप से इस बात के लिए जोर देती रही है कि वह कड़ी निगरानी रखे और स्थानीय प्रशासन के सभी भागों में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की गतिवधियों और उनके कार्यों का प्रबोधन करे। यह सतत् प्रक्रिया है और हाल ही में ऐसे 22 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है जिनका आचरण और गतिविधियां संदिग्ध पायी गयी थीं। इस दिशा में सतर्कता जारी रहेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्रों के बारे में दिनांक 26-4-95 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3419 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्रों के बारे में लोक सभा में दिनांक 26–4–95 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3419 के उत्तर के प्रति ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रश्न के भाग (ग) वे उत्तर में यह बात अन्य बातों के साथ–साथ असावधानी

पूर्वक कही गई है कि वर्ष 1993–94 में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए उत्तर प्रदेश को 25.55 लाख रुपये आबंटित किए गये हैं।

उत्तर प्रदेश के कालम के अतंर्गत सही स्थिति को कृपया निम्न प्रकार पढ़ा जाए।

"ग्रानीण परिवार कल्याण केन्द्र (1993–94) 2,555,00 लाख रुपये जैसे ही यह गलती ध्यान में आई, उसी समय इस उत्तर को ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए।

असावधानी के लिए खेद है।

12.03.म.प.

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय मैं पहले ही सूचना दे चुकी हूं। मुझे विधेयक के बारे में कोई शिकायत नहीं है। मैं पुराने विधेयक का मामला उठा रही हूं। पुराने विधेयक के खण्ड 5 में कहा गया है कि सभी पुराने और लम्बित मामले **(व्यवधान)**। मैं नए विधेयक का मसला नहीं उठा रही हूं। मैं तो केवल पुराने विधेयक के बारे में बोल रही हूं। मेरी बात पुराने अधिनियम के खंड 5 के बारे में है। **(व्यवधान)** मेरी बात इस तरह है, हम आभारी हैं कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि टाडा जारी नही रहेगा। इसके साथ ही खण्ड 5 में कहा गया है कि पुराने मामले खण्ड के माध्यम से निपटाये जायेंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहां तक कि प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री ने भी कहा है कि इसका देश भर में दुरुपयोग किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद 7 हजार लोगों को मुक्त किया जा चुका है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप विधेयक का पूर्वानुमान लगा रही हैं। विधेयक के सभा के सामने आने पर आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

कुमारी (ममता बनर्जी) : मैं पुराने विधेयक पर बोल रही हूं। मैं नए विधेयक के बारे में कुछ नहीं कह रही हूं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सब बातें उस समय कही जा सकती हैं जब नया विधेयक सदन के सामने आये।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हम नए विधेयक के बारे में चिंतित नहीं हैं। मैं नए विधेयक के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं नए विधेयक के बारे में कोई बात नहीं उठा रहीं हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब आपको इस पर पूरी चर्चा का अवसर दिया जा रहा है तो किसी बात का पूर्वानुमान लगाना जरूरी नहीं है और एक ही बात की ओर ध्यान आकर्षित करना जरूरी नहीं है जैसा आप कर रहे हैं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : नहीं महोदय में इस कारण से ऐसा कह रही हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब नया विधेयक लिया जायेगा मैं आपको विस्तार पूर्वक अपनी बात कहने का मौका दूंगा परन्तु इस तरह नहीं। मैं जानता हूं, आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि विधेयक आ रहा है। यदि यह नहीं आता तो मैं आपको निश्चित रूप से बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय मैं केवल पुराने विधेयक की बात कर रहीं हूं। सरकार को राष्ट्र–विरोधी को खत्म कर देना चाहिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : परन्तु इसे बेकसूर लोगों को खत्म नहीं करना चाहिये। पांच हजार से ज्यादा व्यक्ति न्यायिक हिरासत में हैं और तीस हजार व्यक्ति...**(व्यवधान)** और राज्य सरकारों एवं स्थानीय पुलिस को शंक्तियां दी गई है। सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देना चाहिये...**(व्यवधान)** प्रधान मंत्री यहां पर उपस्थित है। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करती हूं....**(व्यवधान)** मैं जानना चाहती हूं कि उन लोगों का क्या होगा । मैं निर्दोष लोगों के लिये न्याय चाहती हूं। मैं राष्ट्र विरोधियों के लिये बात नहीं कर रही हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह के मामले को समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप विशेष अवसर पर इसे उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप को एक दिन प्रतीक्षा करनी चाहिये। और यदि इसे सदन के सामने नहीं लाया जाता तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा। यदि इसे यहां लाया जाता तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा। यदि इसे यहां लाया जाना है तो अब इसके बारे में पूर्वानुमान न लगायें। मैं विधेयक को इस सदन में लाने जाने से पहले इस तरीके से इसे उठाये जाने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप उन बातों की चर्चा कर सकते हैं। मैं इस पर चर्चा के लिये आपको पूरा अवसर दूंगा। इस समिति समय नहीं रखेंगे। परन्तु यदि आप किसी बात का पूर्वानुमान लगा रहे हैं और समझ से पहले उसे यहां उठाना चाहते हैं। तो पर उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह उचित नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, लम्बित विधेयक के बारे में कोई समस्या नहीं है....**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी (डमडम) : वह अधिनियम समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। हम जानते हैं कि आप सभी इस पर चर्चा चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन में जो कुछ कहा गया है, सदन से बाहर उस बारे में कुछ किया जा रहा है। यदि विधेयक इस सदन में लाया जा रहा है तो आपसे जिस ढंग से चाहे उस पर चर्चा का अवसर मिलेगा। मैं आपका अनुमति दूंगा। और समय की कोई सीमा नहीं होगी। परन्तु विधेयक के आने से पहले यदि कोई सदस्य उसे उठाना चाहता है तो यह वास्तव में ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यह नए विधेयक से संबंधित नहीं है परन्तु यह तो पुराने विधेयक से संबंधित है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : नए विधेयक के ढांचे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। हम तो पुराने विधेयक का उल्लेख कर रहे हैं जो व्याप्त हो गया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जा रहा है।*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब को बोलने की अनुमति दूंगा। यदि विधेयक को इस सदन के सामने नहीं लाया जाता तो मैं इस बात को देखूंगा कि आप को इस पर चर्चा के लिये विशेष अवसर मिले। मैंने विपक्ष के लोगों को भी इस मामले को इस तरह उठाने की अनुमति नहीं दी है। और मैं सभी पक्ष के सदस्यों को भी इस मामले को इस तरीके से उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हमें इस मामले को उठाने का लोक तान्त्रिक अधिकार प्राप्त है। **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद यूनस सलीम (हरिद्वार) : महोदय मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। यह विधेयक लाया जाता है आपको इस पर बोलने के लिये विशेष समय दिया जायेगा। मैं याद रखूंगा कि आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं। श्री निर्मल कांति चटर्जी को समय मिलेगा, श्री सैफूद्दीन चौधरी को समय मिलेगा, कुमारी ममता बनर्जी को समय मिलेगा। परंतु मौका आने पर ही समय दिया जायेगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। अतः इस तरह चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : जब विधेयक पर चर्चा होगी उस समय मैं आपको अवसर दूंगा और यदि इस विधेयक को यहां पर नहीं लाया जाता तब बाद में अवसर दूंगा। मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको अनुमति दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको अनुमति दूंगा। किन्तु उसका पूर्वानुमान लगा कर इसे अभी यहां पर न उठायें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे परन्तु इस तरह से नहीं। आप विधेयक का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। यदि यह सदन के सामने नहीं लाया जाता तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, कोई पूर्वानुमान नहीं लगा रहा है। हम पूर्वानुमान नहीं लगा रहे हैं। हम पुराने राज अधिनियम की बात कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : यह जानना हमारा लोकतान्त्रिक अधिकार है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार इस पर, चर्चा चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई संसदीय कार्य मंत्री समझता है कि कुछ हुआ है तो मुझे अभी अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सरकार से पता कर लेने दीजिए कि क्या सरकार अभी चर्चा चाहती है।

...(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हम इस पर अभी चर्चा नहीं चाहते...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तब आप संसदीय कार्य मंत्रालय को कहें कि सदस्यों को इस मामले को उठाने के लिए उकसाए नहीं।

...(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय हम किसी सदस्य को इसे उठाने के लिए उकसा नहीं रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अब कुमारी ममता जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

....(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां हर बात पर समुचित तरीके से चर्चा कराने के प्रयास कर रहा हूं। यदि आप की कोई नीति नहीं है और आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय मेरा एक अनुरोध है कि इस विधेयक विशेष पर दूसरे सदन में चर्चा हो रही है। जैसे ही उक्त सदन इस का निपटान करता है हमारा विचार इसे यहां लाने का है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी तो यही कहने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसी कारण से मैं अन्य समस्याओं से हठ रहा था कि जब यह विधेयक सदन के सम्मुख आता है तो हम इस पर चर्चा की अनुमति देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ममता जी को इसे उठाने की अनुमति दे रहा हूं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपकी कोई नीति नहीं है और यदि आप में से कोई जाकर सदस्यों को कुछ बता रहा है तो मैं अपने आप को किसी गलत स्थान पर नहीं देखना चाहता।

....(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब तक विधेयक सदन के सम्मुख न आ जाये तब तक हम इस पर चर्चा नहीं चाहते। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, इस बारे में एक गंभीर आपत्ति है। यह मामला न्याय निर्णयाधीन के अधीन है और यह न्यायालय का अधिकार है कि वह देखे कि अपील का असर क्या होगा। यह सदन इस बात का फैसला नहीं कर सकता कि अपील का क्या हो क्योंकि बम्बई विस्फोट के मामले सहित यह सारा मामला न्यायालय में है। न्यायालय ही इस पर निर्णय करेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो मामले न्याय निर्णयाधीन हैं उनमें से हस्तक्षेप की अनुमति न दें। हमारे नियम स्पष्ट हैं कि हम न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ भ्रांति है। वास्तव में इसी कारण बिना सूचना दिये सदन में मामले नहीं उठाये जाते।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठने जैसी बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातों की सराहना हम नहीं कर सकते।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, आप तो महात्मा गांधी की प्रतिमा की भी सराहना नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। इसी कारण यदि कोई महत्वपूर्ण मामला हो तो पीठासीन अधिकारी और सरकार को उस से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार कर लेने देना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि कोई अपील लम्बित है अथवा नहीं। मैं नहीं जानता कि इस तरह की बात को न्याय निर्णयाधीन कहा जा सकता है अथवा नहीं और यह किस चरण पर है। परंतु अपील दायर करने मात्र से मामला न्याय निर्णयन अधीन नहीं चला जाता। एक ऐसी अवस्था आती है तो जब मामला न्याय निर्णयन अधीन आ जाता है। मैं इस पर निर्णय करने के लिये सारे तथ्य प्राप्त कर रहा हूं। परंतु ऐसा लगता है कि इस सदन के अधिकांश सदस्य इस पर चर्चा चाहते हूं। मुझे कुमारी ममता को बोलने हेतु अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अब इस मामले को न उठायें। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक दिन की प्रतीक्षा करें और इसे उठाये नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने अपने कक्ष में उनको समझाई थी और सदन में भी समझाई थी। यदि मामला सदन में उठाया जाता है तो मैं उनको अनुमति दे दूंगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं उनसे इस मामले को न उठाने का अनुरोध करता हूं। जब यह मामला यहां पर आये तो यहां उस पर समुचित चर्चा कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ का बहुत सम्मान करती हूं...(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैं जानता हूं कि क्या संसदीय कार्य मंत्री को अधिकार प्राप्त है कि जब कोई सदस्य सदन में बोल रहा हो तो वह उसके बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं...(व्यवधान) वह सदन के बाहर क्षिप जारी कर सकते हैं परन्तु सदन के भीतर नहीं...(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सब कुछ अव्यवस्थित है।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कुछ भ्रांति प्रतीत होती है मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं।...(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, यह सदन उन मामलों पर चर्चा नहीं कर सकता जो न्याय निर्णयाधीन हों...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : किन्तु मैं केवल एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं। महोदय, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं...(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वे केवल टाडा पर जीवित हैं, केवल दमन उपायों पर जीवित हैं...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं केवल एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं। यह मेरा लोकतान्त्रिक अधिकार है और वे...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठोरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की अवहेलना हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। हम सदस्यों को इस मामले को उठाने की चाह की सराहना करते हैं। यह चाह सराहनीय है कि उनके मन में इस तरह के विचार हैं। किन्तु हमें यह इस तरीके से करना चाहिये जिससे वह उद्देश्य पूरा हो सके जो आपके सामने है। और यदि कोई उचित बात हो तो समुचित अवसर प्रदान किया जा सकता है। अच्छा होगा कि सदस्य सदन के साथ सहयोग करें और दूसरे सदस्यों की भावनाओं का भी आदर करें और उनको भी अपने उचित ढंग से विचार व्यक्त करने का अवसर दें। कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि यदि कोई भ्रांति पैदा होती है तो कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता। हर एक भ्रांति में रहता है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आपको इस मामले पर चर्चा का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा। यदि विधेयक आता है तो मैं आप को अवसर दूंगा और यदि यह नहीं आता तो भी मैं आपको समय दूंगा। किन्तु यदि आप केवल एक दिन की भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते तो मैं इस बात की सराहना नहीं कर सकता। कृपया प्रतीक्षा करें। हमें इस बात की प्रतीक्षा करनी है कि दूसरे सदन में क्या होता है और तब हम इस पर विचार करेंगे।

ममता जी, आप मेरी सलाह मानें। मेरे विचार से मैं बड़ा होने के नाते आपको सलाह देने की स्थिति में हूं और आप इस बात की सराहना करें। आपको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। अब इसके लिये दबाव न डालें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, क्या आप मुझे एक मिनट का समय देंगे ? इस विषय पर बोलने के लिये नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, मैं आपको कल अनुमति दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : परंतु महोदय, आपने कहा है कि मैंने धरना दिया। यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अभी भी यही विचार है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिये था। अब आप कृपया बैठ जायें। मैं आपकी भावना की सराहना करता हूं परंतु आपको वह नहीं करना चाहिए था।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हर व्यक्ति को अधिकार है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मामला सदन के सामने है। एक समस्या है। समस्या यह है कि टाडा समाप्त हो गया है और कोई नया कानून नहीं है। एक अन्तराल की स्थिति है और इस अन्तराल में क्या हो रहा है यह विचार कर मामला है...(व्यवधान) आपने आयु में बड़े होने के नाते उनको सलाह दी है। हम भी बड़ी आयु के होने के नाते चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा। परंतु अन्य मामलों पर भी विचार होने दें। अकेला यही मामला ही विचारणीय नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैं इससे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : उचित समय पर आपको अवसर दिया जायेगा। मैं किसी पर रोक नहीं लगाऊंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : चूंकि एक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है इसलिये मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। टाडा शीर्षक से अब कोई कानून नहीं है और नया कानून भी नहीं है। एक शून्य की स्थिति पैदा हो गयी है। अतः इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप की बात बिल्कुल उचित है। परन्तु हम इसे उचित समय पर लेंगे। कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : यह आतंकवादियों को बनाने की समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये। मैं सब लोगों से एक साथ बात नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपकी बात ठीक है और मैं आपको इसे उठाने की अनुमति दूंगा। परन्तु हमें कुछ समय के लिये प्रतीक्षा करनी चाहिये। आसमान नहीं फटने जा रहा। यदि शून्य की स्थिति पैदा हो गई है तो यह जजों का काम है और अन्य विशेषज्ञों का काम है कि उस पर विचार करें। हम भी उचित समय पर उस पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे* प्रथम बार कहा है कि भारत और पाकिस्तान में अघोषित युद्ध चल रहा है। यह अत्यन्त चिन्ताजनक है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ उग्रवादी गतिविधियों का बढ़ावा दे रहा है और साथ ही भारत में सैनिकों को भी भेज रहा है। सीमा पार करते हुए वे हमारे सैनिकों से लड़ना शुरु कर देते हैं।

मान्यवर, चरार–ए–शरीफ में जघन्य कुकृत्य करने के बाद पाकिस्तान कश्मीर की जनता को गुमराह कर रहा है। कश्मीरियों को आत्मनिर्णय के लिए, चुनावों का बहिष्कार करने के लिए और चुनाव कार्यों में असहयोग करने के लिए पाकिस्तान निरंतर उकसा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आईएसआई ने कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना जाल फैला रखा है और बंगलादेश में सिलहट और चटगांव में उसके कैम्प लगे हुए हैं और मस्जिदों में बंकर बना रखे हैं आई.एस.आई के लोग वहां से पाकिस्तानी उग्रवादियों को ट्रेनिंग देकर पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भेज रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार ने वहां चुनाव कराने का संकल्प लिया है और चुनाव और तैयारियां चल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान वहां अघोषित युद्ध कर रहा है। पहली बार हमने* ऐसा कहा है कि देश की जनता को सही स्थिति बताने के लिए, पाकिस्तान के उग्रवाद को बढ़ावा देन के कुकृत्यों का पर्दाफाश करने के लिए, विश्व जनमत को प्रभावित करने के लिए, विश्व जनमत में भारत का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि भारत सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और देश की जनता को पाकिस्तान के काले कारनामो का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करके सारी दुनिया को अदगत कराने की कोशिश करे।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय*, का नाम किसी प्रकार के विवाद में नहीं घसीटा जाना चाहिये। इस तरह के मामले उठाना संसद की परम्पराओं के विरुद्ध है। **व्यवधान**

श्री योगेश झा : मैं श्री रूपचन्द पाल के साथ सहमत हूं। प्रो. रावत की टिप्पणियां कार्यवाही वृतान्त में नहीं जानी चाहियें। मैं इसका विरोध करता हूं इसे चुनौती अवश्य दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह देखूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा क्योंकि जब एक ही समय पर सब बोलने लगते हैं तो मैं सन नहीं सकता।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय यह बहुत ही गंभीर मामला है* कि के बारे में कोई भी टिप्पणियां यहां पर नहीं की जानी चाहिये यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाज़त से इस साल के हज के बारे में कुछ बातें आपके और सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस साल इसका बड़ा खास पहलू था। हिन्दुस्तान से तकरीबन 50,000 हिन्दुस्तानी हाजियों ने हज में हिस्सा लिया। उसमें से करीब 30,000 हमारी सरकारी हज कमेटी की मार्फत गए थे। करीब 15,000 प्राइवेटली गए थे और 5,000 दूसरे मुल्कों से आए थे। यह एक अच्छी बड़ी तादाद थी जिस तादाद में हिन्दुस्तानी हाजियों ने हज किया। बड़ी बात यह है कि इस साल जिसने भी हज के लिए दरख्वास्त दी, उसको हज करने का मौका मिला और इसके लिए मैं अपोजीशन में रहते हुए भी मैं सरकार की तारीफ करना चाहता हूं और इसको रेकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि इस साल 20–25 वर्षों के बाद हर दरख्वास्त करने वाले को हज करने का मौका मिला। यह बड़ी अच्छी ख्यात बनी है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि हम लोगों का ख्याल है जो सब्सिडी हज पर ट्रांसपोर्ट के बारे में मिल रही थी, वह इस साल बहुत कम हो गई है। यानी, इस साल तमाम हाजी हवाई–जहाज से गए और हर हवाई जहाज के हाजी को जो कि सरकारी इन्तजाम से गया था। उस पर इस साल 5,000 रुपये की सब्सिडी ट्रांसपोर्ट में एयर इंडिया को मिली है, जो पिछले सालों के मुकाबले में मिल रही सब्सिडी के मुकाबले बहुत कम है।

मेरी अपनी राय है और यह हमारे बहुत से दोस्तों की राय है कि यह सब्सिडी नहीं होनी चाहिये। इसको आहिस्ता–आहिस्ता घटाना चाहिये और इसे एक दिन खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि हज़ का पूरा खर्चा कम से कम 60 हजार रुपये का होता है और 60 हजार में 5 हजार रुपये की कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए यह हट भी जाय तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यह जरूर है कि इस साल एक अन्य रिवायत बनी है कि हर दरख्वास्त देने वाले को हज़ करने का मौका मिला है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां से जो मैडिकल मिशन गया था उसकी वहां बहुत तारीफ हुई है। इसकी तारीफ सिर्फ हिन्दुस्तानी हाजियों ने ही नहीं की, बल्कि हमारे इलाके के जितने दूसरे देशों के हाजी थे, चाहे वे पाकिस्तान के थे, बंगलादेश के थे, नेपाल के थे, अफगानिस्तान के थे या श्रीलंका के थे, सबने हमारे मैडिकल मिशन से फायदा उठाया। क्योंकि हमारे यहां जितनी अच्छी दवाइयां थीं और जितनी आसानी से मिल रही थी। वैसी दूसरे देशों से नहीं मिल रही थी। इससे हमारे देश की एक बड़ी चर्चा बनी है और एक बहुत अच्छी तस्वीर बनी है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर का सवाल है, कांसुलैट जनरल और हज़ कमेटी में बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा और सरकार ने कांसुलैट जनरल को मजबूत करने के लिए यहां से एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीम भेजी थी, जितनी शायद पिछले सालों में इतनी बड़ी टीम नहीं गयी। अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव टीम हमेशा बेहतर हो सकती है और उसके लिए आइंदा हमें कोशिश करनी चाहिए कि यह बढ़ जाए।

मैं बुनियादी तौर पर एक बात और करना चाहता हूं कि जो हाज़ियों के ठहरने का इंतजाम होता है उसमें हर साल बहुत सी शिकायतें आती थीं। इस साल भी थोड़ी–बहुत शिकायतें आई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो इंतजाम था वह दूसरे सालों के मुकाबले में ज्यादा रिजनेबल और कम खर्चे पर था। लेकिन उसको भी बेहतर करने की जरूरत है।

मैं सरकार को मुबारकबाद देते हुए कहना चाहता हूं कि एक हाजी को 1500 या 1000 डालर फॉरेन एक्सचेंज मिलती है जबकि एक आम मुसाफिर को उससे ज्यादा मिलती है लिहाजा अब जबकि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का कोई क्राईसेस नहीं है तो हर हाजी को हर दरख्वास्त देने वाले को अगले सालों में ज्यादा फॉरेन एक्सचेज मिले ताकि सभी को हज़ करने का मौका मिल सके।

इस साल जो हवाई जहाज का इंतजाम हुआ है वैसा इंतजाम अगले सालों में भी रहे और मेरी राय तो यही है कि उससे सब्सिडी और घटना चाहिये। सब्सिडी को कुछ ऐसे लोगों को देना चाहिए जो इकोनोमिकली बैकवर्ड है। इस तरह से हज के इंतजाम को और बेहतर करने की जरूरत है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि अगले साल के हज के इंतजाम के बारे में अभी से सोचना शुरू किया जाए ताकि अगले साल का इंतजाम हम ओर बेहतर कर सकें और देश का नाम उंचा हो सके।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : इस देश कें इतिहास में आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है कि जितने लोगों ने हज पर जाने के आवेदन पत्र दिये सब को जाने दिया गया अब हर एक इस बात पर खुश है कि जो भी हज पर जाने के लिये आवेदन करेगा उसे जाने दिया जायेगा।

महोदय, हज यात्रियों के लिये कन्सूलेट के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बारे में श्री शहबुद्दीन ने जो कुछ कहा है उसकी सराहना करते हुए हाजियों को दिया गया सहयोग सरकार द्वारा की गई व्यवस्था और डाक्टरी मिशन मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं हमारे देश में केन्द्रीय हज समिति हज के शुरू होने के पहले केवल एक दो महीनों के लिये हाजियों को अनिवार्य रूप से ठहराने के लिये इमारत किराये पर लेती है अर्थात उन महीनों में जो हमारे इस्लामी कलेन्डर के अनुसार कम आलम और रमजान नाम से जाने जाते हैं परन्तु अन्य सभी देश चाहे टर्की हो, मिश्र, नाईजीरिया, पाकिस्तान अथवा बंग्लादेश हो, बड़ी मस्जिद हरम शरीफ के निकट मकानों पर अभी से कब्जा करने लगे हैं हमारे हाजियों को उन मकानों में ठहरना पड़ता है जो बड़ी मस्जिद से आठ सौ मीटर अथवा एक हजार मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। हर रोज उनको उस बड़ी मस्जिद तक पैदल जाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : आप हज समिति में इस पर निर्णय क्यों नहीं करते।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि हज समिति हो अग्रिम रूप से जरूरी पैसा दिया जाये ताकि वे वहां पर जायें और किराये पर इमारतें ले और पैसा मिलने पर हाजी हमें क्षण की तरह वह पैसा लौटा दें। उस स्थिति में हज के लिये किए गए प्रबन्ध अन्य देशों की तुलना में बेहतर होंगे। इण्डोनेशिया से इस साल 2 करोड़ यात्री हज पर गये और यहां से केवल 50000 व्यक्ति गये। अतः सरकार को अभी से तैयारी करनी चाहिये ताकि भारतीय हाजियों को होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, देश के नवयुवकों और नवयुवतियों में बेरोजगारी के कारण आज भारी चिन्ता व्याप्त है जो निरन्तर हर साल बढ़ती जा रही है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने सरकारी नौकरियों में, सार्यजनिक क्षेत्र के कारखानों में और अनेक संगठनों नें नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा रखा है जिसकी वजह से शिक्षित बेरोजगारों में बहुत बैचेनी है, उनमें घोर निराशा व्याप्त है। इस समय देश में लगभग चार करोड़ बेरोजगार हैं जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सबको नौकरी दी जाये, सबको नौकरी देना संभव नहीं है लेकिन हर सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों को जीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार करें और उन्हें लागू करें। इस समस्या का निदान यदि किसी और ढंग से निकाला जा सकता हो तो वे रास्ते भी निकाले जाने चाहिये। शिक्षित बेरोजगारों के अलावा देश में लगभग 6 करोड़ से 7 करोड़ के बीच अशिक्षित बेरोजगार भी हैं और उनमें भी आज बहुत निराशा है घोर असंतोष है जिससे उन नौजवानों में एक आंदोलन की सी स्थिति बन रही है। उनके संगठनों की तरफ से बराबर यह मांग की जा रही है कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कोई रास्ता निकाला जाये ताकि उन्हें जीविका के साधन दिये जा सकें। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निदान निकाले। इसके लिये एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाये ताकि इस समस्या के निदान के लिये क्या नये रास्ते निकाले जायें, कौन से नये कार्यक्रम तैयार किये जायें, क्या योजनाएं बनाई जायें, इस सम्बन्ध में सुझाव दे सकें।

12.31 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उस आयोग को निर्देश दिया जाये कि एक निश्चित समय के अंदर सबको रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध कराये जा सकते हैं, इस बारे में ठोस सुझाव दे। इसके अलावा रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के संबन्ध में सरकार की जो वर्तमान योजनाएं हैं मैं उन्हें ना काफी मानता हूं। सरकार केवल यही कह रही है कि हमने जवाहर रोजगार योजना चलाई है, नेहरू रोजगार योजना चलाई है लेकिन वे सारी की सारी योजनाएं 30 दिन से लेकर 3 महीने तक रोजगार के साधन उपलब्ध कराने वाली योजनाएं हैं गांवों में किसी जमाने में जो बेरोजगार खेतिहर मजदूर होते थे ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में व्यवस्था बनाए रखें।

श्री चन्द्रजीत यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि सरकार ने बेरोजगारों के लिये इस वक्त जो योजनायें चलाई हैं जिनकी चर्चा कल वित्त मंत्री जी ने की और कहा कि हम देश के 30 लाख नौजवानों के लिये रोजगार की योजना बना रहे हैं और उससे 60 लाख नौजवान भी लाभांवित हो सकते हैं लेकिन वे सारी योजनाएं अस्थाई हैं, खेतिहर मजदूरों के लिये हैं जिस समय वे बेरोजगार होते हैं, केवल उस अवधि में उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए वे योजनाएं हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बेरोजगारी के संबंध में एक राष्ट्रीय आयोग गठित करे जो देश के बेरोजगार युवकों और युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये क्या तरीके निकाले जा सकते हैं, क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उन्हें कैसे जीविका के साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं, इस बारे में सलाह दें ताकि एक सीमाबद्ध समय में उनको रोजगार दिलाया जा सके।

मैं यह मांग भी करना चाहता हूं कि दुनिया के जितने उन्नत देश हैं विकसित देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली जैसे देश हैं, स्केन्डेनेवियन देश हैं, जो ज्यादा उन्नत हैं जहां प्रति व्यक्ति की आमदनी ज्यादा है, ऐसे देशों में किसी परिवार में यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है, सदन इस बात को जानता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन थे, उनके कार्यकाल में ही, जब उनकी बेटी कुछ दिनों के लिये बेरोजगार हो गयी तो वहां की सरकार ने उसे भी बेरोजगारी भत्ता, उपलब्ध कराया था। इसका मतलब है कि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति की लड़की को भी यह मौलिक अधिकार है कि वह बेरोजगारी भत्ता ले। उसे देखते हुए हमारे देश में और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारा देश गरीब है, पिछड़ा हुआ है और यहां प्रति व्यक्ति की आमदनी भी बहुत कम है, लगभग 350 डालर प्रति व्यक्ति है और यही कारण है कि हमारे परिवारों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इसलिये मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं और पूरा सदन इस बारे में विचार करे कि हमें अपने देश के हर बेरोजगार नौजवान युवक और युवतियों को उस समय तक बेरोजगारी भत्ता देना चाहिये जब तक कि उन्हें जीविका के साधन उपलब्ध नहीं करा दिये जाते। बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था पर इस सदन और सरकार को विचार करना चाहिये।

उसके लिए साधन उपलब्ध करने चाहिये और मेरी मुख्य रूप से मांग है कि 500 रुपये महीने हर बेरोजगार युवक और युवती को जब तक उसकी रोजीरोटी का उसकी जीविका का साधन नहीं होता है, तब तक सरकार को उसको बेरोजगारी का भत्ता देना चाहिय। मैं समझता हूं कि सदन इस समस्या को गम्भीरता से लेगा ताकि हमारे देश में जो युवक और युवतियों में निराशा पैदा हो रही है उसका निराकरण हो सके और लोगों को भी इसमें साथ देना चाहिए ...(**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं चन्द्रजीत यादव जी की बात का समर्थन करते हुए एक अन्यन्त महत्वपूर्ण बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र गाजीपुर के टिकदार नगर थानान्तर्गत अमावरा गांव में सामन्ती तत्वों ने 36 हरिजन परिवारों की पूरी बस्ती को जला कर राख कर दिया। हरिजनों का कसूर मात्र यह था कि हरिजन समुदाय की एक महिला नयन तारा ने, सामन्ती तत्वों की एक महिला प्रत्याशी के मुकाबले में बी.डी.सी. के चुनाव लड़ने का साहस किया था। इस हरिजन महिला की उम्मीदवारों से चिढ़ कर सामन्ती तत्वों ने 19 मई, 1995 को उक्त हरिजन बस्ती में आग लगा दी जिससे न केवल पूरी बस्ती जल कर खाक हो गई बल्कि उनके जानवर वगैरह भी जल गए। फायर-ब्रिग्रेड गई, तो उसको भी रोक दिया। हरिजन बस्ती में फायर-ब्रिगेड को नहीं पहुंचने दिया। आज उनकी स्थिति यह हो गई कि उनके तन पर मात्र वही वस्त्र हैं जो वे पहने हुए हैं।

इसके साथ ही दुख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि हरिजनों के रिपोर्ट लिखाने के बाद भी अभी तक एक भी आग लगाने वाले को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपके माध्यम से मेरी मांग है कि सरकार इस ओर तत्काल ध्यान दे और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करे और तुरन्त उनको आर्थिक सहायता प्रदान करे तथा आज भी जो खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं उनके लिए खाने का प्रबन्ध सरकार करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी.जी. नारायणन ने अपना विषय वापस ले लिया है अब मैं नहीं राम प्रसाद सिंह का नाम पुकारता हूं।

...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय,...**व्यवधान**

श्री विश्वनाथ शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वे इस बात का नोटिस लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार के ध्यान में यह बात आई है। सम्बद्ध मंत्रालय से पूछताछ की जायेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये हरिजन लोग, अनुसूचित जाति के लोग अपनी उम्मीदवारी भी नहीं करवा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसके ऊपर कुछ कहें। शुद्धरूप से हरिजन बस्ती जलकर राख हो गई है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे क्षमा करें, आप सदन में ही उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झलारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप अन्यों को अवसर से वंचित कर रहे हैं। सदन में अनुशासन बनाए रखने का यह तरीका नहीं है। श्री एम प्रसाद सिंह अगली पंक्ति में आएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय,

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी ऊंची आवाज के साथ दूसरों को अवसरों से वंचित कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनकी आवाज मन्द है; आप उनको अवसरों से वंचित कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। सरकार इसका उत्तर नहीं देगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, जी यहां पर बैठे हैं वे कुछ तो जवाब दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अनुगृहित करें।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार का ध्यान बिहार राज्य की तरफ खींचना चाहता हूं। बिहार राज्य का रौहतास जिला बिहार का कृषि प्रधान इलाका है और वह पूरे बिहार राज्य को चावल देने के अतिरिक्त अन्य राज्यों को भी चावल देता है। दुख इस बात का है कि भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना पूरे देश में की जा रही है। अब तक 261 जिलों में इन केन्द्रों की स्थापना की गई है लेकिन बिहार राज्य, जो कि कृषि प्रधान जिला है, जहां सोन केनाल सिस्टम है, जहां सिंचाई की पूरी व्यवस्था है, उस जिले को नजरअंदाज किया गया है ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मृत्युजंय नायक (फूलवनती) : महोदय, आप इस ओर नहीं देख रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे मित्र आपको जानते हैं कि मेरे सामने नामों की सूची है। मैं बार बार किसी से ही नाम पुकारे रहा हूं। मैं इस ओर या उस ओर नहीं देखता । कृपया सदन का समय नष्ट न करें।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि रोहतास जिला के अकोही प्रखंड के बाद इस गांव में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाये। साथ ही वहां रिसर्च सेन्टर खोला जाये, ताकि वहां कृषि संभावनाओं पर खोज की जा सके जिससे लोगों को नियोजन मिल सके। अच्छे किस्म के बीजों की खोज हो सके, जो कि कृषि उत्पादन की बढोत्तरी में सहायक सिद्ध हो जिससे देश की बढ़ती हुई आबादी के अनुकूल पैदावार हो सके।

[अनुवाद]

श्री द्वारिका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, मैने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की यह लगातार मांग रही है कि असम के करीमगंज जिले में एक कृषि कालेज की स्थापना की जाये। मैंने इस बारे में केन्द्रीय सरकार तथा असम राज्य सरकार को कई बार पत्र लिखे हैं किन्तु आज तक वे इस बारे में चुप हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र करीमगंज (अनुसूचित जातियों) में करीमगंज तथा हल्लाइंडी जिले आते हैं और दोनों कृषि दृष्टि से समृद्ध इलाके हैं। इस कारण वहां पर कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान का काम होना चाहिये इस कारण वहां पर इस तरह की संस्था की जरूरत है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर विचार करे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र असम के करीमगंज इलाके में शीघ्र ही एक कृषि कालेज की स्थापना हेतु उचित अधिकारियों को निर्देश दे।

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : अध्यक्ष महोदय, कानपुर देहात व यू.पी. आदि के बगल में जनपद फतेहपुर, हमीरपुर, जालोन व इटावा आदि जुड़े हुए जिले हैं। बुन्देलखण्ड से लगे हुए जिलों में खास तौर पर फतेहपुर और कानपुर देहात में 10 बड़े–बड़े गिरोह पकड़–धकड़, डकैती व हत्यायें आदि अपराध करते हैं। वहां सम्पर्क मार्ग न होने की वजह से, वे गिरोह आसानी से ये अपराध करके निकल जाते हैं। वहां पुलिस सम्पर्क मार्ग व साधन के अभाव में कई–कई घंटे अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने कृषि विभाग की ओर से एक स्कीम बनाई थी कि दस्यु उन्मूलन के तहत वहां सम्पर्क मार्ग व विद्युतीकरण आदि करके लोगों को राहत देंगे ताकि वहां अपराधी बीहड जंगलों से निकलकर चले जायें तथा जो गांव वाले उन अपराधियों से भयभीत व परेशान रहते हैं, वे आराम से जिंदगी जी सकें।

अतः मैं भारत सरकार से पुनः यह मांग करता हूं कि भारत सरकार ने कृषि विभाग द्वारा जो पूर्व प्रस्तावित स्कीम बनाई थी, उसे शीघ्रता के साथ पूरा करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। **(व्यवधान)***

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से लोक महत्व का प्रश्न उठाकर सदन का ध्यान आकृर्षित करना चाहता हूं ...**(व्यवधान)** बहुत समय से छिलौनी बगहा रेल पुल का एक इतिहास रहा है। इस पुल का शिलान्यास पूर्व प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक पत्थर लगाकर किया गया था वह काम बाकी रह गया था। तत्कालीन रेल मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जब पुल का शिलान्यास किया तो उसी समय एक निर्णय हुआ और 165 करोड़ रुपये की योजना बनी। उस योजना में उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, भारत सरकार का रेल मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय की भागीदारी निश्चित की गई और पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया। पुल का 60 फीसदी से भी ज्यादा कार्य पूरा हो चुका था लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार और जल संसाधन विभाग ने अपने हिस्से का रुपया नहीं दिया। इस बात को लेकर धरना और प्रदर्शन भी हुआ ...**(व्यवधान)** मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पुल अधूरा बना हुआ है, उसे विशेष अनुदान देकर पूरा करवाने का निर्देश दिया जाए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, रास्ते में जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वे इसलिए होते हैं ताकि एक्सीडेंट्स कम हों। लेकिन जो स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं उनका कोई स्टेन्डर्ड नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि पूरे हिन्दुस्तान के स्पीड ब्रेकर्स को स्टैन्डर्डाईज्ड करना चाहिए। वे कभी ऊंचे होते हैं तो कभी रम्बलिंग टाइप के होते हैं। कई जगहों पर तो रास्तें में स्पीड ब्रेकर बनाना सोशल वर्क हो गया है। कोई भी आकार रास्ते में स्पीड ब्रेकर बना देता है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई मानक नहीं हैं।

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष जी, आप कभी ऑटो रिक्शा में बैठे हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम नहीं है लेकिन मैं ऑटो रिक्शा में जाता हूं ऑटो रिक्शा में जाते समय कभी भी व्यक्ति गिर सकता है। मैं स्कूटर भी चलाता हूं स्कूटर के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति कब गिर जाए, कहा नही जा सकता। ये गतिरोधक कमर तोड़क बन गए हैं। वहां पर साइन बोर्ड भी नहीं लगाया जाता और न ही उस पर रंग किया जाता है। मेरी मांग है कि सारे हिन्दुस्तान में जहां–जहां रास्ते हैं वहां स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए स्टेन्डर्डाईजेशन करना चाहिए। और जहां भी स्पीड ब्रेकर बनाना है, वहां बोर्ड लगाना चाहिए और उस पर रंग करना चाहिये।

एक और बात यह है कि नियम के अनुसार हाईवे पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया जा सकता लेकिन फिर भी बना दिया जाता है। इस बारे में सरकार की क्या नीति है और वह क्या करने जा रही है यह बताना चाहिए। ...**(व्यवधान)** इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैन्डर्ड बना हुआ है। उनके पास यह मामला भेजना चाहिये। जैसा चाहे उस ढंग से गतिरोधन नहीं बनाने चाहिएं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय मैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि जिस विषय पर आप बोलना चाहती हैं। वह कार्य सूची में नही है मैं अंत में आपको एक मिनट का समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं...**(व्यवधान)** आज सुबह हम चाईल्ड सवाईवल के बारे में बात कर रहे थे। मै बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि हमारे देश में 5 करोड़ के करीब बाल श्रमिक है जिनकी समस्याओं को

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नजरअंदाज किया जाता है। एक बारह साल का मंगेलाल नाम का लड़का है जो मध्य प्रदेश की स्लेट और पैन्सिल बनाने की इंडस्ट्री में काम करता है । सिलीकोसिस नाम की एक बीमारी है इस बीमारी से उसके पिता पीड़ित बच्चों का होता है। वह इस बीमारी से पीड़ित हैं कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में चाईल्ड लेबर खत्म हो गई है। चाईल्ड लेबर के बारे में भारत सरकार का जो रवैया है वह इतना असंतोषजनक है कि बच्चों का जो सारा किस्सा मैं। आपको सुनाऊं तो वह बहुत हृदय विदारक है। मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जो पांच करोड़ बच्चे हैं, उनके सिलसिले में 1979 में गुरूपादस्वामी कमेटी बनी थी, लेकिन वह कमेटी अपनी रिपोर्ट में कहती है कि :

[अनुवाद]

"जब किसी बच्चे से उसकी शारीरिक क्षमता से अधिक काम लिया जाता है तो वह श्रम नितान्त बुराई बन जाता है; जब काम के घंटे उसकी शिक्षा मनोरंजन एवं आराम में बाधक बनते हैं, जब उसकी मजदूरी उसके द्वारा दिए गए काम की मात्रा के समतुल्य नहीं होते और अब जो काम कर रहा है वह काम अच्छे स्वास्थ्य के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है; जब उसका शोषण किया जाता है।"

तब वह श्रम एक जबरदस्त बुराई का रूप ले लेता है और इस की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

गुरुपादस्वामी कमेटी ने 1979 में रिपोर्ट दी और सरकार सो गई। डायरैक्टिव प्रिंसीपल कहता है, फाण्डामैण्टल राइट कहता है कि बच्चों की जिंदगी प्यारी है और 14 साल तक के बच्चों को कोई कामकाज नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि इसके बारे में भी सरकार कहती है कि हम 800 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं लेकिन ग्राउण्ड रियलिटी यह है कि बच्चे मरते रहते हैं। बच्चों को बचपन में काम पर लिया जाता है उनको कठिन दण्ड दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के सिलसिले में चाइल्ड लेबर पर जो स्टेंडिंग कमेटी थी, वह कहती है कि सरकार का इरादा चाइल्ड लेबर को खत्म करने का नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं चाहूंगा कि सरकार इसको बहुत गम्भीरता से ले और सरकार का जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके सिलसिले में सरकार एक कमीशन बिठाये ताकि चाइल्ड लेबर हमेशा के लिए खत्म हो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. पी.आर. गंगकर आप का विषय, डीजल की कमी, उठाया जा चुका है सरकार ने सदन में उसका उत्तर भी दे दिया है। अतः आज का विषय अब नहीं लिया जायेगा।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है हमारे क्षेत्र के काश्तकार परेशान हैं उन्हें पुलिस लूट रही है, पेट्रोल पम्प वाले लूट रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही उठाया जा चुका है।

...(व्यवधान)...*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। श्री प्रभुदयाल कठेरिया...

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डा. पी.आर. गंगवार मैने आपका नाम नहीं पुकारा है। आपको बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह राज्य सरकार का विषय है। अतः इसे यहां पर नहीं उठाया जा सकता।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः डा. गंगवार, आप का व्यवहार उचित नहीं है।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें। डा. गंगवार कृपया बोलना बंद करें...

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। डा. गंगवार आप का विषय इस सदन में पहले ही उठाया जा चुका है। इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी और माननीय मंत्री इसका उत्तर दे चुके हैं हालांकि मैने आपको यह बता दिया है कि किन्तु आपने इस बात कं. ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आप का सदन में व्यवहार उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अनुशासन बनाए रखें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है बहुत गलत बात है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठिये।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त ही लोक महत्व का विषय लोक सभा में उठाना चाहता हूं, यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है।

आज देश के अन्दर टाडा से भी महत्वपूर्ण विषय, जो अत्यन्त ही गम्भीर बनता चला जा रहा है, वह यह है कि आज पेयजल की समस्या समूचे भारतवर्ष के अन्दर है कई ऐसे प्रान्त हैं, जहां पेयजल की समस्या अत्यन्त ही गंभीर होती चली जा रही है। वाटर लेविल हर वर्ष 10–10 फीट, 15–15 फीट नीचे चला जा रहा है। आज भारतवर्ष की सरकार इस ओर गंभीरता से कोई विचार नहीं कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिये, पशु से लेकर मनुष्य तक पेयजल समस्या इतनी गम्भीर है कि पानी पीने के लिए भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने घड़े लेकर गली–गली में मारी–मारी फिर रही हैं लेकिन उन्हें पानी की बूंद नहीं मिल रही है। इसके साथ–साथ पशुओं को भी पानी नहीं मिल रहा है। चम्बल डाल परियोजना जो कि ग्राम पिनहुर, जिला आगरा में है, वह भारत सरकार के पास लम्बित पडी है। वह इसे शीघ्र पूरा कराये। भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले जिससे पेय जल की समस्या हल हो सके– (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सदन में अनुशासन रखना चाहिये। यदि यही व्यवहार रहेगा तो सदन में अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जायेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कठेरिया मेस आप से अनुरोध है कि आप नियम पढें जिनमें कहा गया है कि मामला हाल ही करा तथा सार्वजनिक महत्व का होना चाहिये। जो मामला आपने उठाया है वह राज्य में संबंधित एक साधारण मामला है। परन्तु आप उस मामले को उठा रहे हैं। मेरा आप से अनुरोध है कि आप नियम पढें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कठेरिया आपको अपने आप को अनुशासित करना होगा। इस मूल सिद्धांत को हमें सीखना होगा।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में एक गम्भीर मामला उठाना चाहती हूं। पाकिस्तान की मैरिन सिक्योरिटी आये दिन भारतीय सीमा का उल्लंघन करती है गुजरात के मीवरन के कई मछुआरे अपनी नाव को लेकर जब मछली पकड़ने गए तो पाकिस्तान की मैरिन सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ लिया मार–पीट की और उनकी उंगली काट दी। ऐसा काम करते हुए उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। इस बारे में हमारी सरकार ने भी कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि जिन मछुआरों को मारा गया और उंगली काट दी गई, उनको सहायता के तौर पर कुछ धनराशि दी जाये। जो भारतीय सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं और जो भारतीय मछुआरों को परेशान कर रहे हैं उनको दंड दिया जाये। हमारी जल सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिये और जल सीमा की सुरक्षा कड़ी की जानी चाहिये। सरकार इसके बारे में क्या करने वाली है, ऐसा यहां बयान दे।

डा. लाल बहादुर रावत (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले चार वर्ष से स्कूल आफ प्लानिंग ऐंड आर्किटैक्ट, नई दिल्ली का मैम्बर हूं। इसकी एक–एक बैठक लगभग दो वर्ष पहले लगातार हुई लेकिन फरवरी 1993 के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई। स्कूल आफ प्लानिंग ऐंड आर्किटैक्ट से सम्बन्धित मामले में जनरल कौंसिल में उठाना चाहता था। लेकिन फरवरी 1993 के बाद कोई बैठक नहीं हुई। इसलिए यहां इस मामले को रख रहा हूं। जनरल कौंसिल, एग्जीक्यूटिव कौंसिल और एकैडमिक कौंसिल की बैठक नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। इसलिये स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटैक्ट सफर कर रहा है। मैं वहां की अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऐसी शिकायतें मुझे विस्तृत रूप से मिल रही है। इस सम्बन्ध में मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि वह स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटैक्ट के डायरैक्टर से मिल कर वहां हो रही अनियमितताओं की जांच कराये और अनुसूचित जातियों और जन जातियों के छात्रों के साथ हो रहे दुव्यर्वहार की जांच करायें. ..(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. लाल बहादुर रावत, कृपया अपना भाषण जल्दी समाप्त करें इस मामले को कब तक खींचना चाहते हैं आपकी समस्या है और आप के पास दवा है। यह काफी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, कई वर्ष हो गये हैं लेकिन देश के सभी राज्यों में अभी तक हदबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। सरकार की नीयत थी कि खास तौर पर जमीन हरिजनों और गरीबों में बांटी जायेगी लेकिन वह नीयत कागज पर ही रह गई। अगर आंकड़े देखे जाएं तो पूरे देश के पैमाने पर बहुत कम ही ऐसे राज्य हैं जहां गरीबों को जमीन मिली है।

1.00 म.प.

अगर जमीन मिली भी है, तो उस पर कब्जा नहीं हुआ है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार तमाम राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाए और बैठक के माध्यम से इस बात का मूल्यांकन करे कि हदबन्दी कानून ठीक से लागू हुआ है या नहीं जहां तक मेरी जानकारी है हदबन्दी कानून के तहत गरीबों को जमीनें नहीं मिली हैं साथ ही साथ देहातों में हदबन्दी कानून लागू हुआ है लेकिन शहरों मे बहुत से लोगों ने फाजिल जमीन रखी हुई है। और उन जमीनों के बंटवारे के लिए श्री अभी तक कोई कानून नहीं बना है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से देहातों में जमीनों के बंटवारे के लिए हदबन्दी कानून लागू है, उसी तरह से शहरों में भी जिन लोगों ने जमीन रखी हुई है और सम्पत्ति रखी है, उन पर भी हदबन्दी कानून लागू होना चाहिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अनियत घंटा समाप्त हो रहा है। कृपया मुझे क्षमा करें। यदि आप का सहयोग मिलता तो चार पांच माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकते थे। कुछ माननीय सदस्य जिनकी आवाज बहुत मन्द है, उनका अवसर नहीं दिया जा सका, क्योंकि व्यवधान बार-बार उपस्थित किए गए। हमें सदन की गरिमा तथा प्रतिष्ठा बनाए रखना है। जिस क्षण अध्यक्षपीठ के द्वारा आप को अपनी बात समाप्त करने को कहा जाये आपको अपनी बात बन्द कर दी जानी चाहिये। घंटी बजने का क्या काम यदि आपको बोलते ही रहना है। जब आप का नाम नहीं पुकारा गया हो तब भी आप बोलते रहते हैं। इस तरह का यह सदन है। इसकी अपनी परम्परा है। हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। हमें बेमतलब अपना धैर्य नहीं खो देना चाहिये।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय मेरा नाम नहीं पुकारा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे क्षमा करें। जब आपका नाम पुकारा गया था आप उस समय अनुपस्थित थे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी ममताजी आपका आरोप बहुत गंभीर है।

कुमारी ममता बनर्जी : मेरा कोई आरोप नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अनियत घंटे में उस विषय को लेना उचित नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।

अब सभा 14.00 म.प. पर पुनः समकेत होने के लिए स्थगित होती है।

13.02 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2.00 म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

2.05 म.प.

लोक सभा मध्यान्ह भोजनकाल के पश्चात 2.05 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

2.06 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 के अतंर्गत कम्पनियां (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र संशोधन नियम, 1955 और अधिसूचनाएं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनीक) : मैं श्री हंसराज भारद्वाज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनियां (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1995, जो 21 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 283(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा. का. नि. 281(अ), जो 21 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 जून, 1985 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 507(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) सा. का. नि. 282(अ), जो 21 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 627 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) सा. का. नि. 284(अ), जो मार्च, 1995 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मई, 1991 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 288 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7680/95]

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार–(1995 का संख्यांक में) वाणिज्यिक

मानव संसाधन विभाग मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेलकूद विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनीक) : मैं श्रीमती कृष्णा साही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन – संघ सरकार – (1995 का संख्यांक 4) –(वाणिज्यिक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (हीप हरद्वार, ईपीडी, बंगलौर और इन्सुलेटर प्लांट, जगदीशपुर की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 7681/95]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेलकूद विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनीक) : मैं श्रीमती मारग्रेट अल्वा की ओर से निम्नलिखित पत्र समा पटल पर रखता हूं :–

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा(2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(1) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या नियतन) दूसरा संशोधन, विनियम, 1994 जो 22 अक्टूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 513 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1994 जो 22 अक्टूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 515 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन, विनियम, 1994 जो 17 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 622 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय पुलिस सेवा वेतन आठवां संशोधन नियम, 1994, 17 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 623 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7682/95]

सैंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 में कार्यकारण की समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सैंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सैंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7683/95]

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मैंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखते हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक)नेशनल इंस्टिट्यूट आफ मैंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइंसिज, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ मैंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साईंसिज, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7684/95]

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन–संघ सरकार–(1995 का संख्यांक 5)-(वाणिज्यिक)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन–संघ सरकार–(1995 का संख्यांक5)–(वाणिज्यिक) नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7685/95]

आचार्य हरिहर रीजनल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट सोसाइटी कटक के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (क) (एक)आचार्य हरिहर रीजनल सेंटर फार कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट सोसाइटी कटक के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आचार्य हरिहर रीजनल सेंटर फार कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट सोसाइटी कटक के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7686/95]

(ख) (एक)आचार्य हरिहर रीजनल सेंटर फोर कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट सोसाइटी कटक के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आचार्य हरिहर रीजनल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट सोसाइटी,

कटक के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग) आचार्य हरिहर रीजनल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सोसाइटी कटक के वर्ष 1992–93 और 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7687/95]

(3) (एक)गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7688/95]

(4) उपयुर्क्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7689/95]

(5) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 1994 जो 9 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 614(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 7 फरवरी, 1995 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 60(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7689/95]

2.08 म.प.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

श्री संत राम सिंगल (पटियाला) : महोदय, मैं। गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 42 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.08/1/2 म.प.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्थायी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : मैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के समाज संबद्ध कार्यक्रम, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति और उससे संबंधित संस्थानिक तंत्र, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और

मूल्यांकन परिषद (टी.आई.एफ.ए.सी.) प्रौद्योगिकी विकास कोष और भूकंम्पनीय के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन (1993–94) के संबध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.10 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) स्कूलों/कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिये प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर) : किसी स्कूल अथवा कालेज में प्रधानाचार्य का स्थान धुरी के रूप में है। वह संस्था के समुदाय का प्रशासक, शैक्षिक नेता, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं। उस समुदाय में अध्यापक छात्र गैर अध्यापन कार्य करने वाले कार्यकारी, माता–पिता तथा फेर समाज आता है। वह ही स्कूल को बनाता अथवा नष्ट करता है वास्तव में किसी शिक्षा संस्था का रूप वही होता है जो उसका प्रधानाचार्य उसे देता है। यू.एस.नेशनल कमीशन फॉर प्रिंसीपलशिप (1990) ने क्षमता एवं दक्षता के ऐसे चार व्यापक क्षेत्रों का चयन किया है जो किसी प्रधानाचार्य के प्रभावी कार्यकरण के लिये महत्वपूर्ण है, अर्थात कार्यात्मक, कार्यक्रम से सम्बंधित, अन्तः वैयक्तिक और प्रकरण सम्बन्धी।

अपने संस्थान के प्रशासन तथा उसके कार्यों के सूक्ष्मतापूर्वक संचालन के लिये और उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अपने शैक्षिक सहयोगियों का नेतृत्व ग्रहण करने के लिये उनसे उम्मीद की जाती है कि वे स्पष्ट अथवा अस्पष्ट उद्देश्य अथवा शैक्षिक उत्कृष्टता का लक्ष्य तय करने और उसे कार्यान्वित करने सहित किन्हीं सुनिश्चित समितियों के निवेदन करेंगे और उसी गतिविधियों को प्रकाशित करेंगे जिनके परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम को समर्थन मिले, (कालेज के मामले में) उच्चकोटि के अनुसंधान के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने, धनराशि के उद्देश्यपूर्ण वितरण, अध्यापकों एवं गैर–अध्यापन कर्मचारियों के कार्यों की व्यवस्था करने, छात्रों के मामलों में समन्वय लाने, निष्ठा हासिल करने तथा उसे बनाये रखने के लिए जनता से सम्बंधों का प्रबल किया जा सके । वर्तमान भारतीय परिपेक्ष्य बहुत ही हताश करने वाला है। कुछ विकल अपवादों को छोड़ कर हमारे प्रधानाचार्य अति अपेक्षित शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहते हैं। इस वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये तत्काल और पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है। चाहे वह प्रधानाचार्य निजी स्कूल का स्वामी प्रधानाचार्य है या नियमित नियुक्ति पर कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे प्रधानाचार्य के रूप में पदभार ग्रहण धारण करने से पहले अथवा तुरन्त बाद किसी निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान में शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने के सम्बन्ध में समुचित ढंग से आयोजित नवीकरण कार्यक्रम से गुजारना चाहिये।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रधानाचार्यों के लिए इस प्रकार का एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाये जिससे वे देश में शिक्षा के स्तर के संवर्धन के हित में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

(दो) राजस्थान सरकार को किसानों के हितों की रक्षा हेतु गंग नहर की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर) : राजस्थान गंग कैनाल से एक छः मासी नहर निकाली गयी थी। इस छः मासी नहर पर आने वाले गांवों की सिंचाई की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसलिए कि गंग कैनाल पुरानी बनी हुई नहर है। इसकी हालत बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी है । उसमें पूरी कैपेसिटी का पानी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इस नहर की मरम्मत करने के लिए एक डाईवरसन चैनल बनाया गया है। लेकिन इस डाईवरसन चैनल में अभी तक पानी नहीं दिया गया है। इसलिए गंग कैनाल की हालत भी बहुत बुरी स्थिति में है।

मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि गंग कैनाल की मरम्मत करने के लिए राजस्थान सरकार को आवश्यक धन दिया जाय ताकि किसानों की हालत सुधर सके।

इसी तरह से गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल (इंदिरा गांधी कैनाल) के फर्स्ट फैज में पक्के खा बनाये गये थे। इन दोनों नहरों के पक्के खालों की कीमत किसानों से वसूल की जा रही है। जबकि इंदिरा गांधी कैनाल के सैकिंड फेज में राजस्थान सरकार खुद के खर्चे से पक्के खाले बनाती जा रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह इन पक्के खालों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत पैसा राजस्थान सरकार को देकर किसानों के सिर से कर्जा माफ कर देना चाहिए।

(तीन) मेहसाणा और अहमदाबाद के बीच रेलगाड़ी को पुनः चलाए जाने की आवश्यकता

श्री महेश कनोडिया (पाटन) : मेरे संसदीय क्षेत्र पाटन से मेहसाणा अहमदाबाद के बीच एक रेल सेवा चल रही थी, जिसको सरकार ने अचानक बंद कर दिया जिसके कारण इस क्षेत्र के रेल यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। इसी गाड़ी से डाक आती थी वह भी समय पर नहीं पहुंच पा रही है तथा मीटर गेज से ब्रांडगेज से परिवर्तन करने के कार्य में मेहसाणा पाटन –मीटर गेज 42 किलोमीटर एवं मेहसाणा पाटन मीटर गेज 42 किलोमीटर एवं मेहसाणा–पाटन एवं तारंगा मीटर गेज को भी ब्रांड गेज में परिवर्तन के कार्य में शामिल किया जाये।

(चार) एड्स के उपचार के लिए केरल में विकसित आयुर्वेदिक मिश्रण के नैदानिक परीक्षणों के परिणामों की घोषणा किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : केरल में एक जड़ी–बूटी विशेषज्ञ द्वारा 25 जड़ी–बूटियों से तैयार किए गए एक मिश्रण को एच आई वी के स्पष्ट चिन्हों वाले लगभग 45 रोगियों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस मिश्रण के बारे में दावा किया गया है कि यह एड्स के लक्षणों को मिटाने के लिये और इस घातक रोग के उपचार के लिये उपयोगी दवा है।

तथापि, एलोपैथिक समुदाय के द्वारा इस जड़ी–बूटी विशेषज्ञ के प्रयासों को अभी मान्यता दी जानी है। उनके अनुसार जून, 1993 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और एड्स रोगियों पर उनकी दवा के साथ कुछ परीक्षण किये गये थे। परन्तु उन परीक्षणों के परिणाम अभी तक घोषित किये जाने हैं जबकि उस जड़ी–बूटी विशेषज्ञ का निश्चित मत है कि परिणाम उत्साह जनक है। सरकार से अनुरोध है कि उनके परिणामों की वर्तमान स्थिति पर और एड्स रोगियों पर आगे किए जाने वाले परीक्षणों के बारे में रोशनी डाले।

यह भी पता चला है कि इस मिश्रण पर अमरीका में वैज्ञानिक परीक्षण किये जा रहे हैं। इस को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि परीक्षणों के परिणाम प्राथमिकता के आधार पर घोषित किये जायें।

(पांच) दिल्ली और नवादा के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रेम चन्द राम (नवादा) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र नवादा के लिए दिल्ली से कोई सीधी रेल सेवा न होने के कारण यहां की जनता को अत्यधिक परेशानी हो रही है। पूर्व में वर्ष 1988–89 में नई दिल्ली से चलने वाली तिनसुखिया मेल को नवादा होते चलाया गया था परन्तु जब से उस गाड़ी को बंद किया गया है उसके स्थान पर कोई गाड़ी आज तक नहीं चलाई गई है।

अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि वह बिहार राज्य के मेरे संसदीय क्षेत्र नवादा के लिए दिल्ली से एक सीधी गाड़ी जो कि मेन लाइन होते हुए गया नवादा होकर हावड़ा दिल्ली के बीच में चले जिससे इस क्षेत्र की गरीब जनता को दिल्ली आने जानें में सुविधा हो सके।

(छह) बिहार के फतुहा और इस्लामपुर, बीच बड़ी रेलवे लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार यादव : बिहार राज्य के अन्तर्गत इस्टर्न रेलवे के फतुहा इस्लामपुर छोटी लाईन वर्षों पहले समाप्त कर दी गई। इससे यात्रियों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

यह मार्ग काफी व्यस्त है तथा सैंकडों गांवो को जोड़ने वाला मार्ग है। यात्रियों की अधिकता को देखते हुए बसों की संख्या पूर्णतः अपर्याप्त है।

छोटी लाईन को पहले नेशनलाईज किया गया था तथा आश्वासन दिया गया था कि इस मार्ग पर रेल का चलना जारी रहेगा। पर बाद में पूरी रेल लाईन को समाप्त कर दिया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र की महत्ता एवं लाखों ग्रामीण यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस पर बड़ी लाईनें बिछाई जावें एंव रेल गाड़ियां चलाई जायें।

[अनुवाद]

(सात) उड़ीसा के मदान स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेन्द्रसाय की स्मृति में दिल्ली में एक स्मारक बनाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : वीर सुरेन्द्र साय एक मदान स्वतन्त्रता सैनानी थे उनके बेजोड वीरतापूर्ण संघर्ष के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी सन् 1864 अर्थात भारत में अन्य स्थानों पर सिपाही विद्रोह की आग के बुझ जाने के छः वर्ष के पश्चात तक सम्बलपुर पर अधिकार नहीं कर सके।

सन् 1809 में जन्मे श्री सुरेन्द्र साय सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के शुरू होने से पहले हजारी बाग जेल में सत्रह लम्बे साल के लिये कारावास की सजा काट चुके थे। उनके नेतृत्व के अधीन सम्बलपुर में सन 1864 तक विद्रोह जारी रहा जब उनके कुछ साथियों ने उनके साथ धोखा करके ब्रिटिश राज्य के बहकावे में आकर पकड़वा दिया। उनको घने जंगल में स्थित आदिरगढ़ किले की जेल में नजरबन्द रखा गया जहां सन् 1884 में उन्होंने अन्तिम सांस लिया। इस तरह श्री सुरेन्द्र साय ने अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त रखने के लिये अपनी विद्रोही गतिविधियों के कारण अपने जीवन का आधा काल ब्रिटिश जेल में काटा। कारागार में व्यतीत किया गया उनका काल डा. नेल्सन मंडेला के द्वारा जेल में व्यतीत किए पर समय से ज्यादा है। यह काल स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास का विश्व रिकार्ड है।

परन्तु ऐसे हिम्मती स्वाधीनता सैनानी को, जिसे हमारे स्वाधीनता आंदोलन का अग्रणी कहा जा सकता है, उड़ीसा के बाहर कोई नहीं जानता। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस अदमनीय साहसी स्वाधीनता सैनानी की सपूती में राजधानी में एक स्मारक स्थापित किया जाये।

(आठ) कर्नाटक में लिंगनामक्की तथा सारकथी बांधों के विस्थापितों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री के.जी. शिवप्पा : कर्नाटक में दो बड़े बांध बड़ी संख्या में किसानों को जल उपलब्ध करा रहे हैं। यह दो बांध लिंगनामक्की तथा सारकथी बांध हैं। अन बांधों के निर्माण के समय विशेष रूप से सागरा तथा होस नगर क्षेत्रों की काफी भूमि जल प्लवित हो गई थी इन क्षेत्रों के लोगों ने आगे आकर इन अत्यन्त उपयोगी बांधों के निर्माण के लिए सीधे अपनी भूमि की पेशकश की। इन दोनों के कारण शियोगा तथा पडौसी जिलों के काफी बड़े क्षेत्र को लाभ पहुंचा है।

परन्तु दुर्भाग्य से जिन लोगों ने अपनी जमीन दी उनका समुचित ढंग से पुनर्वास नहीं किया गया है। उनको उस इलाके में बनभूमि दी गई थी। वह जमीन अभी तक उनके नाम नहीं की गई है। वास्तव में उनको जो वन भूमि दी गई थी। वह वापस ली जा रही है। वहां पर एक वन्य जीव अभयरण्य की स्थापना की जा रही है। उन गरीब किसानों को जिन्होंने अपनी जमीन दी थी फिर से इस कारण उजाड़ा जा रहा है। इसके कारण उनके जीवन में परेशानी उत्पन्न होगी।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को तत्काल हाथ में लिया जाये और जो जमीन उन लोगों को दी गई है उनके नाम वह जमीन पंजीकृत की जाये।

इसके अतिरिक्त, उनके तथा उनके परिवारों को पानी बिजली, शिक्षा आदि जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिएं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री मुसीबत में डूबे इन लोगों को बचायेंगे।

2.20 म.प्र.

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन और चौदहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पर संख्या 10 लेंगे कि श्रम तथा कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश। श्रीमती चन्द्र प्रभा अति।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं :–

(1) "मानसिक अवरुद्धता और प्रमस्तिष्क अंगघात ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास विधेयक, 1991" के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

(2) "प्रसूति प्रसुविधा(संशोधन) विधेयक, 1995" के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

2.22 म.प.

राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य पर विचार करेंगे।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :*

> "कि किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई–धराई के समय होने वाली किसी दुर्घटना से उद्भुत नुकसान के लिए कठोर दायित्व का उपबंध करने और व्यक्तियों सम्पत्तियों और पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए राहत और प्रतिकर देने की दृष्टि से, ऐसी दुर्घटना से उद्भुत मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इसके साथ ही मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य परिसंकटमय पदार्थों की उठाई–धराई के दौरान होने वली दुर्घटनाओं सहित खतरनाक उद्योगों अथवा कार्यों में दुर्घटनाओं से प्रभावित होने वालों के साथ–साथ व्यक्तियों सम्पत्ति और पर्यावरण को हुई क्षति के लिये प्रभावी एवं शीघ्र राहत तथा प्रतिकर देने के लिए किसी तन्त्र की काफी समय से अनुभव की जा रही जरूरत को पूरा करना है। हमारे विकास के लिये आवश्यक अनेक औद्योगिक एवं लोगों की घरेलू जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले परिसंकटमय उद्योगों और गतिविधियों का विकास बहुत जरूरी है और हाल के समय में ऐसे उद्योगों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। तथापि इसके परिणामस्वरूप कामगारों के लिए ही नहीं अपितु अन्यों के लिये भी जो दुर्घटना स्थलों के निकट उपस्थित हों, दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ गया है। प्रायः इस तरह की दुर्घटनाओं से ग्रस्त होने वाले लोग समाज के कमजोर वर्गों से होते हैं और वह अपनी मुसीबतों के बारे में प्रतिकर हासिल करने में असमर्थ होते हैं। परिसंकटमय उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की ऐसी दुर्घनाओं से ग्रस्त होने पर उनको कामगर प्रतिकर अधिनियम, 1923 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का संरक्षण प्राप्त होता है। परन्तु आसपास के क्षेत्र की जनता लम्बी कानूनी प्रक्रिया के सिवाय और किसी तरीके से प्रतिकर हासिल नहीं कर सकते।

मुझे इस बात पर बता देने की जरूरत नहीं है कि यह विधेयक पर्यावरण के संरक्षण के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का स्वास्थ्य और विछिन्नता खतरे में है। कचरे तथा अवशिष्ट पदार्थों के अनियोजित निस्सरण के कारण पैदा होने वाला पर्यावरणीय प्रदूषण तथा विषैले रसायनों अथवा अन्य पदार्थों की अनुचित ढंग से हैण्डलिंग के कारण हमारी जनसंख्या के दीर्घावधि स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। भोपाल गैस त्रासदी ने दिखा दिया है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण मानव सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये कितना भारी खतरा पैदा हो सकता है।

माननीय सदस्य पर्यावरण की गिरावट पर लगातार चिंता व्यक्त करते रहे हैं और इस तरह की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये पर्याप्त सुरक्षोपाय करने तथा दुर्घटनाओं से ग्रस्त होने वालों को न्याय दिलवाने के लिये तेजी से तंत्र का गठन करने की जरूरत पर बल देते रहे हैं। इस सदन में भी कई अवसरों पर पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता पर भी कई बार बल दिया गया है।

बेहतर पर्यावरण के लिये सरकार इस चिंता के बारे में पूरी तरह से सचेत है और सरकार इस बात की जांच करती रही है कि किस तरीके से इस प्रयोजन हेतु कानूनी ढांचे तथा विनियामक एजेन्सियों को मजबूत बनाया जाये। सभी चरणों, स्तरों तथा गतिविधियों के विशेष रूप से परिसंकटमय उद्योगों के संबध में, जिनमें दुर्घटनाओं से कारखानों के भीतर काम करने वाले कामगारों के लिये ही नहीं अपितु आसपास रहने वालों तथा पर्यावरण के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। सुरक्षा के संवर्धन के लिये भी प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दीर्घावधि परिस्थितिकीय और पर्यावरणीय जरूरतों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है।

कठोर सिविल दायित्व का सिद्धांत और अन्तर्निहित खतरों वाली गतिविधियों से सम्बंधित चिंताओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रवृत मूल रूप से श्रीराम फूड फर्टिलाईजर्स इण्डस्ट्रीज से ओलियमक गैस के रिसाव के संबंध में उच्चतम न्यायालय के

*राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ प्रस्तुत।

विनिर्णय से पैदा हुआ था। न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि यदि इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त किसी उद्यम के कारण कारखाने में काम करने वाले लोगों और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा होता है तो उस उद्यम का समुदाय के प्रति नितान्त अहस्तान्तरणीय दायित्व पैदा हो जाता है। उच्चतम न्यायालय ने चरण लाल साहू बनाम भारत संघ–भोपाल गैस रिसाव मामले में यह टिप्पणी भी की है कि वर्तमान सिविल कानूनों के अनुसार हरजाने का निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जाता है। यह निर्धारण काफी लम्बी चलने वाली मुकदमेबाजी के बाद होता है और इसके कारण हर्जाने का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिये, देरी से बचने के लिये और प्रभावित व्यक्ति को तत्काल सुनिश्चित कराने के लिये यह सुझाव दिया गया था कि संसद द्वारा पारित विधेयक में औद्योगिक दुर्घटनाओं के प्रभावित लोगों को प्रतिकर का निर्धारण करने के लिये न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया जाये जो विशेष प्रक्रिया के द्वारा विनियमित हो।

जून, 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन ने राज्यों से अनुरोध किया था कि प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय क्षतियों के प्रभावितों के लिये दायित्व तथा प्रतिकर के बारे में राष्ट्रीय कानून बनाये जाएं।

सार्वजनिक हित के मुकदमों तथा माननीय स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्षतियों के लिये प्रतिकर की मांग करने वाले न्यायिक मुकदमों, विशेषरूप से भूमिगत जल के मिलावट संबंधी मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह अब जरूरी हो गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिलिखित रूप में परिसंकटमय पदार्थों की उठाई–धराई के कारण उतने होने वाले क्षति के लिये नितान्त उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया जाये, उनको सुचारू बनाया जाये और उनका विश्वास किया जाये।

प्रदूषर्ण को विनियमित करने तथा प्रदूषण फैलाने वालों को दंडित करने के बारे में अनेक कानून हैं परन्तु परिसंकटमय पदार्थों की असावधानीपूर्वक उठाई–धराई करने वाले प्रतिष्ठानों की लापरवाह गतिविधियों के द्वारा होने वाले पर्यावरणीय शरण तथा उससे प्रभावित होने वालों को प्रतिकर देने का कोई तंत्र नहीं है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर केवल अंतरिम राहत है। नागरिक अपराध कानून के अन्तर्गत मुकदमेबाजी में बहुत अधिक समय लगता है और उत्तरदायित्व नियत करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करना और प्रतिकर की राशि का निर्धारण करना बहुत मुश्किल बन जाता है। न्यायशास्त्र की वर्तमान प्रणाली के अनुसार पर्यावरणीय क्षति के लिए कोई प्रावधान न होने के कारण निश्चित दायित्व का कानून बनाने तथा इस दूरी की स्थिति से निपटने के लिये विशेष कानूनी संस्थानों की स्थापना करने तथा पर्याप्त अन्तरिम राहत के लिये व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

मैं इस प्रस्तावित विधेयक के मुख्य पहलुओं का संक्षेप में उल्लेख करुंगा। विधेयक में न्यायाधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान किया जा रहा है और उसकी चरणबद्ध ढंग से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में अथवा राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के समूहों के लिये शाखाएं होंगी। दिल्ली में मुख्य पीठ के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में पीठ स्थापित करने का विचार है। इस न्यायाधिकरण में इसके अध्यक्ष के अतिरिक्त उस अध्यक्ष, न्यायिक, एवं तकनीकी सदस्य होंगे। न्यायाधिकरण के अधिकतर क्षेत्र, इसकी शक्तियों तथा प्राधिकार का निर्वध्न इसके पीठों के द्वारा किया जायेगा। कि पीठ में एक न्यायिक सदस्य तथा एक तकनीकी सदस्य होगा।

न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा परन्तु यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार चलेगा। न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त होगी और किसी व्यक्ति को हाजिर कराने तथा सम्मन जारी करने के सम्बन्ध में बाद का विचारण करते समय, शपथ और हलफननामें पर साक्ष्य लेते समय, किसी सार्वजनिक रिकार्ड अथवा दस्तावेज को मंगवाने सहित दस्तावेजों का पता लगाने ओर पेश करने के बारे में इसे सिविल न्यायालय में निहित शक्तियों में प्राप्त होंगी।

कोई भी प्रताडित व्यक्ति अथवा सत्ता और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिनिधि निकाय आवेदन पत्र प्रस्तुत करके न्यायाधिकरण तक पहुंच सकता है। ऐसा आवेदन पत्र मिलने पर न्यायाधिकरण, यदि जांच के पश्चात सन्तुष्ट हो तो, आवेदन पत्र को न्याय निर्णयन के लिये स्वीकार कर सकता है। यदि इस प्रकार सन्तुष्ट नहीं होता है तो यह कारण बताते हुए आवेदन पत्रों को संक्षिप्त विचारण पर ही रद्द कर सकता है।

यदि नुकसान होने की तिथि से पांच वर्षों के भीतर यदि नुकसानी के लिए प्रतिकर के दावे पेश किए जाते हैं तो न्यायाधिकरण उन दावों को ग्रहण करेगा। किसी अन्य सिविल न्यायालय को ऐसे दावे अथवा वाद को ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा जो न्यायाधिकरण के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है अथवा बरता जा सकता है।

निर्धारित सीमाओं से कम आने वाले व्यक्तियों के द्वारा और प्रतिनिधि निकायों के द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष बताये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई आवेदन शुल्क प्रसारित नहीं किया जायेगा और अन्यों से 1000 रु. से अन्यून शुल्क अदा करने की अपेक्षा की जा सकती है और इस का निर्धारण नियमों के द्वारा किया जायेगा।

न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है।

न्यायाधिकरण के निदेशों अथवा आदेशो के अनुपालन न करने पर तीन साल तक का कारावास अथवा जुर्माने को दण्ड दिया जा सकता है और यह दण्ड 10 लाख रु. तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। तथापि, आदेश को आरोपी व्यक्ति की कारण बताने का अवसर देने के बाद ही जारी किये जायेंगे।

प्रस्तावित न्यायाधिकरण विधेयक मैंने 1992 में संसद के वर्षाकालीन सत्र में और 1993 में ससद के वर्षाकालीन सत्र में पुरःस्थापित किया था विधेयक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और बन संबंधी स्थायी संसदीय समिति को निर्देशित दिया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर लोक सभा को दो सरकारी संशोधनों की

सूचना दे दी गई है। इनमें एक संशोधन विधेयक में जहां कहीं भी चैयरमैन और वाइस चैयर मैन और उनके स्थान पर "पीठासीन अधिकारी" तथा 34 पीठासीन अधिकारी शब्द प्रतिस्थापित करने के लिये किए हैं और दूसरा संशोधन विधेयक के वर्तमान खण्ड में एक था उपखण्ड (2) न्यायाधिकरण यदि उचित समझे मुआवजे हेतु दावों के लिये मामले स्वतः ही ले सकता है। संसदीय स्थायी समिति ने कहा है और इच्छा व्यक्ति की है कि न्यायाधिकरण केवल उस समय ही हस्तक्षेप क्यों करे जब आवेदन पत्र दिया जाये। अतः संसदीय स्थायी समिति ने अपने प्रज्ञान के अनुसार यह अपेक्षा की है कि इस खण्ड को हटा दिया जाये और न्यायाधिकरण को स्वतः कार्यवाही करने को भान्ती हो। इसे पुरस्थापित किया गया है और मैं इसे सरकारी संशोधन के रूप में प्रस्तुत करूंगा।

प्रस्तावित विधेयक पर मीडिया में भी कुछ समय तक चर्चा हुई थी। विभिन्न विधिक निकायों और स्वयं सेवी संगठनों ने विधेयक के उपबन्धों के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। मुख्य टिप्पणियां (1) विधेयक के सीमित विस्तार (2) रेडियो धर्मी पदार्थों के अपवर्जन और (13) कामगर के विधेयक भी परिधि से अपवर्जन के बारे में हैं। हमें प्रस्तावित विधेयक में सूचना पाने के अधिकार सार्वजनिक दायित्व के विलय के बारे में अतिरिक्त उपबन्ध सम्मिलित करने और प्रतिकर के लिए आवेदन पत्र देने के लिये समय को कम करने के लिए भी सुझाव प्राप्त हुये हैं।

सदन के माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि प्रस्ताविक विधेयक का विस्तार परिसंकटमय पदार्थों के रखरखाव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओ तक ही सीमित का क्योंकि उन पदार्थों के अतिरिक्त, जो परिसंकटमय के रूप में अधिसूचित हैं अन्य पदार्थों के कारण होने वाला नुकसान हानियों की गणना के लिये अथवा हानियों के बीच कार्य कारण संबंध दिखाना आसान नहीं होता है। अन्य पदार्थों को इसमें शामिल करने से मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो जाने की संभावना है। पर्यावरण और वन मंत्रालय इस प्रकार के दायित्व और मुआवजे के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले न्यायाधिकरण विधेयक के सीमित विस्तार के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव हासिल करना चाहेगी।

रेडियोधर्मिता को प्रस्तावित विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि रेडियोधर्मिता के प्रस्तावित होने वालों के दावों के बारे में अलग कानूनी तंत्र विद्यमान है। यही स्थिति कामगरों के बारे में है के कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन आते हैं।

यद्यपि प्रस्तावित विधेयक में सूचना के अधिकार के लिये अलग से कोई प्रावधान नहीं है न्यायाधिकरण के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में खुलेपन के लिए काफी संभावना रहेंगी। विभिन्न संगठनों की कल्पना के अनुसार मुआवजे का दावा करने के आवेदन पत्रों के लिये समय सीमा बहुत कम नहीं है क्योंकि कार्सीनो जेनेसिस के चिन्ह प्रकट होने में काफी लम्बा समय लगता है जो कई बीस साल तक का हो सकता है।

सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 का जहां तक सम्बन्ध है राष्ट्रीय पर्याकरण न्यायाधिकरण विधेयक के साथ हमारा विचार है कि सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के कार्यकरण से मिलने वाले अनुभव की हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये और उसके बाद ही प्रस्तावित विधेयक के साथ उसके विषय के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिये।

महोदय, हम इसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक विधान मानते हैं और खतरनाक पदार्थों के लाने ले जाने के दौसन होनी वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित होने वालों को मुआवजा और राहत देने के लिये विश्व में अपनी किस्म का पहला विधेयक है। हमें विश्वास है कि विधेयक की सारी योजना से पर्यावरण के संरक्षण के साथ–साथ हमें विश्वास है कि विधेयक की सारी योजना से उद्योगों में सुरक्षा संबंधी जागरूकता पैदा होगी और कारखानों के आसपास रहने वाले लोगो के हितों को संरक्षण मिलेगा।

इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि किसी परिसकटमय पदार्थ की उठाई–धराई के समय होने वाली किसी दुर्घटना से उद्भुत नुकसान के लिये कठोर दायित्व का उपबन्ध करने और व्यक्तियों सम्पत्ति और पर्यावण को हुए नुकसान के लिये राहत और प्रतिकर देने की यह ऐसी दुर्घटना से उद्भुत मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिये राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण दूरी स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुवंशिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विषय के लिये दो घंटे का समय तय है। जिन सदस्यों ने अपने नाम नहीं दिये हैं वह सचेतकों के जरिए अपने नाम भेज सकते हैं और सचेतक को बताना चाहिये कि कितने सदस्य बोलना चाहते हैं यदि सूची बहुत बड़ी होती तो बहुत मुश्किल होगी कि समय को आखिर तक किस तरह से बांटा जाये अतः इसे ध्यान में रखा जाये। तथापि मैं अलग–अलग पार्टियों के लिये आवांछित समय ही जानकारी देना चाहता हूं समय का यह आबंटन कार्य मंत्रणा समिति ने किया है जिसमें सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। समय निम्न प्रकार से आवांटित है :

"कांग्रेस 500 मिनट भाजपा 25 मिनट मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी 8 मिनट, जनता दल 5 मिनट, भारतीय कम्यूनिस्ट पाटी 3 मिनट, समता पार्टी 3 मिनट, अन्नादुमुक 2 मिनट तथा इस प्रकार अन्य राजनैतिक दल भी हैं जिनको एक मिनट के लिये बोलना है।

(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्र प्रभा आर्य (मैसूर) : मैं यह कहना चाहती हूं कि बन भूमि रिलीज न किये जाने के कारण पुनर्वास राहत का काम में काफी विलम्ब हो गया है इसे काफी समय से लम्बित रखा गया है। मैंने इस बारे में मंत्रालय को कई बार अनुरोध किया है। मैं माननीय मंत्री से इस बारे में जानकारी चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : लोढा जी, आपके राजनैतिक दल ने अलग-अलग तारीखों के साथ अलग-अलग नाम वाली तीन सूचियां भेजी हैं। अतः यह बतायें कि किस सूची को माना जाये और किस वक्ता को बहस शुरू करने को कहा जाये। इससे पहले हमें इस बारे में कड़वा अनुभव हुआ था। सदस्य भी कहते हैं कि पहले बोलने वाले सदस्य ज्यादा समय ले लेते हैं और बाद के सदस्यों के लिये बहुत कम समय बचता है।

श्री गुमान लाल लोढा (पाली) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है यदि आप चाहते हैं कि हम केवल मुद्दे ही उठायें तो यह बहुत मुश्किल है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने समय आबंटित किया है। कार्य मंत्रणा समिति में सभी राजनैतिक दलों के नेता हैं उन्होंने समय तक किया है। हमें उसी आबंटित समय को ध्यान में रखना है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक, 1992 प्रस्तुत किया गया है कुल मिलाकर मैं उस बिल का स्वागत करता हूं स्वागत इसलिये करता हूं कि अब तक इसका बहुत बड़ा अभाव था। हमारे राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के अत्यन्त विस्फोटक व अत्यन्त घातक पदार्थों के कारण दुर्घटनाएं हो जाती थीं, उसके बारे में कोई विस्तृत कानून नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके कारण स भोपाल त्रासदी के अंदर हमने देखा कि वर्ष तक, लगातार ट्रिब्यूनल के अंदर लोग चक्कर लगाते रहे और आज भी लोग चक्कर लगा रहे हैं। लाखों व्यक्ति मारे गये। घायल हो गए। पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो गईं और आज तक भी उन्हें कम्पेन्सेशन नहीं मिल सका है। इस कारण से यह जो विधेयक लाया गया है, विशेष ट्रिब्यूनल, के प्रावधान के द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में निर्णय शीघ्रतिशीघ्र कराने का, यह स्वागत योग्य है।

श्रीमन्, जहां इस बिल का कुल मिला कर के सामाजिक सुधार के लिए और सामाजिक न्याय के लिए और विशेषतौर से उन दुर्घटनाओं के लिए जिनके बारे में विशेष नियम हैं उनका स्वागत किया जा रहा है वहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने इस सारे बिल के अंदर जो प्राण थे, जो ताकत थी, इस सारे बिल के द्वारा जो राष्ट्र को राहत मिलने वाली थी उन्होंने अपनी कलम के एक प्रावधान के द्वारा व वापस ले ली है। इस प्रावधान के कारण उन्होंने उस राहत को न दिया जाये उसको रोक दिया जाए, ऐसा कर दिया है। इस काले प्रावधान को इसमें लाया गया है जिससे कि इस बिल की जो न्याय की मंशा थी, उस सारी मंशा को समाप्त कर दिया है। इस प्रावधान को कर मंत्री महोदय ने सामाजिक न्याय के प्रसंग के ऊपर आत्मघाती और खुदकुशी करने वाला काम किया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि केन्द्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इन-इन परिस्थितियों के अंदर केन्द्र सरकार के द्वारा, किसी प्रकार के कार्पोरेशन के द्वारा, लीगल अथारिटी के द्वारा, इस कानून में जो विशेष नियम हैं, उसको शिथिल कर दिया जायेगा चाहे वह कितना भी जघन्य अपराध कर दें, कितनी बड़ी त्रासदी कर दे, भोपाल त्रासदी कर दें, लाखों लोगों को बर्बाद कर दे, लेकिन केन्द्र सरकार एक नोटीफिकेशन निकाल कर कह देगी कि इस प्रकार का जो कार्य हुआ है, उसको हम छोड़ते हैं अभयदान देते हैं वह चाहे कितना भी जघन्य काम करें लेकिन उनके लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह काम ऐसा ही है जैसे बहुत ताकत लगाकर किसी ने एक बच्चा पैदा किया, लेकिन वह बच्चा मरा पैदा हुआ। ऐसा कर के आपने उस बच्चे के कफनरूपी बोझ को इस बिल में ऐसा प्रावधान कर के गरीबों के ऊपर लादने का काम किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जिस धारा में यह अधिकार रखा है उसे विलोपित किया जाए। मैं उस धारा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह धारा यह बिल के अंदर सैक्शन चार के रूप में दी गई है। इसके अंदर इन्होंने यह अधिकार ले लिया है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रवर्तन के किसी स्वामी को छूट दे सकेगी। अभयदान दे सकेगी। जो चाहे सो करो। किसी प्रकार की दुर्घटना करो। उनको किसी को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देना पड़ेगा उसके लिए कोई ट्रिब्यूनल और कानून नहीं लागू होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने रूल आफ ला बनाया है हमारे संविधान के मनीषियों ने कहा है कि हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर होगा और सभी कानून के द्वारा शासित होंगे। किसी भी आदमी के साथ किसी प्रकार का कानूनी भेद नहीं किया जायेगा। चाहे वह केन्द्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो और चाहे वह कार्पोरेशन हो, सबके एक सामान्य नागरिक की तरह ही अधिकार होंगे, लेकिन आप इस प्रावधान को इस बिल में शामिल कर के रूल आफ ला की हत्या कर रहे हैं पहले लोग कहा करते थे कि शासक कोई गल्ती नहीं कर सकता। लेकिन आजाद देश में हमारे सबके समान अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं इसमें आपने लिखा है कि केन्द्र सरकार को छूट दे देंगे। इसमें केवल केन्द्र सरकार ही नहीं है बल्कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र का कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो हैजार्डस काम करता है वह यदि केन्द्र सरकार चाहेगी, तो नोटीफिकेशन निकालकर उसे इससे मुक्त कर देगी अब केन्द्र सरकार का कोई कार्पोरेशन, जैसे इंडियन आयल कार्पोरेशन है कई बार उसके टैंकरों में आग लग जाती है और उससे बहुत से लोग मर जाते हैं करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान हो जाता है। लेकिन केन्द्र सरकार एक अधिसूचना निकाल कर इंडियन आयल कार्पोरेशन को छूट दे देगी, तो उनको अभयदान मिल जायेगा।

कोई स्थानीय प्राधीकरण केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन, कोई निगम, कार्पोरेशन या पब्लिक सैक्टर, पब्लिक सैक्टर के जितने-अंडरटेकिंग्स हैं जहां पर सबसे

ज्यादा हाईलाईटेड स्टॉफ होता है, वहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं सबसे ज्यादा उनके हैज़ारडस केमिकल्स निकलते हैं या अन्य प्रकार के हैज़ारर्डस सब्सटैन्स निकलते हैं। उसके द्वारा बर्बादी होती है, उन सबको इसके द्वारा अभयदान दिया जा सकेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस धारा 4 को लोपित कर दीजिये, आप रूल ऑफ लॉ को तोड़िये मत, उसे जोड़िये "कंसट्रक्ट, बिल्ड डू नॉट डैसट्रक्ट"। कही यह न कहा जाये कि आपके मंत्रित्व काल में रूल ऑफ लॉ का खून कर दिया गया है। कानून का खून कर दिया गया। आपने प्रिवी पर्स तो समाप्त कर दी, लेकिन नई जमींदारी अपने हाथ में ले ली है। अपने हाथ में एक राज्य शाही, राजा शाही जिसे कहते थे किंग कैन कमिट नो रांग, वह अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सेक्शन 4 को पूर्णतः लोपित कर दीजिये। आप या तो यह कहिये कि हम यह अधिकार किसी को नहीं देना चाहते लेकिन आपको डिसक्रीशनरी पावर्स दे देंगे। फिर डिसक्रीशनरी पावर्स का फायदा लेने के लिए कई लोग आपके गलियारे के चक्कर लगाते रहेंगे और उन व्यक्तियों जिनका आपके मंत्रिमंडल या आपकी मिनिस्ट्री के अंदर असर है, उनके पास जाकर आपको लुभायेंगे और ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि आप ऐग्ज़ैम्पशन दें। इससे देश के अंदर केवल रूल ऑफ लॉ की हत्या नहीं होगी बल्कि भ्रष्टाचार भी फैलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेक्शन 4 को आप लोपित कर दीजिये। इसके अलावा एक बार और आपने अभी कही कि 1000 रुपये कोर्ट फीस दी जाये। जिस स्त्री का पति मर गया, पिता मर गया, जिस माता की गोद सूनी हो गयी, जिस बहन का सिन्दूर हैज़ारडस ऐक्सीडेंट के कारण लूट गया, उससे आप 100 रुपये फीस मांगेंगे। उसके पास कफन के लिए पैसा नही है जलाने के लिए पैसा नहीं है लेकिन हमारे ये मंत्री महोदय कहते हैं कि पहले हमारे लिए 1000 रुपये लाईये। लेकिन हमारे ये मंत्री कम्पेन्सेशन का क्लेम वहां पर एंटरटेन हो जायेगा । मैं यह कहता हूं कि संवेदनशीलता होनी चाहिये यह मानवता का प्रश्न है कि आप घाव के ऊपर नमक मत छिड़किये, घाव के जख्म को धोकर उसे समाप्त करने की कोशिश कीजिये। आपने बहुत बड़ा स्कैम करके इस देश का अरबों–खरबों रुपया लूटा दिया। आप इस सेल स्कैम के अंदर गरीबों की एक एप्लीकेशन 1000 रुपये पर लादना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे वापिस लीजिये। कम से कम वहां पर इसे मुफ्त में रखिये।

श्रीमन् यह तो हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा है कि फारमा पापरीस, जो मुफलिस होता है, गरीब होता है, उससे किसी प्रकार की कोई भी, कहीं पर भी फीस नहीं ली जाती। यह फैसला अंग्रेज कर गये थे। लेकिन यह काले अंग्रेज उससे भी ज्यादा घातक हैं, उससे भी ज्यादा प्रतिगामी, प्रतिज्ञावादी, रियेक्शनरी हैं ये मरे हुए आदमी के कफन के ऊपर 1000 रुपये लगाते हैं और कहते हैं कि उसके बाद आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस धारा को वापिस लें। मैंने इस लेजिस्लेशन का संपूर्ण रूप से स्वागत किया है। मैं विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं क्रियात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव एप्रोच के द्वारा विरोध कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस एप्रोच को एप्रीशियेट करके इसे वापिस लेंगे। इसके साथ–साथ इसमें एक बहुत बड़ी कमी है जिसको मैं यहां बताना चाहूंगा। सेक्शन 6 में आपने लिखा है कि "जस्ट कम्पैन्सेशन" यह जस्ट क्या होता है न्याय क्या होता है? हमारे न्यायाशास्त्र के अंदर लिखा है कि न्याय और बाटा जैसे बैठाओ, वह वैसे बैठ जाता है। जिस जज की जो पोलीटिक्ली फिलॉसफी होगी जो सोशियल फिलॉसफी होगी वह उसी कम्पैन्सशेसन के लिए कहीं पर 5 रुपये दिलायेगा तो कहीं पर एक लाख रुपये दिलायेगा। इस देश में वैसे ही कम्पैन्सेशन के मामले के ऊपर बहुत अधिक भेद हैं, बहुत अधिक अंतर हैं। मैं निवदेन करना चाहूंगा कि हमारे यहां कम्पैन्सेशन के लिए अलग–अलग कानून बने हुए हैं जैसे इंडियन एयरलाइंस एक्ट है जिसमें कोई आदमी हनीमून के लिए जाता है और रास्ते में वह जहाज गिर जाता है तो कम से कम उसको 5 लाख रुपये का कम्पैन्सेसन मिलता है आज वह भी बढ़ गया है। इंडियन रेलवे का एक्ट है जिसके अंदर कोई भी किसी प्रकार से घूमने जाये और रास्ते में ऐक्सीडेंट हो जाये तो उसको एक लाख रुपये मिलता है हमारे यहां फैटल ऐक्सीडेंट्स एक्ट है, वर्कमैन कम्पैन्सेशन एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उन सबमें स्टैण्डर्ड और शैड्यूल अलग–अलग दिये हुए हैं लेकिन देश का यह दुर्भाग्य है कि आज तक मनुष्य की कीमत एक सी नहीं आंकी जाती।

मैंने अपने निर्णय में लिखा था। जयपुर में जब राष्ट्रपति ने आना था वहां एक मजदूर सड़क ठीक कर रहा था। वह सड़क ठीक करने वाले ट्रैक्टर के नीचे आ गया। उसे केवल 7 हजार रुपये दिये गए। कहा गया कि वर्कमैन कम्पैन्सेशन एक्ट है, उसमें मजदूरी बहुत कम मिलती थी। इन्सान की कीमत केवल 7 हजार रुपये है। यदि वही व्यक्ति किसी कारण से मौज गुलछर्रे उड़ाने के लिए हवाई जहाज में जा रहा हो और एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो जाये तो उसे 5 या 7 लाख रुपये मिलेंगे। इन्सान की कीमत कही पर 5 हजार रुपये है, कही पर 20 हजार रुपये है तो कहीं पर 2 लाख रुपये है। ये कौन से तोले हैं? हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हमने संविधान में लिखा है–फैटरनिटी, इक्विलिटी। यह कैसी इक्विलिटी है।

आपने केवल "जस्ट" लिखा है। जस्त का मतलब उचित होता है, उचित रिलेटिव वर्ड है। आप जो उचित समझते हैं, हम उचित नहीं समझते। आप देखते हैं कि यहां पर हर रोज बहस होती है। हम कहते हैं यह अनुचित है, राष्ट्रद्रोही है, विश्वासघात है, आप कहते हैं राष्ट्र भक्ति है। कभी आप ऐसा कहते हैं कभी हम ऐसा कहते हैं ईमानदारी से कहते हैं ऐसा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना है। लेकिन रिलेटिविटी की थ्योरी है एक ही चीज को देखने का अलग–अलग दृष्टिकोण। श्रीमन् एक ग्लास में आधा पानी भर लिया जाए। उसके बाद एक व्यक्ति कहेगा कि यह ग्लास तो आधा खाली है, दूसरा कहेगा नहीं, आधा भरा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। उसमें देखने की तरह–तरह की ऐप्रोच है। आपने

केवल जस्ट लिखकर छोड़ दिया। जस्ट का मतलब यह है कि न्यायधीश जैसा चाहे वैसा करे। एक ही ऐक्सीडैंट में यदि 50 व्यक्ति मर गए और अलग–अलग ट्राईबुनल के फैसले हुए तो कहीं 2 लाख मिलेगा, कहीं 20 हजार मिलेगा तो कहीं 25 हजार मिलेगा। यह समानता नहीं है यह एक प्रकार से हमारे रूल ऑफ लॉ पर बहुत बड़ा हमला है। इसलिए आपने जो जस्ट लिखा है, मैं चाहूंगा कि उसकी जगह आप एक शैडयूल बनाएं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे रेलवे हो, हवाई जहाज हो, वर्कमैन कम्पैन्सेशन एक्ट हो, फेटल ऐक्सीडैंट एक्ट हो, इन्श्योरेंस एक्ट हो, इन सब में कम से कम भारत के मानव् जीवन की कीमत एक सी होनी चाहिये। आपने इसमें आर्बीट्रेरीनैस ला दिया। सुप्रीम कोर्ट में और कई न्यायाधीशों ने कहा है कि जहां तक कोई नौर्म्स या क्राईटेरिया नहीं होता और मार्गदर्शन के लिए गाइडलाइन नहीं होती, वहीं पर आर्बीट्रेरीनैस आती है और मनमानापन न्याय में विधि सम्मत शासन का प्रतिवाद है। आप इसमें लिखेंगे जस्त लेकिन कर रहे हैं अनजस्ट, बात कर रहे हैं कि न्याय देंगे लेकिन होगा अन्याय। कोई न्यायाधीश किसी भी रूप में अपनी फिलॉसफी को लेकर बैठ जाएगा। आप यह भी जानते हैं कि न्यायाधीश के पास तर्क–कुतर्क रखे जाते हैं और उसके बाद उसका निर्णय अपने हिसाब से होता है। यदि वह निर्णय उनकी मर्जी पर छोडेंगे, उनकी डिसक्रीशन पर छोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि यह इस कानून का बहुत बड़ा लैकुना हैं, कमी है। मैं चाहूंगा कि आप इस कमी को पूरा करें।

आपने देखा होगा कि वर्कमैन कम्पैन्सेशन एक्ट में, फेटल ऐक्सीडैंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में कम्पैन्सेशन का शैडयूल है। एक व्यक्ति मारा गया, उसकी कितनी उम्र थी, वह अपनी उम्र में कितनी कमाई करता, उसके कितने बच्चे थे, उसको दो जून की रोटी के लिए कितनी आवश्यकता थी, ये कुछ मांपदंड हैं, कुछ गाइडलाइन्स हैं, कुछ क्राईटेरियाज़ हैं। आप इन क्राईटेरियाज़ को इसमें रखिए। यदि क्राईटेरिया को न रखकर नेकेड डिसक्रीशन न्यायाधीश को दे दिया, जैसा इसमें दिया गया है, तो यह उचित नहीं होगा। मैं इसका विराध करता हूं और चाहता हूं कि आप इस पर पुनः विचार करें।

इसी प्रकार से इसमें कुछ और धाराएं हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक तो आपने न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, का न्यायाधीश हो। यह स्वागत योग्य है। लेकिन उसके बाद आपने इसमें एक क्लॉज और रख दिया है जिसमें यह लिख दिया कि जो दो वर्ष तक वाईस चैयरमैन रह चुका हो, उसे भी चैयरमैन बना सकते हैं। दो वर्ष तक कौन वाइस चैयरमैन रह सकता है ? वाइस चैयरमैन कौन–कौन एप्वांइट होंगे, उसका भी आपने अलग–अलग क्राईटेरिया दिया है। लेकिन उसके द्वारा जो आपकी मूल भावना है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायपूर्ण न्यायाधीश, जिससे सारे राष्ट्र को अपेक्षा है, जब कभी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो कहा जाता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच करवाइये। आप इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश तक सीमित करिए, वाइस चैयरमैन को इसमें मत लाइए। दो साल वाइस चैयरमैन रहने के बाद यदि वह क्रिमिनल का चैयरमैन बन गया, तो आपके इस सारे एक्ट की विचार धारा समाप्त हो जायेगी। इसी प्रकार से आपने इसके अन्दर जो प्रोवीजंस रखे हैं, उनमें से कुछ प्रोवीजंस की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जैसे आपने यहां पर सैक्शन पांच, क्लाज चार के अन्दर डिसमिस इन डिफाल्ट का प्रोवीजन रखा है। मैं समझता हूं कि जब आपने सुओ मोटो यह निर्णय ले लिया है और बहुत अच्छा निर्णय लिया है, मैं आपसे कहने वाला था कि अखबार की कतरन को हम रिट मानते थे, पोस्टकार्ड पर हम निर्णय करते थे, तो फिर एप्लीकेशन की तकनीकी आवश्यकता कहां है? इसलिए आपने सुओ मोटो एमेंडमेंट अपने आप कर दिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। आपको ट्रिब्यूनल को सुओं मोटो काम करने के लिए बहुत इन्सपायर करना चाहिये कि समाचार पत्रों को पढ़कर आप निर्णय कीजिए। मैं जब न्यायाधीश था तो पोस्टकार्ड के ऊपर और अखबारों की कतरन के ऊपर कई जो गरीब हैं त्रस्त हैं, उत्पीड़ित हैं, जो हाई कोर्ट के वकीलों का खर्चा करके नहीं आ सकते, उनको न्याय दिया करता था और मैं ही नहीं, कई न्यायाधीश ऐसा न्याय देते हैं मैं। अपेक्षा करता हूं कि आपने सुओ मोटो किया तो उसके साथ एक हजार का प्रावधान हटा दें। एक हजार का सुओ मोटो इन्कसिसटेंट है।

इसी प्रकार डिफाल्ट का क्लाज भी है। जब आपने सुओ मोटो नोटिस लिया तो कौन–सा डिफाल्ट होगा? सुओ मोटो नोटिस में तो कोई पक्षकार होता ही नहीं है और जब पक्षकार होता ही नहीं है तो डिसमिस इन डिफाल्ट का यह जो क्लाज है, सैक्शन 5, सबक्लाज, चार, सबक्लाज 'जी' में, यह सुओ मोटो के बाद रिडण्डैण्ट हो जाता है। क्योंकि, जब आपने सुओ मोटो नोटिस ले लिया तो कोई पक्षकार नहीं आयेगा और जब कोई नहीं आयेगा तो आप डिफाल्ट में खारिज कैसे करेंगे? इसलिए इंकसिसटेंट होने से इसको अपने आप हटाना चाहिए।

मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि यह आपने बहुत अच्छी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार के मार्गदर्शन दिये, उन मार्गदर्शनों को आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपने हैजारडस सब्सटेंस को एक एक्ट तक लिमिटेड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने इस एक्ट को तो बनाया, लेकिन इसकी आत्मा को निकाल दिया। हैजारडस सब्सटेंस क्या है? यह आपके हाथ में नहीं है इस एक्ट में नहीं है ट्रिब्यूनल के पास में नहीं है, एक दूसरे एक्ट के अन्दर है। इसमें लिमिट, आपने खुद ने ही कहा कि बहुत कम है। आपने खुद ने यह स्वीकार किया कि बहुत सारे हैजारडस हैं लेकिन हम सब को नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते? उसमें क्या रुकावट है? यदि आप हैजारडस रखकर उसको छोड देते और उसकी आत्मा को नहीं निकालते, उसके ऊपर एक्ट का प्रावधान नहीं रखते तो क्या नुकसान हो जाता? कौन–सा आकाश गिर जाता, कौन सी पृथ्वी पर प्रलय हो जाती, मैं आपसे जानना चाहता हूं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो हैजारडस की डैफिनीशन इसके अन्दर दी है, उसको भी आप बदलिये और बदलकर आपने जो एक एक्ट में लिखा है "संकटमय पदार्थ" से ऐसे पदार्थ या

निर्मित अभिप्रेत हैं जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन परिसंकटमय पदार्थ के रूप में परिभाषित है और जो लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी मात्रा से अधिक है।" यानि उसमें दो राइडर लगा दिये, दो राइडर लगाकर आपने उसकी सारी आत्मा को निकाल दिया।

आज स्थिति क्या है, मैं बताता हूं। मैं पाली जिले से आता हूं, पाली में कई फैक्टरीज हैं, कई इण्डस्ट्रीज हैं और पाली में ही क्या सब जगह हैं यह बम्बई के रहने वाले हैं कलकत्ता के रहने वाले हैं अभी आपने देखा होगा अहमदाबाद में हाई कोर्ट ने नोटिस देकर कई फैक्टरीज को, कई इण्डस्ट्रीज को बन्द करवा दिया। आज आगरा के अन्दर ताजमहल काला होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कई इण्डस्ट्रीज को नोटिस दिया कि आप पोल्यूशन रोको, इसके लिए इसको बन्द किया जाता है, आप चार माह के बाद पोल्यूशन रोककर फिर हमारे सामने आइये। मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं कि उनमें से कैमीकल्स आते हैं, पानी के अन्दर बहते हैं, खेतों में जाते हैं और गांव का किसान वहां पर खड़ा-खड़ा देखता है। उससे खेत की जो उर्वरा है या ऊर्जा है, वह समाप्त हो जाती है। वह समाप्त होकर उसके बाद खेत में धान पैदा नहीं होता, वह खेत बर्बाद हो जाता है। इस तरह हजारों खेत बर्बाद हो गये हैं। मेरे यहां पाली में ही नहीं कई स्थानों के ऊपर और आपका पोल्यूशन बोर्ड सारे देश के अन्दर आंख मीचकर बैठा है पोल्यूशन बोर्ड इस देश के अन्दर बहुत बड़ा फ्राड है क्योंकि इसके द्वारा कोई प्रोसीक्यूशन होता नहीं, सजा होती नहीं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं यह अहमदाबाद के हाई कोर्ट ने अभी कहा है कि कैमीकल इण्डस्ट्रीज और दूसरी इण्डस्ट्रीज ने पोल्यूशन बोर्ड से सर्टिफिकेट ले लिया, अनापत्ति प्रमाणपत्र ले लिया। आप जानते हैं कि नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट सुविधा शुल्क के ऊपर मिलता है और आज सुविधा शुल्क के ऊपर सारे के सारे देश की नौकरशाही चलती है राजनीति चलती है।

3.00 म.प.

इसके कारण राजनीति के बड़े-बड़े नेता उसमें दखल नहीं देते हैं और एन. ओ.सी. पोल्यूशन बोर्ड दे देता है। प्राणघातक सबस्टैंस उसमें से निकलते हैं और गांवों में फैल जाते हैं, पानी में बह जाते हैं और कुओं में चले जाते हैं उस पानी को पीकर सैंकडों व्यक्ति कुबड़े हो जाते हैं उनकी पीठ झुक जाती है और आंखों की रोशनी चली जाती है, दांत पीले पड़ जाते हैं मैंने अपने क्षेत्र के इलाकों में ऐसे पीड़ित लोगों को देखा है। उनके बारे में आपने कुछ नहीं किया है। क्या इन सब को अब मुआवजा मिल जायेगा?

आप हर्डल्स और ऑब्स्ट्रस्टशन को मिटाने के लिये यह कानून बना रहे हैं आप इसकी डैफिनेशन को ठीक करिये। भोपाल ट्रैजेडी जैसा कैमिकल अगर कहीं से निकलता है तो पहले आप यह तय करेंगे कि यह इस ऐक्ट के अन्तर्गत आता है या नहीं? पिछले दिनों बम्बई की एक मिल से भी जहरीली गैस निकली जिस में 12-13 मजदूर मर गये थे। वह गैस पानी में चली गई थी। इससे झोंपड़ियों में रहने वाले लोग अंधे हो गये थे। ऐसी बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

आपका पौल्यूशन बोर्ड कागजी काम करता है और कागजी हुक्म चलाता है। पौल्यूशन फैलाने वाले कितने लोगों को आपने आज तक जेल के सीखचों में बंद किया है यह अपने जवाब में बताने की कृपा करेंगे तो मैं समझूंगा कि पौल्यूशन बोर्ड काम कर रहा है। पौल्यूशन बोर्ड केवल सुविधा शुल्क प्राप्त कर एन.ओ.सी. जारी करता रहता है। सुविधा शुल्क कई बार इतना बढ़ जाता है कि मोटर साईकिल से कार तक पहुंच जाता है। कार अफसरों के लिये कभी मारूति होती है तो कभी एअरकंडीशनड तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से सुविधा शुल्क देने की पद्धति को रोका जाये। अन्यथा आपके इस ऐक्ट का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मैंने जो फीचर्स बताये हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैं इस ऐक्ट का विरोध नहीं करता हूं और हमारी पार्टी भी इसका विरोध नहीं करती है मैंने जो रचनात्मक और क्रियात्मक सुझाव दिये हैं, उनको आप अमल में लायें।

आपने अपने इस ऐक्ट में 5 वर्ष की मियाद रखी है। अब तक जो खेत-खलिहानों की बरबादी हुई, मजदूरों के परिवार खत्म हो गये और गांव छोड़ कर चले गये, उनका क्या होगा? क्या रैमेडी है? आपने 5 वर्ष की मियाद क्यों रखी है? परिसंकटमय पदार्थों के द्वारा काश्तकारों, किसानों और गांव में रहने वाले लोगों का जो नुकसान हुआ क्या आप उन्हें मुआवजा देंगे? ऐसा भी कोई प्रावधान इसमें करें।

आपने यहां कहा कि भारत में नहीं विश्व में पहला ऐसा कानून बना लेकिन कानून ऐसा होना चाहिये जिस में सबस्टैंस हो, ताकत हो और आयरन हैंड के द्वारा न्याय करके गरीबों, दलितों और उत्पीड़ितों को उठाया जा सके। ऐसा कानून न हो कि कानून के ऊपर कानून का नाम रहे, झरोखा रहे, केवल दिखावा रहे, केवल अभिनय रहे। आप नेता से अभिनेता न बनें, आप सामाजिक नेता बनें और सामाजिक न्याय के मसीहा बनने की कोशिश करें। आज तक जितने लोगों का नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा दिलायें और उसके द्वार खोलें। कहीं एक हजार की फीस लगा कर किसी केस को टालें नहीं। आपने ताकत तो बहुत लगायी लेकिन बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ। हम मरा हुआ बच्चा नहीं चाहते हैं, हम जिन्दा बच्चा चाहते हैं। जो लैकुनाज और हर्डल्स हैं, उनको आप क्लास करें। जब हॉर्स रेस होती है तो बढ़िया घोड़ा ऊंचे-ऊंचे हर्डल्स क्रॉस कर जाता है। चेतक कर गया, आप ऐसा चेतक घोड़ा दौड़ाइये। जो कर जाए क्लास। इतिहास में नाम हो जाएगा और नहीं तो यह होगा कि बहुत-बहुत हल्ला हुआ, शोर मच गया। परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसमें सबसे बड़ी वास्तविक बात यह है कि कम्पैंसेशन का क्वान्टम तय करिए। सारे भारत में एक कानून बनाइये और इन्सान के जीवन की कीमत एक-सी होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिये कि किसी को पांच हजार मिल रहे हैं और

किसी को पांच लाख मिल रहे हैं। यह कीमत का जो फर्क है उससे लगता है कि दृष्टि में प्रदूषण है आप अपनी इस दृष्टिकोण के प्रदूषण को मिटाइए। आपकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है, उसे हटाइए और फिर देखिए कि इस देश के अन्दर किस प्रकार से दीन–दुखी लोग न्याय के लिए तड़प रहे हैं। आज भी भोपाल त्रासदी के पीड़ित लोग तड़प रहे हैं। इनके जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको भी वही बीमारी पैदा हो जाती है। उनके बच्चों के खून के अन्दर वह बीमारी चली गई है। आपने ट्रिब्युनल्स का जाल बिछा दिया है और न्यायाधीशों की लाईन लगा दी है। न्यायाधीश अपने भत्ते बनाते हैं इसके साथ–साथ आपने एक नहीं अनेक स्टैंडर्ड लगा दिए गए हैं, जिसके कारण भोपाल त्रासदी के लोग, दीन दुखी परिवार, जो आज तक पुनः स्थापित नहीं हो सके, जिनको आज तक कम्पैंसेशन नहीं मिला, उनके लिए आप वास्तविक रूप से कानून बनाइए। ऐसा कानून जिससे उनको सच्चा न्याय मिल सके।

इस कानून में आपने समय की सीमा नहीं रखी है कि कब तक न्याय मिलेगा। आपने कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में यह कहा गया और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, न्याय होता नहीं है और लोग ट्रिब्यूनल्स में लोग घूमते रहते हैं तथा इसलिए हम कानून बना रहे हैं। आपने इस कानून में कोई सीमा रखी है कि छः महीने में फैसला करना होगा या एक साल में फैसला करना होगा। मैं आपको एक दुखान्त बात बताना चाहता हूं। मैं जब असम के अन्दर चीफ–जस्टिस था, तो मैं तेजपुर में इन्सपैक्शन करने के लिए गया। वहां डिस्ट्रिक्ट जज के पास कम्पेंसेशन का एक केस था। पत्नी लगातार दस साल आती रही, लेकिन कोई ब्यान नहीं हुआ और न कम्पैंसेशन दिया गया। वह पहाड़ों के बीच से आती थी और दस साल चक्कर लगाती रही यदि आपके इस प्रकार के ट्रिब्यूनल्स होंगे, तो दस साल तो क्या 15–20 में भी फैसले नहीं होंगे। इसलिए में कहना चाहता हूं कि आप इसमें समय की सीमा लगाइए कि छः महीने के अन्दर फैसला हो जाएगा, जे नेचुरल जस्टिस का प्रिसीपल है यह भी होगा कि लम्बी चौड़ी बहस नहीं होगी, कानूनी तर्क–कुतर्क नहीं होगी, सच्चा न्याय होगा और कसौटी के ऊपर न्याय होगा। छः महीने में न्याय होगा और उसको पैसा मिलेगा।

एक बात और, आपने अन्तरिम कम्पैंसेशन के लिए कोई एमाउन्ट नहीं रखा है मोटर व्हीकल एक्ट में तो इसकी सुविधा है जैसे ही कम्पैंसेशन की एप्लीकेशन दी जाती है तो 15–25 हजार उसकी बैवा को या उस लड़की को जिसका पिता चला गया या उस पत्नी को जिसका सिन्दूर लुट गया या उस माता को जिसकी गोद सूनी हो गई तुरन्त मिल जाता है। आपने कोई ऐसा कानून इसमें रखा है। जहां तक मुझे जानकारी है नहीं रखा है।

श्री कमल नाथ : उसके लिए पब्लिक लायबिलीटी इन्शोरेंस एक्ट है जब बिल इन्ट्रोडयूस किया था, तब मैंने कहा था कि पब्लिक लायबिलिटी इन्शोरेन्स एक्ट केवल अन्तरिम कम्पैंसेशन के लिए है। उससे आगे जाने के लिए हम यह बिल ला रहे हैं।

श्री गुमान मल लोढा : आप चार कदम आगे जाइये, लेकिन दस कदम पीछे मत चले जाइए। फारवर्ड एंड फारवर्स, ऐसा नहीं है कि दो कदम आगे बढ़े और चार कदम पीछे चले गए। अन्तरिम कम्पैंसशन दिया जाए...**(व्यवधान)**

महोदय, मैं एक बात कर अपनी बात समाप्त करूंगा। न्यायालयों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए। आपने एक ट्रिब्युनल दिल्ली के अन्दर रखा है और तीन आप बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित करेंगे। गरीब की पत्नी जिसका पत्नी दुर्घटना में मर गया, वह दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या मद्रास में कहां जाएगी, कहां ठहरेगी और कौन ठहराएगा, कौन रास्ता बताएगा कि कहां ट्रिब्युनल है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम एक ट्रिब्यूनल प्रत्येक प्रदेश के अन्दर स्थापित कीजिए और उसके बाद आगे विकेन्द्रीकरण करें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

न्याय का यह उसूल है कि वह जाना चाहिए। चौपाल पर न्याय होना चाहिए। गांव–गांव में, घर–घर में न्याय पहुंचना चाहिए। यदि चौपाल पर सच्चा, सारगर्भित, सामाजिक और शीघ्र न्याय पहुंचता है तो न्याय व्यवस्था अच्छी है अन्यथा है अन्यथा ये केवल कागज के कच्चे चिट्ठे हैं इनसे न्याय नहीं हो सकेगा। मैंने जो आपको सुझाव दिए हैं उन पर विचार किया जाए ताकि यह जागृत एवं जीवित कानून हो सके। जरूरत मदों को राहत देने के जीवित कानून बनायें केवल खिलवाड़ न करें।

अभिनेता मत बनिए, सामाजिक कार्यकर्ता बनिए। बल्कि एक सड़क छाप कार्यकर्ता बनिए ताकि सही कार्यकर्ता बन सकें। पंच होटल में एयरकंडीशन कमरों के अंदर रह करके हम जो बातचीत करते हैं उससे न्याय नहीं हो सकता।

महोदय, मैंने यह जो सुझाव दिए हैं मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इन पर विचार करेंगे। ये क्रियात्मक, रचनात्मक एवं सृजनात्मक सुझाव है और वास्तव में ये सामाजिक न्याय के सुझाव हैं, इनको आप स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जस्टिस लोढा के लिये 25 मिनट का समय नियत था परन्तु उन्होंने 35 मिनट का समय ले लिया है।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय पहले वक्ता का समय नहीं देखा जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई अपवाद नहीं हो सकता। कुल नियम समय 2 घंटे है। हर कार्य उस समय के भीतर ही पूरा किया जाना होगा।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र कांग्रेस पार्टी के लिये 54 मिनट का समय नियत है अतः इस बात का ध्यान रखें कि आपके मित्रों को भी अवसर मिल सके।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : अपनी पार्टी की ओर से मैं पहला वक्ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप पर निर्भर करता है। कि यदि आप समय बचायेंगे तो आपके बाद बोलने वाले सदस्यों को समय मिल सकेगा।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मैं पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा लाये गये विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री महोदय द्वारा उठाये गये इस साहसपूर्ण कार्य के लिये और इस ऐतिहासिक विधेयक को इस पवित्र सदन से लाने के लिये उन्हें बधाई देता हूं स्थायी समिति के द्वारा इस विधेयक को कुछ वर्षों तक लम्बित रखा गया था। अतः यह एक ऐसा अवसर है जब कुछ संशोधनों के साथ इस सभा के द्वारा इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिये।

सर विसंटन चर्चित्य ने अपनी भविष्य वाणी करते हुए विश्व के विकास के नाम पर पर्यावरणीय बरता है गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हुए कहा था :

"काला युग फिर से वापस आ सकता हैं विज्ञान के चमकीले पंखों पर बैठ कर पाषाण काल वापस आ सकता है और अब जिसके कारण मानवता को अनन्त भौतिक वरदान मिल सकते हैं परन्तु वे इसके पूर्ण विनाश का भी कारण बन सकते हैं।

मैं चेतावनी देता हूं कि सावधान हो जायें। समय बहुत कम है।"

सर विन्सटन चर्चित ने यह स्पष्ट भविष्य वाणी की थी।

3.13 म.प.

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई)

प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री ने यह विधेयक इस सभा में लाने की क्यों कोशिश की है, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनका विचार था, यह अकेला उनका ही नहीं– अपितु सारे सदन का और सारे देश का विचार था कि पर्यावरणीय परिसंकटों और देश में हो रही दुर्घटनाओं के प्रभावित होने वालों को प्रतिकर देने की जबरदस्त जरूरत है। जब ही से शीभा और नामासाकी में परमाणु बम फटे थे तो कोई व्यक्ति प्रतिकार लेने के लिये सामने नहीं आया था। परन्तु जब भोपाल गैस दुर्घटना हुई तो लोग आगे आये और प्रतिकर की मांग की गई। और प्रतिकर की उनकी मांग न्यायोचित थी।

महोदय राष्ट्रपिता ने कहा था "पृथ्वी के पास हर व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के पर्याप्त सामान हैं किन्तु हर व्यक्ति के लोभ के लिए नहीं है। पर्यावरणीय विनाश में जिस व्यक्ति के रिश्तेदार खत्म हो गये हैं उसको क्या हासिल होता है, उसे केवल प्रतिकार मिलता है और कुछ नहीं। मैं एक बात से बहुत खुश हूं। कि विधेयक में इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रतिकर तत्काल अदा किया जायेगा और इसे अनेक वर्षों तक के लिये लटकता नहीं रहने दिया जायेगा। जो लोग राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण में मुकदमे दायर करते हैं उनके मुकदमे तत्काल निपटाये जा सकते हैं। यह इस विधेयक की विशेषता है लोक तांत्रिक देश में नीतियां कुछ अधिकार प्राप्त व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप ही नहीं होनी चाहिये परन्तु इसे निरन्तर चलने वाली चर्चा, डिजाइन, जानकारी के प्रश्न तथा देश भक्ति की प्रक्रिया का उत्तर होना चाहिये सभी को इसे समझना भी चाहिये।

इसी तरह का विधान माननीय मंत्री 18 अगस्त, 1992 को भी लाये थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में पारित किया गया था और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। कुछ अन्य विधेयक भी इस सदन में पारित हुए थे। जब सरकार के द्वारा इस तरह की कोशिश की जा रही है तो सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा यह है कि किसी तरह न्याय होना चाहिये। मेरे माननीय सहयोगियों ने एक बार कहा था कि हम प्राकृतिक न्याय देने के प्रयास नहीं कर रहे हैं। परन्तु यहां पर सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। मैं यहां पर हैस्टिंग्स पर चलाये गये महाअभियोग से कुछ उद्धरण पेश करता है जिनको मैकाले ने अभिलिखित किया है :

> "मैं भारत के नाम पर, जिसके अधिकारों को उसने पैरों तले रौंदा है, और जिस के गांवों को उसने रेगिस्तान में बदल दिया है, उन पर महाअभियोग चलाता हूं। अंत में स्वयं मानव प्रकृति के नाम पर, दोनों जातियों (पुरूष एवं महिला) के नाम पर, प्रत्येक युग के नाम पर, प्रत्येक रैंक के नाम पर मैं सब के समान शत्रु तथा सभी पर क्रूरता करने वाले पर महा–अभियोग चलाता हूं।"

सभी का शत्रु यह पर्यावरणीय प्रदूषण अथवा पर्यावरणीय परिसंकट हैं। अतः उनको इस विधेयक के रूप में इस सदन के सामने लाया गया है और इस सभा को इस पर विचार करना चाहिये।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक न्यायिककल्प विधेयक है, क्योंकि यह विधेयक सजा देने की शक्ति नहीं देता। प्रतिकर दिया जा सकता है किन्तु सजा नहीं दी जा सकती। मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इस विधेयक को इस सदन के समक्ष लाये जाने से पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा एक पर्यावरण न्यायालय की स्थापना करने संबंधी सिफारिश को ध्यान में रख लिया गया है? मेरे विचार से कई बार यह उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के अनुरूप नहीं रहता। कई बार सरकारी क्षेत्र तथा गैर–सरकारी क्षेत्र के बीच किसी तरह की विसंगति पैदा हो जाती है। मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को सरकारी क्षेत्र के साथ–साथ गैर–सरकारी क्षेत्र पर भी लागू किया जाना चाहिये। इसका मतलब यह है कि गैर–सरकारी क्षेत्र तो प्रतिकर अदा करने के लिये जिम्मेदार है सरकारी क्षेत्र को भी प्रतिकर अदा करने के लिये जिम्मेदार है सरकारी क्षेत्र को भी प्रतिकार अदा करने के लिये देनदार बनाया जाना चाहिये। अन्यथा, इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा कि हम एक की विसंगति पैदा कर रहे हैं। मेरे विचार से यह पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिये कि न्यायालय में मुकदमों के लम्बित रहने का इस तरह से निपटान हो कि न्यायालय में लंबित मामले न्यायाधिकरण के समक्ष लाये जायें ताकि न्यायाधिकरण

उनको तत्काल निपटा सके और लोगों की शिकायतों का तेजी से प्रतितोष हो सके।

यह भी कहा गया है कि उप–चैयरमैन का पद नहीं होना चाहिये और यदि यह रहता भी है तो इस पर सेवानिवृत सरकारी अफसर नहीं होना चाहिये। वह निवर्तमान न्यायाधीश होना चाहिये। वह सेवा निवृत्त अथवा वर्तमान न्यायाधीश होनी चाहिये। कई बार सेवानिवृत अफसर, जो स्वयं अपने लोगों के बारे में ही सोचते हैं, नियुक्त कर लिये जाते हैं। इस प्रवृत्ति से पूरी तरह से बचना चाहिये। उन्हें कम से कम एक सामाजिक कार्यकर्त्ता होना चाहिये ताकि वह अपव्ययों पर समुचित निर्णय कर सकें।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यद्यपि विधान समय पर लाया गया है इसके प्रभावीपन का उसी अवस्था में व्यापक रूप से पता चल सकेगा यदि इसको सीमा विस्तार किया जायेगा। यह मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। समिति का निश्चित मत है कि :

> "सरकार उन परिसकंटमय पदार्थों के कारण जिनका पर्यावरण तथा बन मंत्रालय ने पता नहीं लगाया है, होने वाले नुकसान के लिये प्रतिकर के मामले विधेयक की परिधि के अन्तर्गत लाकर विधेयक की सीमा कर विस्तार करें, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण ऐसे पदार्थों के कारण भी हो सकता है जो मंत्रालय की विशिष्ट सूची के अनुसार परिसंकटमय न हों परन्तु उनकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता बहुत अधिक हो सकती है।"

यह स्थायी समिति की एक सिफारिश है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें यह विधेयक किन्हीं संशोधनों के साथ पारित करना चाहिये और माननीय मंत्री को वे संशोधन स्वीकार कर लेने चाहिये ताकि विधेयक का इस सदन में पारित किया जाना सुगम हो सके। विधेयक दो एक बार पारित हो जाने दें। मेरे एक माननीय मित्र ने अभी कहा है यह मृतक बच्चे का जन्म होगा। पहले बच्चे को भूमि पर जन्म तो लेने दें। क्या यह मृत होगा या जीवित होगा, क्या इससे उद्देश्य पूरे हो सकेंगे अथवा नहीं, इन बातों पर बाद में विचार किया जा सकता है। यदि प्रत्येक सदस्य द्वारा संशोधन पेश कर दिये गये तो इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को लाभ ही होगा। यह मेरी इस सदन से अपील है।

सभापति महोदय : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सहयोग करें तथा संक्षेप में बोलें।

डा. सुधीर राय (बर्दवान) : मैं संक्षेप में ही बोलूंगा क्योंकि मेरी पार्टी की ओर से एक अन्य वक्ता भी बोलने वाले हैं।

यह विधेयक स्वागत योग्य है। इसकी काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। परन्तु विधेयक में बहुत से दोष हैं। सन 1987 में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने इस प्रकार के न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया था जो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण सरण, आदि के मामलों से निपटे। परन्तु इस विधेयक में केवल ऐसे विधेयक की स्थापना कर प्रस्ताव है जो दुर्घटनाओं और प्रतिकर से ही निपटेगा।

अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अधिक पूर्णांग न्यायाधिकरणों अथवा न्यायालयों का गठन किया जाये जो सभी प्रकार के पर्यावरण अपराधों, आदि से निपट सकें।

दूसरे प्रस्तावित विधेयक में एक अन्य दोष भी है जिसका न्यायमूर्ति लोढ़ा ने उल्लेख किया है। यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार प्राधिकरणों राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि को छूट दे सकती है। भारत में उर्वरक संयंत्र, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस्पात संयंत्र रासायनिक उद्योगों में प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं और यही पर्यावरण प्रदूषण के लिये उत्तरदायी हैं।

महोदया, दामोदर एक महत्वपूर्ण नदी है परन्तु उसके किनारों पर बड़ी संख्या में सरकारी तथा गैर–सरकारी उपक्रम स्थित हैं और इनके कारण स्थिति नाली के समान हो गई है। दामोदर नदी के पानी को साफ करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गए हैं। इसलिये आप सरकारी उद्योगों, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा नगर निगमों को छूट किस कारण से दे रहे हैं। नगर पालिकाएं ही नियमित रूप से अपना कचरा नदियों में बहा देती हैं।

तीसरी बात, यह देखा गया है कि प्रस्तावित न्यायाधिकरण अफसर, नियुक्त किए जायेंगे। अफसर 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्ति ले लेगा और फिर न्यायाधिकरण का न्यायाधीश बन जायेगा। इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं कि किसी पीठ अथवा न्यायाधिकरण में नियमित जजों की नियुक्ति दी जानी चाहिये अथवा नियमित सदस्यों की जजों के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिये। यह इस डर के कारण है कि जो अफसर इस पीठ के लिये नामनिर्देशित किए जायेंगे वह पक्षपात के बिना काम नहीं करेंगे।

न्यायमूर्ति भगवती जी ऐसा पैनल बनाने का प्रस्ताव किया था जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ हों जो न्यायाधिकरणों के तकनीकी सलाह दे सकें। परन्तु दुर्भाग्य से विधेयक में तकनीकी पैनल की स्थापना का कोई उपबन्ध नही हैं जिसमें ऐसे विख्यात व्यक्ति हों जो अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हों और जिनकों अनुसंधान का अनुभव हो।

महोदया, यह भी देखा गया है कि यह विधेयक दुर्घटनाओं तथा उन दुर्घटनाओं से उद्भूत प्रतिकर के मामलों से निपटने के बारे में हैं। यह देखा गया है कि कामगारों को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखा गया है क्योंकि कारखाने के आसपास रहने वालों अथवा पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित होने वालों को ही प्रतिकर दिया जायेगा। कामगारों का क्या होगा? मंत्री महोदय ने बताया है कि वह अन्य विधेयकों के अन्तर्गत आते हैं परन्तु फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके मामले यहां सम्मिलित किये जाने चाहिएं।

मैं अंत में यह कहूंगा कि भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में पीठ स्थापित किये जाने चाहिये क्योंकि भारत एक विशाल देश है। अतः जैसा कि न्यायमूर्ति गुमान मल लोढा ने कहा है कि गरीब लोगों के लिऐ न्याय हासिल करने के लिए दिल्ली या मद्रास या कलकत्ता आना संभव नहीं होगा। अतः स्वतन्त्र शाखाएं होनी चाहिएं?

सभी राज्यों की राजधानियों में न्यायाधिकरण की शाखाएं खोली जानी चाहियें और यदि संभव हो सके तो अन्य नगरों में भी खोली जानी चाहियें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदया, मोटे तौर पर मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं लेकिन उसके साथ–साथ सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक अच्छा विचार सरकार के मन में आया और इसलिए आया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी सम्मेलन में इस तरह का न्यायाधिकरण नियुक्त करने का निर्देश या फैसला अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हुआ था। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि केवल पर्यावरण प्रदूषण की जो दुर्घटनाएं हैं, उनसे जो नुकसान होता है उसी पर पुनर्वास या सहायता या कम्पनसेशन देने की बात नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप पर्यावरण की दुर्घटना नहीं कह सकते। पर्यावरण के अस्तित्व के नाते, उसके प्रदूषण के अस्तित्व के नाते ऐसा होता है। यह बहस का मुद्दा हो जाएगा कि यह दुर्घटना के कारण नहीं है। इसलिए कम्पनसेशन का पात्र नहीं होता। इसकी परिभाषा को जरा लचीले ढंग से और व्यापक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नदियों, तालाबों और फैक्ट्रियों का बहुत सारा जल पशुओं को, फसल को और इंसानों को धीरे–धीरे क्रमशः बर्बाद करने की स्थिति में है। जिसके चलते लोगों के शरीर जख्मी होते हैं, उनका विकास अवरुद्ध होता है और धीरे–धीरे असहाय होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए दुर्घटना की परिभाषा स्पष्ट करने की जरूरत है।

दूसरी चीज, आप कहते हैं न्यायाधिकरण में अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे। इसकी बैंचेज होनी चाहिये। क्लॉज 10 में आपने कहा है कि बैंच होनी चाहिये। मेरा आग्रह है कि हमारा देश बड़ा है और न्यायाधिकरण केवल हिन्दुस्तान की राजधानी में ही होने से कोई न्याय प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसलिए इसकी बैंचेज देश के सभी राज्यों में होनी चाहिए, ऐसी कोशिश सरकार की होनी चाहिए और इसका प्रयास करना चाहिए।

मेरा तीसरा सुझाव न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, सदस्य होगा। कितने दिन जज रहा हो, रिटायरमेंट के बाद उसको नियुक्त करेंगे, कितने दिन के लिए नियुक्त करेंगे, उसकी उम्र क्या होगी, इन सारी चीजों की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखता है उसको न्यायाधिकरण का सदस्य सरकार की ओर से मनोनीत किया जाना चाहिए और उसको कम से कम 10 वर्ष इस न्यायाधिकर में सेवा करने का मौका मिलना चाहिए जिससे वह इत्मिनान से इस कथन बैंच की सेवा कर सके।

[अनुवाद]

इसके साथ–साथ मैं क्लाज 4 के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। क्लॉज 4 केन्द्रीय सरकार, एक अधिसूचना जारी करके किसी भी मगलीक को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है; अर्थात

(क) उस व्यक्ति के द्वारा जिसे क्षति पहुंची है;

(ख) किसी राज्य सरकार;

(ग) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली अथवा नियन्त्रण वाली निगम को; अथवा

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण को।

[हिन्दी]

यह एक्जेम्पशन का पावर सरकार अपने पास क्यों रखना चाहती है? इस पर मुझे आपत्ति है। न्यायाधिकरण नियुक्त करने के बावजूद भी आप अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाला व्यक्ति, हाईकोर्ट का जज रहा हुआ व्यक्ति इस न्यायाधिकरण का सदस्य होगा, इस बैंच का एक हिस्सा होगा लेकिन संस्थाओं को एक्जम्प्ट करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि यह उचित नहीं है और यह अधिकार न्यायाधिकरण के पास ही जाना चाहिए। इस अधिकार को सरकार अपने हाथ में रखकर अफसरशाही के काम करने के जो तौर–तरीके हैं, उनको अपने हाथ में रखना चाहती हैं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदया, सदन में जो राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक लाया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक अच्छा विधेयक उन्होंने यहां प्रस्तुत किया गया है। हमारे देश में ही नहीं, सारे संसार में जिस तरह से पर्यावरण के प्रदूषित होने की समस्या उग्र रूप धारण करती जा रही है उसके बारे में यहां चिन्ता जताई गयी है और कई गम्भीर बातें सामने आई हैं। पर्यावरण को और प्रदूषित होने से रोकने के लिये, लोगों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिये जिस अधिकरण के गठन की व्यवस्था की जा रही है। वह बहुत अच्छा कदम है।

इसके साथ–साथ मैं चाहता हूं कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने जिन खामियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया, उन्हें माननीय मंत्री जी ध्यान में रखेंगे और उनके निराकरण के लिये उचित कदम उठाये जायेंगे। माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह ओर लोढ़ा साहब ने जिन खामियों की ओर आपका ध्यान दिलाया, मैं समझता हूं कि उन खामियों को दूर करके, इस विधेयक को चुस्त–दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण के लगातार दूषित होने की समस्या से आज हमारा देश ही नहीं, सारा विश्व चिन्तित है। मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि देश के लोगों को दिमागी तौर से इससे उत्पन्न होने वाले खतरों से आगाह कर दिया जाये। उसका कारण यह है कि जिस गति से पर्यावरण के दूषित होने की समस्या सामने आ रही है, उसे रोकने के लिए यदि हमने अभी

से कदम नहीं उठाये, लोगों को एजूकेट नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इसमें कोई दो राये नहीं कि हमारे यहां उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं और वातावरण हर स्तर पर दूषित होता जा रहा है। इसके कारण आज लोगों में अनेकों ऐसी बीमारियां सुनने और देखने को मिलती हैं, जिनका पहले कभी जिक्र नहीं आता था। अनेकों एकदम नई बीमारियां पनपती जा रही हैं। जिनका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को पर्यावरण के दूषित होने से उत्पन्न होने वाले खतरों से आगाह किया जाये अन्यथा इससे ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जिन खामियों की ओर अभी माननीय सदस्यों ने आपका और सदन का ध्यान आकर्षित कराया है, उन्हें दूर करते हुये, वर्तमान विधेयक को चुस्त–दुरुस्त बनाया जाये। इन चन्द शब्दों के साथ मैं सदन में लाये गये विधेयक का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं, और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रथ्वीराज डी. चव्हाण (बसाड) : मैं राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक का समर्थन करता हूं।

स्थायी समिति ने विधेयक का अध्ययन किया है और अपनी रिपोर्ट पेश की है। 1972 में हुए मानवीय पर्यावरण विषयक स्टाक होम सराहनीय सम्मेलन से लेकर पर्यावरण विधान की जरूरत के बारे में जागरूकता में वृद्धि हुई है। 1992 में हुए रियो पृथ्वी सम्मेलन ने केन्द्रीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधान की जरूरत को और आगे बल दिया है।

आज हम ने जलवायु परिवर्तन जैसा विसंगतियां ओजोन परत तथा संकटापन्न प्रजातियों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते किये हैं।

भारत पर्यावरण संरक्षण आन्दोलन में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है। 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के साथ शुरू कर के हमने प्रदूषक फैलाने वालों को दंड देने के लिए कानून बनाये हैं। परन्तु किसी भी औद्योगिक उपक्रम के द्वारा पर्यावरणीय दुर्घटना का असर, से प्रभावित होने वाले बेकसूर लोगों पर पड़ता है जिनको प्रतिकर दिये जाने की जरूरत है। इस बात को विशेषरूप से भोपाल गैस त्रासदी की दुखदायी घटना के बाद महसूस किया गया।

1986 में ओलम्पिक गैस रिसाव मामले में उच्चतम न्यायालय भी ने पर्यावरण न्यायालय बनाये जाने की जरूरत तथा पर्यावरण विधान में सहायता देने के लिये पर्यावरण अनुसंधान गुप बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था, सन 1991 में इस सदन ने सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम बनाया, जिसमें अनिवार्य बीमा तथा परिसंकट मय पदार्थों की उठाई–धराई के दौरान उद्भूत होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिकर की तात्कालिक अदायगी करने का उपबन्ध था। स्थानीय समाहर्त्ता को तत्काल प्रतिकार देने के लिये शक्तियां दी गईं।

वर्तमान विधेयक इस प्रकार की दुर्घटनाओं से उद्भूत दावों अन्तिम दावों का निर्णय करने के लिये न्यायिक–वत निकायों के रूप में अधिकरणों की स्थापना करने के बारे में है। वर्तमान विधेयक का नाम अत्यन्त भ्रामक है। इस प्रकार का विचार है कि यह विधेयक शायद सभी प्रकार के पर्यावरणीय मामलों से निपटने के लिये है। दुर्भाग्यवश, वास्तविकता यह नहीं है। विधेयक जैसा कि इस समय है यह एक दावा न्यायालय से ज्यादा कुछ नहीं है जो परिसंकटमय पदार्थों की उठाई–धराई में होने वाली दुर्घटनाओं से उद्भूत दावों के निपटान के लिये है। चूंकि यह केवल परिसंकटमय पदार्थों से ही निपटने के लिये है अतः अन्य पर्यावरणीय कानूनों के अन्तर्गत किए गए अपराध अब अन्य दूसरे न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारों के पास जायेंगे। इस प्रकार पर्यावरणीय अपराधों से निपटने के बारे में प्राधिकारियों की द्वेधता है। इस पहले कदम के आगे, यह स्वागत योग्य पहला कदम है, जरूरत इस बात की है कि एक व्यापक विधेयक लाया जाये, जो न केवल सार्वजनिक दायित्व अधिनियम तथा वर्तमान अधिकरण विधेयक को एकीकृत करें परन्तु इस प्रकार की दुर्घटनाओं से उद्भूत सिविल दायित्वों के लिए कठोर संहिता बनाने की आवश्यकता के साथ साथ पर्यावरणीय नियमों की सारी परिधि को अपने अन्तर्गत ले।

(श्रीमती सन्तोष चौधरी पीठासीन हुई)

3.42 म.पे.

महोदया, विधेयक के विशेष खण्डों का उल्लेख करते हुए खण्ड 3 में कामगारों को इस विधेयक से अपवर्जित किया गया है। क्योंकि कामगर अन्य विधानों के अधीन आते हैं। परन्तु मानको के अनुरूप कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जिनसे नहीं किया जा सकता। अधिकरण के द्वारा बायो–मानक के द्वारा दावा निपटाये जाने की संभावना है जो वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत तय मानकों से बहुत ऊंचे हैं जिनके अनुसार कामगारों की दक्षता को संरक्षण मिलता है। अतः मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि इस में इस तरह का प्रावधान किया जाये कि यदि अधिकरण द्वारा दिया गया प्रतिकर कामगारों को दिये गये प्रतिकर से अधिक हो तो कामगर को भी स्वतः ही अधिक प्रतिकर मिल सके।

खण्ड 4 के बारे में सभी ने टिप्पणियां की हैं। यह खण्ड केन्द्रीय सरकार को किन्हीं संयठनों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार निगमों आदि को छूट देने की शक्ति देता है। स्थायी समिति ने भी इस पर टिप्पणी की है। मेरे से पहले विचार व्यक्त करने वाले वक्ता को इस बात से मैं सहमत हूं कि केन्द्रीय सरकार को किन्हीं वर्गों के उपक्रमों को छूट देने की शक्ति धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें स्थायी समिति द्वारा की गई इस सिफारिश को स्वीकार कर लेना चाहिये जो बहुत ही स्पष्ट सिफारिश है कि सरकार को इस शक्ति को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे से पहले

वक्ताओं ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और मेरा स्वयं का यह विचार है कि सम्पूर्ण खण्ड 4 को हटाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि सदन के सर्वसम्मत विचारों तथा स्थायी समिति द्वारा दी गई सर्वसम्मत सिफारिश को ध्यान में रखकर डा. माननीय मंत्री एक संशोधन पेश करेंगे।...(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : अब यह सर्वसम्मती होगी।

श्री कमलनाथ : मैं जानता हूं जो कुछ आप कह रहे हैं वह विधिमान्य हैं।

श्री पृथ्वीनाथ डी. चव्हाण : अब मैं खंड 5(4) की बात करता हूं जिसके बारे में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने बहुत कुछ कहा है। परन्तु उनसे सहमत नहीं हूं 1000 रु. कर शुल्क उद्ग्रहीत करने में कुछ भी गल्त नहीं है क्योंकि विधेयक में ऐसे लोगों को छूट देने का प्रावधान है जो निश्चित स्तर से कम काम वाले हैं उस तरह निर्धन लोगों को इस से बाहर रखा गया है परन्तु मैं इस बात को नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के उपक्रमों को क्यों छूट दी गई है। इन उपक्रमों को छूट देने की कोई जरूरत नहीं है।

जिस अगले मुद्दे के बारे में टिप्पणियां की गई हैं वह पाये वर्ष की समय सीमा है। मैं नहीं समझता कि इस समय इस पर चर्चा करने की जरूरत है। हम इस उपबन्ध को रख सकते हैं और यदि हमारा अनुभव इसके विरुद्ध हो तो हम किसी भी समय इसे बदल सकते हैं। अन्यथा ऐसे बहुत से मुकदमे हो जायेंगे जिनका फैसला नहीं हो सकेगा और बड़ी संख्या में पुराने मुकदमे भी फिर से शुरू हो जायेंगे।

अधिकरण के गठन के बारे में भी कुछ सुझाव है। अनेक अधिकरणों का गठन हुआ है और अंत में वे सेवानिवृत लोगों को रोजगार देने का माध्यम ही बनते हैं। इस अधिकरण को हम सेवानिवृत अफसरों, न्यायाधीशों सचिवों तथा अतिरिक्त सचिवों को रोजगार देने का माध्यम न बनायें। मेरे विचार से हम एक ऊपर आयु सीमा तय कर सकते हैं जिसके ऊपर के व्यक्ति की समीक्षा के रूप में नियुक्त न हो। चेयरमैन के संबंध में हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को चैयरमैने के रूप में नियुक्त करने का उपबन्ध रख सकते हैं परन्तु तकनीकी सदस्यों विशेषज्ञ सदस्यों तथा कानूनी सदस्यों के रूप में सेवानिवृत अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। सेवा कर रहे अधिकारियों की ही इन पदों में नियुक्ति की जानी चाहिये। मेरे विचार से ऊपरि सीमा नियत करके यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।

चयन समिति के बारे में जो खण्ड 11(7) है मैं उसमें एक छोटा सा संशोधन करने का सुझाव देता हूं। मेरा सुझाव है कि अधिनियम के अनुसार एक पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करने के स्थान पर दो पर्याकरण विशेषज्ञ रखने का उपबन्ध किया जाना चाहिये। इसके साथ उसमें उचित सन्तुलन आ जायेगा। अन्यथा चयन समिति में अफसरों का बोलबाला रहेगा।

महोदया; एक अन्य उपबन्ध यह है कि लम्बित मामले राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण को अन्तरित नहीं किये जा रहे हैं। यह विवादपूर्ण खण्ड है। मेरे विचार से यदि अभी नहीं तो कुछ समय बाद इस पर उचित विचार किया जाये। हमें सभी पर्यावरणीय विधान तथा सभी पर्यावरणीय मुकदमे इसी अधिकरण को अन्तरित करने की जरूरत पड़ेगी ताकि सभी प्रकार के पर्यावरणीय मामलों के बारे में यह बहुत ही प्रभावी अन्तिम अधिकरण बन सके।

महोदया उच्चतम न्यायालय ने ओलियम गैस मामले में विनिर्णय में बहुत जबरदस्त सिफारिश की थी कि स्वतन्त्र विशेषकर पैनल का गठन किया जाये जिसे उसने "परिस्थितिकीय अनुसंधान सेवा ग्रुप" का नाम दिया था। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विशेषज्ञों की स्वतन्त्रता संस्था के गठन के अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। यहां तक की हमारे द्वारा पारित सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम में भी विशेषज्ञ समितियों के गठन का उपबन्ध था। मैं समझता हूं कि सरकार ने सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के अधीन उन सलाहकार समितियों का भी गठन नहीं किया है। परन्तु विशेषज्ञों की स्वतन्त्र संस्था का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए। यह संस्था से अधिकरण के सम्मुख आने वाले तकनीकी अथवा वैज्ञानिक मामलों के बारे में अधिकरण की सहायता करते ही उम्मीद की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस तरह श्री विशेषज्ञ संस्था का गठन करने के लिये तत्काल कदम उठायेंगे।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने अधिकरण को स्वतः मामले उठाने की शक्ति देने के बारे में स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। यह एक अच्छा संशोधन है। मैं इसका समर्थन करता हूं । मेरे विचार से इससे इस अधिकरण को मजबूत बनाने तथा आवश्यक शक्तियां देने में सहायता मिलेगी।

गैर–सरकारी संगठन भी इस अधिकरण के अधीन कार्यवाही आरम्भ कर सकते हैं। परन्तु उन गैर–सरकारी संगठनों को सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने की जरूरत है। गैर–सरकारी संगठन विकास गतिविधियों तथा प्राकृतिक न्याय के मामलों में निरन्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जब हम यह कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको मान्यता देन की जरूरत नहीं है तो उससे एक समस्या आती है। हमें दिशा निर्देशों की एक प्रणाली बनाने की जरूरत है तथा कुछ कानून बनाने की जरूरत है जिनके अनुसार गैर–सरकारी संगठनों का वर्गीकरण किया जा सके और उनको समुचित ढंग से मान्यता दी जा सके। यह हो सकता है कि यह पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधिकतर क्षेत्र में न हो परन्तु सरकार को गैर–सरकारी संगठनों को मान्यता देने का कानून बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहियें।

पृथ्वी की परिस्थितिकीय प्रणाली पर भारी दवाब पड़ रहा है। इस तरह की जागरूकता पैदा हो रही है कि आज की अर्थव्यवस्था आज की जीवन पद्धति हासिल करने की कोशिश में भावी पीढ़ियों से चुका रही हैं। सरकार पर्यावरणीय विधान बनाने के गंभीर प्रयास कर रही है। इस मामले में परिसंकट पदार्थों को उठाई–धराई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से उद्भुत कठोर सिविल दायित्व के सिद्धांतों को संहिता बद्ध करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि यह विश्व का अपनी तरह का पहला प्रयास है अतः वह बधाई के पात्र हैं।

यद्यपि वर्तमान विधान पर्याप्त नहीं है, परन्तु यह अच्छी शुरुआत है। हमें इस अधिनियम के कारण होने वाले अनुभव तथा सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के अनुभव से कुछ सीखना पड़ेगा। बाद में सरकार इन दोनों अधिनियमों को राशीकृत कर सकती है और उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1986 के विनिर्णय के अनुसार पर्यावरण न्यायालय जैसा व्यापक कानून बना सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं सामाजिक विधान के इस महत्वपूर्ण कानून का समर्थन करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पन्सकुरा) : हालांकि यह विधेयक हर तरह की परिस्थितियों से भी निपटने हेतु नहीं है। फिर भी भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में स्वागत योग्य है। मेरे विचार से इसे पहले लाया जाना चाहिये था। हमें इसके लिये तीन वर्ष प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये थी।

जिस समय भोपाल की दुर्घटना घटित हुई थी उस समय मैं स्वयं वहां गई थी और मैं आज तक उस घटना के जबरदस्त असर से उभर नहीं सकी हूं। परन्तु मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अब तक हम उस दुर्घटना से ग्रस्त होने वालों के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब ऐसा करेंगे।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मेरा विषय है कि चव्हाण जी ठीक कह रहे हैं कि खण्ड 4 का लोप किया जाना चाहिये यह सर्वसम्मत मत है। मैं भी इस मत की हूं और मेरे से पहले बोलने वाली सभी वक्ताओं का भी यही मत था क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि सरकारें इस बारें में सबसे बड़ी अपराधी होती हैं। सरकार की बसों स्थानीय निकायों अथवा राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही बसों के द्वारा पैदा किया गया प्रदूषण पानी में आर्से निकीय प्रदूषण और विभिन्न अन्य प्रकार के प्रदूषण इसके उदाहरण हैं। श्री सुधीर राय ने ठीक ही कहा है कि दामोदर का पानी सिरा हद तक प्रदूषित हो चुका था। कमल नाथ जी इस बारें में जानते होंगे क्योंकि वह पश्चिम बंगाल को अच्छी तरह से जानते हैं। इस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार सबसे बड़ी अपराधी होते हुए उसे इस विधेयक की परिधि से छूट नहीं दी जानी चाहिये।

दूसरे यद्यपि इस विधेयक में कहा गया है कि यह बोर्ड का विवेक होगा कि बैंच कहां पर स्थापित हों और इसके साथ ही कमल नाथ जी का कहना है कि अभी तीन बैंच स्थापित किये जायेंगे। मेरा विचार है कि तीन पीठों से उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि ये बातें ऐसी हैं कि जिनका अधिकतर असर निर्धनों पर अधिक पड़ता है और इसमें बहुत समय लगता है और पैसा भी खर्च होता है अतः पीठों की संख्या अधिक होनी चाहिये।

एक और बात है और वह प्रतिकर की वह राशि है जिसका लोढा जी ने उल्लेख किया है मैं समझता हूं कि इस समय उसे यहीं पर छोड़ दिया जाये क्योंकि हमारा अनुभव यह है कि अलग अलग मामलों में यह अलग अलग हो जाता है। अतः इस बारे में कोई निश्चित कसौटी होनी चाहिये कि प्रतिकर क्या होगा।

अब मामले को पेश करने के लिये समय सीमा का प्रश्न है जहां तक मामले को पेश करने के लिये समय सीमा की बात है मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह कई बार होता है और कुछ व्यक्ति कोई जानकारी नहीं रखते और जब उन्हें मालूम पड़ता है तो वह अधिकरण के सामने आना चाहते हैं। अतः मैं इस बात से सहमत हूं कि समय बढ़ा दिया गया है। परन्तु मेरा विचार है कि मामलों का निपटान एक निश्चित समय में किया जाना चाहिये ताकि अधिकरण यह कह सके कि समय सीमा के भीतर इसके द्वारा मामला निपटा दिया जायेगा। एक सुझाव यहां पर दिया गया है कि यह 6 महीने का समय होना चाहिये और यह अच्छा सुझाव है।

मेरा एक और मुद्दा भी है जिसका कुछ अन्य सदस्यों ने भी उल्लेख किया है यह परिसंकटमय पदार्थों को सीमित करने के बारे में है। इसका लोप किया जाना चाहिये क्योंकि हमने कुछ परिसंकटमय पदार्थों के नाम दिये हैं। परन्तु हम रियो समझौते की व्याख्या के अनुसार यह विधेयक ला रहे हैं। अतः व्याख्या में वायु जल और भूमिगत आदि की बात की गई है। यदि इन सब को शामिल कर लिया जाये तो जो परिसंकटमय पदार्थ विधेयक में रखे गये वह सीमित नहीं किये जाने चाहिये। मेरे विचार से यह परस्पर विरोधी है और इसको परिसंकटमय परिस्थितियों के पक्ष में हल किया जाना चाहिये जो इस अधिकरण की परिधि में आयेंगे और इस में आयेंगे।

मैं एक और बात कहना चाहती हूं जिसको किसी अन्य सदस्य ने नहीं कहा है। मेरा विचार है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधेयक में कामगरों को वर्तमान कामगर प्रतिकर अधिनियम, 1923 के कारण इस विधेयक से बाहर रखा गया है। मेरा अनुभव यह है कि सबसे पहले 1923 का यह अधिनियम एक प्राचीन अधिनियम है और उसके बाद अधिक परिवर्तन हो चुके हैं। इसके आगे मेरा अनुभव यह कहता है। कि कामगर सब से अधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण के रूप में मेरे जिले के श्री कमलनाथ को जानकारी होगी, पुरुलिया ग्राम में पत्थर तोड़े जाते हैं और उससे सिलीकोसिस निकलता है। मैं वहां पर गई थी और मैं वहां पर उन रोगियों को देख कांप उठी थी कि उनकी स्थिति रस्से की तरह पतली हो गई है और वह मर रहे हैं। एक दिन एक रोगी की मृत्यु होती है और दूसरे दिन दूसरा रोगी मर जाता है। अब तक मेरे द्वारा यह मामला अधिकारियों के साथ उठाये जाने के कारण इस कम्पनी का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। इसके साथ ही निर्धनों में से निर्धन तक व्यक्ति को कोई प्रतिकर ऊंचा नहीं किया गया है।

अतः मेरा विचार है कि इस कामगर प्रतिकर अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये मैं यह नहीं जानता कि यह कहां तक संभव है। आपको इस की जांच करनी है। परन्तु यह बात इस अधिकरण में आनी है जहां यह समय सीमा नियत की जानी चाहिये कि जिसके अनुसार अधिकरण के मामले का निपटान करना है।

अतः मेरा यह विशेष अनुरोध है कि इस प्रश्न पर भी विचार किया जाये। यद्यपि कामगर प्रतिकर अधिनियम श्री कमलनाथ के अधीन नहीं है परन्तु उनसे सम्बद्ध है क्योंकि अभी भी परिसंकटमय पदार्थों

के कारण बड़ी संख्या में कामगर प्रभावित हो रहे हैं। हमें यहां पर भोपाल की बड़ी त्रास्दी का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। छोटी जगहों में भी इस तरह की बातें हो रही है अतः मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न पर भी गंभीरता से विचार किया जायेगा और इस बारे में कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं यह अनुरोध करके अपना भाषण समाप्त करती हूं कि चूंकि कई बातों में यहां पर अधिकत्तर सदस्यों की राय एक रही है मंत्री महोदय स्वयं अपने आप कुछ ऐसे संशोधन रखे जिस तरह वह चाहते हैं कि अधिकरण स्वयं अपने आप मामले विचार के लिये ले सकता है और वे हमारे सुझावों पर कार्यवाही करेंगे। इनमें से कुछ सुझाव सभी दलों के हैं। मुझे विश्वास है कि इस बारे में कार्यवाही करेंगे।

4.00 म.प.

श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा (क्योंझर) : महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा है "भूमिगत जल" भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है? मैं इस सदन से जानना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री मुन्डा आप बैठ जाईये।

श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : तब मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : माननीय सभापति महोदया, किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई–धराई के समय होने वाली दुर्घटना से हुए नुकसान के लिए कठोर दंड का उपबंध करने और व्यक्तियों, सम्पत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए राहत और प्रतिकर देने के संदर्भ में माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं, वह स्वागत योग्य है क्यों कि इस विधेयक के प्रति लोगों की इच्छा थी कि सरकार कुछ कदम उठाती लेकिन इस विधेयक में बड़ी ही चतुराई के साथ मंत्री महोदय ने शायद अपनी सरकार की जिम्मेदारी को बचाने की कोशिश की है। जिन कई सदस्यों ने इसमें मांग की है, उनके साथ मैं अपने आप को भी जोड़ता हूं।

दायित्व में छूट के संदर्भ में केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्राधीन के बारे में बिल में कुछ नहीं कहा गया है। अगर किसी की मृत्यु होती है, कोई दुर्घटना होती है, पर्यावरण सम्बन्धी कोई विषय आता है तो छूट दी जायेगी, मै समझता हूं कि चाहे पब्लिक सैक्टर हो, प्राइवेट सैक्टर हो, मृत्यु मृत्यु होती है और दोषी दोषी होता है। दोषी के बीच किसी प्रकार का अन्तर करना, हीनता प्रदर्शित करना समान न्याय समान कानून के लिये उचित नहीं है। इसलिए मैं आप से आग्रह करना चाहूंगा कि पब्लिक सैक्टर को छूट देने की बात को निकालने का कष्ट करें। "प्रतिकर की रकम जो न्यायसंगत प्रतीत हो" यह जो लिखा है, इसके द्वारा इस विधेयक के आत्मा के प्रश्न को कठघरे में खड़ा किया है। "न्यायसंगत" के मायने क्या हैं? क्या मृत्यु में कठघरी तय हो जायेगी, क्राइटीरिया तय हो जायेगा? जो मरेगा, वह किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा, आखिर जो मरेगा, उसमें भी न्यायसंगत की बात होगी मैं समझता हूं कि इस के बारे में गुमान मल लोढा जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा सह निश्चित करें कि जो आप प्रतिकर देंगे, वह कितना होगा और उसकी स्थिति क्या होगी, यह भी आपको स्पष्ट करना चाहिए।

महोदय, इस देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। यह देश गांवों का देश है, मजदूरों का देश है। आपने देश के कुछ प्रदेशों की राजधानियों में बैंच बैठाने की बात कही है। मैं यह कहना चाहता हूं, गरीब परिवार के एक मजदूर को उसके केस के लिए कितनी दूर भेजना चाहते हैं। मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं, मोटर व्हीकल एक्ट में कम्पैंसेशन देने की व्यवस्था है। जब भी किसी गरीब परिवार का सदस्य कम्पैंसेशन के लिए अपना वाद प्रस्तुत करता है, जिले में ही उसको जाना होता है। इसमें न्याय की इतनी लम्बी अवधि होती है कि पैरवीकार पैरवी करते–करते थक जाता है, निराश हो जाता है और उसको लगता है कि जो कम्पैंसेशन उसको मिलने वाला है, वह राशि से कम होगी, जो वह न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय के चक्कर लगाने में खर्च कर रहा है। न्यायलय की व्यवस्था से हम परिचित हैं, इसलिए जो आप न्यायाधिकरण की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट यह करना चाहिए कि जो वाद आयेंगे, उन वादों को आप कितने दिनों में निपटायेंगे। उसकी पूरी व्यवस्था और रूप–रेखा आपको स्पष्ट करनी चाहिए तथा इसके साथ ही आप उसको कितनी रकम देंगे। कभी–कभी ऐसा भी लगता है कि एक व्यक्ति दोषी नहीं होता है, अगर वह दोषी नहीं है और कम्पैंसेशन परिचित को देंगे तथा वह कोर्ट में चला जाता है, तो उसके लिए आपने कौन सा रास्ता निकाला है, इसको भी बताने की कोशिश करें।

मंत्री जी आपने कहा है, जो दुर्घटनाग्रस्त होगा, उसकी आप क्षतिपूर्ति करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं, दुर्घटना ही न हो, इसके लिए भी आप कोई कठोरतम कारवाई करेंगे। इसके लिए भी कानून में कोई –न–कोई उपखन्ड या उपधारा जोड़नी चाहिए। आपने प्रदूषण बोर्ड बनाया है और करोड़ों रुपये आपने गंगा और जमुना को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए खर्च कर दिए हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या गंगा जमुना प्रदूषण से मुक्त हो गई। अगर नही हुई है, तो उसके क्या कारण हैं? इसी प्रकार से जब उद्योगों को स्थापित किया जाता है, तो उसके पहले उनको लाइसैंस तभी दिया

जाता है, जब वे प्रदूषण मुक्त व्यवस्था करेंगे। यह एक आवश्सक शर्त होती है, लेकिन यह आवश्यक शर्त होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चलते हैं और प्रदूषण मुक्त के सवाल खड़े के खड़े रह जाते हैं। आप कानपुर में चले जाइए, कानपुर में चमड़ा उद्योग बहुत है। वहां आप यदि नदी के पानी को देखें, तो आपको पानी के ऊपर मैल चलता हुआ नजर आएगा। आप दिल्ली में ही यमुना नदी के पानी की स्थिति को देख लीजिए। हमारे यहां आमी नदी है, उस नदी में इस प्रदूषण के कारण बहुत सी मछलियां मर गई हैं। इसका दावेदार कौन होगा और उस प्रतिकार को प्राप्त करने वाला कौन होगा। एक बहुत बड़ा सवाल है, किसी व्यक्ति का जानवर उस नदी में बह गया तो उसकी क्षतिपूर्ति का तो दावेदार होगा, लेकिन ये मछलियां, जो जल में रहती हैं और इस प्रदूषण के कारण मर रही हैं, उनका दावेदार कौन होगा। इस संबध में हमारे यहां एक आन्दोलन चला और मैंने मंत्रीजी को लिखा भी कि इस नदी को इन्डस्ट्रियल ड्रेन घोषित कर दीजिए।

उद्योग चाहिए, उद्योग लगे बंद कर दें यह सिद्धांत तो ठीक नहीं है, लेकिन न उद्योग लगें और न बंद हों यह भी तो ठीक नहीं है। उद्योग भी चाहिए और प्रदूषण मुक्त भी चाहिए उसके लिए भी सरकार को कहीं न कहीं योजना बनानी पड़ेगी। हमने एक योजना का सुझाव अपने क्षेत्र खलीलाबाद के लिए दिया है कि आमी नदी को इंडस्ट्रियल ड्रेन घोषित करो। हैड से लेकर टेल तक चलो, हैड गहरा करो टेल ऊंचा करो। दोनों किनारों को बांधो और उनको बांधने के बाद 50–100 मीटर के बाद उनमें से दोनो तरफ नालियों निकालो हजारों एकड़ जमीन जो बाढ़ से डूब जाती है, केवल एक फसल होती है। अगर उस आमी नदी को इंडस्ट्रियल ड्रेन बना दिया जाए और उससे दोनों तटबंधों को बांध कर पानी के फैलाव को रोक करके उसको गहराई तक ले जाया जाए और वह गहराई पानी के ठहराव की दृष्टि से हो। एक तरफ उद्योग अपने इंस्ट्रुमेंट मंगा करके प्रदूषण मुक्त पानी निकालें तो पानी का ठहराव होगा और उसी से प्रदूषण होगा और अंत में जब आपकी नदी में जा करके पानी गिरे तो वहां पर प्रदूषण मुक्त संयंत्र लगाए जाएं। उसके बाद इस पानी को छोटी–छोटी नहरों में बांध करके इसको सिंचाई के काम में लाया जाए। मैं समझता हूं कि सीधे बड़ी–बड़ी नदियों में पानी गिराने की बजाए उन उद्योगों को इंडस्ट्रियल ड्रेन के माध्यम से, एक नयी तकनीक के माध्यम से पानी को शुद्ध करके उसमें गिराया जाए। इस कार्य को पूरा करने में जो भी लापरवाही करे, चाहे सरकार दोषी हो, व्यक्ति दोषी हो, चाहे पब्लिक सैक्टर हो या प्राइवेट सैक्टर हों, उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्यदाही होनी चाहिए। यह भी इस विधेयक के साथ कहीं न कहीं आप प्रावधान करें। इस कार्य को करने के लिए सरकार आगे बढ़े। इसके लिए आपने जो प्रदूषण बना रखा है वहां सारी कार्यवाही चलती है लेकिन सब कुछ हमारे सामने है। करोड़ों रुपये का अपव्यय हो रहा है इसे बचाया जाए।

आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने जो थोड़े से सुझाव दिए हैं। उन पर भी आप ग्रहित करते हुए हमें संतुष्ट करेंगे। फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप इतने महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर के आए हैं। इसके लिए बहुत–बहुत धन्यावाद।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासार) : लगातार खतरनाक बनते जा रहे पर्यावरण तथा परिस्थितियां खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार का यह बहुत अच्छा प्रयास है। जहां तक विधेयक के उद्देश्य का संबंध है यह बहुत ही प्रशसंनीय है। माननीय मंत्री को यह मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कुछ दूरी तय करनी है किन्तु वह दूरी काफी नहीं है और उनको उस चिंताजनक खतरे को दूर करने में सफलता हासिल करने के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम चलाने होंगे।

महोदया, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह औद्योगिकीकरण का युग है। हमें औद्योगिकीकरण करना होगा। परन्तु औद्योगिकीकरण की दौड़ में हमें प्रकृति को नष्ट नहीं करना है। मेरे विचार से इस दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। निश्चित रुप से हमें प्रकृति पर विजय हासिल करने के प्रयास करने चाहिये परन्तु हमें प्रकृति के साथ सहयोग भी करना चाहिए। यदि हम प्रकृति पर विजय हासिल करने पर जोर देंगे तो पर्यावरण नहीं बचेगा और उससे सभ्यता और मानवता को भी नुकसान पहुंचेगा। अतः हमारा यह सतत प्रयास होना चाहिये कि हम यह देखें कि औद्योगिकीकरण पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनुकुल वातावरण में हासिल किया जाये।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को लाने का सरकार का यही उद्देश्य है। इस विधेयक में कुछ कमियां है। उदाहरण के रूप में यदि आप दुर्घटना की व्याख्या को देखेंगे तो पायेंगे कि यह पर्याप्त सीधी नहीं है। इसमें कहा गया है कि दुर्घटना का मतलब है दुर्घटना। इससे क्या पता चलता है? मैं तो नहीं समझ सकता:

> "दुर्घटना का अर्थ है किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई–धराई के दौरान होने वाली दुर्घटना जिसमें आकस्मिक अथवा अचानक अथवा घटना अन्तर्ग्रस्त हो।"

यह परिसंकटमय पदार्थ हुआ है इसका संबंध पारिस्थितिकी के क्षय होने से होना चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि इस व्याख्या को बहुत विस्तृत होनी चाहिए ताकि अधिकरण समस्या के व्यापक पहलुओं पर विचार करते समय इस खण्ड का भी उपयोग कर सके।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और "दुर्घटना" की व्याख्या को पर्याप्त सरल बनायेंगे।

जहां तक उद्देश्य का संबंध है कोई मतभेद नहीं है। परन्तु धारा 4 अपने आप से निराश करने वाली है। आप राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक निगमों और अन्य संगठनों और नगर पालिकाओं एवं नगरनिगमों को छूट दे रहे हैं। तब शेष क्या बचता है? अतः आपका उद्देश्य कुछ भी हो परन्तु खतरे के बड़े हिस्से को विधेयक के प्रभाव से बाहर रखा जा रहा है। अतः में समझता हूं कि यह स्वयं अपने आप में निराशा पैदा करने वाला उपबन्ध है। इसके कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

अधिकरण में ऐसे सदस्यों का उपबन्ध है जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायधीश है, अतिरिक्त सचिव हैं और सचिव हैं। परन्तु अधिकरण में किसी गैर सरकारी संगठन अथवा किसी पर्यावरण वादी के लिए कोई स्थान नहीं है ताकि व्यापक रूप से अधिकरण पर्यावरण के बारे में किसी विशेषज्ञ की सेवाओं का लाभ उठा सके।

श्री श्रीवल्लभ पाणीग्रही (देवगढ़) : यह मुकदमा भी चला सकता है।

श्री चित्र बसु : यह केवल मुकदमा चलाने की बात नहीं है। आप न्यायिक कर्मियों, तरनीकी अफसरों, कर्मियों और प्रशासन में अनुभव रखने वालों आदि के बारे में उपबन्ध कर सकते हैं। परन्तु क्या कोई पर्यावरण वादी है? यदि आप पर्यावरण को वास्तव मे बचाना चाहते हैं तो आप को परियोजना विशेष के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव पर भी विचार करना होगा। अतः अधिकरण में पर्यावरण के बारे में किसी विशेषज्ञ सलाह हासिल करने की कोई संभावना नहीं है। मेरे विचार से यह विधेयक की सब से बड़ी कमजोरी है। परन्तु आपने (कुछ उम्मीदवारों) के चयन के मामले में पर्यावरण विदों को अन्तर्ग्रस्त किया है। वहां पर आपने यह मान लिया है कि उनमें से अधिकतर अधिकरण के कार्मिक हैं–अधिकरण चेयरमैन, पर्यावरण तथा वन विभाग, भारत सरकार के सचिव, और सीधी न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव और केन्द्रीय वैज्ञानिक और औधौगिक गवेषणाक परिषद के महानिदेशक तथा पर्यावरण वादी, जिसका नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार के द्वारा किया जाना है।

आपने पर्यावरण पर एक विशेषज्ञ की सेवाएं लेने का उपबन्ध किया है। परन्तु किस प्रयोजन के लिए यह नियुक्तियों के लिए लोगों के चयन के लिए है। आपने भर्ती के लिए लोगों में चुनने हेतु पर्यावरण विशेषज्ञ की सेवाएं लेने का उपबंध किया है। परन्तु मेरा विचार है कि पर्यावरण विशेषज्ञ को अधिकरण में भी समुचित स्थान दिया जाना चाहिए ताकि अधिकरण पर्यावरणविद का विशेषज्ञता का भी काम उठा सके।

अब मैं धारा 27 की बात करूंगा। इसमें कहा गया है :

> "बशर्ते कि इस उपधारा में दिया गया कुछ भी किसी व्यक्ति दंडयोग्य नहीं बनायेगा जिसका इस अधिनियम में उल्लेख किया गया है। यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा उसने उक्त अपराध के किये जाने को रोकने के लिये तत्परता के साथ कार्य किया था"।

निश्चित रूप से आपने ऐसे व्यक्तियों के लिये अवसर प्रदान किया है। उन्होंने केवल सह स्पष्टीकरण देना है कि अपराध उनकी जानकारी में नहीं हुआ था। यदि यह वक्तव्य दे दिया जाये तो मेरे विचार से उस व्यक्ति को उपबंध के अधीन नहीं लाया जाना है और यदि आप वास्तविक दोषी को दंड देना चाहते हैं तो सारा प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा। अतः मेरा विचार है कि इस परन्तुक आलोप कर दिया जाये ताकि यह अधिकरण को काम करने हेतु वास्तव में शक्ति मिल सके।

महोदया, यह अधिकरण केवल दावा निपटान निकाय के रूप में ही काम करेगा अतः यह तो एक पक्षीय कार्यवाही है। परन्तु पर्यावरणीय अथवा परिस्थितिकीय खतरे के दूसरे पहलू के संबंध में अधिकरण को कोई अधिकार नहीं है इसी कारण हम को चिंता हो रही है। प्रत्येक राज्य की प्रत्येक परियोजना को स्वीकृति दिये जाने से पहले मंत्रालय उसकी जांच करता है। उदाहरण के रूप में क्या स्वर्ण रेखा बांध की मंजूरी दी जाती है या नहीं। इस पहलू को मंत्रालय द्वारा जांच करके मंजूरी दी जाती है। विश्व बैंक की हाल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश में 40–45 बांध हैं जिनके सामने तलहटियों में गाद जम जाने के कारण दूर जाने की आशंका पैदा हो रही है। इस तरह के खतरों के लिये मैं समझता हूं कि हमें इस विधेयक में किसी तंत्र का उपबंध करना चाहिए। पर्यावरण की समस्या का संबंध इस बात से नहीं है कि दुर्घटना के लिये कितना प्रतिकर दिया जाये परन्तु इसका प्रयोजन व्यापक होना चाहिए। सयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा तो बहुत व्यापक है। यह केवल प्रतिकर में संदा के लिये ही नहीं है। रियो–डीजनेरो की घोषणा का उद्देश्य तो पर्यावरण को बचाना है। मेरे विचार से घोषणा के उस पहलू विशेष की हमने पूरी उपेक्षा कर दी है। आप यह कह सकते हैं कि यह विस्तृत विधेयक नहीं है और इससे समस्या के एक भाग के साथ निपटा जा रहा है। परन्तु मेरा आप से अनुरोध है कि इस पहलू पर भी विचार किया जाये। उदाहरण के रूप में कोई बड़ा आकर प्रान मछली की खेती करने लगता है। उड़ीसा में इसी तरह की एक परियोजना शुरू की जा रही थी। उस परियोजना का नाम चिल्का परियोजना है। (व्यवधान) मैं जानता हूं अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आप पर निर्भर है। मेरे जिले में आप "भोरी" परियोजना की बात जानते हैं यह मतस्य की परियोजना है। वहां पर क्या होता है कि प्रान मछलियों की खेती के लिये धान के खेतों में खारी पानी लाया जाता है। यह कार्य आज कल बड़ी बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा किया जा रहा है। वह स्थानीय उद्योग को प्रदूषित कर रहे हैं; वह राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं और वह देश में अनेक क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं। अतः जब तक समस्या के इन पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता यह प्रयास आंशिक रहेगा। मेरी शिकायत यह है कि यह विधेयक पर्यावरणीय समस्याओं से जुड़ी सभी समस्याओं और पर्यावरण के संरक्षण के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः मेरे विचार से पर्यावरण पर होने वाले इन सभी आक्रमणों को रोकने के लिये कोई अलग तंत्र होना चाहिये। मेरे विचार से इसमें उसका उपबन्ध नहीं है परन्तु वास्तविक समस्या नहीं है। सरकार को इस बात को समझना चाहिये।

आप पश्चिम बंगाल के चार या पांच जिलों में पीने के प्रयोजनों से प्रयोग में लाये जाने वाले पानी में आर्सेनिक प्रदूषण के लिये किस को दंड देंगे। आप यह किस प्रकार कह सकते हैं कि यह दुर्घटना मात्र है? यह तो उद्योग की रीढ़ है। इसके लिये किसी न किसी को दंड दिया जाना चाहिये। परन्तु यह किस तरह से किया जाये? आप दोषी व्यक्ति का पता नहीं लगा सकते। उसके लिये अन्य तरीके अपनाने होंगे और पानी के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जानी होगी ताकि उसके कारण पैदा होने वाले खतरे का सामना

किया जा सके। आप यह निर्णय कर सकते हैं उसमें पर्यावरण को संरक्षण नहीं मिलेगा। आप अपने उत्तरदायित्व से हट सकते हैं। परन्तु आर्सेनिक प्रदूषण एक ऐसा खतरा है जो आज बहुत खतरनाक रूप धारण कर चुका है। इस प्रकार की समस्याओं से भी पर्यावरण मंत्रालय को निपटना है। परन्तु इसके बारे में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। मेरा यह कहना नहीं है कि इस विधेयक में इसके बारे में उपबन्ध किया जाना चाहिये। परन्तु मेरे कहने का मतलब यह है कि यह तो केवल मात्र दावा निपटाना निकाय है। इसके साथ यदि हम वास्तव में पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और जीवन को वास्तव में रहने योग्य बनाना चाहते हैं तो पर्यावरण की इन बड़ी एवं छोटी समस्याओं से भी निपटा जाना चाहिये तब ही यह पृथ्वी वास्तव में रहने योग्य व स्मृद्धि तथा खुशी देने वाली बन सकेगी।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्रालय उन समस्याओं के बारे में कोई नीति तय करेगी जिनका मैंने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इस सदन में उल्लेख किया है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय में राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक, 1992 का समर्थन करता हूं जैसा कि माननीय मंत्री के विधेयक को पेश करते हुए कहा गया है यह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विधान है। मुझे यह जान कर भी बहुत खुशी हुई है कि यह सारे विश्व में अपनी तरह का पहला विधेयक है इसके कारण हमें वास्तव में बहुत प्रसन्नता हो रही है।

यह ठीक है कि इसमें अनेक कमियां हैं जिनका माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है और जिनको माननीय मंत्री द्वारा दूर किये जाने की जरूरत है। माननीय मंत्री की उद्देश्य के प्रतिनिष्ठा सभी को ज्ञात है । इस बारे में कोई शक नहीं किया जा सकता। उनके प्रयास प्रशंसा योग्य हैं। भारत पर्यावरण को बचाने तथा उसके संवर्धन की दिशा में चल रहे आन्दोलन में सब से आगे है। आज इस बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन चला रहा है। 1947 में हमारे देश के आजाद होने के बाद 1950 तथा 1960 के दशक में पर्यावरण के बारे में कोई चिंता नहीं थी। परन्तु जब उद्योगों की स्थापना होने लगी जब बिजली दर लगाये जाने लगे तब हम किसी बात पर विचार नहीं कर रहे थे और उस समय हमने इलैक्ट्रो प्रेसीपेटर्स आदि लगाने पर कोई जोर नहीं दिया। कागज मिलों आदि के द्वारा होने वाले जल प्रदूषण की ओर हमने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा ध्यान प्रदूषण के पहलू पर सोचे बिना केवल उद्योगों की स्थापना की ओर था। आजादी के बाद के पहले 2 दशकों में इस पहलू को ताक पर रखा रहने दिया गया।

सन 1972 में स्टारहोम में जो स्वीडन की राजधानी है। एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और हमारे लिये यह गौरव की बात है कि हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद यूरोप तथा अन्य विकसित देशों में एक हरित क्रांति ने जन्म लिया जिस के परिणामस्वरूप ग्रीन पार्टी के नाम से एक राजनैतिक दल का भी गठन हुआ। 1972 के पश्चात ऐसी अनेक ग्रीन पार्टियां काम कर रही हैं। वह अपने चुनाव घोषणों में पर्यावरण खतरों का उल्लेख भी कर रहा है। तब से भारत एक प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। आप जानते हैं कि स्वर्गीय इन्दिरा जी को इस प्रयोजन के लिये संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भी दिया गया था। यह इस क्षेत्र में उनके प्रशंसनीय योगदान के लिये था। उनके पश्चात हमारे युवा एवं कर्मठ मंत्री श्री कमल नाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री राम नाईक : श्री कमलनाथ जी का नाम लेने से पहले आप आदर से श्री राजीव गांधी का नाम भी लें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : आपको मुझे इसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। राम नाईक जी मैं व्यर्थ में पथ से विचलित होकर किसी की प्रशंसा व किसी की बुराई नहीं करता।

1992 के सम्मेलन में भारत ने प्रमुख भूमिका अदा की। हमारे दल का नेतृत्व श्री कमल नाथ जी ने किया था। आप जानते हैं कि किस प्रकार से चर्चा हुई थी। परन्तु भारत ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के युवा एवं कर्मठ मंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व में बहुत ही महत्वपूर्ण तथा निर्णयात्मक भूमिका अदा की। इस बात को स्वीकार किया जाना होगा।

4.34 म.प.

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

इस पृष्ठभूमि में हमारे सामने जो विधेयक है उसमें उसका उल्लेख है। इसके साथ ही मैं न्याय पालिका के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। श्री लोढा यहां पर उपस्थित हैं। उच्चतम न्यायालय भी इस बारे में अपनी कोशिशें कर रहा है। हम सब सांसद के रूप में अब दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में से एक है। यह विश्व के सबसे प्रदूषित महानगरों में से चौथे स्थान पर है। अतः आज यह स्थिति है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक विनिर्णय में सरकारी संगठनों सहित लगभग 9000 उद्योग को नोटिस जारी करके किसी स्थान पर स्थानान्तरित होने को कहा है। हम उच्चतम न्यायालय द्वारा इस दिशा मे अदा की गई भूमिका की सराहना करते हैं। जिस तरह का लोकतन्त्र हमारे देश में है इस तरह के लोकतन्त्र में जब तक कोई बाध्यता अथवा कोई धमकी न दी जाये काम नहीं होता। इस सम्बन्ध में न्यायापालिका को अपनी भूमिका अदा करनी है। और उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से पर्यावरण के संरक्षण के मामले में अपनी भूमिका अदा कर दी है।

महोदय, यह एक तरह से सार्वजनिक दायित्व अधिनियम को एक तरह से जारी रखना है। जैसा कि मेरे कुछ सहयोगियों ने उल्लेख किया है यह विधेयक अपने साथ कुछ संभावनाएं लिये हैं। इनको पूरा किया जाना होगा। यह सच है कि सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 आपातकालीन मामलों से निपटता है और अन्तिम निपटान इस अधिकरण के द्वारा किया जायेगा।

महोदय, जैसा कि श्री चव्हाण ने कहा है विधेयक का नाम वास्तव में भ्रामक है क्योंकि पर्यावरण के सारे विस्तार इसके अंतर्गत आते हैं किसी भी उल्लंघन की स्थिति में मामला इस अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में मानेगा परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविक उद्देश्य तभी हल होगा जब इन सभी पहलुओं को इस अधिकरण की अधिकार सीमा के अन्तर्गत लाया जायेगा ताकि यह अधिकरण पूर्ण रूप में कारण के सारे मामलों में अथवा जहां कहीं किसी पर्यावरण कानून का उल्लंघन किया गया हो उस मामले में मुकदमे चला सके। तभी यह उपयोगी और लाभपूर्ण होगा।

मैं यह कहूंगा कि यह बहुत अच्छी शुरूआत है और जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है अपनी किस्म का पहला प्रस्ताव है श्री चित्तावासु ने कुछ सुधारों का सुझाव देते हुए कहा है इस विधेयक का समर्थन किया है। परन्तु कुछ माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि कुछ उम्मीदों को पूरा नहीं करता है। परन्तु मैं यह कहूंगा कि हमें इसे एकमत होकर पारित कर देना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि दो अथवा तीन अन्य पहलुओं को इस विधेयक के अन्तर्गत लिया जाना चाहिये। धारा 4 में कुछ खामियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिये।

स्थायां समिति के सामने मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि वे अनुभव से सीखने के प्रयास करेंगे। इस तरह उन्होंने यह नहीं कहा है कि उनकी इस पर कोई आपत्ति है अथवा वह अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के बढ़ाये जाने के पक्ष में हैं। परन्तु उन्होंने केवल इतना कहा है कि शुरूआत के रूप में इस का सीमित उद्देश्य होगा सीमित अधिकार क्षेत्र होगा और उसके बाद इसका विस्तार किया जायेगा।

श्री कमलनाथ जी को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उर्वरक संयंत्र तथा कागज कारखाने प्रदूषण की हावी से सबसे अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योग हैं उर्वरक संयंत्र आम तौर पर सरकारी क्षेत्र में स्थापित हैं मैं जानता हूं कि ताल्चेर में ब्राह्मणी नदी और इब नदी में उर्वरक संयंत्रों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है। यह भी बताया गया था कि भूतल जल भी इस विधेयक की परिधि में आता है। परन्तु इससे उद्देश्य पूरा नहीं हो जायेगा। प्रवाह होने वाले जल को भी इस उपबन्ध की परिधि में लेने की जरूरत है बड़े उद्योग पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। एक संयुक्त राष्ट्र अध्ययन के अनुसार विश्व का 84 से 90 प्रतिशत पानी मानवीय खपत के लिये उपयुक्त नहीं है। यदि यह पानी 84 प्रतिशत भी हो तो यह बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। आप यह भी देख सकते हैं कि अच्छी दाल वाला पानी जो मानवीय खपत के उपयुक्त है, एक दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है। अतः अपने प्रयास तेज करने हैं। इस विधेयक में निश्चित रूप से एक प्रतिकर अधिकरण के लिये उपलब्ध किया गया है। यह एक अभूतपूर्व विधेयक है इस बात में कोई शक नहीं है। और जो भी कमियां उस में है उन पर विचार किया जाना चाहिये और संशोधन किये जाने चाहिये।

सन 1986 में न्यायमूर्ति भगवती ने, जो तत्कालीन प्रभाव न्यायाधीशों थे, अपने एक विनिर्णय में इस तरह के पर्यावरण न्यायालयों की विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिये स्थापना करने का सुझाव दिया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के सामने बड़ी संख्या में लाये जा रहे मामलों से निपटने के लिये न्यायालय असमर्थ हैं और यह मामले दशकों से लम्बित हैं। अधिकरण को भी जांच कर के यह पता लगाने का अधिकार है कि क्या यह मामला ग्रहीत किये जाने योग्य है अथवा नहीं। आरम्भिक अवस्था पर यदि जांच करने पर अधिकरण सन्तुष्ट हो जाता है तो इसे ग्रहीत कर लिया जायेगा और अन्यथा स्थिति में इसे ग्रहीत लिया जायेगा और अन्यथा स्थिति में इसे ग्रहीत नहीं किया जायेगा। परन्तु मार्ग इस दिशा में उसको सहायता देने के लिये कोई तन्त्र अथवा संगठन नहीं होगा तो अधिकरण जांच किस तरह करेगा?

वर्ष 1986 में दिये गये विनिर्णय में यह भी सुझाव दिया गया था कि एक सेवा अनुसंधान ग्रुप गठित किये जायें जिनमें क्षेत्रीय पर्यावरण न्यायालयों के लिये स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम विशेषज्ञ हों। निश्चित रूप से इनका गठन किया जाना चाहिये और इनको जांच करने का कार्य सौंपा जाना चाहिये। इसके साथ ही यदि इसके लिये कोई समय सीमा तय नहीं की गई तो इसकी प्रासंगकिता समाप्त हो जायेगी और आने वाले समय में हमारी आशाएं पूरी नहीं हो सकेंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि इसके लिए 6 महीने का समय नियत किया जाना चाहिये और इसकी प्रक्रिया संक्षिप्त विचारण की होनी चाहिये। निश्चित रूप से अधिकरण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार काम करना होगा। दूसरे देश को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये। इस तरह की याचिकाओं आदि के निपटान के लिये 6 महीने का समय तय किया जाना चाहिये और अधिकरण के सामने यह समय होगी।

एक अन्य बात जो मैंने विधेयक में देखी है वह पंजीकरण आयु 16 वर्ष के लगभग रखे जाने के बारे में है। हमारे देश में बहुत से मामलों में वे तकनीकी दृष्टि से औद्योगिक श्रमिक नहीं होते परन्तु वे विचित्र संगठनों में व अलग अलग प्रतिष्ठानों में कर रहे होते हैं। उनको ढाल श्रमिक कहा जाता है। तथापि, हम यह दावा कर सकते हैं कि हमारे बाल श्रम की प्रथा विद्यमान नहीं है या हमने बाल श्रम प्रतिबन्ध लगा दिया है परन्तु फिर भी लाखों बच्चे विभिन्न संगठनों एवं प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। मेरा इस बारे में एक संशय है। यदि 16 वर्ष तथा इससे ऊपर की आयु सीमा की शर्त जारी रही तो शायद कुछ मामलों में उद्योग में दुर्घटना होने पर उन पर अपनी देयताओं अथवा प्रतिकर प्राप्त करने पर रोक लगा दी जाये। इस पर विचार किया जाये।

शून्य काल में जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं उस समय उपस्थित नहीं था। उस समय मैं इसी बारे में बोलना चाहता था।

सभापति महोदय : क्या आप शून्य काल के विषय को इस समय लेना चाहते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : वह इस विषय से जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय : दूसरी अनुमति नहीं है। आप इस विधेयक पर ही बोल सकते हैं और शून्य काल के विषय के बारे में नहीं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : परन्तु वह इस विषय से जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय : अब जब आपने बता दिया है कि मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। यदि वह इस विधेयक के बारे में है तो मैं उसकी अनुमति दे दूंगा। आप इस समय उस मुद्दे को नहीं उठा सकते जिसे आप उस समय उठाना चाहते थे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय मेरी बात सुन लें। मुझे नहीं पता था कि यह मामला इस समय आयेगा अन्यथा मैंने इसकी सूचना दी है। आप कृपया मेरी बात सुना लें और तब इसे इसकी अनुमति है अथवा नहीं।

श्री शिवाजी पटनायक यहां पर उपस्थित हैं। उड़ीसा में भितरकानिका में एक बहुत सुन्दर और आकर्षिका वन्य पशु उद्यानशाला है और एक मगरमच्छ परियोजना है जिसमें बहुत ही दुर्लभ प्रगतियों के मगरमच्छ हैं। वह अब बीमार बताये जा रहे हैं और किसी रोग के कारण अथवा सम्बन्ध अधिकारियों के द्वारा समुचित सहायता न दिये जाने के कारण मर रहे हैं। स्थानीय समाचार पत्रों में भितरकानिका के बारे में अनेक कहानियां छप रही हैं यह विश्व प्रसिद्ध आय का बाग भी है जिसे नष्ट किया जा रहा है। हाल की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा का पर्यावरणीय अपसरण बहुत ही चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है।

इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं। वे वहां पर तत्काल कुछ विशेषज्ञों के भेजें। कमलनाथ के लिये उड़ीसा की यात्रा करने का भी खुला आमंत्रण है वे वहां आएं और उड़ीसा की पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में मौके पर जाकर जानकारी हासिल करें।

इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे मंत्रालय के द्वारा किये गए अच्छे कार्यों की जानकारी है। अच्छा पर्यावरण मंत्री राज्य सरकारों में प्रिय नहीं हो सकता और न वह केन्द्र के अपने अन्य सहयोगियों में लोकप्रिय हो सकता है। यदि वह कठोर रूख अख्तियार करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा है। आज बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो रहा है। प्रत्येक राज्य और हर संगठन उद्योग की स्थापना करना चाहता है और उद्योग के कारण प्रदूषण पैदा होता है। प्रदूषण उद्योग के साथ जुड़ा है। परन्तु हम चाहते हैं कि उद्योगों की स्थापना हो किन्तु प्रदूषण न हो। हम उद्योग और पर्यावरण का सह–अस्तित्व चाहते हैं। हम यह काम बहुत मुश्किल है और यह काम पर्यावरण मंत्रालय को करना है और हमें भी उद्योग और पर्यावरण के बीच सह–अस्तित्व की स्थिति लाने के लिये अपने प्रयासों के साथ अपनी भूमिका अदा करनी होगी, अच्छा वातावरण तैयार करना होगा। यदि पर्यावरण नष्ट हो गया, मानव जाति का विनाश हो जायेगा और यदि कोई उद्योग न हुआ और प्रगति न हुई तो इसके कारण गरीबी पैदा होगी। अतः यह चुनौती भरा कार्य है और हम सब को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, मैं पहले इस विधेयक की दो धाराओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसके बाद इसके सामान्य प्रावधानों के बारे में अपने मत व्यक्त करूंगा। सैक्शन 20 में अन्य न्यायालयों की अधिकारिता समाप्त कर दी गई है। टौरचुअस लायबिलिटी के लिए इस समय जिला अदालतों में जो वाद दाखिल किए जा सकते हैं, वे निषिद्ध कर दिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या शासन हर जिले में न्यायपीठ स्थापित करेगा ? मुझे इसमें शंका है। सामान्य रतर का व्यक्ति इस मामले में न्याय कैसे पा सकेगा क्योंकि यदि हर जिले में न्यायपीठ न खुले तो वह वर्तमान व्यवस्था से वंचित कर दिया जाएगा और नई व्यवस्था सुलभ नहीं हो पाएगी। मंत्री जी उत्तर देते समय इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालें। देहात में एक कहावत है–चौबे जी छब्बे होने चले थे, दूबे ही रह गए। कहीं ऐसा न हो कि आप पर्यावरण के अपराधों को रोकने चलें, सामान्य लोगों को कुछ राहत देने चलें लेकिन उनके अधिकार भी छिन्न जाएं और सारे मुकदमे उनकी पहुंच के बाहर हो जाएं।

दूसरी बात यह है कि यह विधेयक बहुत डैरोगेटरी है, बड़ा भारी भेदभाव कर रहा है। इसमें आपने प्राइवेट सैक्टर के बारे में तो सारी बात कह दी। लेकिन कमलनाथ जी इस बात को जानते हैं कि सबसे ज्यादा पौलुशन कहां से पैदा हो रहा है। मैं उनसे चार वर्ष की अवधि में कम से कम 40 बार चर्चा कर चुका हूं। वे स्वयं जानते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि इसमें उनके पूरे सिंनसेयर ऐफर्ट्स रहे है। लेकिन ताजमहल को मथुरा के तेल प्रदूषण कारखाने से खतरा हो रहा है। वे भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐफीडेविट लगा हुआ है, नीरी की रिपोर्ट इसमें लगी हुई है। आप कल्पना करें, जब प्रदूषण से पत्थरों को इतना खतरा हो रहा है तो वहां के जनजीवन के स्वास्थ्य को कितनी भारी क्षति पहुंच रही होगी। जब मैं दिल्ली में डाक्टरों से बात करता हूं तो वे कहते हैं कि वाहनी प्रदूषण है, इसलिए लोगों को शिकायत रहती है, तकलीफ रहती है। शाम को कनॉट प्लेस के बाजार में घूमने न जाएं। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे।

आगरा में भी हजारों ट्रक, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलते हैं, वाहनी प्रदूषण छोड़ जाते हैं। आपने उत्तर में बताया था कि ऐसे ट्रक, जो केवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगरा से क्रॉस करते हैं, प्रतिदिन तीन घंटे में 75 किलोग्राम सल्फर डायओक्साइड प्रदूषण छोड़ जाते है। मैं जानता हूं, केन्द्रीय सरकार पैसा लेती है और लाईसेंस, परमिट दे देती है। इसके लिए कौन दोषी है ? जनजीवन के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सैक्शन 4 में यह और कर दिया गया है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अपने स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी

भी निगम या स्थानीय प्राधिकरण को छूट दे सकेंगे। इससे ज्यादा भेदभावपूर्ण कानून कोई नहीं हो सकता। संविधान में समान अधिकार की बात कही गई है। कम से कम स्वास्थ्य के मामले में तो समानता बरतिए और उनको भी एक एकक मानिए। मैं कहना चाहूंगा कि यदि शासन अपने कर्तव्य पालन में विमुख रहे तो उसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए।

इसके साथ ही जैसा मैंने उल्लेख किया था, ताजमहल को सर्वाधिक क्षति मथुरा के तेलशोधक कारखाने से हो रही है लेकिन उसका दंड आगरा के मरणासन्न उद्योगों को दिया जा रहा है। 1960 में यह कह दिया गया कि आगरा में कोइ नया उद्योग नहीं लगेगा। उद्योग नहीं लग रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हीं के ऊपर तलवार लटकी पड़ी है और वे लोग शासन की नीतियों के कारण या जिस तरह से शासकीय प्रतिष्ठान प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उसको रोका नहीं जा रहा है। इतनी ही नहीं, यदि उनसे यह पूछा जाता है कि कितने क्वान्टम में क्या प्रदूषण फैल रहा है, यह बता दीजिए तो सरकार ने इस बात की कोई वैज्ञानिक स्टडी नहीं करवाई कि आगरा में प्रदूषण के किस कारक का क्या योगदान है क्योंकि सरकार जानती है कि इसमें वह नंगी हो जाएगी। मथुरा तेलशोधक कारखाने का सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है और सरकार उस गुनाह को छिपाना चाहती है। राजनैतिक दबाव के आधार पर मथुरा की छाती पर वह गुनाह को छिपाना चाहती है। राजनैतिक दबाव के आधार पर मथुरा की छाती पर वह कारखाना ठोक दिया गया, समूचे राष्ट्र के जनजीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण योजना बनी थी।

दिल्ली से आगरा तक यमुना का शुद्धीकरण होना था, लेकिन वह योजना कागजों में रह गई, उसी में कैद हो गई। उसका उद्घाटन भी मंत्री जी ने बड़े जोर-शोर से किया, लेकिन काम कहीं नहीं दिख रहा। इतना ही नहीं, गंगा कार्य योजना अधूरी बनाई गई और उसके कारण जितना पैसा उस पर खर्च हो रहा है, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, उस अधूरी योजना के कारण वह पैसा बेकार जायेगा। आप जापान के किसी बैंक से पैसा लेने के लिए उसको तो धोखा दे सकते हैं कि टिहरी डैम से एक समयबद्ध सीमा में हम पानी लाकर यमुना में डाल देंगे, लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों को आप धोखे में नहीं रख सकते हो। मैं कहना चाहता हूं कि वृंदावन, गोकुल और आगरा में जो बैराज बनाने का प्रोग्राम इसके अन्दर शामिल किया जाना चाहिए, जिसका तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुझाव भी दिया था, लेकिन वह आपने नहीं किया। इसलिए ताजमहल को बचाने के लिए यमुना को रेती, जो उसको नष्ट कर रही है, यमुना में पानी नहीं रहता, भूगर्भ का जल स्तर गिर रहा है, उसके निदान की आपने कोई व्यवस्था नहीं की। अगर यह बैराज बनाया जाता तो भूगर्भीय जल स्तर ऊंचा उठता, हरीतिका बढ़ती, वन वृक्ष लगते, पानी मिलता और इसके आधार पर ताजमहल की सुरक्षा होती, लेकिन सरकार क्रिमिनल नैग्लीजेस के लिए जिम्मेदार है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है, अभी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 सूची समयबद्ध योजना घोषित की है, लेकिन अभी तक उस पर प्रभावी कार्य प्रारंभ हुआ दिख नहीं रहा है। उसके अभाव में ताजमहल तेजी से नष्ट हो रहा है और स्थानीय निवासियों का स्वास्थ्य गिर रहा है।

इस कानून के अन्तर्गत अगर पैट्रोलियम मिनिस्ट्री भी काम न करे या अन्य विभाग काम नहीं करे तो उनको प्रताड़ित करने का, उनपर दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि नकारात्मक के स्थान पर कोई सकारात्मक कदम शासन उठाये और न उठाये जाने पर प्रभावी कार्रवाही सम्बन्धित विभाग या प्राधिकरण के विरुद्ध किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूं कि ताजमहल और सिकन्दरा में हिरन और मारे जा रहे हैं, चोरी किए जा रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अभी यह भी पता नहीं लग रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण वह मर रहे हैं या उनको जहर दिया जा रहा है। इसकी जांच पड़ताल भी नहीं की जा रही है।

पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए शासन को एक इच्छाशक्ति जगानी होगी और जब वह इच्छाशक्ति जगायेगा, तभी जाकर पर्यावरणीय प्रदूषण रुक सकेगा। पर्यावरणीय प्रदूषण के सम्बन्ध में मुझे संसदीय समिति की रिपोर्ट की भी याद आ रहा है, उसको पढ़कर मैं सुनाना चाहूंगा। मेरे मित्र प्रशंसा कर रहे थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और वन और पर्यावरण मंत्रालय ने सम्बन्धित समिति ने जो संस्तुतियां की हैं, उनको पूरा किया, लेकिन उस कमेटी ने तो कहा है कि "उसकी व्याप्ति को फिलहाल परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई तक समिति रखा गया है।" यह शासन ने कहा है। "वास्तव में इसकी व्याप्ति केवल पर्यावरण की सुरक्षा तथा परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई में व्यक्तियों, सम्पत्ति तथा पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मुआवजों के भुगतान तक ही समिति है।" यह पर्याप्त नहीं है, यह इस कमेटी की रिकमेण्डेशन है, इसलिए आप यह बिल ले आये ? यह बिल आप अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में ले आये, उस पृथ्वी कांफ्रेंस में गये और वहां वचन दे दिया, इसलिए बिल ले आये। यह एक अच्छे काम की शुरूआत हुई है, लेकिन यह काम बहुत अधूरा है, इसलिए सर्वांगीण बिल लाया जाना चाहिए, जिससे सग्गन रूप से सब के स्वास्थ्य के बारे में नेशनल पालिसी बनाते हुए सब का दायित्व स्थापित करते हुए एक ऐसा बिल लाते, जिसमें सब को न्याय मिल पाता और सरकार अपने ओमीशंस और कमीशस के लिए जिम्मेदार होती और लोगों को हर बार सुप्रीम कोर्ट नहीं भागना पड़ता, क्योंकि वहां पर न्याय बड़ा महंगा मिलता है। और बहुत समय से मिल पाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े तो फिर इस अधिनियम का लाभ क्या होगा और इसलिए टोर्चुअस लायबिलिटी का जो प्रावधान है, उस प्रावधान को जो नीचे स्तर तक ले जाने की बात है, मैं उसको पुनः दोहराते हुए यह आग्रह करना चाहूंगा कि मंत्रालय में सचिव ने यह कहा है कि भविष्य में होने वाले अनुभवों के आधार पर इसकी व्याप्ति

को विस्तार दिया जा सकता है। तो व्याप्ति को विस्तार दिये जाने की तो अत्यन्त आवश्यकता है। हो सकता है कि मंत्रालय अभी तक ऐसी सारी चीजों की परिकल्पना न कर सका हो, लेकिन इस बहस के माध्येम से जो तथ्य बताये जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक व्यापक बिल शासन लेकर आये, यह मैं अवश्य कहना चाहूंगा।

5.00 म.प.

मैं इस विधेयक का केवल इसलिये समर्थन कर रहा हूं कि एक छोटा सा कदम सरकार ने उठा कर शुरूआत अच्छी की है। मैं उस शुरूआत को शुरू से बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान समस्या का निदान है। इसलिये मेरा आग्रह है कि मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें और एक कॉम्प्रीहैंसिव बिल लाकर इस समस्या का निराकरण करें।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं इस विधेयक पर अपनी सशर्त समर्थन व्यक्त करता हूं। यह उचित दिशा में उठाया गया छोटा सा कदम है। परंतु विधेयक में अनेक कमियां हैं।

विधेयक काफी कठोर तथा प्रभावी दिखाई देता है। यदि विधेयक की प्रकृति का अध्ययन किया जाये तो पता चलता है कि मंत्री महोदय के विचार बड़े मजबूत हैं किन्तु विधेयक को काफी कमजोर बनाया गया है। यह प्रभावी नहीं है। यह भी दिखाई देता है कि कांग्रेस सरकार की आदत सर्वांगीण विधेयक न लाने की है। हमेशा अपूर्ण विधयेक लाया जाता है। साथ ही आश्वासन दिया जाता है कि बाद में इसका विस्तार कर लिया जायेगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : इसका अपूर्ण इस लिये छोड़ देते हैं कि जब आप शासन में आएं तो उसे पूरा कर लें।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह अच्छी बात है। इतनी जल्दी वे गद्दी छोड़ देंगे। कुछ महीने बाद हमें इसे पूरा करना पड़ेगा। खैर यह उचित दृष्टिकोण नहीं है। अभी भी समय नहीं बीता है। सरकार को उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिम्मत के साथ अपने विचार व्यक्त करने पर मैं उनको बधाई देता हूं। परन्तु यहां पर उन बातों को कार्यान्वित करने में उन्होंने अपना उत्साह छोड़ दिया है। इसी कारण से विधेयक में अनेक कमजोरियां आ गई हैं। यद्यपि यह विधेयक इस देश में अपनी किस्म का पहला विधेयक है फिर भी हमें कुछ वर्ष भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बहुत खराब अनुमान था। 1984 से लेकर मैं अकेला इस सदन में लड़ रहा हूं और चिल्ला रहा हूं...

श्री माननीय सदस्य : आप अकेले नहीं हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : कुछ लोग आये और कुछ चले गये परंतु मैं यह 1964 से सदस्य हूं और तब से लगातार यहां हूं। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है कि वे अपने आधार का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने अपने आधार को 16 वार्डों से बढ़ाकर 52 वार्ड तक कर लिया है। जिसके कारण जनता को लाभ मिल रहा है। जनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है परंतु उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जिन पीठो से उम्मीद की गई थी कि गैस विनाश से संबंधित मुकदमों को शीघ्र निपटा देंगी वह बहुत ही धीमे गति से कार्य कर रही हैं। हम नहीं जानते कि मामलों के निपटान में कितना समय लगेगा।

5.03 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आपने अपराधियों को सजा देने का आश्वासन दिया कि एन्डरसन उनमें से एक है। हजारों लोगों को मार कर देश से भाग जाने वाले व्यक्ति के संबंध में कोई उपबन्ध दिया जाना चाहिये। हम अभी तक उस व्यक्ति को पकड़ नहीं सके हैं जिसने हजारों लोगों की हत्या की और देश छोड़ कर भाग गया। विधेयक में इस तरह के उपबन्ध किए जायें कि इस तरह के लोगों को पकड़ा जा सकें।

विधेयक की एक अन्य कमजोरी यह है कि आपने भागने का रास्ता छोड़ा हुआ है। आपने स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर भी विचार नहीं किया है। स्थायी समिति ने स्पष्ट रूप से यह सुझाव दिया था कि विधेयक के खण्ड 4 का लोप कर दिया जाये। परंतु उसका लोप नहीं किया गया है। यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है। परंतु यदि वह घायल हो जाता है तो उसे छूट दी जानी चाहिये। सरकारी संस्थानों को छूट है। इस तरह यह भेदभाव है। यदि गैर-सरकारी लोगों को सभा मिलती है तो सार्वजनिक संगठनों को भी गल्ती होने पर सजा दी जानी चाहिये। यह हमारे संविधान की भावना के प्रतिकूल है। यहां पर बचने का रास्ता छोड़ दिया गया है। अर्थात् यदि आप यह सिद्ध कर दें कि आप वहां पर उपस्थित नहीं थे तो आप बच सकते हैं। परन्तु आपने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। आपने जो एकमात्र सिफारिश स्वीकार की है वह है "चैयरमैन" शब्द के स्थान पर आपने 'चेयरपर्सन" (पीठासीन व्यक्ति) शब्द रख दिया है। यह सिफारिश स्वीकार करके आपने मानों बहुत बड़ी बात की है। आपने खण्ड 4 का लोप करने की सिफारिश स्वीकार नहीं की है।

श्री कमल नाथ : मैं आपकी बात को ठीक करना चाहता हूं। दमनी अधिकरण के द्वारा अपने आप कार्यवाही करने की सिफारिश को भी स्वीकार किया है। वह अकेली ऐसी सिफारिश नहीं है जिसे हमने स्वीकार किया है परन्तु वह एक मूलभूत सिफारिश है जिसे हमने स्वीकार किया है। जब मैं चर्चा का उत्तर दूंगा मैं आपको बताऊंगा कि हमने कितनी और सिफारिशें मंजूर की हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : मेरी अगली बात इसके सीमित विस्तार के बारे में है। मैं अन्य माननीय सदस्यों के साथ मिलकर आपसे अनुरोध करता हूं कि एक सर्वांगीन विधेयक लाया जाये और इसकी सीमा कर विस्तार किया जाये। काफी संख्या में मुकदमे लम्बित पड़े हैं उनका क्या होगा ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस अधिकरण के अन्तर्गत लाये जायेंगे अथवा नहीं।

विधेयक की एक अन्य कमजोरी यह है कि इसमें कोई समय

सीमा तय नहीं की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि न्याय मिलने में देरी का मतलब न्याय से वंचित किया जाना है। भोपाल गैस दुर्घटना के मामले में लोगों को न्याय से वंचित रखा गया है। आपको पता है कि लोग किस तरह से कष्ट झेल रहे हैं। जिन लोगों के पास अधिकारियों के पास पहुंचने के लिए पैसा है और उनसे झूठी रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं वह सभी लाभ पा लेते हैं। जिन गरीब निर्धनों के पास कोई स्रोत नहीं है उनको कोई प्रतिकर नहीं मिल रहा है।

व्यापक विधेयक लाकर इस तरह की कमजोरियों से बचा जाना चाहिये। अपने भी क्षतिपूर्ति के लिये कोई दिशानिर्देश जारी नही किये हैं। नियम बनाते समय आपको इस बारे में दिशानिर्देशों की कोई व्यवस्था करनी चाहिये थी अन्यथा, इस देश में हमने मनुष्य का सर्वांगीन दृष्टि से अपक्षरण होना देखा है। लोगों ने नैतिक मूल्य खो दिये हैं। यदि कोई दिशानिर्देश नहीं हैं तो आप यह नहीं सुनिश्चित कर सकते कि लोगों को न्याय मिलेगा।

आपको कोई समय सीमा नियत करनी चाहिये जिस अवधि में मामलों का निपटान हो जाये। मेरे से पहले बोलने वाले मानवीय सदस्यों ने इन सभी बातों पर उल्लेख किया है। अतः मैं उनको दोहराना नहीं चाहता।

हमें पता चल गया है कि पर्यावरण के विकास और संरक्षण के लिये हमने अमरीका के साथ एक समझौता किया है। हमें इस परियोजना के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता मिलेगी। यह पता चला है कि इस सहायता के अधिकांश हिस्से को मशीनों के आयात पर खर्च किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह मशीनें हमारे देश के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं। चूंकि सहायता कर अधिकांश हिस्सा मशीनों के आयात पर खर्च किया जायेगा। तो इस परियोजना पर कितने प्रतिशत धन का खर्चा किया जायेगा और पर्यावरण के संरक्षण के रूप में इससे हमारे देश को कितना लाभ पहुंचेगा। कुछ दिन प्रश्नोत्तर काल के दौरान इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी परंतु उस समय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से उत्तर देने के लिये कोई उपस्थित नहीं था इसलिये मैं इस अवसर पर उस बात को उठा रहा हूं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, हालांकि यह एक समिति, भेदभावपूर्ण एवं कमजोर विधेयक है परंतु यह अच्छे आशयों को लेकर बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि नियम बनाते समय आप इसे अधिक शक्तियां देंगे ताकि यह उन सीमित उद्देश्यों को पूरा कर सके जिनके लिये इसे सदन के समक्ष लाया गया है; इसके साथ ही आप माननीय सदस्यों के द्वारा दिये गये सुझावों को भी ध्यान में रखें और एक व्यापक विधेयक संसद के सामने लायें।

श्री ए. अशोकराज (पेरम्बलूर) : विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में माननीय मंत्री ने कहा है कि जून, 1992 में रियो–डी–जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था, राज्यों को अनुरोध किया कि प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय क्षति से प्रभावित होने वालों के लिये दायित्वों तथा प्रतिकर के बारे में राष्ट्रीय कानून बनाये जायें। परंतु सरकार ने इस विधेयक को लाने में तीन साल का समय लगा दिया है। हालांकि यह देरी से लाया गया विधेयक है परन्तु मैं इसका समर्थन करता हूं।

उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक विनिर्णयों में भी इन सभी बातों का उल्लेख किया है। जैसा कि अन्य सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि खण्ड 4 में दायित्व के बारे में दी गई वापिस ले ली जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस धारा को वापस ले लिया जाये क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है।

मैं अधिकरण की स्थापना के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। अनेक अन्य सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है। यह कहा गया है कि केवल तीन पीठ स्थापित किये जायेंगे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि विषय के विस्तार को ध्यान में रख कर ही नहीं अपितु विषय के महत्व को देखते हुए प्रत्येक राज्य में इसके द्वारा एक पीठ की स्थापना की जानी चाहिये। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस पर विचार करें। अनेक संसद सदस्य इस बात का उल्लेख कर चुके है कि विशाल क्षेत्रों में आपस में एक दूसरे से दूरी को देखते हुए यदि इसका तीन पीठ ही स्थापित किये गये तो आसानी से न्याय उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा।

जहां तक दंड का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिये। पर्यावरणीय प्रदूषण के अन्तर्गत शीघ्र ही पानी, वायु और भूमि आती है अतः सरकार को गांवों में लोगों को शिक्षित बनाने के लिये सरकार को पहल करनी चाहिये। गांवों में रहने वाले अधिकांश पर्यावरणीय प्रदूषण के खतरों की बारीकियों को समझने में असमर्थ है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह समस्या राज्य सरकारों को न सौंपी जाये। हमें ग्रामीणों को सहायता देकर तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के खतरों के बारे में समुचित प्रचार करके उनको इस बारे में जानकारी दे देनी चाहिये।

इस समय जब परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से विचार करने के बाद ही मंजूरी दी जाती है तो कुछ राज्यों में इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर जो बोर्ड गठित किए गए हैं वह पक्षपात करने में लगे हुए हैं। उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिये। मैं इस कारण इस बात का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि ऐसी अनेक चमड़ा कारखाने, चीनी कारखाने व इस तरह के अन्य अनेक कारखाने हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अतः मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इसे सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिये और इसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिये।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री, (श्री मुकुल वासनीक) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा एक अनुरोध है।

हमारे पास एक अन्य विधेयक है जिसे आम चर्चा के लिये लिया जाना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक के पारित

होने के बाद सदन को दूसरे विधेयक, अर्थात् भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, पर, जो तकनीकी प्रकृति का है। यदि वह दोनों विधेयक आज पारित कर दिये जाते हैं तो इससे कार्यवाही को समय पर पूरा करने में सहायता मिलेगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि सभा पूरी तरह से आपके साथ सहमत है।

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) : मुझे इस राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने और इसका समर्थन करने पर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति का सदस्य हूं। इस विधेयक पर उस समिति में भी चर्चा की गई थी। मैंने भी उस चर्चा में भाग लिया था। मैं इस अवसर का लाभ उठा कर समिति के विचार सभा के सामने रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण, विधेयक पर्याप्त नहीं है।

यद्यपि मैं विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। फिर भी मैं विधेयक की कुछ कमियों का उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा कि मेरे इस सदन में मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने किया है। यह विधेयक यहां पर रिओ सम्मेलन के कारण लाया गया है जिसमें भारत ने पर्यावरण के मामलों के संबंध में अपनी प्राथमिकता का उल्लेख किया था। वह एक ऐसा प्रमुख अवसर था जिसमें हमारे कर्मठ पर्यावरण मंत्री श्री कमल नाथ ने मानवता के प्रतिशत हिस्से के और से इस देश की प्राथमिकता को सामने रखा। आप जानते हैं कि भारत के आकार का विशाल देश पर्यावरण के मसलों को कितनी प्राथमिकता दे रहा है। वह पहला अवसर था जब किसी बात की ओर इतना ध्यान आकर्षित किया गया। रिओ सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों को यह अनुरोध करने का भी वहां पर निर्णय लिया गया है कि इस बारे में राष्ट्रीय कानून बनाया जाये। उसके भाग के रूप में यह विधेयक यहां पर प्रः स्थापित किया गया है। इसे यहां पर पुः स्थापित किये जाने से पहले स्थायी समिति में भी इस पर विचार किया गया था।

यह विधेयक बहुत अच्छे उद्देश्यों वाला है। और बहुत आशाएं पैदा करता है परंतु फिर भी सच्चाई यह है कि इसे अब एक ऐसा साधारण विधेयक बनाया जा रहा है जो दुर्घटना ग्रस्त होने वालों को प्रतिकर की अदायगी करने के लिये है।

माननीय मंत्री ने विधेयक पुः स्थापित करते समय कहा है कि उन्होंने स्थायी समिति द्वारा दिये गये कुछ सुझाव स्वीकार किए है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस चर्चा का उत्तर देते समय उनका उल्लेख करेंगे। मेरे इस कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि प्रतिकर अदा करने के लिये पहले भी सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम जैसी कुछ कानून है। यदि किसी परिसंकरमय पदार्थ की उठाई आदि के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे प्रभावित होने वाला व्यक्ति सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर का हकदार होता है। अतः राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक के नाम से जो विधेयक इस सदन के सामने लाया गया है उसकी विशेषता क्याहै ? मुझे इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। कि यह विधेयक पर्याप्त नहीं है।

पर्यावरण के संरक्षण के लिये अनेक विधान है। 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को ही ले लें। इस राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली अनेका पर्यावरणीय समस्याओं के संबंध में अनेक अधिनियम हैं। परन्तु यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय इस बात को स्पष्ट करेंगे। दुर्घटनाओं की जांच करने तथा प्रतिकर की अदायगी करने मात्र से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। वित्त विधेयक में भी यह कहा गया था कि इसके लिये 18.5 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है और वार्षिक रखरखाव के लिये 25 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है। यह प्रर्याप्त नहीं है। इस जैसे मसले के लिये यह काफी नहीं है। इस विधेयक का क्षेत्र विस्तृत होना चाहिये क्योंकि प्रभावित व्यक्ति प्रतिकर प्राप्त करने के लिये बंगलौर, बम्बई अथवा दिल्ली नहीं जा सकते। उनको नजदीक के स्थान पर न्याय मिलना चाहिये। यह न्याय सस्ता भी सुलभ होना चाहिये। अन्यथा गरीब आदमी को किसी भी कानून से काम नहीं मिलेगा। कानून केवल कानून की पुस्तकों में ही रुका रह जायेगा। अतः हमें इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने पर विचार करना चाहिये। हमें जिला मुख्यालयों में पीठ बनाने चाहिये। अथवा कार्यात्मक न्यायालय बनाने चाहिये। देश में 500 जिला मुख्यालय हैं। यदि जनता को आगे आकर अपनी शिकायतें दायर करने का अवसर नहीं मिलेगा और न्याय हासिल करने का अवसर नहीं मिलेगा तो कानून बनाने का क्या फायदा है। पर्यावरणीय समस्या केवल प्रतिकर की अदायगी ही नहीं है। श्री भगवान शंकर रावत ने अभी–अभी कहा है कि अमूल्य विरासत, ताजमहल नष्ट हो रहा है और हम केवल बातें बना रहे हैं। क्या हो रहा है। वातावरण को कौन प्रदूषित कर रहा है ? हम केवल दुर्घटना के घटित होने की प्रतीक्षा करते हैं और तब प्रतिकर अदा करते हैं। हम इतना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार इसके कारण क्या है। जैसा कि श्री हन्नाम मोल्लाह ने कहा है इस अधिकरण के दास पर्यावरण विनाश को रोकने के लिये पर्याप्त शक्तियां नहीं है। हम कहां से कार्यवाही करना शुरू करें ? हम प्रतिकर की अदायगी मात्र कर रहे हैं। हम केवल इतनी कार्यवाही नहीं चाहते। मेरा माननीय मंत्री को सुझाव है, वह बहुत समझ बूझ वाले व्यक्ति हैं, कि इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जाये। यथाशीघ्र इस विधेयक में संशोधन किये जाने चाहियें मेरे मित्र श्री हन्नाम मोल्लाह कह रहे थे कि कांग्रेस की व्यापक विधेयक पेश करने की परम्परा नहीं है, जैसे कि पिछले 45 सालों में सारे कानून कम्यूनिस्ट पार्टी ने बनाए हैं। यह बहुत अच्छा विधेयक है। हर एक इसका स्वागत करता है। परन्तु इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिये।

महोदय, मेरे पास अपने को बहुत कुछ है परन्तु समय कम है। मैं केवल दो–तीन बातों का ही उल्लेख करूंगा। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सरकारी क्षेत्र के एककों तथा गैर–सरकारी क्षेत्र

के एककों के बीच भेदभाव का आधार क्या है। सरकारी एककों के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित किया जाना ठीक है। किन्तु यदि गैर–सरकारी क्षेत्र का यूनिट करता है तो अधिकरण में उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि यह दृष्टिकोण कहां से लिया गया है। जब किसी कानून के पीछे राजनैतिक दृष्टिकोण न हो तो ऐसा होता ही है। यह अफसरशाही ही कानून है। हमें मालूम है कि इसे उद्देश्य सरकार ने दिया है परन्तु विधेयक का प्रारूप तैयार करने के स्वरूप सरकार को अधिक योगदान दिया जाना चाहिये था। भेदभावपूर्ण यह शक्ति विधेयक में नहीं होनी चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत इसे चुनौती दी जा सकेगी। मैं जानता हूं कि वे बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। वह किसी दबाव व लोभ के कारण झुकने वाले नहीं है। परन्तु मैं जानता हूं कि वे अपने द्वारा ही घोषित की गई कितनी नतियों को कार्यान्वित करने के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं।

मुझे याद है कि इस सदन में एक बार उनको भारत सरकार की परती भूमि परीक्षण नीति बताया गया था परन्तु उनको उस नीति के संरक्षण के लिये कितने प्रयास करने पड़ रहे हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मंत्री महोदय पर दबाव पड़ रहे हैं। मैं इस बारे में किसी नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता किन्तु स्वयं ही अपनी ही नीतियों के संरक्षण के लिये उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। अन्ततः इसे कुछ ढीला किया जा रहा है और इस तरह की सब बातें हो रही है। मंत्री महोदय की सभी अच्छी कोशिशों के बावजूद सब कुछ हो रहा है। ये एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि कानून के अन्तर्गत किसी एक को छूट दी जा सकती है तो मंत्री पर एक व दूसरी बात के लिये भारी दबाव पड़ेगा और अन्ततः पर्यावरण का विनाश जारी रहेगा और विधेयक एक व्यर्थ का कानून बन जायेगा। इस विधेयक की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिये।

मैं समय की कमी के कारण अन्य बातों का उल्लेख नहीं कर रहा। महोदय स्थानीय समिति द्वारा दिये गये कुछ सुझावों को मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है। मैं उनकी इस दया के लिये उनको बधाई देता हूं। परन्तु इसके साथ ही इस समस्या के बारे में एक निरन्तर विद्यमान रहने वाली स्थायी समिति होनी चाहिये। पर्यावरण समस्याओं में रूचि रखने वाले सभी लोगों को इस विधेयक में अपना मिलकर योगदान देना चाहिये।

इसमें अनेक संशोधन किये जा सकते हैं। यहां पर न्यायमूर्ति राघवन के विनिर्णय का उल्लेख किया जा रहा था। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार के कारणों तथा स्थितियों के बारे में तथ्यों एवं आंकड़ों का अभाव हो सकता है। अतः आंकड़े एकत्रित किये जाने चाहिये और तकनीकी लोगों का सहयोग होना चाहिये। केवल उस स्थिति में कोई भी अधिकरण ठीक से काम कर सकता है। केवल मात्र अधिकरण की स्थापना मात्र से काम नहीं हो जाता और समस्याओं की पेचीदागियों ने नहीं बचा जा सकता। अतः अधिकरण के पास काम करने के लिये पूरी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिये। यह इस अधिकरण अथवा किसी भी अधिकरण के लिये कहा जा सकता है। उसके लिए एक अनुसंधान दल एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

इस विधेयक का समर्थन करने के साथ से मैं फिर से यह दोहराना चाहता हूं कि पर्यावरण समस्या में रूचि रखने वाले हम सभी सांसद और अन्य लोगों को माननीय मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि हम इस विषय में उनकी प्रतिबद्धता को जानते हैं। हमें बहुत उम्मीदें हैं और पहले कदम के रूप में हम उनका समर्थन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि इस सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए इसको और सुधारा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिये 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। परन्तु हम उससे एक घंटा ज्यादा लगा चुके हैं। परन्तु अभी भी कुछ सदस्यों को बोलना है। यदि हम 2 मिनट की सीमा का पालन करेंगे और इस शर्त के अध्यधीन कि हम एक अन्य विधेयक को भी लेंगे हम अनको समय दे सकते हैं। हमें नियमित समय से 20 मिनट अधिक समय के लिये बैठना पड़ेगा।

प्रो. उमारेड्डी वेंकटेश्वर रलु (तेनाली) : महोदय, हमारी पार्टी को अभी तक कोई समय नहीं दिया गया है और अब आप 2 मिनट का समय सीमा तय कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद प्रो. साहेब आरंभ में उपस्थित नहीं थे। हमने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि किस दल के लिये कितना समय आबंटित किया गया है और नाम भेजने को कहा था। खैर परन्तु यदि सहमत हों तो हमें 6.00 बजे के पश्चात् 15 –20 मिनट अधिक बैठना पड़ेगा। यदि आप सब इससे सहमत हों तो इस पर विचार जारी रख सकते हैं। श्री राम नाईक जी।

प्रो. उमारेड्डी वेंकटेश्वर रलु : जी हां, हम सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष जी, नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। चार जून, 1990 को यह कांफ्रेस रियो–डी–जेनेरिओ में हुई और पांच अगस्त को लगभग डेढ़ महीने के अंदर हमारे कमलनाथ जी बड़ी तीव्र गति से यह विधेयक लाए। उसके लिए स्वाभाविक तौर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं।

लेकिन अभी जिस विधेयक को आप तीन साल से लगे हुए हैं मंजूर कराने के लिए उसको तीन साल पहले ही पास हो जाना चाहिए था। इसको क्या धीमी गति नहीं कहा जायेगा ?

श्री कमल नाथ : मेरे हाथ में नहीं है। पहले पार्लियामेंटरी कमेटी में गया, उसके बाद कार्य–सूची में नहीं आया। ऐसे विषय आ गये जिनको इससे ज्यादा प्राथमिकता दी गई, इस दफा भी बड़ी मुश्किल से आया है।

श्री राम नाईक : यह भी दुख की बात है कि इतने महत्वपूर्ण

विषय पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का काम आगे नहीं होना चाहिए। बी.ए.सी. में आपके मंत्री प्रपोजल रखते हैं, खैर यह अलग बात है। आप देखें कि टाडा का विधेयक स्टेडिंग कमेटी ने दो दिन में पास कर दिया। मेरा ख्याल है कि इसकी ओर भी इतनी ही तत्परता से ध्यान देना चाहिए था।

मैंने इसमें देखा है कि कुल मिलाकर सरकार और मंत्री महोदय की ओर से 25 संशोधन आये हैं। मैंने इनको देखा है और पाया है कि 24 संशोधन एक ही प्रकार के हैं कि चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन किया जाये और वाइस–चेयरमैन के बदले वाइस–चेयरपर्सन किया जाये। मंत्री जी कह सकते हैं कि स्टेडिंग कमेटी ने सुझाव दिया है, मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि स्टेडिंग कमेटी हो या मंत्री जी हो, आपको भारत के संविधान का ख्याल रखना चाहिए। उसमें भी राज्य सभा के सभापति को चेयरमैन ही कहा जाता है। जनरल पर्पज एक्ट में भी मैन इन्क्लूइस वूमैन है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को यह काम इस बिल में करना ही है तो वह गंभीरता से करे, न कि फैशन के नाते करे। सरकार को इस विषय के बारे में संविधान में संशोधन लाना चाहिए। जो स्पीकर होते हैं, डिप्टी–स्पीकर होते हैं, व्यक्ति देखकर उसको उच्चारित किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि केवल एक विधेयक में इस प्रकार से परिवर्तन करने से हम कोई विशेष बात पाते हैं, ऐसा नहीं है मुझे यह बच्चों जैसी बात लगता है। करना है तो संविधान में परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के संशोधन का कोई अर्थ नहीं है।

लीगल सैक्शन में जो लोग विचार करते हैं, उनकी नजर में संसद लाफिंग स्टाक बन जायेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसी में परिवर्तन किया है, बाकी जगह ऐसे ही रखा है इसलिए मंत्रीजी को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए था फिर विधि मंत्री जी से बात करके संविधान में संशोधन करना चाहिए। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती।

क्लेम में एप्लीकेशन देने की दृष्टि से जो मुआवजे के बारे में सुओ मोटो के बारे में सोचा जाये, आपने जो यह सुझाव स्वीकार किया है, वह ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्योंकि यह एक अच्छी बात इसमें लाई गई है। मुआवजे के बारे में गुमान मलजी ने विस्तार में कहा है, मैं उसमें अधिक नहीं जाऊंगा। प्रतिकर जो उचित प्रतीत होता हो, यह "उचित" शब्द से मुझे लगता है कि जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ न्याय नहीं होगा। 'उचित' का मतलब क्या है, इसका मतलब समान होना चाहिए और न्यायसंगत न्याय मिलना चाहिए। न्याय किया है, यह आपको कानून में स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे इंशोरेंस के कानून में है। रेल्वे एक्सीडेंट कानून में और मोटर व्हिकल एक्ट में है। मुझे लगता है प्रतिकर जो उचित प्रतीत हो यह लोगों पर अन्याय करने वाला होगा इसलिए उसको क्वांटीफाइड करना चाहिए। इसके बारे में विचार कर सकते हैं; लेकिन ऐसे ही छोड़ देना, इसको गंभीरता से नहीं लिया, ऐसा मुझे लगता है।

अब खण्ड 8 है "किसी अन्य कानून के अन्तर्गत अदा की गई राहत की राशि को कम करना"। इसके बारे में मेरा कहना है कि इस प्रकार के कई इन्श्योरन्स ऐक्ट हैं, जैसे मेडिकल इन्श्योरेन्स ऐक्ट में भी कंपनसेशन मिलेगा, वह इसमें से कंपनसेशन देते वक्त काटा जाएगा या नहीं, यह बात भी स्पष्टता से इसमें होनी चाहिए। लाइफ इनश्योरेन्स में कम किया जाएगा या नहीं, इसकी स्पष्टता कम से कम इसमें नहीं होती है, लेकिन आपको यदि लगता है कि इसमें स्पष्टता होती है तो आप अपने उत्तर में इस बात को कम से कम लोगों की जानकारी के लिए अवश्य स्पष्ट करें कि वह क्लेम भी मिलेगा और इसके साथ यह भी अलग से क्लेम मिलेगा। इस प्रकार की स्पष्टता हो तो मुझे लगता है कि यह ट्रिब्यूनल जब आगे काम करेगा, तो उसका उचित लाभ होगा।

क्लॉज़ 4 के बारे में, जिस पर सब माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार को खुद को ऐक्ज़म्प्ट नहीं करना चाहिए। सरकार यदि आदर्श ढंग से काम नहीं करेगी तो कौन करेगा ? मैं मुम्बई शहर से आता हूं वहां चेम्बूर में एक बहुत बड़ी फैक्टरी है। यहां हर तीन–चार महीने में गैस लीकेज होती है। उसके बाद चेम्बूर में पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ है। सभी सरकार की है। इसके कारण अगर किसी को परेशानी हो गई या जो पेट्रोलियम पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जाते हैं, चाहे वह भारत पेट्रोलियम के, हों या हिन्दुस्तान पैट्रोलियम के, वह सरकारी संस्थान हैं। उसके कारण अगर किसी को नुकसान हो गया, तो उस बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार को लोगों की नज़र में अच्छा बनना चाहिए और कानून को अमल में लाने वाली सरकार अगर सबको न्याय देना चाहती है, अपने लिए अपवाद नहीं करना चाहती है, तो इस प्रकार की बात लोगो के सामने जानी चाहिए और तभी सरकार को इस प्रकार के कानून बनाने के अधिकार का लाभ होगा। नहीं तो आज बड़े पैमाने पर इस प्रकार के मामले अलग–अलग प्रतिष्ठानों में हो रहे हैं। सरकार को खुद को ऐक्ज़ेम्प्ट नहीं करना चाहिए। इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि सबने यह मांग की है और जिस बात की मांग सबने की है, जिस बात की मांग स्टेण्डिग कमेटी ने बड़े आग्रह से रखी है, उसको आपको मान लेना चाहिए।

इस बिल को लाने में जो देरी हुई है वह तो ठीक है, लेकिन इस बीच तीन साल में लोगों की कई प्रकार की दुर्घटनाएं कई स्थानों पर हो गई हैं। केवल भोपाल ट्रेजडी तक में चर्चा को सीमित नहीं रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में चार महीने पहले एक ट्रक जा रहा था और मानपाड़ा क्षेत्र में वह पलट गया। पलटने के कारण वहां चार किलोमीटर परिसर में सारे के सारे पेड़ खत्म हो गए। वहां की सारी खेती समाप्त हो गई। उस क्षेत्र में पोलट्रीज के अलग अलग प्रकार के पक्षी खत्म हो गए। वहां के कुत्ते भी मर गए। इतने भारी पैमाने पर नुकसान हुआ और लोगों को कुछ नहीं मिल सकता। यदि उस समय यह बिल पास हो जाता तो कई लोगों को इसका लाभ होता। इसलिए यह देरी भी कई लोगों को तकलीफ देने वाली होती है। इस दृष्टि से सरकार जब भी कोई कदम उठाने की बात करती है तो उसे जल्दी उठाना चाहिए।

एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं कि हम इसको यहां देर से पास कर रहे हैं, इसको ख्याल में रखकर ऐसी जो घटनाएं एक दो साल में हुई है, उनके बारे में कंपनसेशन देने का प्रयत्न हुआ है या नहीं, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। उसमें जिन लोगों को मदद नहीं मिली है, उनकी प्रधान मंत्री राहत कोष से या विशेष निधि से मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा काम हम करें तो जो देर हुई है, उसके लिए हम समर्थन कर सकते हैं। नहीं तो इस देरी के लिए हम आपको माफ कर दें, यह उचित नहीं होगा। यह विधेयक ठीक है, अच्छा है लेकिन यह देर से आया है। मैं निवेदन करूंगा कि खासकर चौथी क्लोज़ को डिलीट करने के संबंध में सदन की भावना को ध्यान में रखकर मंत्री महोदय अपने जवाब में कुछ कहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : पहले मैं इस विधेयक के लिये सराहना के शब्द कहना चाहता हूं। हालांकि इसमें कमियां हैं परन्तु फिर भी यह उचित दिशा में उठाया गया कदम है। मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब उन्होंने पहली बार इस विधेयक को तैयार किया तो शायद हमारी सरकार रिओ समझौते के अनुसार में विधेयक तैयार करने वाली पहली सरकार थी। परंतु तब से पिछले तीन सालों में अनेक अन्य देशों के द्वारा भी अपने राष्ट्रो के लिये इस तरह का विधेयक तैयार किया गया होगा। परन्तु मुझे मालूम नहीं कि ऐसा किया गया है अथवा नहीं। यह जानकारी एकत्र की जा सकती है और यदि माननीय मंत्री के पास उक्त जानकारी हो तो इस सदन में विधान को अधिक व्यापक बनाने के बारे में दिये गये सुझावों पर विचार करते समय वह उस जानकारी को भी विचार में रख सकते हैं।

मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। इसका अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक करके पर्यावरण प्रदूषण अथवा परिस्थितियों को नष्ट करने से संबंधित सभी मामलों के इसके अन्तर्गत लिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त इसमें "व्यक्ति सम्पत्ति और पर्यावरण को नुकसान की बात की गई है।" जहां तक व्यक्तियों तथा सम्पत्ति को नुकसान की बात है वे दावेदार होते हैं परन्तु पर्यावरण को होने वाले नुकसान की स्थिति क्या हो गई है ? वनस्पति को होने वाले, पर्यावरण को होने वाले नुकसान के लिये उनकी ओर से कौन दावा करेगा ? स्पष्ट है कि स्वयं सरकार इसके लिये दावेदार होगी।

दुर्घटना की व्याख्या में से युद्ध अथवा रेडियो धर्मिता को स्पष्ट रूप से निकाल दिया गया है। मैं समझता हूं कि एक ऐसे देश में जिसने परमाणु ऊर्जा के विकास की दिशा में अग्रसर होने का निर्णय किया है, रेडियो धर्मिता के कारण प्रदूषण व नुकसान होने की संभावनाएं वर्तमान रहती है।

श्री कमल नाथ : उसके एक अलग कानून हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : वह ठीक है।

यहां पर जिस प्रतिकर का उल्लेख किया जा रहा है उसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा। श्री नाईक की बात का यह विषय है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। कि इस कानून को भूतलक्षी प्रभाव अर्थात उस दिन से जिस दिन हमने रिओ समझौते पर हस्ताक्षर किये थे दिया जाना चाहिये।

खण्ड 3 में कहा गया है "इस तरह की मृत्यु हानि अथवा नुकसानी के लिये प्रतिकर देय है।" परन्तु जब नुकसानी पर्यावरण की होती है तो प्रतिकर किस को अदा किया जायेगा, पक्षियों को, पेड़–पौधों को...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : रोजगार राहत निधि नाम से एक फंड है। यह प्रतिकर उसमें जायेगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : इस सबके कारण ही अधिक व्यापक कानून की जरूरत है।

जहां तक खण्ड 4 क संबंध है मैं भी इसके साथ मंत्री महोदय को अपील करता हूं कि इसका लोप किया जाना चाहिये। वास्तव में गैर–सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के बीच, इस तरह के दायित्व के बारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

इस विधेयक में प्रतिकर की मात्रा के बारे में अधिकरण का मार्ग दर्शन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि नियम बनाते समय कुछ ऐसे दिशा निर्देश तय किये जायें जिससे कि लोगों को पता हो कि उनको किस बात की उम्मीद रखनी चाहिये, जैसा कि अन्य कानूनों के मामले में है।

इसी तरह मैं इस सुझाव का भी समर्थन करता हूं कि आम समय सीमा तय की जानी चाहिए। यद्यपि किसी अधिकरण अथवा न्यायिक अथवा अर्द्ध–न्यायिक प्राधिकरण को समय सीमा का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता परन्तु हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा उचित समय के भीतर होना चाहिये।

सबसे महत्वपूर्ण बात अधिकरण की रचना के बारे में है। मैं यह नहीं समझ सकता कि इसे ऐसे किसी न्यायिक व्यक्ति के संबंध में ही सीमित क्यों किया गया है कि उसे उच्चतम न्यायालय का वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिये। इस को ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र है। क्योंकि इसके कारण इससे सरकार के सामने चयन के लिये बड़ा क्षेत्र होगा। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र है वह इसका चेयरमैन बन सकता है और जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र है वह इसका वाइस–चेयरमैन, आदि बन सकता है। परन्तु इसमें सबसे अधिक आपत्तिजनक बात यह है कि कानून के अनुसार चेयरमैन अथवा वाइस–चेयरमैन के पद पर पदोन्नति के आधार पर किसी तकनीकी व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है। पहले उसकी

नियुक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में होनी चाहिये तब उसकी पदोन्नति वाइसमैन के रूप में और उसकी पदोन्नति वाइसमैन में की जा सकती है। इसका क्या कारण है ?

ऐसा क्यों है ? अध्यक्ष का पद तीनों चैनलों के लिये होना चाहिये। चाहे वह व्यक्ति प्रशासनिक चैनल का हो, अथवा तकनीकी चैनल का हो या न्यायिक चैनल का हो। इन तीनों क्षेत्रों का कोई भी विख्यात व्यक्ति अधिकरण के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति के लिये प्राप्त होना चाहिये।

मैं आपका ध्यान खण्ड 1905–18 की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि "अधिकरण के कर्मचारी ढांचे का निर्णय सरकार करेगी"। मेरा विचार है कि स्वयं अधिकरण में इस तरह का कोई आन्तरिक तन्त्र इस बात का निर्णय करने के लिये होना चाहिये। यह ठीक है कि वह तन्त्र एक पक्षीय आधार पर ऐसा निर्णय नहीं कर सकता परन्तु वह तन्त्र अपनी सिफारिशें अथवा प्रस्ताव मंजूरी हेतु सरकार को मैन जरूर कर सकता है।

श्री कमल नाथ : मैंने बताया है कि यह अपने काम काज का ढंग स्वयं तय करेगा इसका कार्यकरण केन्द्रीय सरकार के ढांचे से भिन्न नहीं हो सकता।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : परन्तु उस स्थिति में क्या केन्द्रीय सरकार के अधिकरण के द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर विचार करेगी।

मैं अंत में खंड 19 की बात कहना चाहता हूं। इसमें विभिन्न पीठों के बीच अधिकरण के कार्य के बंटवारे का उल्लेख है। मैं समझ सकता हूं कि यह निश्चित है कि समस्या से उचित ढंग से निपटने के लिये अनेक पीठ होंगे। मेरा विचार है कि देश के 10 प्रतिशत भू–भाग अथवा 10 प्रतिशत जनसंख्या के लिए एक अधिकरण होना चाहिये। इसे किसी राज्य विशेष तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिये। जब हम अधिकरण के काम को इसके विभिन्न सदस्यों के बीच बांटने की बात करते हैं तो क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक वितरण किया जाना चाहिये। काम का वितरण भू–भाग के अनुसार किया जा सकता है। इसका क्षेत्राधिकार भू–भाग के आधार हो अथवा इसे काम के आधार पर बांटा जा सकता है। जिसे कार्यात्मक वितरण कहा जा सकता है। इन टिप्पणियों के साथ मैं सामान्य रूप से विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि किसी न किसी दिन हम एक व्यापक कानून चलायेंगे। वह व्यापक कानून पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थतिकीय अपक्षरण के सभी पहलुओं को अपने अन्तर्गत लेगा और उस विधेयक के क्षेत्र के अधीन संरक्षण, नुकसानी और प्रतिकर के सभी पहलु आयेंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य मंत्री के कार्य नेतृत्व के अधीन इन अधिकरणों में वास्तविक जीवन डाल सकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि संस्थान केवल दस्तावेजों पर ही नहीं रहते और वे अपने काम करने के ढंग से अपना स्वयं का स्थान बना लेते हैं और यही हमारा विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब चार सदस्य कांग्रेस से, इसमें माननीय मंत्री भी शामिल हैं जिनको चर्चा का उत्तर देना है, चार सदस्य भाजपा से, एक जनता दल से, दो समता पार्टी से, दो सदस्य मार्कसवादी कम्यूनिस्ट पार्टी से तथा सीपीआई, तेलुगु देशम तथा अन्नाद्रमुक से एक एक सदस्य बोल चुके है। एक–दो सदस्य अभी और बोलने वाले हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा मेरे पास नोट किया हुआ है। चाहे आप इसे पसन्द करें अथवा नहीं अब प्रो. वेक्टेश्वरलु बोलेंगे। हमें नियत समय का पालन करना चाहिये। सचेतकों द्वारा दिये गये नामों की सूचियां खत्म हो गई है। अब अध्यक्ष पीठ द्वारा सदस्यों द्वारा भेजी गई असामान्य पर्चियों के नाम दावों को समय देने का प्रयास किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : महोदय, अगले विधेयक की क्या स्थिति है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उसे लेंगे। सदन सहमत हुआ है और उसी शर्त पर ही हम उन सदस्यों को बोलने का मौका दे रहे हैं जिन्होंने अपने नाम की पर्चियां भेजी। प्रो. वेक्टेश्वरलु।

प्रो. उमारेड्डी वेकंटेश्वरलु : माननीय पर्यावरणीय मंत्री द्वारा पेश किया गया विधेयक प्रशंसनीय है। यह कि बहुत पुरानी आवश्यकता थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वह ऐसे पहले मंत्री हैं जिन्होंने हमारे देश में ऐसा उपयोगी विधेयक पेश किया है। जो उन्होंने 1992 में रियो सम्मेलन के विचार विमर्श से उत्साहित होकर किया गया है।

यद्यपि बड़ी संख्या में मेरे सहयोगियों ने यह कहा है कि यदि यह चर्चा काफी हो लंबी गई है फिर भी माननीय मंत्री ने इसके लिये स्पष्टीकरण दिया है। यह विधेयक भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में लाया गया है।

इस विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने का विस्तार इतना बड़ा है। कि उसका विधेयक में वर्णन नहीं है। यह विधेयक पहली बार 1992 में लाया गया था परन्तु इसका क्षेत्र अब काफी ज्यादा विस्तृत हो गया है। तथापि इस विधेयक को पारित किया जाना है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूं कि माननीय मंत्री माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करके भविष्य में इसमें संशोधन करेंगे।

महोदय, यह विधेयक पर्यावरणीय परिसंकटों तथा परिस्थितियां अपक्षरण के बढ़ रहे मामलों के प्रभावित होने वाले दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों को सामाजिक न्याय और विभिन्न सहायता मुहैया करने के लिये लाया गया है। समय की कमी के कारण मैं केवल दो–तीन बातों का ही उल्लेख कर रहा हूं। सबसे पहली बात पीठों की स्थापना स्थलों की है। इन पीठों की स्थापना और अधिक स्थानों पर की जानी चाहिये। चूंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसका विषय बहुत विस्तृत है अतः दावों की संख्या बहुत अधिक होगी। अतः पीठों

की संख्या अधिक होना ज्यादा फायदेमंद होगा। कम से कम प्रत्येक राज्य में एक पीठ होना चाहिये।

महोदय, जहां तक सदस्यों की नियुक्ति का संबंध है हमारे कई साथियों ने सुझाव दिया है कि इनके लिये आयु सीमा तय नहीं की जानी चाहिये। यदि इसे 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लिये सीमित किया गया तो निश्चित रूप से यह सेवानिवृत्ति पा चुके लोगों की शरणस्थली बन जायेगा। तब उनकी राष्ट्रीय सेवाओं के लाभ हासिल करने के नाम पर उनकी इसमें नियुक्ति की जायेगी। अच्छा होगा कि इस समय सीमा को छोड़ दिया जाये।

महोदय इसके साथ ही मैं खण्ड चार का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका लगभग सभी सदस्यों ने उल्लेख किया है। इसमें जो कमी है उसके बारे में सभी एक मत है। इसमें कहा गया है :

"केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना के द्वारा, इस अधिनियम की परिधि से निम्नलिखित किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है :

(क) वह व्यक्ति जिसे हानी उठानी पड़ी है;

(ख) किसी राज्य सरकार

(ग) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण वाले किसी निगम; अथवा

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण से"।

यदि इन सब को छूट दे दी जाती हे तो फिर इस विधेयक की परिधि में शेष क्या बचता है। किसको न्याय दिया जाना है यदि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना जारी करके इन निकायों को छूट दे देती है तो मेरे विचार से कोई दावेदार नहीं रहेगा। कोई भी पक्ष इस अधिकरण के सामने नहीं आयेगा और यदि इन सब को छूट दे दी गई तो अधिकरण के साथ कोई काम नहीं होगा। अतः जैसा कि इस खण्ड 4 के बारे में सभी वक्ताओं ने टिप्पणी की है, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस खण्ड पर फिर से विचार किया जाये। अच्छा होगा कि इस अधिकरण की परिधि से किसी को भी छूट न दी जाये।

महोदय, अंततः पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है परन्तु उसके लिये कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रतिकर का दावा इस कारण करते हैं कि उनको जानकारी रहती है। परन्तु ऐसे बहुत से लोग हैं जो अज्ञानता के कारण प्रतिकर का दावा नहीं करते। जैसा कि श्री रावत ने कहा है कि ऐसे अनेक स्मारक हैं और ताज महल की ओर से कौन दावा करेगा ? किसी ऐसी अन्य संस्था की ओर से कौन दावा पेश करेगा जिसे पर्यावरण समस्या तथा परिस्थितिकीय अपक्षरण का सामना करना पड़ेगा।

मेरा संबंध तटवर्ती क्षेत्र से है। पिछले दिनों बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने लगभग सभी तटवर्ती क्षेत्रों में झिम्प मछलियों की खेती शुरू की है। उन्होंने गांवों के बिल्कुल अन्य लगने वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया है उस जमीन पर झिम्प मछली पैदा की जा रही है। उसके लिये वहां पर समुद्री पानी लाया गया है। अधिकतर किसानों को पीने का पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिये कौन दोषी है ? क्या यह ग्रामीणों का दोष है जो वहां पर सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। पहले वहां का पानी प्रदूषित नहीं था। लोगों को पीने का पानी लाने के लिये 10–15 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। धनवान लोग, जो झिम्प मछली पैदा करने का काम कर रहे हैं, हर रोज बिसलेरी पानी पीते हैं क्योंकि वह खर्चा कर सकते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है उनको प्रदूषित जल से ही गुजारा करना पड़ रहा है। लगभग सभी निवासी कई रोगों से ग्रस्त हैं।

मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अधिकतर विकासशील देश बल्क औषधियां बना रहे हैं। कोई भी विकसित देश बल्क औषधियों का निर्माण नहीं कर रहा है। यह बल्क औषधियां जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जल प्रदूषण केवल इन औषधियों की वजह से बढ़ रहा है। यह औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाकर ग्राम निवासियों के निकट आ रहे हैं। चूंकि वे गांवों के निकट आ रही हैं अतः जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, व्यापारिक घरानों तथा कम्पनियों को लाभ हो रहा है।

महोदय, इस प्रकार महोदय इस विधेयक की परिधि बहुत विस्तृत है। परन्तु अभी भी इसमें अनेक कमियां हैं। अतः माननीय मंत्री को इन पर आगे विचार करना चाहिये। परन्तु मैं फिर भी माननीय मंत्री को इस विधेयक को लाने के लिये बधाई देता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि इससे देश की अभागी जनता को लाभ पहुंचेगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिल एक माननीय बिल है और खासकर जो सफरर होंगे, उनको इससे मुआवजा मिलेगा। इस बिल का हम समर्थन करते हैं क्योंकि यह बिल सफरर के लिए है। जून, 1992 में यूनाइटेड नेशनल का जो सम्मेलन हुआ था, उसके बाद ही हम इस बिल को बनाने के लिए बाध्य हुए क्योंकि उस सम्मेलन में हमने संकल्प किया था कि हम इस बिल को बनायेंगे। हम इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि वे इस बिल को लायें, देर से लायें लेकिन दुरूस्त लायें। यह एक अच्छी बात है लेकिन आपने जो मुआवजा देने की बात कही है, उसका कहीं भी क्लेरीफिकेशन व टाइम बाउंडिग नहीं किया है। वह भी होना चाहिए क्योंकि जब बहुत से केस लंबित हो जाते हैं तो उस समय सफरर को कोई लाभ नहीं मिलता।

अभी राम नाईक जी और शहाबुद्दीन जी ने जिस क्लाज़ पर डिस्कशन किया था, मैं उसका समर्थन करता हूं। आज इस देश में पोलुशन की समस्या है। जिस तरह से इस देश में पापुलेशन, पौलुशन और गरीबी है, वह बहुत बड़ी समस्या है। जैसे–जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जायेगी वैसे–वैसे हम जनसंख्या की सुख–सुविधा के लिए वैज्ञानिक तकनीक बढ़ाते गये, अनेक तरह के उद्योग–धन्धे को लगाते गये और कई साधनों को हम जुटाते गये, इसलिए यह पौलुशन काफी बढ़ा।

6.00 प.प.

पौलुशन इतना बढ़ा है कि दिल्ली देश का सबसे ज्यादा पौलुटेड इलाका हो गया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि यहां की 10 हजार फैक्ट्रियों को हटाया जाए। आज जल प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, गंगा, जमुना का जल प्रदूषित है। 1974 में एक केन्द्रीय पौलूशन बोर्ड बना था। उसके तहत भी हमने काम किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब 6.00 बज गये हैं। क्या सदन की यह इच्छा है कि हम समय को 45 मिनट के लिये बढ़ायें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैंने समय को बढ़ाने के लिये सब की अनुमति मांगी थी। अन्यथा मैंने सब को अवसर न दिया होता और मैंने सूची के अनुसार ही चलना था।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : सदन की कार्यवाही कब तक चलेगी ?

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हमें सारे काम को खत्म करने के लिये बैठना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पैंतालीस मिनट और बैठेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : आज दिल्ली में 22 लाख वाहन है जिसमें से दुपहिया वाहनों की संख्या 15 लाख है। उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। हम जो ताप बिजलीघर बनाते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। हम धार्मिक संस्कार करते हैं; नदियों में मृतकों की राख डाल देते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। पूरे मुल्क में 80 लाख लोग मरते हैं। यदि एक व्यक्ति पर 4 क्विंटल लकड़ी देते हैं तो 3 करोड़ 20 लाख टन लकड़ी जलती है। उससे भी प्रदूषण फैलता है। शहरों की गन्दी बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। दिल्ली में पौलूशन के चलते क्षय रोग बहुत होता है क्योंकि गरीब झोपड़ी में रहते हैं और हम उन्हें पानी नहीं दे पाते।

हर साल 1.5 करोड़ हैक्टेयर वन समाप्त हो रहे हैं। भारत में लगभग 15 लाख हैक्टेयर वन प्रति वर्ष समाप्त हो रहे हैं। 2,600 करोड़ मिट्टी की ऊपरी परत हर साल बह जाती है। 60 लाख हैक्टेयर भूमि रेगिस्तान में बदल रही है, सैकड़ों झीलों के जीवजन्तु समाप्त हो रहे हैं, वनस्पति और हजारों जीवों की जातियां समाप्त हो रही हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 20 वर्षों में जीवों की कुल जातियों का पांचवां हिस्सा नष्ट हो जाएगा। 80–90 के दशक में 4.5 डिग्री सैल्सियस गर्मी पड़ी और आज भी हम गर्मी के शिकार हो रहे हैं। अगले 100 वर्षों में समुद्र का जल 1.4 मीटर से 2 मीटर तक बढ़ सकता है। गांवों की जनसंख्या दिनोदिन घट रही है, शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। पहले गांवों में 70 प्रतिशत लोग रहते थे लेकिन आज के सर्वे के मुताबिक गांवों में 60 प्रतिशत लोग रहते हैं और शहरों में 40 प्रतिशत लोग रह रहे हैं। यह सब पौलुशन की समस्या के कारण है। यदि हम पौलुशन पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी एक्ट इफैक्टिव नहीं होगा। सफरर्स की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, न्यायालयों में ज्यादा केस जाएंगे और हम ठीक से न्याय नहीं कर सकेंगे। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड उन फैक्ट्रियों को भी लाइसेंस दे देते हैं। जो पौलुशन कंट्रोल करने की मशीन नहीं लगाते...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर समस्या है, जैसे पोपुलेशन की समस्या है, गरीबी की समस्या है। भारत जैसे मुल्क में, जिसमें हमारी काफी वन सम्पदा थी, आज उन वनों को हम काट रहे हैं।...(व्यवधान) में बता रहा हूं। हर साल जंगलों से ईंधन के लिए 25.4 लकड़ी काट ली जाती हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम जो जलावन के लिए लकड़ी की सम्पदा का उपयोग करते हैं, जिससे ज्यादा पोल्यूशन होता है, उसकी जगह सरकार गैस वगैरह का प्रबन्ध करे और पोल्यूशन के लिए वाहनों पर रोक लगाये...(व्यवधान) मैं तो चाहूंगा कि जिस तरह से चीन में है, वैसा ही यहां भी होना चाहिए। चीन में पोल्यूशन को रोकने के लिए वहां की सरकार कर्मचारियों को साइकिल से अपने दफ्तर जाने के लिए कहती है तो हमें उसके लिए भी एक्ट लाना चाहिए। मैं मानता हूं कि जब तक पोल्यूशन को हम कण्ट्रोल नहीं करेंगे, ठीक नहीं होगा।

मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि आप यह बिल लायें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि यह गरीबों के हित में है, देश के हित में है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी नौजवान है, जब से पार्लियामेंट में हैं, वह इस मंत्रालय में आकर बहुत सुदृढ़ता से काम करना चाहते हैं। उनकी नीयत पर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन वह यह जो बिल लाये हैं, यह कैसा है, यह उस घड़े के समान है, जिसमें एक तरफ तो पानी डाला जाय और नीचे भारी छेद कर दिया जाय। उसमें ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे से पानी निकलता भी जा रहा है। मैं यह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने इस बिल में एग्जम्प्ट किया है, पब्लिक सैक्टर को, राज्य सरकार तथा अन्य तमाम चार सैक्टरों को, स्थानीय निकायों को, तो आपके पास बचा क्या है ? बहुत से माननीय सदस्यों ने ठीक कहा है कि कौन सा क्षेत्र बच जाता है, जिस क्षेत्र के लोग दिल्ली में आकर...(व्यवधान) वह तो हो रहा है। वह तो जहां आप पहुंचेंगे, वहां पहुंच जायेगा। मैं उस पर नहीं बोलूंगा। इसलिए कौन सा क्षेत्र बच जाता है, किस आदमी को हम कम्पेसेशन देने जा रहे हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे ?

असल में बात क्या है कि इसके पीछे सरकार की एक चाल

है। इन्होंने इन क्षेत्रों को छोड़ दिया है। अब यहां तो सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और मल्टी नेशनल्स यहां आ रहे हैं। अब एक बिल आयेगा कि जो मल्टी नेशनल प्राइवेट कम्पनियां हैं, उनको भी इससे छोड़ दिया जाय, इनकी नीयत यह है, उसके लिए प्रिएम्बल बनाया जा रहा है, भूमिका बांधी जा रही है कि आगे बिल में संशोधन लाया जायेगा कि जो मल्टी नेशनल विदेशी कम्पनियां आ रही हैं और जो प्रदूषण फैला रही हैं, उनको इससे छोड़ दिया जाय। इनकी नीयत यही है, इस बात को मैं रिकार्ड पर लाना चाहता हूं।

दूसरी बात ट्रिब्यूनल के विषय में इन्होंने कही है। ट्रिब्यूनल के संगठन के विषय में हमारे मुम्बई से बी.जे.पी. के प्रतिनिधि माननीय विद्वान वक्ता कानून की बात बहुत जानते हैं। उन्होंने बहुत ठीक कहा है कि यह ट्रिब्यूनल जो बनने जा रहा है, इसको जो अधिकार मिलने जा रहे हैं, इसमें निष्पादन कब होगा, यह सारे काम, जिसके चलते आम जनता को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आप थोड़ी भी लोगों की भलाई की बात कुछ करना चाहते हैं तो वह इसमें नहीं है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि ट्रिब्यूनल दिल्ली में रहेगा, आप क्यों नहीं इसको राज्य सरकारों के केन्द्र में, क्यों नहीं जिले के केन्द्र में इसको रखते ? कोई आदमी, गरीब आदमी अगर किसी वजह से, इस कानून के अन्दर जो नियम है, दुखित हो जाय, पीड़ित हो जाय तो क्या वह दिल्ली आयेगा ? बिहार से दिल्ली तक ट्रेवल करने के लिए एक हजार रुपये आने और जाने में लगते हैं तो आप किसके लिए यह कानून बना रहे हैं ? किस जनता के हित के लिए यह कह रहे हैं ? मैं नहीं समझता हूं कि किसी जनता के हित के लिए कर रहे हैं, यह तो खाली कानून के लिए बिल है, इस बिल के रिकार्ड में लिखा जायेगा कि सबसे पहला हिन्दुस्तान देश है, जिसने रियो–डि–जेनेरो सम्मेलन की नीति निर्धारण का पालन किया, इतना ही लिखा जा सकता है।

इसका लाभ नहीं होने वाला है। आप इस भ्रम में न रहें। कमलनाथ जी अगले चुनावों में यहां बैठेंगे या वहां बैठेंगे, यह तो वक्त ही बतायेगा। जो नई सरकार बनेगी, यह जरूर ऐसा कानून नये सिरे से लायेगी। आप इस कानून के जरिये अपनी नीयत को पूरा नहीं कर पायेंगे। मैं इस कानून के प्रवधनों में नहीं जाना चाहता क्योंकि डिटेल में बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां अपनी बात रखी। चावला जी ने भी यहां अपनी बात रखी। वह इनकी पार्टी के ही हैं। इसमें कुछ बातें विवादास्पद है। सामान्य बातों को मानने में क्या एतराज है ? उनको मानना चाहिये। भारतीय जनता पार्टी और सी.पी.एम. के साथियों ने जिन बातों को यहां उठाया, उन पर आप विचार करें। ट्रिब्यूनल के निर्माण और अधिकारों के सम्बन्ध में तथा मुआवजे के सम्बन्ध में आप पुनः सोच कर एक नया बिल लायें। मैं इनकी नीयत का समर्थन करता हूं लेकिन इस बिल का नहीं। नीयत जो भी हो लेकिन इस बिल में कुछ नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और हैं।

[अनुवाद]

श्री जोयीनाथ गजपति (बरहामपुर) : शुरू में, मैं राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक के पीछे जो ज्ञानरहित और मानवीय दृष्टिकोण है उस का स्वागत करता हूं। वास्तव में जैसा इस पवित्र सदन में कहा गया है, रियो शिखर वार्ता, 1992 एक ऐसा सबसे बड़ा मंच था जहां पर पर्यावरण संरक्षण तथा इसको बचाने के विषय पर विस्तार से तथा गंभीरता के साथ चर्चा की गई थी। इस बात को देखकर अति प्रसन्नता हुई थी कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण के इस महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी समस्याओं को उजागर कराने तथा उनको अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने की दिशा में बड़ी अहम भूमिका अदा की थी। हमारे कर्मठ मंत्री, श्री कमल नाथ जी की इस महान उपलब्धि के लिये विशेष रूप से सराहना की जानी चाहिये। श्री कमलनाथ जी उड़ीसा राज्य की बहुसंख्या पर्यावरणीय समस्याओं की जानकारी है। उड़ीसा में कुछ ऐसे पर्यावरण की दृष्टि से अद्वितीय स्थल हैं जिनकी ओर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मैंने अनेक बार अपने निर्वाचन क्षेत्र में महेन्द्रगिरी पहाड़ियों की अभूतपूर्व परिस्थितिकीय जैव विविधता को संरक्षण देने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस स्थल को "बायोसफियर रिजर्व" घोषित किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त उड़ीसा राज्य में असंख्य तालाब तथा छोटी झीलें हैं। जो बहुत गंदी हालत में है और प्रदूषण से प्रभावित हैं। चूंकि निर्धन ग्रामीण अपने पेय जल जरूरतों के लिये इन पर निर्भर रहते हैं अतः इन पेय जल स्रोतों को साफ करने का प्रदूषण कर रहित बनाने की तत्काल जरूरत है। अब परिसंकट पदार्थों की उठाई–धराई के दौरान घटित होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न क्षतियों के लिये कठोर दायित्व नियत करने और ऐसी दुर्घटनाओं के कारण उठने वाले मुकद्दमों के प्रभावी एवं तेजी से निपटारा के लिये तथा उनसे अनुसंगी जातियों के लिए प्रतिकर की व्यवस्था करने तथा राहत देने के लिये प्रयास बहुत प्रशंसनीय है और इसका स्वागत किया जाना चाहिये। शायद, केन्द्रीय सरकार के द्वारा विस्तृत प्रकृति का विधेयक इसके लिये बाद में लाया जाये। इस प्रकार के और अधिक अधिकरण देश भर में इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये स्थापित किये जाने चाहिये। मैं इस राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचेतकों (हिप्स) द्वारा भेजी गई अन्तिम सूची के अनुसार, सभी नाम बुला लिये गए हैं। इसके बाद भी कुछ अन्य माननीय सदस्यों के नाम बुला लिए गए हैं। समय पहले ही अधिक हो चुका है। यदि माननीय मंत्री महोदय सहमत होते हैं तो मुझे उन्हें अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कमलनाथ : वह अंतिम वक्ता होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, अनेक सदस्य अपने हाथ उठा रहे हैं जैसे रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री ओस्कार फर्नान्डीज़ श्री चार्ल्स, श्री दत्तात्रेय बंडारू, श्री पी.सी. थॉमस तथा अन्य। मैं समझता हूं, यदि वे दो मिनट की बात पर न टिके तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक, 1992 सदन में संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस सरकार के लोग तो ऐसा काम करने का प्रयास नही कर सकते हैं लेकिन कमलनाथ जी ने अच्छा कार्य किया है और जब कभी वे अच्छा काम करते हैं तो अकस्मात ही करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूं। कि वे इस तरह की टीका–टिप्पणी को 8 बजे तक के लिये स्थगित कर दें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : यह स्विट कमेंट्री की बात नहीं है। कमलनाथ जी ने तो अच्छा कार्य किया है, लेकिन इस सरकार के लिए अकस्मात ही अच्छा कार्य होता है, यह मैं कहना चाहता हूं।

अभी माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि यह बिल सरकार द्वारा पहले लाना चाहिये था और इसको लाने में देरी हो गई, लेकिन इस देरी होने के पहले आपके मंत्रालय द्वारा कई इस तरह के अन्य कानून बनाए गए होंगे, जहां पर्यावरण की हानि होती हो, जहां प्रदूषण होता हो और यहां कहा गया होगा कि कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा संसदीय क्षेत्र में जहां बहुत बड़ा औद्योगिक जाल बिछा हुआ है, वहां बिरला कंपनी का हिंडालकों कार्बन प्लान्ट हैं और कनौडिया कैमिकल का प्लान्ट है। इस कैमिकल प्लान्ट से पंत सागर में कैमिकल बह कर जाता है। इस पंत सागर से 15 लाख लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है। उस पंत सागर में हिंडालकों और कनोडिया से काफी जहरीले कैमिकल्स बह कर जाते हैं, जिससे वहां के लोग रोगग्रसित हो रहे हैं। मैं इस बारे में मंत्री जी को मौखिक और लिखित रूप से भी निवेदन कर चुका हूं और पुनः यह कहना चाहता हूं कि क्या इस तरह के कानून बनाकर अपेक्षा की जा सकती है कि इस विधेयक के जरिये उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी? यदि आप यह कहते हैं कि होगी, तो पहले भी इस तरह के कानून बनाए गए थे और कहा गया था कि जहां पर प्रदूषण होता है और प्रदूषण से किसी को हानि होती है, उस पर रोक लगाई जाएगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिरला की ताकत इस मंत्रालय और इस सरकार को प्रभावित करती रही है और लाखों लोग आज भी उस पानी के प्रभाव से रोगग्रस्त हैं। प्रदूषित पानी को पीने के लिए बाध्य है। वहां केवल जल प्रदूषण का ही सवाल नहीं है, वहां ध्वनि प्रदूषण भी होता है। वहां पर, दो–दो, चार–चार कोयले की ट्रालियां चलती हैं, जिनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। उस क्षेत्र में तीन लाख लोग रहते हैं और तीन लाख लोगों में इस की वजह से मानसिक तनाव पैदा हो गया है वहा रेणुसागर पावर कंपनी बिरला की है, जो विद्युत पैदा करती है। मंत्री महोदय मैं इस बारे में भी आपको मौखिक और लिखित रूप से लिख चुका हूं कि एन.सी.एल. के झिगुरदह के ऊपर से रोप–वे से ध्वनि प्रदूषण होता है। यहां से तीन ट्रालियों द्वारा कोयला उठाया जाता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे तीन लाख लोगों को मानसिक तनाव की बीमारी पैदा हो गई है। इस बारे में चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है कि इस ध्वनि प्रदूषण के कारण यहां के लोगों को मानसिक तनाव है। यह एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सवाल को ऐसे टाल देने से काम नहीं चलेगा। यह विधेयक जो बनाया जा रहा है उसमें कौन लोग होंगे, बिड़ला, टाटा और कनोडिया जैसे लोग इस विधेयक में उस मुकदमे को करेंगे। उस प्रदूषण से जो प्रभावित हो जायेंगे, वे कौन लोग होंगे जो रोगी हो जायेंगे। इसके बाद मुआवजे का क्लेम करेंगे और दिल्ली आकर क्लेम करेंगे। इसलिये काम से कम सिंगरौली क्षेत्र का जो प्रदूषण है, बिड़ला और कनौडिया के कारखानों का जो प्रदूषण है, उसको दूर कराने का काम कराइये, नहीं तो 15 लाख लोगों को भोपाल जैसा त्रासदी से गुजरना पड़ेगा। आज भी उसके भुक्त योगी लोग भोपाल में पड़े हुए हैं। यह प्रदूषण केवल शहरों में नहीं है गांवों में भी होता है। गांवों में बड़े–बड़े तालाब हैं। तालाबों की पहले सफाई होती थी लेकिन अब उनकी सफाई नहीं होती। जहां गांव के पशु जाकर पानी पीते हैं। यह केवल शहरों में ही नहीं होता, आज गांवों का जो शहरीकरण हो रहा है। उसके कारण गांवों के तालाब, कुंए और गांवों में जो पेय जल की व्यवस्था प्रदूषित हो गई हैं, इसके लिये मैं कहना चाहूंगा कि उसकी भी कोई व्यवस्था की जाये। इस विधेयक में उस व्यवस्था का कोई प्रावधान हो जाये तो बहुत अच्छा होगा।

यह गांवों का देश है। उस तरफ भी ध्यान जाना चाहिये। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मृत जानवरों का पहले के जमाने में उनकी खाल निकाल कर, उनकी हड्डी का जो व्यापार होता था, उनके मांस को गाढ़ दिया जाता है आप एक कानून ऐसा बना दीजिये कि वह मृत जानवर गांवों में जो ऐसे ही नदी में फेंक दिये जाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। काशी में गंगा के प्रदूषण का क्या हुआ? जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गंगा प्रदूषण प्लांट खोला था, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा है। गंगा प्रदूषण प्लांट जो बनारस में लगा है, हमारे मिर्जापुर जनपद में लगा है उससे कुछ नहीं हो रहा है। वहां आज भी मरे हुए जानवर गंगा में फेंक दिए जाते हैं और गंगा जल जो दवाओं के लिए प्रयोग किया जाता था, वह आज पीने और स्नान के लायक भी नहीं रह गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप गंगा को प्रदूषण मुक्त कराइए। इससे आपका नाम भी रोशन होगा। कमल कीचड़ में खिलता है, आप तो कमल के नाथ हैं। आप अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक बनाने के पहले एक कानून निश्चित रूप से यह होना चाहिए कि गांवों का प्रदूषण, शहरों और कस्बों का प्रदूषण कैसे हटाया जाए, कैसे दूर किया जाए। इसके लिए कड़ी कार्यवाही हो और कौन उस कार्यवाही को करने वाला हो इस पर ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक जिस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ आप लाए हैं वह लक्ष्य पूरा होगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय पर्यावरण पर रियो सम्मेलन के पश्चात भारत ही विश्व से एक मात्र ऐसा देश है जिसे इतना महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करने पर गर्व होगा। इस कानून द्वारा सभी सम्बन्ध समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता। फिर भी सरकार ने शुरूआत कर दी है और यह जारी रहना चाहिये। इस विधेयक को परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। उदीपी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की मुख्य समस्या पर्यावरणीय प्रदूषण है और विशेष रूप से जल प्रदूषण। दक्षिणी कनारा जिले में अनेक बड़े–बड़े उद्योग आरम्भ हो रहे हैं। इन सभी उद्योगों का प्रदूषित जल समुद्र में जाता है। जो कि उस क्षेत्र के हमारे मछुआरों के जीवन के लिए खतरनाक है मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले पर तत्काल विचार करें। उद्योगों को एक ही जगह स्थापित करने की बजाए पूरे तटवर्ती क्षेत्र में फैलाया जा सकता है।

इन उद्योगों के अधिकारियों ने विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करके चट्टानों को उड़ाया है जिससे उस क्षेत्र के मकानों में दरारें पड़ गई हैं। लोग उन घरों में रहने से डरते हैं। इन उद्योगों के अधिकारी कोई जिम्मेदारी नही लेते है। उनके अनुसार इंजीनियरिंग महाविद्यालय के अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जांच कर ली गई है इस क्षेत्र का नाम "कुदुपु" है और केन्द्र को इस क्षेत्र के लोगों के बचाने के लिए आगे आना चाहिये। हमने राज्य सरकार जिला आयुक्त तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया है लेकिन यह बहुत हैरानी की बात है कि पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह नम्र निवेदन है कि वे इन लोगों को राहत सहायता प्रदान करें।

जो उद्योग इस परिस्थिति की अवमूल्यन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके पास पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए, मैं केन्द्र से अनुरोध करूंगा कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन उद्योगों को धन आबंटित करें। विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त राशि में से इन्हें धन आबंटित किया जा सकता है।

महोदय, वाराही लिफ्ट सिंचाई योजना कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। वास्तव में, यह काफी समय से केन्द्र के पास विचारार्थ लम्बित पड़ी है और मेरे राज्य के लोगों ने विगत् में इस योजना के संबंध में अनेक मांगें की हैं इसलिए मैं, माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे अविलम्ब इस योजना को स्वीकृति प्रदान करें।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बन्डारू दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक में बहुत सी अच्छी चीजें हैं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि एशिया का बिगेस्ट पोल्यूशन सेंटर मेरे क्षेत्र के बगल में पठानगुरू में है, जहां पर दोलरो फैक्ट्री है, जो बहुत अधिक जहरीली गैस छोड़ती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दत्तात्रेयजी, क्या आप कम्पनी का नाम दोहराएंगे?

मंत्री जी सुन नहीं सके।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : यह कंपनी का नाम दोलरो है दोलरो कंपनी द्वारा बहुत ही जहरीली गैस छोड़ने से 35 गांवों में पीने का पानी भी नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां के किसानों को कम से कम 2 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए, लेकिन अभी तक वह पैसा किसानों तक नहीं पहुंचा है। स्थिति यह है कि पठानचुरू मंडल के आसपास के गांवों के जो लोग हैं, वहां पर बच्चे–बच्चियां व्यस्क नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पीने का पानी तक नहीं है। सरकार मंजीरा वाटर प्रोजेक्ट से टैंकर द्वारा उन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। इसी तरह से वहां पर बहुत बड़ी संख्या में ड्रग इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं एशिया की सबसे ज्यादा ड्रग इंडस्ट्रीज हमारे यहां पठानचुरू में ही हैं और 18 तो मेरे क्षेत्र मियांपुर में ही हैं। इससे भी पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि इसको दुरूस्त नहीं कर सकते हैं वहां का पूरा पोल्यूशन मेरे क्षेत्र में हुसैन सागर जो शहर की बहुत खूबसूरत लेक है, उसमें एफलिएंस गिरने से सारा शहर प्रदूषित हो रहा है।

मेरा निवेदन है कि ऐसी चीजों को भी इस बिल के अंदर सम्मिलित करना चाहिये। अभी तेलगूदेशम के वेंकटेश्वरलु बोल रहे थे कि इंडस्ट्रियल एफलिएंस आना एक बात है, दूसरा एक नया कल्चर आंध्र प्रदेश में आ गया है। जो श्रिम्प कल्चर है प्रॉन कल्चर है। प्रॉन कल्चर से प्रभावित नेल्लूर जिले के 25–30 गांवों में से घूमकर आया हूं। किसी गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, टैंकर से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसलिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और अन्य प्रदूषण, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बरबाद कर रहे हैं, इनको भी आप इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाइए। अभी हम एक तरफ ही जा रहे हैं।

इसी तरह से इस विधेयक द्वारा जो मेंबर्स या चेअरमैन बनेंगे, इनमें ज्यादा से ज्यादा एनवायर्नमेंटलिस्ट्स को लाइये। अभी तक जो पोल्यूशन बॉडी सेंटर्स हैं, पोल्यूशन बोर्ड्स हैं हर राज्य में इनके चैअरमैन आईएएस आफीसर्स हैं जिनको पोल्यूशन के बारे में जानकारी नहीं है। जो टेक्नीकल लोग हैं, एनवायर्नमेंटलिस्ट्स हैं, बड़े–बड़े लोग हैं, उनके सुझाव देने के बाद भी पोल्यूशन बोर्ड कार्रवाही नहीं करता है।

पोल्यूशन बोर्ट के चैयरमैन ने प्रभाव में आकर बड़ी–बड़ी फैक्ट्रीज को इजाजत दी है और इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। उदाहरण के तौर पर 20 किलोमीटर के बाद ही आपको नयी इंडस्ट्री लिमिट

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

की इजाजत देनी चाहिये लेकिन इस कानून को लागू नहीं किया गया। मेरे साथियों ने अभी बताया है कि इससे जो नुकसान होता है उसका मुआवजा लेने के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा। इससे उनका समय और पैसा काफी बर्बाद होगा। अतः आप प्रत्येक राजधानी में रिजनल स्तर पर कोई ऐसा सेंटर बनाने का प्रावधान कीजिए जिससे उन्हें दिल्ली मुआवजे के लिए न आना पड़े। मेरे संसदीय क्षेत्र में न्यूक्लीयर फ्यूल सेंटर और बी.डी.एल का जो कारखाना है उससे वहां के लोगों को टी.वी. जैसी भयानक बीमारी हो रही है। आपसे प्रार्थना है कि जो भी ऐसी फैक्ट्रिज हैं आप उनको भी इसके प्रव्यू में ला दीजिये। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी ऐसी फैक्ट्रिज है। अगर वे मुआवजा नहीं देती है तो उनकी सम्पत्ति को बेचकर उन लोगों को मुआवजा दिलवाया जाए ऐसा हमारा इसमें रिकमेंडेशन है बहुत सी कंपनियां कहेंगी कि हमारे पास मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है तो आप उनकी सम्पत्ति को बेचकर मुआवजा दिलवाने का प्रावधान इसमें किया जाए। मैं इस बिल का आह्वान करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुणा) : महोदय मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं कुछ पहलुओं को इंगित करना चाहता हूं । महोदय इस विधेयक पर बोलने की मेरी मुख्य मंशा आपके माध्यम से माननीय मंत्री के ध्यान में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पक्ष लाना चाहता हूं। कोचीन से लगभग 10 किलोमीटर एक क्षेत्र है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं..

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री प्रत्येक बात नोट कर रहे हैं। इसलिए, आपको इसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी.सी. थामस : जी हां, महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र है जो केरल में कोचीन जैसे प्रतिष्ठित उद्योग से लगभग 10 कि. मी. की दूरी पर है, जहां कोचीन रिफाइनरी का, फैकट (एफ.ए.सी.टी) जहां उर्वरक बनाया जाता है, और कार्बन ब्लैक प्रोडक्शन जैसी कई अन्य कीटनाशी कम्पनियां हैं। अब, वह क्षेत्र प्रदूषण से काफी प्रभावित है।

एक बात जिसका हाल ही में पता लगाया गया है। और जो कुछ उद्योगों द्वारा स्वीकार की गई है, यह निकटवर्ती भूमि के प्रत्येक प्लाट में डीजल तथा पैट्रोलियम की उपस्थिति है और लोग भी काफी लम्बे समय से इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। लेकिन कोचीन रिफाइनरी जिसने उत्पादन के लिए बहुत अच्छा नाम कमाया है और जिसका अन्य सभी तरह से भी बहुत अच्छा नाम है। वह यह स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है कि ऐसा उनके कार्यकरण के कारण था। लेकिन यह खतरनाक है कि इस फैक्ट्रीज के डीजल अथवा पैट्रोलियम ने निकटवर्ती क्षेत्रों को प्रदूषित कर दिया है और अब एक ऐसी स्थिति आ गई है। जब डीजल रिसने लगा है। लोगों ने और स्वयं फैक्ट्री ने अब पता लगा लिया है कि यह उस फैक्ट्री से निकल रहा है।

हमारे पास क्षति का आंकलन करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिये। उस सम्पत्ति के मालिकों को खेती, पेयजल, भूमि के उपयोग, और भूमि के मूल्य के अर्थों में बहुत हानि हुई है। वे वास्तव में प्रभावित हुए हैं। इसका आंकलन कैसे किया जायेगा, यह एक समस्या है। यदि वे परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अधिकरण के पास जायें तो एक सरलीकृत प्रक्रिया है यहां तक कि संक्षेप में निपटान भी है। हां, कुछ शक्तियां जिनका यहां उल्लेख किया गया है, के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दी गई शक्तियां पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन मैं यहां यह इंगित करना चाहता हूं कि एक खण्ड में अध्ययन के लिए आयोग भेजने, साक्षियों से साक्ष्य लेने के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता की शक्तियां दी गई हैं। वहां सही क्षति का पता लगाने के लिए आयोग भेजने के लिए भी प्रावधान किया जा सकता है। अन्यथा गरीब निवासी सही–सही हानि को सिद्ध नहीं कर पायेंगे। मेरा सुझाव है कि खण्ड 6, उप–खण्ड 4(ङ) में तट स्थानिक अध्ययन करने तथा वास्तविक हानि अथवा क्षति का आंकलन करने के लिए विशेषज्ञ भेजने के लिए अधिकरण को शक्तियां प्रदान करने की सीमा तक और जोड़ा जाना आवश्यक है। इस विशेष विधेयक में यह नहीं है। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि इस खण्ड में इस तरह का उपबन्ध करना आवश्यक है।

मैंने डीजल फैलने की बात भी कही है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पहलू के सम्बन्ध में वे कृपया जांच करें। मैं मंत्री से वहां अध्ययन करने के लिए केन्द्र सरकार से एक विशेष दल भेजने का भी अनुरोध करता हूं।

खण्ड 4 के सम्बन्ध में यहां कई बात कहीं गई हैं। मैं यह भी इंगित करना चाहता हूं–हां, यदि यह सत्य अथवा सही पायी जाये तो इसे स्वीकार किया जाये– कि राज्य सरकारों, निगमों, सरकारी उपक्रमों, स्थानीय प्राधिकरणों, आदि विस्तार शक्ति प्रदान करने में न केवल दोष है, बल्कि मैं यह भी महसूस करता हूं कि इस में त्रुटि करने में गम्भीर दोष है। खण्ड 4 में कहा गया है :

> "केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रवर्तन से किसी स्वामी को छूट दे सकेगी, अर्थात् :–
>
> (क) उस व्यक्ति द्वारा जिसे क्षति पहुंची है।"

मेरे विचार से यह गलती है। इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अधिक सार्थक बनाने के लिए इसकी पुनरीक्षा की जाये अथवा इसका पुनः शब्द निर्माण किया जाये। आपकी मंशा यह नहीं है कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसे छूट प्रयास की जा सकती है। बल्कि आप की मंशा यह है कि उस व्यक्ति के कहने पर कुछ छूट प्रदान की जा सकती है यदि यह आपकी मंशा है तो मेरे विचार से इसकी शब्दावली फिर से तैयार की जानी होगी ताकि धारा का सही अर्थ निकल सके।

महोदय, समय की कमी के कारण, मैं अन्य पहलुओं को नहीं ले रहा हूं लेकिन इस विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री की प्रशंसा करता हूं जो रियो सम्मेलन का परिणाम है जहां भारत ने विचार–विमर्श के पश्चात बहुत अच्छा नाम कमा सका

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है, हां, दो या तीन नाम रह

गये हैं। मेरे विचार से एक अन्य विधेयक भी है। वे उस में भाग ले सकते हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिए अनुरोध करूं?

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, अगले विधेयक में कोई भी भाग नहीं ले रहा है। इसलिए, भाग लेना हमारे लिए संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत छोटा संशोधन है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : हम 45 मिनट बैठ चुके हैं। अभी मंत्री जी को उत्तर देना है। दूसरा विधेयक भी है। यह 45 मिनट में समाप्त नहीं होगा बल्कि इसमें कम से कम एक घन्टा और 45 मिनट का समय लगेगा...(**व्यवधान**)...तीसरे विधेयक भी आना है। बढ़ाया गया समय केवल 45 मिनट है...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री चार्ल्स, श्री मीणा और श्री राय को बोलना है।

श्री कमलनाथ : महोदय, मैं उत्तर दूंगा...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। कृपया एक मिनट।

श्री राय, क्या आप केवल एक मिनट में अपनी बात कह सकते हैं। आप केवल सम्बद्ध बातें कहें।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय (छपरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस देश में 75 हजार किस्म के जीव–जंतु हैं और 45 हजार के करीब वनस्पतियां हैं, जिसमें तरह–तरह की जड़ी–बूटियां भी शामिल हैं। वन की कटाई दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश में आजादी के पहले 22 प्रतिशत वन था, लेकिन आज केवल 12 प्रतिशत रह गया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस पर ध्यान दें।

आज गंगा और दूसरी नदियों का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस पर आपने बहुत योजनाएं बनायी हैं। आपने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए करीब 371 करोड़ 13 लाख रुपये मार्च, 1994 तक खर्च किये हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। सरकार की ओर से इस योजना का प्रथम चरण अप्रैल, 1985 में शुरू किया गया था। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 261 उप–योजनाएं कार्यान्वित की गई थीं लेकिन आज तक वह काम अधूरा ही रहा। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है। कि राज्य की ऐजेन्सियां पैसे का अनधिकृत ढंग से उपयोग करती हैं। इसका पता लगाने के लिए गंगा परियोजना निदेशालय के पास कोई प्रभावी यन्त्र हैं या नहीं? उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ में ऑक्सीजन प्लाण्ट चालू किये गए थे। सैदपुर, पटना बिहार में लगे हुए चार–पांच लाख प्रतिदिन क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट अगस्त, 1992–1993 के बीच में यान्त्रिक त्रुटियों के कारण जाम पड़ा रहा। हावरा, पश्चिम बंगाल में जमीन की प्रतिकूल स्थिति के कारण सीवर का एक हिस्सा नहीं बैठा। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने रिपोर्ट में बताया है कि 31 मार्च, 1995 तक कानपुर में दो, इलाहाबाद में एक, पटना में तीन, कलकत्ता में चार सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट अधूरे हैं। गंगा को प्रदूषण से रोकने के लिए 55,163 सामुदायिक एवं निजी सामुदायिक शौचालय गंगा किनारे बनाने का प्लान था, लेकिन आज तक वह प्लान भी अधूरा रहा। गंगा के किनारे विद्युत शवदाह–गृह बनाने का प्लान था लेकिन वह काम भी पूरा नहीं हो सका। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदूषण से मुक्त करने के लिए इन सब योजनाओं को आप कब तक पूरा करेंगे, इस बारे में बताएं। साथ ही साथ माननीय सांसद वीरेन्द्र सिंह ने कैडिया डिस्टिलरी प्लांट के बारे में जो कहा, इस बारे में आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि वह आपके किसी कानून का पालन नहीं करता है। यह पदाधिकारियों की सांठ–गांठ से होता है या किसके द्वारा होता है या देखने की बात है।

सौराष्ट्र में टाटा द्वारा जो न क बनाया जाता है, समुद्र से पानी राजकोट के हिस्से में पाईप द्वारा लाया जाता है और वहां जिस तरह से पानी रिसता है, उससे उस इलाके के किसानों के खेत बरबाद हो रहे हैं। इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इलाहाबाद के पास फूलपुर इफको फैक्टरी है जिसके द्वारा वहां के किसानों के 47 गांव प्रभावित हुए हैं। वहां के किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, तो वहां के पदाधिकारियों द्वारा, अगल–बगल के गुण्डों द्वारा या प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उन्हें तंग किया जाता है।

आपसे आग्रह है कि वहां जो प्रदूषण होता है उस पर भी आप ध्यान दें। कानपुर के 29 कारखानों को ब ने के लिए कहा था लेकिन वह भी नहीं हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। यह रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(**व्यवधान**)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को धन्यवाद दीजिए, वे इतना अच्छा बिल लाए हैं।

श्री लाल बाबू राय (छपरा) : मैं माननीय मंत्रीजी को इस बिल को लाने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बिल का सपोर्ट करता हूं।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गये इस मत से सहमत हूं कि एक अधिक व्यापक विधेयक होना चाहिए क्योंकि इस वर्तमान विधेयक में क्षति के लिए प्रावधान है। यह राहत पहले ही अपकृत्य विधि के अंतर्गत उपलब्ध है क्योंकि यह एक सिविल

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपकृत्य है और उसके लिए समाधान क्षतिपूर्ति है। इसलिए मैं, यह महसूस करता हूं कि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एक अधिक व्यापक विधेयक होना चाहिये था।

समय के अभाव में मैं केवल मुख्य बातों का ही उल्लेख करना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने धारा 4 के बारे में उल्लेख किया है। इस धारा के अन्तर्गत राज्य सरकारों, निगमों, स्थानीय प्राधिकरणों को पूर्ण छूट प्रदान की गई है–मैं इससे रूहमत नहीं हूं। राज्यों तथा निगमों को प्रदान की गई पूर्ण छूट उचित नहीं है।

महोदय, विधेयक की धारा 6 में कहा गया है कि अधिकरण आवेदन को संक्षेपतः खारिज कर सकता है। मैं अधिकरण की बिना कारण बताएं आवेदन को खारिज करने की शक्ति पर आपत्ति नहीं करता, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक व्यक्ति को, जो राहत प्राप्त करने के लिए आ रहा है, यह जानने का अधिकार होना चाहिये कि उसके आवेदन को खारिज क्यों किया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा यह जोड़ा जाना चाहिये कि आवेदनों को, उसके कारण रिकार्ड करने के पश्चात् बिना कारण बताएं खारिज किया जा सके। बिना कारण बताए खारिज करने के मामले में, एक व्यक्ति को यह जानने का अवसर नहीं मिलता कि उसके आवेदन को क्यों खारिज किया गया है।

महोदय, खण्ड 10 के उपखण्ड(5) पर आते हुए मुख्य पीठ दिल्ली में है। अब, मैं त्रिवेन्द्रम में रहता हूं, जो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। केरल का एक व्यक्ति जो राहत चाहता है, इसका फायदा कैसे उठा सकता है? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक पीठ होनी चाहिये। केवल तभी लोगों को वास्तविक राहत प्राप्त हो सकती है।

महोदय, धारा 25 में यह कहा गया है कि अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे विचार से, राज्यों के उच्च न्यायालयों में अपील करने का प्रावधान होना चाहिए। सुदूर दक्षिण अथवा उत्तरपूर्व के व्यक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना बहुत कठिन होगा। वह अपील अर्थहीन है, धारा 25 के अनुसार न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। इस खण्ड में संशोधन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में ही पहली बार अपील की जा सकती है।

धारा 25 की एक उपधारा के अनुसार अपील निर्णय की तारीख से 10 दिन के अन्दर की जा सकती है। परन्तु, हो सकता है कि 90 दिन के अन्दर आदेश की प्रति ही न मिले।

श्री कमल नाथ : इसको माफ करने का भी प्रावधान है।

श्री एच. जाखड़ : महोदय, यह अलग मामला है। साधारणतया निर्णय प्राप्ति की तारीख से 90 दिन का समय दिया जाता है। यह सामान्य स्थिति में होता है। यह प्रत्येक अधिनियम में उल्लिखित है। अन्य बातें अपील संबंधी प्राधिकारी के फैसले पर निर्भर करती हैं। आवेदक की क्या नियति होगी ? मैं सोचता हूं कि अपील करने का समय आदेश की प्राप्ति के 90 दिन के अन्दर होना चाहिये।

महोदय, श्री हन्नान मोल्लाह जी ने कहा कि विधेयक प्रभावशाली नहीं है। मैं उनका ध्यान विधेयक की धारा 26 की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एक अत्यंत प्रभावशाली धारा है यह इस प्रकार है :

> जो कोर्ट भी व्यक्ति न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन नहीं करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास अथवा दस लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

महोदय, मैं एक और वाक्य के साथ अपना भाषण समाप्त करूंगा। पर्यावरण के नाम पर कई विकास गतिविधियां रोकी जा रही हैं। हमको विकास और पर्यावरण के बीच में तालमेल बिठाना है। जनता का कल्याण हमारी चिन्ता का विषय है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सेजनारायण सिंह (बक्सर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैंने इसमें देखा है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें छूटी हुई हैं। इसमें यह प्रावधान छूटा हुआ है कि इंक्वायरी करने में कितनी अवधि लगेगी, अवधि के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा है। मैं चाहता हूं कि समयसीमा के बारे में इस बिल में मेंशन किया जाना चाहिये।

जहां तक प्रदूषण का सवाल है, आज सरकार की बहुत–सी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो किसानों को बर्बाद कर रही हैं। हमारे यहां रोहतास जिले में एक अमझोर सरकारी खाद कारखाना है, जिसके चलते चार–चार किलोमीटर चारों तरफ किसानों की हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गयी है। पिछले साल वहां के किसानों ने प्रधानमंत्री जी को एप्लीकेशन दी थी मगर आज तक भारत सरकार की तरफ से उस पर कुछ नहीं हुआ। वहां के किसानों ने अब खेती करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के लोगों को पीने का पानी लेने के लिये दूसरी जगह जाना पड़ता है क्योंकि इस खाद कारखाने के चलते धरती के नीचे का पानी भी खराब हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इन बातों पर सरकार को ख्याल करना चाहिये कि जहां सरकारी खाद कारखाने के चलते जमीन के नीचे का पानी खराब हो जाये, वहां के लोगों को मुआवजा देना चाहिये या उनके लिये दूसरी जगह से पानी का इंतजाम करना चाहिये। जहां किसानों के खेत बर्बाद हो गये हैं, उन्हें उस फैक्ट्री में काम देना चाहिये या दूसरी कोई जमीन देनी चाहिये ताकि वे लोग अपने बाल–बच्चों का गुजारा चला सकें।

जितना पैसा मंत्री जी आपके विभाग ने आज तक खर्च किया है, उसका सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिये। हमारे यहां बक्सर में गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिये आपने इंतजाम कराया, बनारस और गाजीपुर में भी इंतजाम कराया और इस काम के लिये करोड़ों रुपये की

राशि रखी जाती है लेकिन धरती पर कितना पैसा वास्तव में खर्च हुआ, खर्च हुआ या खर्च नहीं हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जितना पैसा ऐसे कामों पर खर्च किया, एक रुपये में से दो–चार पैसे ही खर्च हुए होंगे, बाकी सारा पैसा कागजों पर खर्च होता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन बातों पर गौर किया जाये। आपने सदन में जो विधेयक लाया है, मैं समझता हूं कि उससे निश्चित रूप से राहत मिलेगी। भोपाल गैस कांड की इंक्वायरी होने में बहुत समय लगा था लेकिन इस विधेयक के पास हो जाने के बाद, अब इंक्वायरी में कम समय लगेगा, लोगों को राहत मिलेगी और कम्पेन्सेशन भी मिलेगा। इसलिये मैं आपको धन्यवाद देते हुये, इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय 6.55 म.प. हो चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर पीठासीन अधिकारी केवल सचेतकों द्वारा दिये गये सदस्यों के नामों की सूची से चलते हैं तो उन्हीं सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा सकता है। परन्तु, सदस्यों ने खुद अपने नाम दिये हैं इसलिए, पीठासीन अधिकारी सदस्यों को अवसर देने में अति उदार हैं। माननीय मंत्री महोदय उद्देशिका रखी है। इसी कारण से कई माननीय सदस्य बोलने के इच्छुक हैं। निःसन्देह, हमने सभा की भावना का भी ध्यान रखा है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : परन्तु, हमारा धैर्य चुक गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसका पूर्णरूपेण ध्यान है। परन्तु, कुछ सदस्य बोलने के लिये अति इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में लाये गये विधेयक का समर्थन करता हूं एवं वन विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना करता हूं। मेरा एक छोटा–सा संशोधन है जो बड़ा महत्वपूर्ण है और नीतिगत संशोधन है। वन विभाग द्वारा वनों की रक्षा के लिए पोर्ट दीवार बनाई जाती हैं और 5 साल तक बंद रखने के बाद उसे खुला छोड़ दिया जाता है जिससे उसमें अच्छा जंगल पैदा हो जाता है, वृक्ष बड़े हो जाते हैं। उसके 5 साल बाद, जब जंगल नष्ट हो जाता है तो फिर से बाउंडरी वाल बनाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जितनी दीवालें बनाई जाएं, जितनी कोर्ट दीवालें बनाई जाएं, उनका हमेशा के लिए रख–रखाव किया जाए। इससे वन की रक्षा होगी। वन ज्यादा होंगे और प्रदूषण ज्यादा नहीं होगा तथा पर्यावरण का अच्छा संतुलन बनेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र में आदिवासी भाई रहते हैं। आदिवासियों ने अपने जीवन–यापन के लिए, पूरी जमीन न होने के कारण, वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया है और यह कब्जा कोई आज का नहीं है, 15–20 सालों से चला आ रहा है और कई लोगों के ऐसे कब्जे 30 साल से चले आ रहे हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री जी से कई बार मिला हूं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम उनको इन जमीनों को अलाट कर देंगे, लेकिन उनको अभी तक अलाटमेंट नहीं मिला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन आदिवासियों के वन विभाग की भूमि पर 15–20 साल पुराने कब्जे हैं, उनको उन जमीनों को अलाट कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा–सा निवेदन और है कि मेरा आदिवासी क्षेत्र है और वहां पर कोई बड़ा कल–कारखाना नहीं है, न कोई डैम है, न कोई सिंचाई का साधन है, इसलिए वहां पर आदिवासियों को मजदूरी के साधन बहुत ही कम हैं। मेरे क्षेत्र में मार्बल की खानें बहुत हैं और वहां का मार्बल विदेशों में जाता है। वहां के मार्बल का जो लाभ होता है वह सम्पन्न लोगों को ही होता है और जो मजदूर लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी आय का उनमें मजदूरी करने के अलावा और कोई जरिया नहीं है, लेकिन उनको उस मजदूरी में भी सरकार द्वारा उन खानों को बन्द करने के कारण बाधा डाली जाती है। इसलिए मार्बल की खानों के सम्बन्ध में जो कानून बना हुआ है उसे निरस्त किया जाए और खानों का काम चालू रखा जाए जिससे गरीब और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को काम मिल सके और उनको राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अंतिम निवेदन यह करना है कि जिन आदिवासियों ने मार्बल की खानों के पट्टे लेने के लिए दरख्वास्तें दे रखी हैं, उन्हें पट्टे दिए जाने चाहिए जिससे उनको अपनी जीविका कमाने का साधन मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर बोलने वाला अंतिम सदस्य हूं। सवाल यह है कि यह जो बिल राष्ट्रीय पर्यावरण विधेयक आया है, मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं। यह बिल सीमित है, हालांकि इसको व्यापक होना चाहिए। हमारे हर माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इसको व्यापक बनाया जाए। इसका उद्देश्य बहुत ही सराहनीय है, लेकिन जितनी दूर तक इसको जाना चाहिए, उतनी दूर तक यह नहीं जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें जो कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। जैसे सैक्शन चार में आपने अधिकार लिया है, यह ठीक नहीं है। इसके विरोध में सारे सदन के सदस्य बोले हैं। इसलिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। आखिर यह ट्रिब्यूनल किस को देखेगा। जब सब प्राईवेट और पब्लिक सैक्टर को आप समान मानते हैं, तो फिर यह सैक्शन चार का प्रावधान क्यों रखा है। आप पब्लिक सैक्टर पर तो इसको न लगाएं और प्राईवेट सैक्टर पर लगाएं, यह कैसे चलेगा। हमारा जो राष्ट्रीय उद्योग है उसको भी एक ही क्राइटिरिया में रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर कोई त्रासदी होती है, तो आप इस सैक्शन का लाभ उठा कर उसको छोड़ दें, तो यह ठीक नहीं है। यहां सभी इंसान बराबर हैं। इंसान एक ही तरह का है।

दो तरह का इंसान नहीं है। इसलिए मानव रक्षा के लिए जो कानून बना है, उसको सही रूप में मानव रक्षा के लिए ही प्रयुक्त किया जाना चाहिये। इसलिए आपने मानव रक्षा के नाम पर जो सैक्शन चार का अधिकार ले लिया है उसे संशोधित करें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो कुछ छोटे–छोटे उद्योग हैं, जिन उद्योगों से प्रदूषण फैलता है, जिन उद्योगों से बहुत नुकसान होता है, उनसे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिये। मैं अपने जहानाबाद क्षेत्र के एक चमड़े के उद्योग की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस उद्योग के गंदे पानी को जमुना नदी में गिरा दिया जाता है जिससे जमुना नदी का पानी बहुत प्रदूषित हो गया है जिसको पीने से उस क्षेत्र के हजारों जानवरों को नुकसान हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे उद्योगों से होने वाले नुकसान का सर्वे करवा कर जो किसान बर्बाद होते हैं उन्हें मुआवजा दिलाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आपने कानून बनाने के लिए बिल पेश किया है, यह दिल्ली तक ही सीमित है। मेरा निवेदन है कि इसको हर राज्य के लिए बनाना चाहिए ताकि स्टेट के लोगों को

7.00 म.प.

लाभ मिल सके। इसके अंदर जो आयेंगे, उनको लाभ मिल सके। साथ ही साथ आपने जो 1000 रुपये कोर्ट फीस रखी है, उसको माफ करें, तभी इस बिल का महत्व होगा।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत इस ऐतिहासिक विधान के ऊपर माननीय सदस्यों के अति जीवंत वाद–विवाद के लिये धन्यवाद देता हूं। मैं सदस्यों को उनके समर्थन के लिये धन्यवाद देता हूं और इसी के कारण हमको हमने जो भी कदम उठाये हैं कदम उठाने की शक्ति और प्रेरणा मिली है। निःसन्देह, उठाये जाने वाले कदम असंख्य हैं। समस्याएं बहुआयामी और बहुमुखी हैं। हम अगर देश के समक्ष बहुत बड़ी और निरन्तर बढ़ती समस्याएं देखते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में वनों, जल उद्योगों, झीलों, महासागर और नदियों में पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं हैं।

महोदय, पहले प्रश्न यह था कि मनुष्य एक–दूसरे के साथ किस प्रकार रहेगा। हमारे समक्ष युद्ध व आणविक खतरों की समस्या थी। परन्तु, पिछले एक दशक से और विशेषतः पिछले पांच वर्षों से समस्या यह नहीं है कि मनुष्य एक–दूसरे के साथ किस प्रकार रहेगा, अपितु समस्या यह है कि मनुष्य प्रकृति के साथ किस प्रकार रहेगा। इसलिये, मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रकृति की समस्या नहीं है अपितु मानवीय प्रकृति की समस्या है। महोदय, हमारे समक्ष जो बहुआयामी व बहुमुखी चुनौतियां हैं और जहां तक उद्योगों का प्रश्न है मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अति पुराने और बड़े उद्योग हैं। एक माननीय सदस्य ने नदियों में प्रदूषण का मामला उठाया है। हमको यह ध्यान में रखना चाहिये कि पिछले 100 वर्षों के दौरान उद्यमों को नदियों के किनारे स्थापित करने को तर्कसंगत समझा जाता था, इसलिये, अगर हम नदियों के सम्पूर्ण आधार नेटवर्क को देखते हैं तो मालूम चलता है कि नदियों के किनारे उद्योग स्थापित हैं। यह पुराने उद्योग हैं। इस समस्या का अति सामान्य हल दिया जा सकता है कि सभी उद्योगों और यातायात को बन्द कर दो। परन्तु, यह असम्भव है। यह करना ठीक भी नहीं है। हमारे समक्ष समस्या यह है कि किस प्रकार विकास प्रक्रिया में पर्यावरणीय चिन्ताओं को संकुचित किया जाये ? यही हमारे सामने चुनौती है।

आज हम विकास की दहलीज़ पर हैं। इससे पहले कभी भी यह चुनौती इतनी बड़ी नहीं थी। दो दशक पहले तक बिगड़ती हुई पर्यावरण की स्थिति के प्रभाव को मापा तक नहीं जा सकता था। हम यह तक नहीं माप सकते थे कि हमारी विकासात्मक गतिविधियों का पानी पर हमारे विकासात्मक कार्यकलापों का मिट्टी और वायु इत्यादि पर क्या प्रभाव पड़ता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ, हम इन प्रभावों का ही नहीं बल्कि इसके लिए बरती जाने वाली सावधानियों का अनुमान लगाने में समर्थ हैं। हमें पहले से ही चेतावनी मिल जाती है। अतः प्रश्न यह नहीं है कि हम भविष्य में क्या करने जा रहे हैं। मौजूदा उद्योगों के बारे में हमें क्या करना है, हम पर इसकी जिम्मेदारी और हमारे सामने यह चुनौती है। पुराने उद्योगों को लीजिए। वे पुरानी प्रौद्योगिकी को प्रयोग में ला रहे हैं। वे हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये उद्योग गलत स्थानों पर हैं हमारे यहां मुम्बई स्थित चेम्बूर में उद्योग हैं। उस समय चेम्बूर में उद्योग लगाना बहुत अच्छा समझा गया था। शहर के बीच में कपड़ा मिलों की स्थापना बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन विकास दबाव के साथ प्रदूषण का दबाव भी बढ़ने के कारण आज यह समस्या बहुत व्यापक हो गई है।

अतः, महोदय, हमें इस समस्या को धीरे–धीरे समाप्त करना है। इस कार्य में मेरे और मेरे मंत्रालय को प्रयास राज्यों को मजबूत बनाने के रहे हैं। राज्यों को हम किस प्रकार सुदृढ़ बना सकते हैं? केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हस्तक्षेप से यह समस्या नहीं सुलझेगी। हमें राज्य सरकारों को शक्तिशाली बनाना होगा। हमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके पास संस्थागत पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों, प्रयोगशाला हो ताकि वे प्रदूषण का स्तर माप सकें, कार्यवाही कर सकें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। ऐसा केन्द्र सरकार के समर्थन और महत्वपूर्ण भूमिका से ही संभव हो सकेगा कि हम गांवों में समस्याओं को दूर कर सकें। निश्चित रूप से, दिल्ली स्थित पर्यावरण और वन मंत्रालय सभी जिलों, सभी गांवों, सभी तालाबों, सभी झीलों और सभी नदियों के लिए नीतियां नहीं बना सकता।

यह कार्य राज्यों के प्रशासनिक तंत्र द्वारा ही होगा हमारा प्रयास इसे सुदृढ़ करने का रहा है। हमने अनेक कार्यक्रम चलाये हैं जिनके माध्यम से हमने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाया है। पांच वर्ष पहले तक बहुत से लोगों ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के बारे में सुना तक नहीं था। हमारी एक अन्य नीति और अधिक

जागरूकता लाने से संबंधित है। हमें इस जागरण अभियान में सफलता भी मिली है। अब आम आदमी पर्यावरण प्रदूषण के सम्बन्ध में न कवल चिंतित है बल्कि उसके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। इस सभा द्वारा प्रदान की गई विधायीशक्ति और बोर्डों द्वारा प्रदान की गई संस्थागत शक्तियों से इस प्रकार कार्य करके क्या हम आगे बढ़ सकेंगे? इस प्रकार, संपूर्ण नीति जागरूकता उत्पन्न करने, सस्थाओं को, राज्य सरकारों को सुदृढ़ बनाने और पर्यावरण के मुद्दे को अपनी राष्ट्रीय कार्य सूची में केन्द्रीय स्थान पर लाने की है। काफी सीमा तक हम इसमें सफल भी हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत अधिक प्रसन्नता है कि इस विषय पर इतने अधिक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। महोदय, मुझे याद है, जब मैंने लोक दायित्व बीमा विधेयक तथा वन्य जीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक पेश किया तो दलगत राजनीति से हटकर मुझे सभी का समर्थन मिला था। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण कोई अंक बटोरने वाला विषय नहीं है। मेरा यही करने का प्रयास रहा है। जहां तक पर्यावरण संबंधी मुद्दों का सम्बन्ध हैं, हमें, दलगत विचारों, मतवैभिन्नय के द्वारा नहीं बल्कि एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करना चाहिये। हमने जो कदम उठाये हैं, मैं उनके बारे में कुछ और अधिक बोलना चाहता था लेकिन समय बहुत कम है। मेरे विचार में हमने काफी मंजिल तय कर ली है। मैं स्वयं यह चाहूंगा कि इस विधेयक का और अधिक विस्तार हो। मैं स्वयं चाहता हूं कि इसे व्यापक बनाया जाये। लेकिन मेरे विचार में हमें कुछेक क्षेत्रों में कदम–दर–कदम चलना होगा। मुझे मालूम है कि हमने सिर्फ आठ हजार खतरनाक उद्योगों को ही लिया है। लेकिन सारे देश में स्थापित विभिन्न इकाइयां इन आठ हजार ईकाइयों के अन्तर्गत आती हैं। इसमें चाहे गुजरात की वापीअंकलेश्वर बेल्ट हो या फिर रेनूघाट के पास स्थित रासायनिक इकाई, जिसका मेरे माननीय मित्र श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने उल्लेख किया है अथवा कोचीन स्थित इकाई हो, सभी शामिल हैं। इसमें एक शक्तिशाली खण्ड है। अधीनस्थ विधान की प्रक्रिया द्वारा हम इसमें और अधिक खतरनाक उद्योगों को शामिल कर सकते हैं। वास्तव में मैं यह नहीं चाहता कि जब हम कार्यवाही करें तो हमें मुकदमेबाजी का सामना करना पड़े। अगर इसमें मुकदमेबाजी अधिक होगी तो हम यह काम नहीं कर पायेंगे। अतः यह पहला कदम है। यह पहला कदम है, जिसे हमने पूरा करने का प्रयास किया है। यह कठोर खण्ड अधिक महत्वपूर्ण है। अगर माननीय सदस्य विधेयक में दुर्घटनाओं की परिभाषा देखें तो इसे बहुत व्यापक पायेंगे। इसमें बहुत से कठोर खण्ड हैं। मैं संसद की स्थायी समिति की इस सिफारिश की अत्यधिक सराहना करता है। मैं संसद की स्थायी समिति की इस सिफारिश की अत्यधिक सराहना करता है कि यह स्वतः होना चाहिये। मैंने इसे खुशी–खुशी स्वीकार कर लिया है।

विलम्ब के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। महोदय, मैंने यह विधेयक अगस्त, 1992 में पेश किया था। उसी समय समितियों का भी गठन किया गया था और हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि समितियां कब इस पर काम करना शुरू करें। तत्पश्चात् पिछले दो सत्रों में कार्य की अधिकता रही। इसे कार्यसूची में स्थान ही नहीं मिल पाया। लेकिन वह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब प्रश्न यह है कि अब क्या होने जा रहा है और मुझे विश्वास है कि इस न्यायिकरण और नियमों के गठन में कोई विलम्ब नहीं करता जायेगा। अधिकांश सुझाव सभा में सभी पक्षों की ओर से आये हैं उनमें से कुछ सुझाव अति उपयुक्त और महत्वपूर्ण सुझाव हैं।

खण्ड 4 के बारे में एक प्रश्न किया गया है। मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैं खण्ड 4 पर सदस्यों से पूर्ण रूप से सहमत हूं। अगर सभा खण्ड 4 पर मतदान कराना चाहे तो मैं सभा की इच्छा का समर्थन करूंगा। संशोधन पेश करने के कुछेक तकनीकी कठिनाइयां हैं। अतः मैं इसे पेश करने में असमर्थ हूं।

समय सीमा के बारे में अनेक प्रश्न किये गये हैं कि इस प्राधिकरण के गठन में अनेक वर्ष लग सकते हैं। महोदय, विधेयक की धारणा सामान्य प्रक्रिया से परे हटकर काम करना है। इस विधेयक का संपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम पहले से ही निर्धारित प्रक्रिया को न अपनायें। अगर हम सामान्य न्यायिक प्रक्रिया को अपनायेंगे तो फिर इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर इस अधिकरण को भी प्रक्रिया का अनुसरण करना है जो आम सिविल न्यायालय कर रहे हैं, तो फिर इस विधेयक की कोई आवयकता नहीं थी। लेकिन चूंकि यह उससे हटकर है और इसका अपना काम करने का ढंग है, अतः नियम बनाते समय हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम ऐसे उपबन्ध शामिल करें जिससे किसी प्रकार का विलम्ब न हो। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्राकृतिक न्याय के अनुसार होगा। प्राकृतिक न्याय से तात्पर्य स्पष्ट रूप से यह है कि तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जब नियम बनें तो इसका ध्यान रखा जाये।

एक अन्य प्रश्न मुआवजे के बारे में है। इसमें कुछ बातें जहां तक रेलवे और इंडियन एयरलाइन्स का सम्बन्ध है, पहले ही कुछेक मुआवजे से सम्बन्धित मामले इसमें भेजे गए हैं। मैं मुआवजे की कोई सीमा निर्धारित नहीं करना चाहता था। चूंकि हम इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं करना चाहते थे, अतः हमने इसकी प्रक्रिया भी निर्धारित नहीं की। इस अधिकरण में रेलवे के एयरलाइनों के तथा कार दुर्घटनाओं के कुछ मामले ऐसे होंगे जो इसी अधिकरण को ही भेजे जायेंगे। मुझे विश्वास है कि यह अधिकरण सामान्य प्रक्रिया से हटकर काम करेगा क्योंकि अगर इसे सामान्य प्रक्रिया अपनानी होती तो फिर इस विधान की आवश्यकता नहीं होती।

इसमें कुछ खामियां उत्पन्न हो सकती हैं। जिन्हें हम जब यह काम करना शुरू करेगा तो ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैनें कहा है, यह अपने ढंग का विश्व में पहला विधान है। इसमें हमने कहीं से किसी का अनुसरण नहीं किया है। जहां तक खतरनाक उद्योगों का सम्बन्ध है, हमें सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इसका गठन करना है। अगर मैं इसे व्यापक बनाता तो कोई शिकायत कर सकता

कि वाहन प्रदूषण के कारण उसे वक्ष संबंधी रोग हो गया है और इसीलिए वह मुकदमा दर्ज करने जा रहा है। ऐसे मुकदमे अंतहीन और अनियंत्रित हो जाते। न्यायालय में कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण के लिये जा सकता था। इसलिए, इसे कठोर बनाने का विचार किया गया था और कुछेक अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर केन्द्रित करने का विचार किया गया जैसा कि हमने प्रदूषण के प्रभाव का अनुमान लगाने वाली नीति बनाते समय किया था। जब हम मुख्य दोषी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तो मुझे विश्वास है कि इस सख्ती का प्रभाव अन्य उद्योगों पर भी पड़ेगा।

इस अधिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू सभी मतों को समाहित करना है। वे बड़ी संख्या में लोगों से परामर्श ले सकते हैं और बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों परामर्श लेने में सक्षम होंगे। तो जब हम इस तरह का विधान बना रहे हैं, हमें यह प्रयास अवश्य करना चाहिए–यही मेरा विचार है फिर इसे जितना सम्भव हो सके लचीला रखें। इसलिए यह परामर्श प्रक्रिया जो अधिकरण को 'क' से परामर्श के लिए उपलब्ध होगी, जो किसी मामले के पर्यावरण नियन्त्रण बोर्ड को देने के लिए इसे रोकने के लिए दूसरी ऐजेन्सीज को देने के लिए अधिकरण के लिए बहुत सहायक होगी। मैं समझता हूं अधिकरण के बहुत से विशेषज्ञों के विचार उपलब्ध होंगे।

महोदय, 1000 रुपये फीस के बारे में भी उल्लेख किया गया है, उसमें एक प्रावधान है कि नियम बनाते समय हम इसे माफ कर सकते हैं। यह प्रावधान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से संस्थान मुकदमे दायर कर देते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं कम्पनियां भी हो सकती हैं जो व्यापार और उद्योग में प्रतियोगियों द्वारा किए गए दावों का विरोध कर सकती हैं।

व्यापार में, एक कम्पनी ऊरण दूसरी कम्पनी को बाहर करने के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। सावधान रहना है कि प्रतियोगियों द्वारा चालित मुकदमों को भी सहायता नहीं मिले। इन सभी मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, हमने यह प्रावधान किया है।

महोदय, एक बात यह कही गई है कि पर्याप्त मात्रा में न्यायपीठें नहीं हैं। महोदय मैं भी सहमत हूं कि पर्याप्त मात्रा में न्यायपीठें नहीं हैं। किन्त यह केवल एक शुरुआत है। यह राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक है। यदि में उसमें 30 न्यायपीठें जोड़ने का प्रयास करता हूं तो हमें कभी भी बजट प्रावधान नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पैसा नहीं मिलेगा ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने यह ठीक समझा कि चार न्यायपीठें शुरू की जाएं। और हम जल्द ही उन क्षेत्रों में न्यायपीठें स्थापित कर देंगे। जहां काफी प्रदूषण इकाईयां है। किंतु चार प्रमुख शहरों में, यह शुरूआत ही है। चूंकि हम केवल चार की ही घोषणा कर सकते हैं, इसलिए मैंने इन चारों की घोषणा की। किन्तु समयानुसार हम ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएं तो जहां उनकी आवश्यकता है, जहां दुर्घटनाएं बार–बार होती हैं। और जहां बहुत से ऐसे उद्योग हैं और हम वहां राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की न्यायपीठें बनाएंगे।

महोदय, कुछ असम्बद्ध मुद्दे उठाए गए हैं जो इस विधेयक से सम्बद्ध नहीं हैं। एक अमरीका के साथ कुछ समझौतों के बारे में था। महोदय, धन के लिए अमरीका के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। अमरीका के साथ कोई समझौता हुआ है जिसमें वे समझौते के लिए धन दे रहे हैं। अतु सामान्य रूप में मैं यह कहूंगा कि भारत इसमें सबसे आगे है और बहुपक्षीय संस्थाएं, बहुत से विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों से पर्यावरणीय बनों ने उस क्षेत्र में धन की बहुत बड़ी मात्रा क्या रही है क्योंकि जब हम विकास के इस बिन्दु पर हैं, यदि हम गलत रास्ता अख्तियार कर लें तो भारत एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा बन जाएगा। अतः, बहुत से देश हमारी सहायता करना चाहते हैं। निःसन्देह ऐसा होने वहीं जा रहा है। ऐसा विदेशों से बहिष्कृत टकनोलोजी लेने अथवा बहिष्कृत उद्योगों के लेने से नहीं होगा। अच्छी तकनीक जो सफाई करने की तकनीक से मिला है। अतः कोई सहयोग, या सहायता, या सहयोग या ऋण इसमें शामिल नहीं है। हमें सुनिश्चित करना है कि हमारे राष्ट्रहित में क्या है। हम उसे सुनिश्चित करने जा रहे हैं। हम लगातार ऐसा कर रहे हैं।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उनकी बात मुझे याद है और मैं उनके साथ अलग से बात करूंगा। वे मुद्दे बहुत वैध हैं। मैं प्रसन्न हूं कि माननीय सदस्यों ने यह जानकारी मेरे तक पहुंचायी जो उनके चुनाव क्षेत्रों में क्या हो रहा है क्योंकि कभी–कभी फीडबैक लेना बहुत मुश्किल होता है। उनमें से कुछ बातें पहले ही मुझे बता चुके हैं। हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा सामना राज्य सरकारों से है और कभी–कभी राज्य सरकारें हमारी तरह उत्साहित नहीं होतीं जैसा कि हम और कुछ कभी, कभी राज्य सरकार, विशेष क्षेत्रों और विशेष मामलों में... (व्यवधान)

[हिन्दी]

कभी–कभी ऐसा होता है, लेकिन आप लोगों ने यहां मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक नई जागरूकता नई चेतना आज अपने देश में और हमारे साथी के प्रदेश में उत्पन्न हुई है, उसको हम कायम रख पाएंगे। इसके साथ ही पर्यावरण की चुनौती का सामना हम मजबूती से कर पाएंगे।

[अनुवाद]

महोदय, कुछ असम्बद्ध मुद्दे हैं। कुछ सामान्य मुद्दे की हैं। चूंकि समय कम है, मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। किन्तु मैंने जो सामान्य मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास किया है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मंत्री महोदय, क्या आप हमें आश्वासन देंगे कि इस अधिकरण में केवल तकनीकी विशेषज्ञ के जानकार होंगे ही और यह नौकरशाही की पहुंच से बाहर होगा।

श्री कमल नाथ : महोदय, यह अधिकरण सेवामुक्त नौकरशाहों की देख रेख करने के लिये नहीं बनाया गया है। मुझे इस पर अवश्य ही स्पष्ट रहना चाहिए। कुछ अच्छे नौकरशाह भी है। हमें नौकरशाहों की निन्दा नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे भी नौकरशाह हैं जो अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे वही होंगे। किन्तु मैं यह नहीं सोचता कि हमें भी यह कहना चाहिए कि सभी नौकरशाह उसकी परिधि से बाहर होंगे।

कुछ अच्छे नौकरशाह भी हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें अवश्य उपयोग करना चाहिए। किन्तु हम उनका उपयोग कर सकते हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डुरी : महोदय, मेरा मतलब है कि मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं कि कुछ अच्छे नौकरशाह भी है। किन्तु यदि यह अवसर खुला रखने पर, यह हमेशा ही गलत लोगों के लिए खुला रहेगा। **(व्यवधान)**

श्री कमल नाथ : मैं सम्बद्ध माननीय सदस्यों की चिंता समझ सकता हूं। मैं उनकी चिन्ता से सहमत हूं और हम बहुत ही सावधान रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करता रहा हूं। जनपद सोनभद्र हिन्दुस्तान में सबसे प्रदूषित क्षेत्र है और इस बारे में मैं मंत्री जी को कई बार लिख भी चुका हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या लोक सभा की कोई समिति इस भयंकर प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाएंगे, जिसमें माननीय सदस्य वीरेन्द्र सिंह जी भी होंगे।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं एक समिति जांच करने के लिए भेजूंगा, मैं यह आश्वासन माननीय सदस्य को देना चाहता हूं। जब यह समिति जाएगी, तो माननीय सदस्य को सूचित करके जाएगी। आपको और अन्य जो जनप्रतिनिधि है, उनको भी सूचित करेगी, ताकि उनके साथ मिलकर वह जांच कर सके।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, आपने जो बैंच स्थापित करने की बात कही है, तो क्या साउथ में भी कोई बैंच स्थापित करेंगे ?

श्री कमल नाथ : महोदय, हमने कहा है कि पहली स्टेज में कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और बम्बई में बैंच स्थापित की जा रही है, उसके बाद जहां आवश्यकता होगी, जहां ऐसे उद्योग होंगे, वहां स्थापित की जा सकती है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : हैदराबाद में आवश्यकता है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चव्हाण जी, आप कुछ पूछना चाहते थे।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड) : महोदय, वास्तव में यह असंबद्ध है। क्या मंत्री कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे ? मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम महाराष्ट्र में चीनी उद्योगों से हुए जल-प्रदूषण में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं सदस्य को अलग से बताऊंगा। अन्यथा, यह एक खुली चर्चा बन जायेगी....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अब हम विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पर विचार प्रारम्भ करते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई के समय होने वाली किसी दुर्घटना से उद्भुत नुकसान के लिए कठोर दायित्व का उपबंध करने और व्यक्तियों, सम्पत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए राहत और प्रतिकर देने के दृष्टि से, ऐसी दुर्घटना से उद्भुत मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार प्रारंभ करेंगे।

खण्ड 2 परिभाषाएं

संशोधन किए गए

3. (i) से (v) ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।
4. (i) और (ii) ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 त्रुटि न होने के सिद्धान्त पर कतिपय मामलों में प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व

संशोधन किया गया

पृष्ठ 4,-

(i) पंक्ति 3, "प्रभागों" के **स्थान पर** "संक्रियाओं" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(ii) पंक्ति 5, "प्रयागों के स्थान पर "संक्रियाओं" प्रतिस्थापित किया जाये। (5)

(श्री कमल नाथ)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 देयता से छूट

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मंत्री जी खण्ड 4, का लोप करने के लिए सहमत हो गये हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं केवल सभा का ध्यान खण्ड 4 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिस पर सदस्यों को आपत्ति है और इसका निर्णय सभा करेगी।

श्री हन्नान मोल्लाह : सभा एकमत से इसका लोप कर सकती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम सर्वसम्मति से इसका लोप कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 प्रतिकर के दावे के लिए आवेदन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4,–

(i) पंक्ति 31 के पश्चात्

"(2) अधिकरण यदि उचित समझता है तो स्वप्रेरणा से प्रतिकर के दावों के लिए मामलों को ग्रहण कर सकता है।" **अन्तः स्थापित किया जाये।**

(ii) पंक्ति 32 "(2)" **के स्थान पर** "(3)" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

पृष्ठ 5,–

(iii) पंक्ति 1, "(3)" **के स्थान पर** "(4)" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(iv) पंक्ति 7, "(4)" **के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाये।**

(v) पंक्ति 14, "(5)" **के स्थान पर** "(6)" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (6)

(श्री कमल नाथ)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 से 9 विधेयक का अंग बने।"

खण्ड 6 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 10 अधिकरण और उसके न्यायपीठों की संरचना

संशोधन किए गए

7. (i) से (vi) ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

8. (i) से (vi) ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताय स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 11 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं

संशोधन किया गया :

9. (i) से (iii) ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

10. (i) से (iii) ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11, संशोधित रूप में, बिधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 12 कुछ परिस्थितियों में उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना

संशोधन किया गया :

11. (i) से (viii) ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13 पदावधि

(i) से (iv)—ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 पदत्याग और हटाया जाना

(i) से (vi)—ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 15 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें

यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है :

"कि खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 16 अध्यक्ष आदि द्वारा ऐसे अध्यक्ष आदि न रहने पर पदधारण करने के संबंध में उपबंध

(i) से (vi)—ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 17 अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां

(i) से (vi)—ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 अधिकरण के कर्मचारीवृन्द

यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 19 न्यायपीठों के बीच कार्य का वितरण

संशोधन किया गया :

19. यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 21 अध्यक्ष की मामलों का एक न्यायपीठ से दूसरे न्यायपीठ को अंतरण करने की शक्ति

संशोधन किया गया :

20. यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 बहुमत द्वारा विनिश्चय का किया जाना

21. यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 23 से 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23 से 28 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 29 अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारीवृन्द का लोक सेवक होना

संशोधन किया गया :

22. यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 30 सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

संशोधन किया गया :

23. (i) और (ii) ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 31, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 32 नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 31, –

"(4)" के स्थान पर "(5)" प्रतिस्थापित किया जाये। (24)

(श्री कमल नाथ)

25. (i) से (iii) ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनूसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि खण्ड 4 को अब हटा दिया गया है, अतः, रिकार्ड के लिए यह शामिल किया जा सकता है कि बचे हुए खंडों की संख्या पुनः निर्धारित की जाये। खंड पांच के आगे पुनः उनकी संख्या का निर्धारण करना पड़ेगा।

श्री कमल नाथ : महोदय, वास्तव में ऐसा ही होगा। अब, हम विधेयक पर विचार करना शुरू कर चुके हैं। मेरे विचार से, विधेयक में संख्यायें वही रहेंगी और अधिनियम में संख्यायें परिवर्तित हो जायेंगी।

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 6, –

"1992" **के स्थान पर** "1995" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (2)

(श्री कमल नाथ)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 1, –

"तैतालीसवें" **के स्थान पर** "छियालीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (1)

(श्री कमल नाथ)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक, यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए।'

"कि विधेयक, यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सदन की जो एक आम राय बनी थी उसको उन्होंने स्वीकार किया जिसके कारण क्लॉज 4 बिल का पार्ट नहीं बना। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैंने एक–दो बातें कहीं जिनका उत्तर उन्होंने दिया, जिनपर मैं उनको विचार करने के लिए कह रहा हूं। केवल एक बिल में चेयर–पर्सन यह बात लाई वह कानून के लिए अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए आप चाहें तो बाद में लॉ–डिपार्टमेंट से चर्चा करिये और अगर आप आवश्यक समझते हैं तो चेयरमैन और चेयर–पर्सन के लिए रियायत करिये, नहीं तो केवल एक बिल में इस प्रकार से रखना अच्छा नहीं रहेगा।

अंत में तीसरी बात यह है कि हम यहां बैठे–बैठे सुनते रहते हैं और वे वहां बैठे–बैठे खाते रहते हैं। वह क्या खाते हैं उसकी भी जानकारी हमें दीजिए तो हम अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण बात संविधान में संशोधन की कही है तो मैं उनकी भावनाओं से गृह मंत्री को अवश्य अवगत कराऊंगा। उन्होंने बात तो सही कही है। इस तरह से खाली एक बिल में संशोधन लाना शायद ठीक न रहे लेकिन इसका निर्णय भी गृहमंत्री जी करेंगे। जहां तक मैं क्या चबा रहा था तो सारी बातें सदन में नहीं कही जातीं। मैं बाहर इनसे इस विषय पर चर्चा करूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, एक दूसरा विधेयक भी है। आज आपने बहुत अधिक रुचि ली है और कमलनाथ जी ने भी विधेयक के बारे में अपने भाषण में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला, परिणाम स्वरूप अध्यक्षपीठ ने भी माननीय सदस्यों को अवसर देने से वंचित रखना नहीं चाहा। अतः इस बहस में आप सभी की सौहार्दपूर्ण सहभागिता की इच्छा के लिए मैं सभा के समय में कुछ और समय के लिए बढ़ोत्तरी करने की आज्ञा देता हूं। और मैं भी इससे जुड़ा हूं। एक दूसरा विधेयक भी है जिसे विचारार्थ लिया जाना है। सम्बद्ध माननीय मंत्री जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूं कि आप बहुत उदार हैं।

7.41 म.प.

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाला विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथाशक्ति विचारार्थ लिया जाए।"

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 17 दिसम्बर, 1979 को बंधकों से सम्बन्धित एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता स्वीकार किया था। कन्वेंशन ईरानी बंधकों के संकट के परिप्रेक्ष्यों में स्वीकृत किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन समझौता है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ना है। मत कनवेंशन समझौता 3 जून, 1983 से प्रभावी हुआ। भारत ने अभिसमय को स्वीकृति 7 सितम्बर 1994 से दी।

इस समझौते का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह समझौता किसी व्यक्ति को बंधक बनाने के कार्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये एक गंभीर अपराध मानता है और तदनुसार कोई भी व्यक्ति जो बंधक बनाने का कार्य करता है उस पर या तो मुकदमा चलाया जाएगा या उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा।

सम्मेलन यह भी चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के रूप में बंधक बनाने के सभी कृत्यों के विरोध, मुकदमा चलाने और दण्ड देने के उपाय करने और प्रभावी उपाय अपनाने में और इसे रोकने के लिए प्रभावकारी उपायों को समृद्ध राष्ट्रों के बीच सहयोग की बात भी इस समझौते में है।

समझौते के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति किसी को बन्धक बनाता है, और मारने की धमकी देता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की लगातार धमकी देता है यह कृत्य किसी तीसरी पार्टी अर्थात किसी राष्ट्र की सरकार पर दबाव डालने के लिए ऐसा करता है, कोई सहज अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या न्यायिक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, को ऐसा करने, या किसी कृत्य को करने से अनुपस्थित रहने, जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शर्तों को बंधकों की मुक्ति के लिए रखता है तो, उसे बन्धक बनाने का अपराध समझा जाएगा।

वर्तमान समय में, बंधक बनाने में अपराध को भारतीय विधि में व्याख्यापित नहीं किया गया है। फिर भी, अपराध विधि (संशोधन) अधिनियम 1993, में सेक्शन 364 के भारतीय दण्ड संहिता में फिरौती के लिए अपहरण करना आदि के अपराध को आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड अथवा जुर्माना भी, से दण्डनीय अपराध बनाने के लिए जोड़ा गया था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364क में ऐसी किसी स्थिति पर विचार नहीं किया गया है जहां कि विदेशी सरकार को अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर–सरकारी संगठन को बाध्य करने के लिए अथवा ऐसा कृत्य करने अथवा फिरौती लेने की दृष्टि से कोई अपराध किया जाता है।

इसलिए भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य फिरौती के लिए अपहरण आदि सम्बन्धी कथित धारा 364क है। इसे स्पष्ट करने के लिए संशोधन करने का है कि किसी भी व्यक्ति का अपहरण किसी सरकार अथवा किसी अर्न्त सरकारी संगठन, अथवा किसी व्यक्तियों को बाध्य करने के लिए अपहरण करना उस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय है।

सभा में 13 दिसम्बर 1994 को प्रस्तुत अपने चौदहवें प्रतिवेदन में गृह मामलों सम्बन्धी संसदीय समिति ने विधेयक के प्रावधानों से सहमति व्यक्त की और सिफारिश की कि विधेयक को उसके वर्तमान रूप में पारित किया जाए।

राज्य सभा ने 22 मार्च, 1995 को विधेयक पर विचार किया है और इसे वर्तमान रूप में पारित कर दिया।

मैं विधेयक को इस सभा के समक्ष विचारार्थ रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाला विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, विचारार्थ लिया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा प्रस्तुत इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 364क में जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के आगे शब्द जोड़ने किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंर्त–सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति के शब्द रखे जायेंगे, व्यापक बनाने के लिए है। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो वीभत्स रूप धारण कर रहा है।

जिससे मानवता के अस्तित्व को एक प्रकार से खतरा पैदा हो गया है। निर्दोष लोगों को बंधक बनाया जाता है, मौत के घाट उतारा जाता है। ऐसे बंधक बनाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं समझता हूं कि 17 दिसंबर, 1979 को जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वाधान में हुआ, उसमें व्यक्तियों को बंधक बनाने के बारे में स्वीकार किया गया था कि ऐसे लोगों को जो बंधक बनाने वाले हैं, उनको कठोर सज़ा दी जाए। इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, कैसे उसमें अभियोजन चलाया जाए, और कैसे उनको दंडित किया जाए, इन सारे उपायों को खोजने और प्रभावी बनाने के लिए और रक्षा के उपाय करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए इसमें कहा गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज आतंकवाद एक देश की सीमा तक नहीं रह गया है अपितु यह विश्वव्यापी हो गया है। बंधक बनाने की घटनाएं भी केवल व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं अपितु किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी सरकारी संगठन को कार्य करने से रोकने के लिए की जा रही है। ऐसे आपराधिक कृत्यों को करने के लिए इसमें मौत की सज़ा देने का जो प्रावधान है या आजीवन कारावास या जुर्माने की सज़ा है, वह तो ठीक है लेकिन जिन शब्दों को जोड़ा जा रहा है, इसकी प्रभावशीलता बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। आतंकवादी घटनाओं और बंधक बनाने की घटनाओं का हरगिज समर्थन नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों को कठोर सजा दी जानी चाहिए।

भारतीय दण्ड संहिता में जो तीन शब्द जोड़ने वाला संशोधन है, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने वाला है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन तो करता हूं, लेकिन 17 दिसंबर, 1979 में जो इंटरनेशनल कॉनफ्रेंस हुई थी, उस समय के सुझाव को लागू करने में हमें 15 साल लग गए। जब IMF या GATT की बात आती है तो उसके डायरेक्शन्स आप बहुत जल्दी लागू करते हैं। यह संशोधन करने में देर नहीं होनी चाहिए थी। जो संशोधन आप लाए हैं वह तो ठीक ही है। इसमें जो दो–तीन शब्द जोड़ने की बात है, इससे इसका वजन ज्यादा बढ़ता है।

एक बात है कि किडनैपिंग और हाइजैकिंग का जो सवाल आता है, तो रूलिंग पार्टी वाले हमारे कुछ सदस्यों को किडनैप करके उधर ले गए। इस कानून के तहत क्या उनके खिलाफ भी कुछ ऐक्शन होगा।

यही बात कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, मैं संक्षेप में केवल दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात मेरे साथी द्वारा पहले ही उठायी जा चुकी है कि मंत्री जी हमें यह बतायें कि उन्होंने इतना अधिक समय क्यों लिया है। निःसन्देह, उनके पूर्ववर्ती मंत्री ने ऐसा पहले नहीं किया। दिसम्बर, 1979 से आज तक, यह एक लम्बा समय है। कुछ कारण हो सकते हैं। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे।

निःसन्देह मैं इस विचार का समर्थन करता हूं और यह एक अच्छा विचार है। आपने इस विधेयक में मृत्युदण्ड और आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। यह प्रावधान पहले ही देश में है। आज, हमारे देश में, अपहरण अत्यधिक तथा बहुत आम घटना हो गया है। यह इस हद तक चला गया है कि राज्य द्वारा संचालित अपहरण हो रहे हैं और यह, कतिपय राज्यों में दलगत निधि सहित, पैसा बनाने का स्रोत हो गया है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब आप इस दण्ड का प्रावधान कर रहे हैं, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने लोगों को मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया है, जिसका अब विदेशी लोगों के लिए प्रावधान किया जा रहा है। वास्तव में कितने लोगों को यह दण्ड दिए गये हैं ? अथवा आप केवल अपनी पुस्तकों में दण्ड के अधिकाधिक मामले दर्ज करने जा

रहे है ? मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे पास दण्ड का प्रावधान है, लेकिन हमारी प्रक्रियाएं तथा लोगों को दण्ड देने की प्रणाली इतनी लम्बी तथा अकारगर है कि अन्ततः वह एक ऐसी चीज बन जाती है जो केवल पुस्तकों में रहेगी।

क्या सरकार विभिन्न प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत तथा सरल बनाने तथा समय–अवधि को कम करने और यह सुनिश्चित करने कि लोगों को शीघ्र दण्ड मिले, के लिए कुछ सोच रही है ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने लोगों को मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं यह मुहूर्त की बात है या सरकार की सद्बुद्धि की बात है कि अंतिम घड़ी में ऐसे विधेयक को ला रही है जिसको पारित करने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं। अगर यही सद्बुद्धि और मौलिक बातों में हो तो देश के जनतंत्र के लिए ज्यादा मददगार होगा। कुछ मित्रों की यह शिकायत ठीक है कि 16–17 वर्ष बीत गए लेकिन ये विधेयक नहीं ला पाए। इनके कई वादे ऐसे हैं जिनके हम खिलाफ हैं लेकिन यह तो पूरी मानवता के हित में है, हमारे राष्ट्रीय हित में है। यह उचित नहीं कि किसी देश के लिए ऐसा करें या करवाएं। यह खतरा अपने लिए भी है और विश्व के लिए भी है। इसलिए एकमत से इसको पारित करना है।

मैं आपसे यह सूचना चाहूंगा कि संसार में कितने देशों ने ऐसा कानून बना लिया है और हमारे जैसे पिछड़े हुए कितना देश हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से मृत्यु दंड के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जो मर गया उसका क्या बिगाड़ेगा। दण्ड ऐसा होना चाहिए जिसको वह व्यक्ति खुद देखे और उसे लगे कि वह दण्डित हो रहा है। इसमें आजीवन कारावास की बात ठीक है। मृत्यु दण्ड के द्वारा बदले में किसी की हत्या की जाय तो वह भी कानून के द्वारा हत्या ही है। उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं बिगड़ता है लेकिन उसके जो आश्रित हैं उनका बहुत कुछ बिगड़ता है। यह कॉग्नीजेबल आफेंस में आता ही है लेकिन नॉन–वायलेंस आफेंस में भी आता है। इसको दण्ड प्रक्रिया संहिता से गवर्न किया जाय। यदि कोई व्यक्ति लम्बी अवधि तक जेल में पड़ा रहे तो वह भी एक सजा ही होगी।...**(व्यवधान)** मैं व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं कर रहा हूं।...**(व्यवधान)** जनतंत्र में यह जरूरी नहीं है कि सभी फैसले सही हों। लेकिन जनतंत्र से बेहतर कोई दूसरा तंत्र भी दुनिया में नहीं है।...**(व्यवधान)** ऐसी हालत में मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं लेकिन जो सूचना मैंने चाही है वह दे। मैं व्यक्तिगत तो चला गया। उसको दण्ड नहीं मिला लेकिन दूसरों को उसका फल भोगना पड़ता है।...**(व्यवधान)** आज विश्व में जो हालात है उसको देखते हुए मैं इस बिल को समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : महोदय, इस समय मुझे उत्तर देने के लिए समय प्रदान करने के लिए मैं आपका तथा माननीय सदस्यों का अत्यधिक आभारी हूं।

यह अन्तर्राष्ट्रीय समझौता 1979 में हुआ था। माननीय सदस्य हुसैन ने पूछा है कि इसमें इतना अधिक समय क्यों लगा। हम 1994 में सदस्य बने थे। क्योंकि, शायद उस समय इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी, इसलिए हम यह नहीं लाये। और सितम्बर, 1994 में सदस्य बनते ही, हमने यह लाने का प्रयास किया ताकि देश के बाहर बन्धक बनाने वालों के विरुद्ध प्रभारी ढंग से निपटा जा सके। हमारे पास हमारे देश में बन्धकों की परिभाषा करने का भी कानून नहीं था। इसलिए, पैसे लेने के लिए बन्धक बनाने के अपराध से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364–क में संशोधन किया गया था। इस संशोधन का भी वही उद्देश्य है। स्थिति यह है।

दूसरे, मेरे माननीय मित्र प्रो. रावत ने कठोरतम दण्ड के लिए कहा है। मृत्यु दण्ड से अधिक कठोर क्या दण्ड हो सकता है ? वे मुझे बतायें।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद, वे चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म किया जाये।...**(व्यवधान)**

श्री पी.एम. सईद : श्री योगेन्द्र झा ने पूछा था कि इसमें अब तक कितने देश शामिल हुए है। जर्मनी, इंग्लैंड, अमरीका आदि सहित 69 देश इसमें शामिल हुए हैं। हमारे पड़ोसी देशों में, भूटान 1981 में तथा नेपाल 1990 में इसमें शामिल हुए थे। इनमें अतिरिक्त हमारा अन्य कोई पड़ौसी देश इसमें शामिल नहीं हुआ है। मैं सभा को यही बताना चाहता था।

महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री खण्डूरी ने यह जानना चाहा है कि विलम्ब को माफ कैसे करें विलम्ब को कम कैसे किया जाये। देश में अब तक दिए गये मृत्यु दण्ड के संबंध में, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं क्योंकि धारा 364–क में हाल ही में संशोधन किया गया था। इसके पश्चात, कितनों को मृत्यु दण्ड दिया गया है, इस संबंध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। यदि आपकी इसमें रुचि है तो मैं ये एकत्रित करके आपके पास भेजने का प्रयास करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड–वार विचार प्रारंभ करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री पी.एम. सईद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी.एम. सईद : महोदय, यह अपवादिक दिन है। सब कुछ सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः, आपने जो अदभूत धैर्य दिखाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुन्द वासनिक) : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विधेयक पारित किए जाएं। मैं सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अनुकरणीय सहयोग दिखाया है तथा इन दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने में सहयोग किया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्यों को बधाई है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके द्वारा प्रदर्शित बहुत अच्छे धैर्य के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभा कल 25 मई, 1995 को 11.00 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.00 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 25 मई, 1995/4 ज्येष्ठ, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।